दश माला, खंड 22, अंक 13

गुरूवार, 10 अगस्त, 2006
19 श्रावण, 1928 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

आठवां सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 61
Dated 1 June 2007

(खण्ड 22 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

परमजीत कौर
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 22, आठवां सत्र, 2006/1928 (शक)]

अंक 13, गुरूवार, 10 अगस्त, 2006/19 श्रावण, 1928 (शक)

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों तथा हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए जाने के परिणामस्वरूप हुई तबाही के शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि दिए जाने के बारे में . .	1
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 241 से 260	4-54
अतारांकित प्रश्न संख्या 1829 से 2050	54-301
सभा पटल पर रखे गए पत्र	302-307
राज्य सभा से संदेश	307
वित्तीय समितियां	
एक समीक्षा	307
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
कलाकारों को विदेशों में भेजने में भ्रष्टाचार के बारे में दिनांक 24.11.2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 431 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	
श्रीमती अम्बिका सोनी	308
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत राजस्थान के अलवर जिले में प्रस्तावित डेयरी विकास योजना को शीघ्र मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता	
डा. करण सिंह यादव	309
(दो) जल परियोजनाओं में समान भागीदारी के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती प्रतिभा सिंह	309

विषय		कॉलम
(तीन)	दार्जिलिंग के पर्वतीय चाय बागानों को जल उपकर का भुगतान करने से छूट दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री डी. नरबुला	310
(चार)	टी.वी. धारावाहिकों में अश्लीलता के चित्रण को रोकने के लिए एक संहिता बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्री एन.एस.वी. चित्तन . .	311
(पांच)	कर्नाटक के हवेरी जिले में फूड पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री मंजुनाथ कुन्नुर	311
(छह)	मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में भारतीय खेल प्राधिकरण का उप-केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री राकेश सिंह	312
(सात)	जयपुर से सीकर तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 को चार लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्री सुभाष महरिया	313
(आठ)	आंध्र प्रदेश में पोलवरम परियोजना पर कार्य को रोके जाने की आवश्यकता	
	श्री परसुराम माझी	313
(नौ)	भारत-बंगलादेश सीमा पर घुसपैठ को रोके जाने की आवश्यकता	
	योगी आदित्यनाथ	314
(दस)	तमिलनाडु के मदुरै, में एक पासपोर्ट कार्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री पी. मोहन	315
(ग्यारह)	केरल में कल्लाडा सिंचाई परियोजना को कमान क्षेत्र विकास जल प्रबंधन (सी ए डी डब्ल्यू एम) कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती सी.एस. सुजाता	316

(बारह) जनता की सुविधा के लिए इटावा के बलराई और 24 सी, चंदनपुर कोठी रेलवे क्रासिंग पर स्थित रेलवे गेटों को पूर्व की ओर स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता

श्री रघुराज सिंह शाक्य 316

(तेरह) उच्च और तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए प्रस्तावित आरक्षण को लागू किए जाने की आवश्यकता

श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव 317

(चौदह) उड़ीसा में बे अन्वेषण परियोजना में तकनीकी रूप से अधिक प्रशिक्षित कार्मिकों को शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रसन्न आचार्य 317

(पंद्रह) बिहार के सीवान जिले में महाराजगंज केन्द्रीय विद्यालय में कक्षाएं आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रभुनाथ सिंह 318

(सोलह) देश में सांप द्वारा डसे हुए लोगों को समय पर चिकित्सा सहायता और दवाइयां उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

डा. के. धनराजू 319

(सत्रह) आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने के लिए समय पर पर्याप्त धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

डा. एम. जगन्नाथ 320

(अठारह) असम में धोले और सदिया के बीच ब्रह्मपुत्र नदी के लोहित चैनल पर एक पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

डा. अरुण कुमार शर्मा 321

(उन्नीस) मणिपुर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कारगर बनाए जाने की आवश्यकता

श्री मणि चारेनामै 322

विषय	कॉलम
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	325-326
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	325-340
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	341-342
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	341-344

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग
डा. सत्यनारायण जटिया
श्रीमती सुमित्रा महाजन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
श्री मोहन सिंह
श्रीमती कृष्णा तीरथ
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

गुरुवार, 10 अगस्त, 2006/19 श्रावण, 1928 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों तथा हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए जाने के परिणामस्वरूप हुई तबाही के शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि दिए जाने के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि 64 वर्ष पूर्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 9 अगस्त, 1942 को ''भारत छोड़ो'' आन्दोलन छेड़ा था। महात्मा गांधी के ''करो या मरो'' के नारे ने भारत की जनता को साम्राज्यवादी बेड़ियों से छुड़ाने के लिए प्रेरित किया।

''भारत छोड़ो'' आन्दोलन ने देश की जनता को साम्राज्यवादी शक्ति का विरोध करने के लिए प्रेरित किया और उसने महसूस किया कि भारत में बने रहना निरर्थक है। इस अवसर पर हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उन सभी लोगों को अपनी सम्मानपूर्ण श्रृद्धांजलि देते हैं, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्योछावर किये।

माननीय सदस्यों जैसाकि आपको ज्ञात होगा कि 6 और 9 अगस्त, 1945 को जापान में हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराये गए थे। इस दर्दनाक घटना की 61वीं वर्षगांठ पर हम हजारों लोगों के मारे जाने तथा लाखों लोगों के घायल होने या फिर जीवन भर के लिए अपंग होने को स्मरण करते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी की घटनाएं हमें विश्व में आणविक निशस्त्रीकरण की आवश्यकता का स्मरण कराती हैं।

अब सभा स्वतंत्रता सेनानियों और आणविक नरसंहार के पीड़ितों की याद में थोड़ी देर मौन खड़ी होगी।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

(तत्पश्चात् सदस्यगण **थोड़ी देर मौन खड़े रहे**)

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैंने प्रश्न काल के निलंबन के लिए सूचना दी है...*(व्यवधान)* इस सभा के वरिष्ठ सदस्य द्वारा माननीय प्रधान मंत्री को एक पत्र...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : यह स्पीकर का खुल्लमखुल्ला अपमान है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं बोल रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० वल्लभभाई कथीरिया (राजकोट) : अध्यक्ष महोदय, गुजरात में बाढ़ आने के बाद भी रिलीफ पैकेज नहीं दिया जा रहा है जबकि आंध्र प्रदेश को दिया जा रहा है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह इस देश की जनता के लिए गंभीर चिंता का विषय है। हमारे देश के लाखों लोग दुःख झेल रहे हैं। मैं प्रश्न काल के बाद इस मुद्दे को सबसे पहले उठाने की अनुमति दूंगा। मैंने आपसे वादा किया है। कृपया मुझे सभा की कार्यवाही का संचालन करने दीजिए। मैं इसके महत्व को कम नहीं कर रहा हूं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मुझे चिंता नहीं है? मैंने स्वयं सुझाव दिया है कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है। मैं आपको अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 241।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सभा में व्यवस्था कायम रहने दीजिए। यहां महत्वपूर्ण मामले और प्रश्न हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित मत कीजिए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा में सभी दलों से पुन: अपील करता हूं कि वे धैर्य रखें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पूर्वाह्न 11.30 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे पुन: समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 241।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं प्रश्न काल किस तरह संचालित कर सकता हूं?

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैंने सूचना दी है...
(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं दी है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू करते हैं।

(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि

*241. श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई नीति बनाई है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि हो तो देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में उसके अनुरूप भारी वृद्धि न हो;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो आम आदमी के हितों की रक्षा के लिए क्या ठोस उपाय करने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) से (ग) जी, हां। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जब कभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई मूल्य वृद्धि होती है तो देश में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में कोई तदनुरूपी अत्यधिक वृद्धि न हो, सरकार ने तीनों पणधारकों नामत: उपभोक्ताओं, सा.क्षे.उ. की तैल कंपनियों और सरकार के बीच

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

समान रूप से बोझ में हिस्सेदारी की एक नीति विकसित की है। यह नीति आम आदमी पर अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि के असर को कम करने के उद्देश्य से विकसित की गई है। यद्यपि कच्चे तेल की भारतीय बास्किट के मूल्य में 2004 के अंत से लगभग दो गुनी वृद्धि हुई है, फिर भी सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों और आम आदमी के हितों की रक्षा करने के लिए पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी के मूल्यों में वृद्धि न करने का निर्णय लिया।

हम अपनी कच्चे तेल की जरूरतों के 76% का आयात करते हैं। कच्चे तेल के अत्यधिक बढ़े अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के कारण वर्तमान वर्ष के लिए कुल अल्प वसूली 73,500 करोड़ रुपये है। सरकार ने तेल कंपनियों के साथ मिलकर इस बोझ का 87.5% वहन करने का निर्णय लिया है। केवल शेष 12.5% उपभोक्ताओं द्वारा पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में मामूली वृद्धि के जरिए वहन किया जाना है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सरकार ने आम आदमी के हित की रक्षा करने के लिए निम्नलिखित ठोस उपाय किए हैं:-

- मिट्टी तेल और एलपीजी पर केन्द्रीय कर नामतः उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिए गए हैं।
- पेट्रोल और डीजल पर सीमा शुल्क मई, 2004 में 20% की तुलना में कम करके 7.5% कर दिए गए हैं।
- एलपीजी को घोषित वस्तु श्रेणी में रख दिया गया है और बिक्री कर में कमी करके अधिकतम 4% कर दिया गया है।
- आम आदमी पर मूल्य वृद्धि के असर को कम करने के लिए राज्य सरकारों से किए गए अनुरोध के आधार पर राज्य सरकारों नामतः आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु (केवल डीजल), उत्तरांचल, मणिपुर और असम ने हालिया मूल्य वृद्धि के बोझ को कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल पर बिक्री कर कम कर दिया है।

रेल माल ढुलाई गलियारा (कॉरिडोर)

***242. श्री हरिन पाठक :**
श्री मधुसूदन मिस्त्री :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली-मुम्बई तथा दिल्ली-हावड़ा मार्गों पर प्रस्तावित रेल माल ढुलाई गलियारों हेतु (कॉरिडोर) राइट्स (आर आई टी ई एस) से कोई व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों, विशेषकर गुजरात से प्रस्तावित माल ढुलाई गलियारों (कॉरिडोर) में यातायात सुविधा प्रदान करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कार्यवाही की गई हैं/किए जाने का विचार है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। जनवरी, 2006 में राइट्स ने पश्चिमी और पूर्वी मार्गों पर कंप्यूटरीकृत गाड़ी नियंत्रण प्रणाली के साथ समर्पित मल्टीमोडल उच्च धुरा भार माल गलियारों के विकास हेतु व्यावहारिकता अध्ययन पूरा कर लिया था। इस परियोजना की लागत लगभग 22,000 करोड़ रुपये आंकी गई है। व्यावहारिकता अध्ययन ने निष्कर्ष दिया है कि ये परियोजनाएं वित्तीय दृष्टि से अर्थक्षम हैं।

(ग) से (ङ) मई, 2005 में गुजरात सरकार ने वडोदरा, अहमदाबाद और पालनपुर के रास्ते मुंबई से दिल्ली तक पश्चिमी गलियारे के मार्ग का प्रस्ताव किया था ताकि गुजरात में स्थित बंदरगाहों के लिए रेल संपर्क मुहैया कराया जा सके। पश्चिमी गलियारे का प्रस्तावित मार्ग गुजरात सरकार के सुझाव के अनुरूप है। सितंबर, 2005 में पंजाब सरकार ने समर्पित माल गलियारे को दिल्ली से अमृतसर तक बढ़ाए जाने के लिए अभ्यावेदन किया था। यह विनिश्चिय किया गया है कि राइट्स द्वारा किए गए व्यावहारिकता अध्ययन के आधार पर पूर्वी मार्ग पर समर्पित माल गलियारा पंजाब में लुधियाना से प्रारंभ होगा।

[हिन्दी]

पर्यटन सर्किटों का विकास

*243. श्री गिरधारी लाल भार्गव :
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यटन सर्किटों के समेकित विकास के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र वार उक्त योजना के अंतर्गत अनुमोदित विकास कार्यों और प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से चालू वर्ष के दौरान अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पर्यटक सर्किटों के विकास के लिए वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव/अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) जी, हां। पर्यटन मंत्रालय ने 'गंतव्यों तथा सर्किटों के उत्पाद/अवसंरचना विकास' की एक योजना तैयार की है जिसमें पर्यटक सर्किटों का एकीकृत विकास शामिल है। पर्यटन मंत्रालय, पर्यटक सर्किटों के एकीकृत विकास हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को, जिन्हें उनके साथ विचार-विमर्श से प्राथमिकता दी जाती है, केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। प्रत्येक पर्यटक सर्किट के विकास के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता की उच्चतम सीमा 8.00 करोड़ रुपए तक है। भूमि उपलब्ध करवाने की जिम्मेवारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है, जिसके साथ बाह्य अवसंरचना तथा उसके बाद का प्रबंधन और केन्द्रीय सहायता से निर्मित परिसम्पत्तियों का रख-रखाव शामिल है।

(ग) वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान पर्यटक सर्किटों के विकास हेतु स्वीकृत परियोजनाओं के ब्यौरे और पर्यटन मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता क्रमशः विवरण-I तथा विवरण-II पर दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) वर्तमान वर्ष के दौरान वित्तीय सहायता हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ विचार-विमर्श से प्राथमिकता प्रदान किए गए पर्यटक सर्किटों के विकास से संबंधित परियोजनाओं के ब्यौरे विवरण-III में दिए गए हैं। अभी तक पर्यटन मंत्रालय ने चार पर्यटक सर्किटों के विकास के लिए 1730.14 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं और 1406.80 लाख रुपए जारी की जा चुकी है, जैसाकि विवरण-IV में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2004-05 के दौरान पर्यटन मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को पर्यटक सर्किटों के विकास हेतु स्वीकृत परियोजनाएं तथा प्रदान की गई वित्तीय सहायता दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	परियोजना	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश			
1.	करनूल पर्यटन सर्किट का एकीकृत विकास जिसमें आलमपुर, उरवाकल्लू, बेलमगुफाएं ऐरागुड्डी, गंडीकोटा, ताडीपतरी, श्रीसैलम, महानंदी, मंत्रालयम, अहोबिलम, अलागडा, जगन्नाथगुट्टा शामिल हैं।	800.00	640.00

1	2	3	4
2.	हैदराबाद-नालगोण्डा-खम्माम पर्यटन सर्किट का एकीकृत विकास	797.47	637.98
	कुल	1597.47	1277.98
असम			
1.	पोबितोड़ा-कोला-भोमरा-गोलाघाल-अमोनी पर्यटन सर्किट का विकास	437.75	350.00
	कुल	437.75	350.00
छत्तीसगढ़			
1.	अमरकंटक, रत्नगढ़, रामगढ़ के इको-टूरिज्म सर्किट का एकीकृत विकास	648.35	518.68
	कुल	648.35	518.68
हिमाचल प्रदेश			
1.	शिमला-कुफरी-नालडेरा के शिमला पर्यटक सर्किट का एकीकृत विकास	800.00	640.00
2.	मैकलोडगंज-भगसु नाथ-डल झील-त्रिउण्ड क्षेत्र - पालनपुर - एंडरेटा में नगल क्षेत्र के कांगड़ा पर्यटक सर्किट का एकीकृत विकास	800.00	640.00
	कुल	1600.00	1280.00
जम्मू एवं कश्मीर			
1.	लवडोरा काजीगंज-आसारी-I-शरीफ हजरतबल-हसन विला में पर्यटक सर्किट	800.00	640.00
	कुल	800.00	640.00
झारखंड			
1.	तीर्थांकर-बोधिसत्व सर्किट का विकास	494.57	393.33
	कुल	494.57	393.33
कर्नाटक			
1.	उत्तरी कर्नाटक में बादामी-आईहोल-पट्टादकल-महाकुट सर्किट का एकीकृत विकास	800.00	640.00

1	2	3	4
2.	दक्षिणी कर्नाटक में मेलकोट-बेलूर-हलिबिड-श्रावन बेलगोला सर्किट का एकीकृत विकास	798.50	638.80
	कुल	1598.50	1278.80
केरल			
1.	कप्पड बीच, थिरूनेली, पाईथमल, नीलाम्बर, अथीरापल्ली जलप्रपात, परमबिकुलन को शामिल करते हुए उत्तरी क्षेत्रीय सर्किट का विकास	795.56	636.48
2.	पाईथनमाला, पारासिनीकाडावु, मुथंगा, नीलाम्बर, नेदुमकंडम, बेगामोन को शामिल करते हुए हाई रेंज पर्यटन सर्किट का एकीकृत विकास	783.07	626.45
	कुल	1578.63	1262.93
मध्य प्रदेश			
1.	ग्वालियर-ओरछा-खजुराहो सर्किट में ओरछा में ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन	149.07	99.00
	कुल	149.07	99.00
महाराष्ट्र			
1.	कोंकण रिवेरा सर्किट भाग-II के इरांगल-धामपुर-अम्बोली-ठभाडण्डा तथा अक्षी नागांव का एकीकृत विकास	685.87	548.70
	कुल	685.87	548.70
मेघालय			
1.	शिलांग-मौजरॉग-चेरापुंजी-बिरनीहाट के पर्यटन सर्किट का विकास	674.15	576.59
	कुल	674.15	576.59
मिजोरम			
1.	आइजवाल-छियाहटलंग-शेरचिप-नाभिताल-लुंगी में पर्यटक सर्किट का विकास	634.00	20.00
	कुल	634.00	20.00

1	2	3	4
नागालैण्ड			
1.	चुम्दीमा, पिपहेमा, कोहिमा, वोखा, दिर्योंग तथा मोकोचुंग को शामिल करते हुए पर्यटक सर्किट का विकास	766.50	613.20
	कुल	766.50	613.20
उड़ीसा			
1.	ललितागिरि, रत्नागिरि, उदयगिरि तथा लैंगुड़ी में बौद्ध सर्किट का एकीकृत विकास	740.67	592.52
	कुल	740.67	592.52
राजस्थान			
1.	अलवर-भरतपुर-शेरगर आदि को शामिल करते हुए (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) एन सी आर के लिए पर्यटक सर्किट का विकास	738.00	590.40
2.	झालावाड़-कोटा-बारन-जलेरा-बुंदी के हदोती क्षेत्र में पर्यटक सर्किट का एकीकृत विकास	725.10	580.00
	कुल	1463.10	1170.40
सिक्किम			
1.	तालसिंगडिंग, पश्चिम सिक्किम में बौद्ध सर्किट का विकास	181.00	144.80
2.	पश्चिमी सिक्किम (यक्षन-दंतम) में सर्किट का विकास	396.00	316.00
	कुल	577.00	460.80
तमिलनाडु			
1.	प्वाइंट केलिमेयर वन्य जीव अभ्यारण्य, मुथुपेट में इको टूरिज्म सर्किट का एकीकृत विकास	368.00	294.40
	कुल	368.00	294.40

1	2	3	4
उत्तरांचल			
1.	रावल निवास, संकीर्तन भवन, तपताकुण्ड, आईएसबीटी आदि को शामिल करते हुए बद्रीनाथ धाम पर्यटक सर्किट का एकीकृत विकास	702.09	561.67
2.	बारसु-दयारा-रायथल सर्किट का विकास	536.36	429.08
	कुल	1238.45	990.75

विवरण-II

वर्ष 2005-06 के दौरान पर्यटन मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई वित्तीय सहायता तथा पर्यटन सर्किटों के विकास हेतु स्वीकृत परियोजनाएं दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपयों में)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश			
1.	चंदावरम-उनाडवाली-नागार्जुनकोंडा के क्षेत्रों में निचली कृष्णा घाटी बौद्ध परिपथ का एकीकृत विकास	800.00	240.00
2.	अराकू-विजाक पर्यटन सर्किट का एकीकृत विकास	771.86	617.50
	कुल	1571.86	857.50
अरुणाचल प्रदेश			
1.	डिब्रूगढ़-पासीघाट-देईंग एरिंग वन्य जीव अभ्यारण्य सर्किट का विकास	299.00	239.20
2.	लिकबाली-बसर-अलोंग-यमबर्ग को शामिल करते हुए शियांग सर्किट का विकास	778.94	623.00
	कुल	1077.94	862.20
असम			
1.	मानस-गुवाहटी-काजीरंगा सर्किट का विकास	781.00	624.80

1	2	3	4
2.	पूर्वोत्तर सर्किट (काजीरंगा-गुवाहाटी-ब्रह्मपुत्र नदी की ओर) का विकास	280.00	224.00
3.	धुबड़ी-गोलपारा-गुवाहाटी-सिलचर-करीमगंज सर्किट का एकीकृत विकास	432.28	345.82
	कुल	1493.28	1194.62
बिहार			
1.	बोधगया-राजगीर-नालंदा सर्किट का विकास	768.12	614.50
2.	सुलतानगंज से देवघर तक कांवरिया सर्किट का एकीकृत विकास	443.12	354.49
	कुल	1211.24	968.99
छत्तीसगढ़			
1.	रायपुर-अरंग-सिरपुर-नारायणपुर-गिरोधपुरी-शिवरिन अरायन-खरोद-मथार-रत्नपुर-टाटा क्षेत्र सर्किट का एकीकृत विकास	714.46	571.56
	कुल	714.46	571.56
हिमाचल प्रदेश			
1.	डलहौजी-खजियार-चम्बा-भरमोर-मणिमहेश-किहर-भौदाली आदि को शामिल करते हुए चम्बा सर्किट का एकीकृत विकास	790.00	632.00
2.	सुरेन्द्र नगर-बरोट-जोगिन्द्रनगर-जनहेटी-कारासोल को शामिल करते हुए मण्डी-बिलासपुर सर्किट का एकीकृत विकास	800.00	240.00
	कुल	1590.00	872.00
जम्मू एवं कश्मीर			
1.	लखनपुर-बसोली-बानी-सरथल सर्किट का एकीकृत विकास	799.69	639.00
2.	श्रीअमरनाथ जी में अस्थाई कैम्पों/अन्य सुविधाओं की स्थापना करना	700.00	560.00
3.	जम्मू-राजौरी-पुंछ के पर्यटक सर्किट का एकीकृत विकास	688.00	550.00
4.	भदरवाह-किश्तवार-सिंथन-श्रीनगर के पर्यटक सर्किट का एकीकृत विकास	691.13	552.90
	कुल	2878.82	2301.90

1	2	3	4
झारखण्ड			
1.	रांची-नेतरहाट-बेतला-रांची के पर्यटक सर्किट का एकीकृत विकास	798.00	638.40
	कुल	798.00	638.40
कर्नाटक			
1.	मंगलौर-उललाल-उडुपी-कुल्लूर-भुनावर-मुर्देश्वर-कुण्डापुर-गोकरना को शामिल करते हुए पर्यटक सर्किट का एकीकृत विकास	698.00	209.40
	कुल	698.00	209.40
केरल			
1.	संकुमुघम बीच-चेरई बीच-नट्टिका बीच-उझुपिलंगाडु बीच-पायमबलम बीच-मीनकुन्नू बीच को शामिल करते हुए केरल में बीच पर्यटन सर्किट	798.00	638.40
2.	वेरकला-कोवलम-अरनाकुलम के मंदिरों, गिरिजाघर तथा मस्जिद को शामिल करते हुए तीर्थ यात्री पर्यटन सर्किट का एकीकृत विकास	704.45	563.56
3.	अल्लापुझा-पूनामाडु सर्किट का एकीकृत विकास	800.00	640.00
	कुल	2302.45	1841.96
मध्य प्रदेश			
1.	ग्वालियर-ओरछा-खजुराहो सर्किट का एकीकृत विकास	461.09	368.87
2.	ग्वालियर-शिवपुरी-चंदेरी सर्किट का एकीकृत विकास	800.00	640.00
3.	सांची-भोपाल-भोजपुर-भीमबेटका-पंचमढ़ी सर्किट का एकीकृत विकास	715.45	572.00
	कुल	1976.54	1580.87
महाराष्ट्र			
1.	गणपतिपुले-वलनेश्वर-सिंधुदुर्ग-तारकरली को शामिल करते हुए कोंकण रिवेरा पार्ट-III	594.17	475.33
	कुल	594.17	475.33

1	2	3	4
मिजोरम			
1.	मिजोरम-लेंगपुई-चांगशिल, कोलाशिव, वेरंगटे सर्किट का विकास	634.00	487.20
2.	मिजोरम के उत्तरी भाग में पर्यटक सर्किट का एकीकृत विकास	783.92	627.00
	कुल	1417.92	1114.20
नागालैंड			
1.	माउंट पौना रेंज सर्किट (कैली हेई, तंगहेबंग, हेजवाकी) का विकास	250.00	125.00
2.	मोकोकचुंग लोंगलेंग तथा मोन के पर्यटन सर्किट का एकीकृत विकास	747.95	598.36
	कुल	997.95	723.36
उड़ीसा			
1.	भुवनेश्वर-धौली-पुरी-कोणार्क सर्किट का एकीकृत विकास	720.09	576.07
	कुल	720.09	576.07
राजस्थान			
1.	उदयपुर-राजसमंद-चित्तौड़गढ़-बांसवाड़ा-डूंगरपुर जिलों को शामिल करते हुए मेवाड़-वागढ़ सर्किट का एकीकृत विकास	580.00	464.00
2.	बरसाना, झील, कैला देवी, पुंचारी, नीलकण्ठ, भ्रतृहरि को शामिल करते हुए बृजभूमि धार्मिक पर्यटन सर्किट का विकास	477.07	381.65
	कुल	1057.07	845.65
सिक्किम			
1.	तंगु, नाथन, यकलाक, अड्डीतर-पूर्वी सिक्किम को शामिल करते हुए पूर्वी सिक्किम में पर्यटन सर्किट का विकास	355.00	284.00
2.	पूर्वी सिक्किम में दारा, सांग-मार्टम, तुंबुड़े में टूरिस्ट ट्रेकिंग ट्रेल्स तथा पर्यटन अवसंरचना	418.42	334.73
3.	पूर्वी सिक्किम में रेकडोंग तीनतेक बेल्ट के लिए पर्यटक स्थल विकास परियोजनाएं	678.30	542.64

1	2	3	4
4.	रंगपो-सिंगटम-लामातर-समद्रुपसे-रूमटेक के पर्यटक सर्किट का विकास	800.00	640.00
	कुल	2251.72	1801.37
तमिलनाडु			
1.	मंगाडु-थिरूवोथत्रियुर-चिदम्बरम-मेलाद्दुथुरई-कुम्बाकोनम-तिरुचिरापल्ली-त्रिचेंडूर को शामिल करते हुए आदि शंकर पर्यटक सर्किट का विकास	443.00	354.00
2.	पलानी-मदुरै-त्रिचेनडूर-स्वामीमलाई-तिरुटन्नी वाले पर्यटक सर्किट का एकीकृत विकास	798.97	639.17
3.	चोझानट्टु थिरूपथीगल आदि वाले पर्यटक सर्किट का विकास	500.00	400.00
4.	तिरूमलाई, मुत्तुपट्टी, मेत्तुपट्टी, सित्तनावसल मेलचित्तामुर, तिरूनथर कुनरू आदि को शामिल करते हुए जैन तीर्थ क्षेत्र सर्किट का विकास	192.00	48.00
	कुल	1933.97	1441.57
त्रिपुरा			
1.	कमलापुर-मानु-धरमनगर-बागपासा को शामिल करते हुए पश्चिमी उत्तरी त्रिपुरा सर्किट का एकीकृत विकास	252.33	202.00
	कुल	252.33	202.00
उत्तर प्रदेश			
1.	मिर्जापुर-चुनार-राबर्ट्सगंज का विंध्य पर्यटक सर्किट के अंदर विकास	800.00	640.00
2.	जिला खिरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तथा दुधवा कटेरनियाघाट पर्यटक सर्किट के अंतर्गत कटेरनियाघाट वन्य जीव अभ्यारण्य का अवसंरचना एवं गंतव्य विकास	417.60	334.08
	कुल	1217.60	974.08
उत्तरांचल			
1.	नैनीताल-अलमोड़ा-रानीखेत पर्यटक सर्किट का विकास	697.51	558.00
2.	चमोली में हेमकुण्ड साहिब-घंघड़िया फूलों की घाटी सर्किट का एकीकृत विकास	653.54	522.83
	कुल	1351.05	1080.83

विवरण-III

पर्यटन सर्किटों के विकास हेतु वर्ष 2006-07 के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श से प्राथमिकता प्रदत्त परियोजनाएं दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य		सर्किट
1	2		3
1.	आंध्र प्रदेश	1.	बीच सर्किट विजाग
		2.	बौद्ध सर्किट
		3.	कलाहस्ती-कणिपक्कम-तालाकोना सर्किट
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.	तिनसुकिया (असम)-नामसाई-तेजु-डॉगी
3.	असम	1.	औरंग-तेसपुर-नामेरी-भालुकपॉग-त्वांग पर्यटक सर्किट
4.	बिहार	1.	बोधगया-नालंदा-राजगीर
5.	छत्तीसगढ़	1.	जगदलपुर-सर्किट
6.	गोवा	1.	उत्तरी गोवा सर्किट
		2.	दक्षिणी गोवा सर्किट
7.	गुजरात	1.	जूनागढ़-वेरावल पोरबंदर
8.	हरियाणा	1.	कुरुक्षेत्र
9.	हिमाचल प्रदेश	1.	जनजातिय क्षेत्रों में इको पर्यटन
		2.	तीर्थ सर्किट
10.	जम्मू एवं कश्मीर	1.	कारगिल में पर्यटक सर्किट का विकास
11.	झारखंड	1.	रांची-रामगढ़-राजारप्पा-तेनूघाट-हजारीबाग-पदमा इटखोरी
12.	कर्नाटक	1.	बीजापुर-बीदर-गुलबर्ग
		2.	सदर्न वाइल्डरनेस सर्किट
13.	केरल	1.	सदर्न इको-पर्यटन
14.	मध्य प्रदेश	1.	अमरकंटक-मण्डला-डिंडोई

1	2	3	
		2.	हौसंगाबाद-महेश्वर-ओंकारेश्वर-बरवानी
15.	महाराष्ट्र	1.	एलिफेंटा सहित बौद्ध सर्किट
		2.	फोर्ट सर्किट
16.	मणिपुर	1.	इम्फाल-बिष्णुपुर-सेंदरा-चूड़ाचांदपुर
17.	मेघालय	1.	विलियमनगर-जकरेम-जोवाई
		2.	शिलांग-चेरापूंजी-जोवाई मापलौंग
18.	मिजोरम	1.	सदर्न-रंगचाकान, तावीपुवी, लांगतलाई, सैहा, वामबुक, संगाऊ एस. वनलाईफाई
		2.	इस्टर्न-केटुम, एन. वनलाईफाई, ईस्ट लुंगडर, खावबंग, फर्कान, ओखावथर, नहलन
19.	नागालैंड	1.	जुन्हेबोटो-त्वेनसंग-किफिरी
		2.	गवर्नर कैम्प (वोखा)-नुई लैंड एरिया (दीमापुर)-जलुकी (पेरेन)
20.	उड़ीसा	1.	भुवनेश्वर-पुरी-कोणार्क
		2.	सिमलीपाल-चांदीपुर-तलसारी-पंचलिंगमेश्वर
		3.	अराकू घाटी-सोनबेड़ा-कोरपुर-मलकागिरि
21.	पंजाब	1.	स्वतंत्रता संग्राम सर्किट (दिल्ली-अमृतसर)
		2.	तीर्थ सर्किट
22.	राजस्थान	1.	इको-पर्यटन सर्किट
		2.	स्मारकों का प्रदीप्तिकरण
23.	सिक्किम	1.	उत्तरी सिक्किम में फोडेंग तथा मांगन में पर्यटक केन्द्रों का विकास
		2.	पूर्वी सिक्किम में असम लिंगजे तथा खेदी ट्रेक रूट का विकास
24.	त्रिपुरा	1.	उत्तरी पश्चिमी त्रिपुरा सर्किट का विकास
25.	उत्तर प्रदेश	1.	आगरा-फतेहपुर सीकरी-मथुरा
		2.	वाराणसी-सारनाथ
		3.	बृजभूमि-वृंदावन

1	2	3
26.	उत्तरांचल	1. ऋषिकेश-हरिद्वार (वृहत परियोजना)
		2. बिंदसर-बैजनाथ-मानेसर
27.	पश्चिम बंगाल	1. स्वतंत्रता सर्किट
		2. चाय पर्यटन
		3. बीच सर्किट

विवरण-IV

वर्ष 2006-07 के दौरान पर्यटन सर्किटों के विकास हेतु पर्यटन मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को स्वीकृत परियोजनाएं दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य	परियोजना	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1.	गुजरात	जूनागढ़-वेरावल-पोरबंदर-द्वारका के पर्यटक सर्किट का एकीकृत विकास	329.83	263.86
2.	कर्नाटक	वाइल्डरनेस पर्यटन सर्किट का एकीकृत विकास	226.88	204.20
3.	पंजाब	स्वतंत्रता सर्किट का एकीकृत विकास	784.45	627.56
4.	पश्चिम बंगाल	उत्तरी बंगाल में "चाय पर्यटन सर्किट" का एकीकृत विकास	388.98	311.18
		कुल	1730.14	1406.80

[अनुवाद]

माल और विपणन परिसरों (मार्किटिंग कम्प्लेक्स) का निर्माण

*244. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :
श्री हरिकेवल प्रसाद

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देशभर में रेलवे की काफी भूमि रिक्त पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार इन पर माल और विपणन परिसरों (मार्किटिंग कम्प्लेक्स) का निर्माण करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ पहचान किये गए स्थलों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) माल/विपणन परिसरों के निर्माण के लिए समय-सीमा क्या है; और

(च) इन स्थलों के विकास से कितना राजस्व प्राप्त होने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) और (ख) रेलवे के पास 42,846 हेक्टेयर खाली भूमि पड़ी हुई है जो कि ज्यादातर रेलपथ के साथ-साथ लंबाई पाली पट्टियों के रूप अवस्थित है। भविष्य में अधिकाशंत: इसकी आवश्यकता रेलवे को अपनी परिचालनिक जरूरतों के लिए होगी। खाली रेलवे भूमि का जोन-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

रेलवे	खाली पड़ी भूमि (हेक्टेयर में)
मध्य	2479
पूर्व मध्य	4454
पूर्व तट	188
पूर्व	1518
उत्तर	2899
उत्तर मध्य	713
पूर्वोत्तर	5875
पूर्वोत्तर सीमा	3466
उत्तर पश्चिम	375
दक्षिण	2287
दक्षिण मध्य	3902
दक्षिण पूर्व	85
दक्षिण पूर्व मध्य	3260
दक्षिण पश्चिम	2854
पश्चिम	7460
पश्चिम मध्य	1031
कुल	42846

(ग) जी, नहीं। रेलवे अपनी इस खाली भूमि को तब तक विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाती रही है जब तक कि उसे रेलवे के परिचालनिक कार्यों के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ती। जहां संभावना नजर आए वहां खाली पड़े भू-खंडों का उपयोग पारदर्शी बोली प्रक्रिया के जरिए संपत्ति विकास के लिए भी किया जाता है। ऐसे संपत्ति विकास के भाग के रूप में शॉपिंग सेंटर/बाजार परिसर भी स्थापित हो सकते हैं जो उस स्थान की वाणिज्य संभावना पर निर्भर करता है।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सिग्नलिंग प्रणाली की आधुनिकीकरण

*245. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने सुरक्षित, सक्षम एवं द्रुतगामी रेलगाड़ी परिचालन के लिए सिग्नलिंग प्रणालियों के आधुनिकीकरण की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इसके लिए आबंटित की गई एवं इस पर व्यय की गई धनराशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न आधुनिक सिग्नलिंग प्रणालियों के प्रतिष्ठापन के संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

(घ) क्या रेलवे ने समपार फाटकों पर सुरक्षा में सुधार करने के लिए भी कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अधिक सुरक्षित, कुशल और तीव्रतर गाड़ी परिचालन के लिए सिगनल प्रणाली के आधुनिकीकरण हेतु निम्नलिखित कार्यों की योजना बनाई गई है:-

क्र.सं.	मद	30 जून, 2006 को प्रगति
1.	गतायु सिगनल परिसंपत्तियों का रिले या इलेक्ट्रानिक अंतर्पाशन प्रणाली द्वारा बदलाव	3460 स्टेशन
2.	ए, बी, सी, डी, डी स्पेशल और ई स्पेशल मार्गों पर सभी ब्लॉक स्टेशनों पर समग्र रेलपथ परिपथन	3254 स्टेशन
3.	गाड़ी सुरक्षण एवं चेतावनी प्रणाली (टीपीडब्ल्यूएस)	250 मार्ग किलोमीटर पर कार्य प्रगति पर है
4.	धुरा काउंटर द्वारा ब्लॉक जांच की व्यवस्था (बीपीएसी)	746 ब्लाक स्टेशन
5.	टक्कर-रोधी उपकरण (एसीडी)	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर कार्य प्रगति पर है।
6.	अविच्छिन्न रेलपथ परिपथन के साथ स्वचल सिगनल प्रणाली	1497 मार्ग किमी. (3217 रेलपथ)
7.	कंप्यूटर आधारित केंद्रीय यातायात नियंत्रण	कानपुर-गाजियाबाद खंड में कार्य सौंप दिए गए है।
8.	गाड़ी प्रबंधन और सूचना प्रणाली	1 स्थान पर

पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है

वर्ष	सिगनल एवं दूरसंचार योजना-शीर्ष के अंतर्गत आवंटित निधि (करोड़ रुपयों में)	उपयोग की गई निधि (करोड़ रुपयों में)
2003-2004	710.98	691.65
2004-2005	963.45	819.16
2005-2006	1172.28	1047.57

(घ) जी, हां।

(ङ) 30.06.2006 तक रेलों ने 7779 समपारों का अंतर्पाशन कार्य पूरा कर लिया है।

तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम द्वारा टैंकों का आयात

*246. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम में तरलीकृत नाइट्रोजन की ढुलाई करने हेतु टैंकों का आयात करने के नाम पर करोड़ों रुपए गबन करने का मामला सरकार के ध्यान में आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसंधान कार्य हेतु सांस्कृतिक संस्थान

*247. श्री श्रीचन्द कृपलानी :
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन संस्थानों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जो देश में संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान की सुविधा प्रदान करते हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में ऐसे और अधिक संस्थानों को स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इन संस्थानों की स्थापना किन-किन स्थानों पर की जाएगी;

(घ) इनकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या संस्कृति के प्रसार और विकास में ऐसे संस्थानों के योगदान के बारे में कोई आकलन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) संस्कृति मंत्रलाय के अंतर्गत शोध कार्य में लगे हुए संस्थानों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है जिसमें उनके स्थान और शोध के क्षेत्र भी दिए गए हैं।

(ख) ऐसे और अधिक संस्थान स्थापित करने का फिलहाल, कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उड़ता।

(ङ) और (च) संस्कृति मंत्रालय के अधीन विभिन्न संस्थानों के कार्य का मूल्यांकन निम्नलिखित उपायों के द्वारा किया जाता है:-

(i) संस्थान के कार्यकलापों और उपलब्धियों को दर्शाने वाली वार्षिक रिपोर्ट।

(ii) प्रत्येक संस्थान के संबंध में वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियों को दर्शाने वाला निष्पादन बजट।

(iii) वर्ष 2006-07 से आउटकम बजट की शुरूआत की गई।

(iv) शासी निकाय, साधारण निकाय, वित्त समिति, इत्यादि की बैठकों के दौरान निरंतर विचार-विमर्श तथा मानीटरिंग।

विवरण

क्र.सं.	संगठन का नाम	राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र	शोध के मुख्य क्षेत्र
1	2	3	4
1.	नव नालंदा महाविहार, नालंदा	बिहार	पाली और बौद्ध धर्म में उच्चतर अध्ययन
2.	नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय	दिल्ली	आधुनिक भारतीय इतिहास
3.	राष्ट्रीय कला इतिहास, संरक्षण और म्यूजियोलॉजी संग्रहालय संस्थान	दिल्ली	कला, संरक्षण और संग्रहालय विज्ञान
4.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र	दिल्ली	कला के सभी रूप और संस्कृति
5.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह	जम्मू और कश्मीर	बौद्ध अध्ययन
6.	मौलाना अबुल कलाम आजाद एशियाई अध्ययन संस्थान, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	मौलाना आजाद के जीवन और कृतियों के संबंध में मध्य एशियाई अध्ययन
7.	भारतीय मानव-विज्ञान सर्वेक्षण	पश्चिम बंगाल	मानव-विज्ञान
8.	एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	ज्ञान का संवर्धन और प्रसार

1	2	3	4
9.	केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ	उत्तर प्रदेश	तिब्बती संस्कृति और बौद्ध अध्ययन
10.	राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला, लखनऊ	उत्तर प्रदेश	संरक्षण की पद्धति

निशक्त लोगों के लिए केन्द्र

*248. श्री ब्रजेश पाठक :
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निशक्त लोगों के उत्थान हेतु राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार और स्थानवार कितने केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष में सरकार द्वारा इन केन्द्रों को केन्द्रवार कितनी वित्तीय सहायता आबंटित और जारी की गई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन केन्द्रों को जारी की गई वित्तीय सहायता का कितना उपयोग किया गया तथा केन्द्रवार इससे कितने लोगों को लाभ मिला;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान सरकार को ऐसे केन्द्रों के विरुद्ध धनराशि के दुरुपयोग संबंधी कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे केन्द्रों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) सरकार द्वारा इन केन्द्रों में धनराशि के उचित उपयोग के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार) : (क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय पांच संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्रों, मेरूदण्ड क्षति ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चार क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्रों, 126 जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्रों और 11 जिला पुनर्वास केन्द्रों का प्रबन्धन और वित्त-पोषण कर रहा है। तथापि, 2 जिला पुनर्वास केन्द्रों को राज्य सरकारों द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया है और 61 जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र गैर-सरकारी संगठनों को अंतरित कर दिए गए हैं। ये केन्द्र न केवल सबसे निचले स्तर पर विकलांग व्यक्तियों को व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करते हैं, बल्कि सहायक यंत्रों और उपकरणों के वितरण तथा सुधारात्मक शल्य चिकित्सा के लिए शिविर लगाने के अतिरिक्त, राज्य सरकार की संस्थाओं/एजेंसियों को तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन भी देते हैं।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है।

(च) मंत्रालय ने निधियों के उपयोग, लेखाओं के रखरखाव और अनुदान राशि के संवितरण के मानक स्थापित किए हैं। इसके अतिरिक्त, लेखाओं की सनदी लेखाकारों द्वारा वार्षिक लेखा परीक्षा की जाती है तथा राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर इन केन्द्रों की भौतिक और वित्तीय प्रगति का निरीक्षण किया जाता है।

प्राकृतिक गैस का मूल्य निर्धारण

*249. श्री रामजीलाल सुमन :
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासित मूल्य निर्धारण तंत्र के अंतर्गत प्राकृतिक गैस का मूल्य निर्धारित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उक्त प्रणाली के अंतर्गत प्राकृतिक गैस के मूल्य में वृद्धि की गई है;

(घ) यदि हां, तो मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई;

(ङ) क्या उक्त प्रणाली के अंतर्गत मूल्य निर्धारित करते समय उत्पादन लागत को ध्यान में नहीं रखा जाता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) और (ख) ओएनजीसी और ओआईएल को सरकार द्वारा नामांकन आधार पर दिए गए क्षेत्रों से उत्पादित गैस का मूल्य प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (एपीएम) के तहत सरकार द्वारा निर्धारित किया जा रहा है।

(ग) और (घ) जी, हां। एपीएम गैस मूल्य में 1.7.2005 से 12.28% की वृद्धि की गई थी। विद्युत और उर्वरक क्षेत्र के अलावा एपीएम गैस उपभोक्ताओं के लिए 6.6.2006 से 20% की और मूल्य वृद्धि की गई थी। ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(1) 1.7.2005 से वृद्धि

(रुपये/एमएससीएम*)

क्षेत्र	1.7.05 से पहले मूल्य	1.7.05 से मूल्य
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	1710	1920
देश का शेष भाग	2850	3200

(2) विद्युत और उर्वरक क्षेत्र उपभोक्ताओं के अलावा अन्य एपीएम गैस उपभोक्ताओं के लिए 6.6.06 से वृद्धि

(रुपये/एमएससीएम*)

क्षेत्र	6.6.06 से पहले मूल्य	6.6.06 से मूल्य
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	1920	2304
देश का शेष भाग	3200	3840

*हजार मानक घन मीटर

(ङ) और (च) जी, नहीं। 1997 के गैस मूल्य निर्धारण आदेश के अनुसार एपीएम गैस मूल्य को 2000-01 तक 100% ईंधन तेल समता मूल्य की उपलब्धि हेतु ईंधन तेलों की बास्किट के मूल्य से जोड़ा गया था। तथापि, इस व्यवस्था के अनुरूप गैस मूल्यों में संशोधन नहीं किया जा सका। सरकार ने मई, 2005 में एपीएम गैस मूल्य में, प्रशुल्क आयोग द्वारा ओएनजीसी और ओआईएल के उत्पादनकर्ता मूल्य के निर्धारण के अध्यधीन, तदर्थ आधार पर 2850 रुपये/एमएससीएम से 3200 रुपये/एमएससीएम (उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए 1710 रुपये/एमएससीएम से 1920 रुपये/एमएससीएम) की वृद्धि करने का निर्णय लिया। यह भी निर्णय लिया गया कि विद्युत और उर्वरक क्षेत्र के उपभोक्ताओं के अलावा एपीएम गैस उपभोक्ताओं के लिए गैस मूल्य में अगले तीन से पांच वर्ष में बाजार मूल्य प्रतिबिंबित करने के लिए उत्तरोत्तर वृद्धि की जाएगी।

[अनुवाद]

ग्यारहवीं रक्षा-योजना को अंतिम रूप देना

***250. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :**
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दसवीं रक्षा-योजना (2002-07) को समय पर अंतिम रूप देने से विफल रही, जैसाकि दिनांक 6 जुलाई, 2006 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने ग्यारहवीं रक्षा-योजना (2007-2012), जोकि वर्ष 2007 से शुरू होनी है, को अंतिम रूप देने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) रक्षा मंत्रालय द्वारा दसवें रक्षा योजना प्रस्ताव तैयार किए गए थे और वित्त मंत्रालय द्वारा एक समग्र योजना का आकार दिसंबर, 2004 में स्वीकृत किया गया था, जो, रक्षा के लिए वास्तविक आवंटन के अध्यधीन था, जो अधिकांशत: संगत समय पर सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों, धन का उपयोग करने की क्षमता, व्यय की गति, संविदागत करारों और अन्य वचनबद्ध दायित्वों पर निर्भर करता है।

(ग) और (घ) रक्षा मंत्रालय ने सेनाओं और एकीकृत रक्षा सेना मुख्यालय के साथ विस्तृत विचार-विमर्श करने के बाद ग्यारहवीं रक्षा योजना बनाई है, जो इस समय वित्त मंत्रालय के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

आयुध कारखानों की क्षमता का उपयोग

***251. श्री राकेश सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केलकर समिति की सिफारिशों के अनुसार रक्षा उद्योग रत्न (आर यू आर) का दर्जा प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों के चयन/पहचान हेतु किसी चयन समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रक्षा उद्योग रत्न का दर्जा प्रदान करने के लिए चयनित/पहचान की गई कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रक्षा उत्पादन के कार्य को निजी क्षेत्र में दे दिए जाने से आयुध कारखानों की क्षमता के उपयोग पर प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) यदि हां, तो आयुध कारखानों की उपलब्ध क्षमताओं का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) विदेश व्यापार संस्थान के निदेशक श्री प्रबीर सेनगुप्ता की अध्यक्षता में एक चयन समिति गठित की गई है। समिति के अन्य सदस्यों में तीन स्वतंत्र तकनीकी, वित्तीय और प्रबंध विशेषज्ञ हैं जो रक्षा सेवा, रक्षा (वित्त) तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के प्रतिनिधि हैं। इस प्रयोजनार्थ निर्धारित दिशा-निर्देश संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) अभी तक किसी ''रक्षा उद्योग रत्न'' का चयन नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) रक्षा उत्पादन व्यापार को आयुध निर्माणियों से हटाकर निजी क्षेत्र में लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। आयुध निर्माणियों में उपलब्ध क्षमताओं का इष्टतम इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं जिनमें आधुनिकीकरण, घरेलू अनुसंधान एवं विकास में और अधिक निवेश और सशस्त्र बलों के लिए अपेक्षित नये उत्पादों के लिए सह-विकास और सह-उत्पादन को प्रोत्साहन देना शामिल है।

विवरण

''रक्षा उद्योग रत्न'' के चयन के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :-

(क) कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी, जोकि विनिर्माता कंपनी हो, रक्षा उत्पादन के लिए ''रक्षा उद्योग रत्न'' उद्योग के रूप में चुने जाने के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन कर सकती है। यह आवेदन रक्षा उत्पादन विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा।

(ख) ऐसे सभी आवेदनों की जांच और संवीक्षा रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा गठित एक समिति करेगी।

(ग) समिति को तकनीकी सहायता मुहैया करायी जाएगी, आवेदनों की संवीक्षा और जांच इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जैसा संगठन करेगा जिसका चयन रक्षा उत्पादन विभाग करेगा।

(घ) रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन आपूर्ति शाखा उक्त समिति को सचिवीय सहायता मुहैया कराएगी।

(ङ) सदस्य-संयोजक को छोड़कर समिति के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। यह कार्यकाल रक्षा मंत्री के अनुमोदन से बढ़ाया जा सकता है।

(च) कैलेंडर वर्ष में 30 सितंबर, 2006 तक प्राप्त आवेदनों की जांच की जाएगी तथा समिति, अधिक से अधिक अगले वर्ष 31 मार्च तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर देगी।

(छ) समिति प्रत्येक आवेदन के संबंध में यह स्पष्ट करते हुए सिफारिश करेगी कि इस प्रयोजनार्थ निर्धारित मानदंडों के आधार पर आवेदक को ''रक्षा उद्योग रत्न'' के रूप में मान्यता दी जाए अथवा नहीं।

(ज) चयन समिति की सिफारिशें, स्वीकृति हेतु, रक्षा अर्जन परिषद के सामने प्रस्तुत की जाएगी। रक्षा अर्जन परिषद द्वारा एक बार सिफारिशें स्वीकृत कर लिए जाने पर कंपनी को रक्षा उत्पादन प्रयोजनों के लिए ''रक्षा उद्योग रत्न'' के रूप में मान्यता प्रदान कर दी जाएगी।

(झ) रक्षा अर्जन परिषद द्वारा किसी कंपनी को एक बार ''रक्षा उद्योग रत्न'' के रूप में मान्यता प्रदान कर दिए जाने पर, उसे पांच वर्ष की अवधि के लिए ''रक्षा उद्योग रत्न'' का दर्जा प्राप्त रहेगा। इस दर्जे का तीन वर्ष की अवधि के लिए नवीकरण किया जा सकता है बशर्ते चयन समिति इसकी सिफारिश करे।

(ञ) ''रक्षा उद्योग रत्न'' के रूप में चुने जाने के बाद कंपनी रक्षा मंत्रालय के साथ उनके द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया संहिता का अनुपालन किए जाने संबंधी करार पर हस्ताक्षर करेगी।

चयन के मानदंड

(i) कम से कम दस वर्षों के लिए पंजीकृत पब्लिक लिमिटेड भारतीय कंपनी, एफ आई आई को छोड़कर जिसके पास 26% से अनधिक विदेश होल्डिंग हो।

(ii) ऐसी कंपनियां, जिनकी भारत में पूंजीगत परिसम्पत्तियां 100 करोड़ रुपए से कम न हो तथा पिछले तीन वर्ष में प्रत्येक वर्ष के दौरान कुल कारोबार 1000 करोड़ रुपए से कम न हो। (इस प्रयोजनार्थ विनिर्माण में लगी कंपनियों के समूह को एक कंपनी माना जाएगा)।

(iii) सी आर आई एस आई एल/आई सी आर ए-'ए' के समकक्ष न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग।

(iv) लगातार वित्तीय लाभ वाली कंपनी, जिसने विगत पांच वर्षों में कम से कम तीन वर्षों के दौरान लाभ कमाया है और जिसका कोई संचित घाटा नहीं हो।

(v) ऐसी कंपनियां जिनका वास्तविक मूल्य संवर्धन के लिए इंजीनियरी (साफ्टवेयर सहित) और विनिर्माण में प्रामाणिक पूर्व रिकार्ड हो न कि ट्रेडिंग कंपनी/एजेंसी।

(vi) ऐसी कंपनियां जिनका स्थापित अनुसंधान एवं विकास आधार हो अथवा जो विनियामक प्राधिकरण के निर्णयानुसार अनुसंधान एवं विकास में निवेश करने की इच्छुक हों।

(vii) ऐसी कंपनियां जिनकी स्थापित गुणता नियंत्रण प्रणाली-युक्त यूनिटें/डिवीजनें हों तथा जो समय-समय पर यथा निर्धारित विभिन्न गुणता प्रमाणनों और मानदंडों को पूरा करती हों। मौजूदा मानदंडों में आई एस ओ 9001 तथा आई एस ओ 14001 और बेहतर है यदि आई एस ओ 18001 भी शामिल होने चाहिएं। इस प्रणाली से चुनिंदा उद्योग ''चैम्पियनों'' द्वारा स्व-प्रमाणन संभव निश्चित होना चाहिए।

(viii) सुरक्षा अवसंचरना वाली कंपनियां जो सरकारी एजेंसियों द्वारा प्राधिकृत संगत अपेक्षाएं पूरी करती हों।

(ix) कंपनी के पास या तो उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 के तहत रक्षा मदों के उत्पादन के लिए लाइसेंस/आशय-पत्र होगा अथवा वह ''रक्षा उद्योग रत्न'' का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के छह माह के भीतर, जहां भी आवश्यक हो, इसे प्राप्त करेगी।

[अनुवाद]

रेलवे में सुरक्षा तथा राहत उपाय

*252. श्री बी. विनोद कुमार :
श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को मुंबई में हाल ही में हुए बम विस्फोटों के पीड़ितों तथा उनके परिवारों को मुआवजे के भुगतान के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा रेलवे द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या मुंबई विस्फोटों के मद्देनजर रेलवे की आपदा प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा की गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेलवे द्वारा मुंबई में हाल ही में हुए बम विस्फोटों के मद्देनजर रेलवे स्टेशनों तथा रेलगाड़ियों में सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए कोई नए उपाय करने पर विचार किया जा रहा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन सुरक्षा उपायों के लिए प्रारम्भिक रूप से चुने गए रेलवे स्टेशनों तथा रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (च) रेलों पर वर्तमान आपदा प्रबंधन योजना ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए पर्याप्त है। बहरहाल, निम्नलिखित निवारक उपाय किए जाते हैं:-

क्षेत्रीय रेलों में सभी महत्त्वपूर्ण स्टेशन बम संसूचन योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने हैं। हाल ही में सभी रेलों को महत्त्वपूर्ण स्टेशनों पर संस्थापित किए जाने हेतु ऐसे उपकरणों यथा बम संसूचन उपकरण तथा क्लोज सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) खरीदने के अनुदेश जारी किए गए हैं। अनेक रेलों के पास हस्तधारित मेटल डिटेक्टर्स, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर्स और खोजी कुत्ता दस्ते पहले से ही मौजूद हैं।

उपर्युक्त बम विस्फोटों के बाद मुंबई (मध्य रेलवे एवं पश्चिम रेलवे) में रेल सुरक्षा विशेष बल की दो अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा, पश्चिम रेलवे एवं मध्य रेलवे में समीपस्थ मंडलों से मुंबई के लिए अतिरिक्त बल जुटाया गया है। रेलवे परिसरों में निगरानी रखने के लिए मुंबई में 14 रेलवे स्टेशनों पर क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा (सीसीटीवी) संस्थापित किए जा चुके हैं। इसके अलावा, इस समय मुंबई में तोड़फोड़ रोधी जांच करने के लिए 17 खोजी कुत्ते तैनात हैं। सवारीडिब्बों के भीतर और प्लेटफार्मों पर अनजान/लावारिस संदेहास्पद वस्तुओं के बारे में सतर्क रहने के बारे में सभी यात्रियों को सजग एवं शिक्षित करने और उनके द्वारा इनका पता लगाए जाने के मामले में तुरंत राजकीय रेल पुलिस (रारेपु)/रेल सुरक्षा बल (रेसुब)/रेल अधिकारियों को सूचित करने के लिए गहन प्रचार एवं जन जागरुकता अभियान चलाए जा रहे हैं। रेलवे स्टेशनों पर जांच करने के लिए रेसुब कार्मिकों को हस्तधारित मैटल डिटेक्टर्स मुहैया कराए गए हैं। यात्रियों और यात्री क्षेत्रों को कारगर सुरक्षा मुहैया कराने के लिए जीआरपी और राज्य पुलिस के साथ गहन समन्वय रखा जा रहा है।

प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दृष्टि से आरपीएफ प्रशिक्षण केंद्रों को अपग्रेड करने के उपाय किए जा रहे हैं। आरपीएफ के लिए एक वृहत् आसूचना-उन्मुखी कार्यक्रम पहले से ही चालू है।

(छ) वर्तमान में रेल सुरक्षा बल, राज्य सरकारों के समन्वय के साथ, प्रभावित गाड़ियों में 1,390 मार्गरक्षी दल उपलब्ध करा रहा है, जिसके लिए औसतन, 4,268 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। रेल सुरक्षा बल द्वारा औसतन प्रतिदिन 2705 कर्मियों की तैनाती के साथ 480 स्टेशनों पर अतिरिक्त सुरक्षा भी मुहैया कराई जाती है। ये तैनातियां सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से गाड़ियों और रेल परिसरों में तैनात राजकीय रेल पुलिस (रारेपू) के अलावा हैं। रेल सुरक्षा बल (रेसुब) द्वारा गिरफ्तार किए अपराधियों को, मुकदमा दर्ज करने और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए वारदात के बारे में विस्तृत रिपोर्ट के साथ संबंधित राजकीय रेल पुलिस (रारेपु) को सौंप दिया जाता है। इस प्रकार समूची रेल प्रणाली की रेल सुरक्षा बल (रेसुब) और राज्य पुलिस द्वारा रक्षा की जा रही है।

यात्रियों के सामान की जांच करने के लिए आधुनिक उपकरण यथा बम निपटान किट, गहन तलाशी मेटल डिटेक्टर्स, हस्तधारित मेटल डिटेक्टर्स और एक्सरे स्कैनर मशीन आदि मुहैया कराने के लिए एक प्रस्ताव पर रेल मंत्रालय द्वारा सक्रिय विचार किया जा रहा है जिसकी लागत विभिन्न एजेंसियों के साथ विचार-विमर्श करके आकलित की जाएगी।

[हिन्दी]

रक्षा उत्पादन हेतु कोष

*253. श्री सज्जन कुमार :
डा. राजेश मिश्रा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केलकर समिति की सिफारिशों के अनुसार रक्षा उपकरणों के उत्पादन में अभिकल्पन (डिजाइन) तथा विकास कार्य करने के लिए लघु और मझौले उद्यमों द्वारा उपयोग में लाए जाने हेतु कोई कोष बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसको कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार ने रक्षा उत्पादन के लिए डिजाइन तथा विकास कार्य करने हेतु छोटे तथा मझौले उद्यमों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए इस प्रयोजना हेतु

एक योजना तैयार करने तथा बजट में पर्याप्त प्रावधान करने संबंधी केलकर समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है।

(ग) इस योजना के शीघ्र ही लागू होने की संभावना है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पाइपों द्वारा प्राकृतिक गैस की आपूर्ति

*254. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :
श्री रघुवीर सिंह कौशल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नीति तैयार करने में अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार की देश में पाइपलाइन नेटवर्क द्वारा प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के विकास संबंधी नीति का अंतिम निर्णय विभिन्न पणधारकों के साथ परामर्श करके किया जा रहा है। इस संबंध में हाल में मंत्रालय में 2 जून और 4 जुलाई 2006 को उद्योग के साथ दो बैठकें हुई हैं।

(ख) से (घ) कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक दृष्टिकोण पर देश में गैस पाइपलाइनें बिछाई गई हैं और बिछाई जा रही है। प्रस्तावित नीति का उद्देश्य प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र से निवेश को बढ़ावा देना है ताकि पाइपलाइन नेटवर्क में बिना किसी भेदभाव के आधार पर सभी पक्षों को निर्बाध प्रवेश सुलभ हो सके। विभिन्न कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा मिले और गैस की उपलब्धता के रूप में उपभोक्ता का हित और प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए समुचित शुल्क सुरक्षित रहे। नेटवर्क का विकास, अन्य बातों के साथ, गैस की उपलब्धता और गैस के स्रोतीकरण और विपणन के लिए आवश्यक समझौतों पर निर्भर करेगा। इस समय प्राकृतिक गैस के पारेषण में गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल) के अलावा गुजरात राज्य पेट्रोनेट लिमिटेड (जीएसपीएल) और असम गैस कंपनी लिमिटेड (एजीसीएल) जैसे अन्य संगठन कार्यरत हैं। विद्यमान प्राकृतिक गैस पारेषण पाइपलाइन नेटवर्क और गेल की प्रस्तावित गैस पाइपलाइन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। जीएसपीएल और एजीसीएल के पाइपलाइन नेटवर्क क्रमशः गुजरात और असम में हैं। गैस पारेषण पाइपलाइनों में कार्यरत इन कंपनियों के अलावा अनेक कंपनियां स्थानीय अथवा नगर गैस वितरण के कारोबार में लगी हुई हैं।

विवरण

गेल की प्रमुख विद्यमान प्राकृतिक गैस पाइपलाइनें

क्रम सं.	पाइपलाइन का नाम	राज्य, जिनसे होकर पाइपलाइन गुजरती है
1.	हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर पाइपलाइन	गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश
2.	गैस रिहैबिलिटेशन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट (जीआरईपी)	मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश
3.	दहेज-विजयपुर पाइपलाइन (डीवीपीएल)	गुजरात और मध्य प्रदेश
4.	धुलेण्डी-फूलपुर पाइपलाइन	उत्तर प्रदेश

गेल की प्रस्तावित प्राकृतिक गैस पाइपलाइनें

क्रम सं.	पाइपलाइन का नाम	राज्य, जिनसे होकर पाइपलाइन के गुजरने का प्रस्ताव है
1.	दहेज-उरण पाइपलाइन	गुजरात और महाराष्ट्र
2.	दाभोल-पनवेल पाइपलाइन	महाराष्ट्र
3.	विजयपुर-कोटा-मथानिया	मध्य प्रदेश और राजस्थान

केन्द्रीय/राज्य विमान विश्वविद्यालय

*255. श्री मोहन रावले : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार केन्द्रीय और राज्य एयर यूनीवर्सिटीज (विमान विश्वविद्यालयों) की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) एक केन्द्रीय विमानन विश्वविद्यालय स्थापित करने का नागर विमानन मंत्रालय का कोई प्रस्ताव नहीं है। तमिलनाडु तथा आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकारों ने विमानन विश्वविद्यालय स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की है। फिलहाल ये प्रस्ताव प्रारम्भिक स्तर पर हैं।

[हिन्दी]

ओएनजीसी द्वारा व्यापार का विविधीकरण

***256. डा. चिन्ता मोहन :**
श्री बालासाहिब विखे पाटील :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम लि. (ओएनजीसी) की स्थापना देश में तेल और प्राकृतिक गैस भंडारों की खोज करने के लिए की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या फुटकर व्यापार में प्रवेश करने के पश्चात् ओएनजीसी के प्रमुख उद्देश्यों में बाधा आई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने ओएनजीसी से अपने फुटकर व्यापार को बंद करने और तेल तथा गैस भंडारों के अन्वेषण पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार के इस कदम से ओएनजीसी की तेल बाजार में एक संगठित कंपनी के रूप में भूमिका समाप्त होने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ओएनजीसी द्वारा क्या भावी रणनीति अपनाई गई है/अपनाई जा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) तेल और गैस के अन्वेषण और उत्पादन में अपने प्रमुख दक्षता क्षेत्रों पर संकेन्द्रण करने के अलावा, आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) फारवर्ड और बैकवर्ड एकीकरण द्वारा अपने क्रियाकलापों के विविधीकरण के लिए विभिन्न विकल्पों की तलाश करती रही है और इस संदर्भ में विभिन्न एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू)/करार ज्ञापनों (एमओए) पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौता ज्ञापनों में परिकल्पित विद्युत उत्पादन, तेल रिफाइनरी, पेट्रोरसायनों, एलएनजी परिवहन आदि से संबंधित विभिन्न परियोजनाएं संकल्पना चरण में हैं। तथापि, ओएनजीसी को अपने प्रमुख दक्षता क्षेत्र में संकेन्द्रण करने को कहा गया है जोकि अन्वेषण और उत्पादन के कारोबार में है।

ओएनजीसी को 8.3.2002 के संकल्प में सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार मोटर स्पिरिट (एमएस) और हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) के विपणन के लिए प्राधिकृत कर दिया गया था। ओएनजीसी ने वैश्विक तेल प्रमुखों द्वारा अपनाए गए ऐसे माडलों के अनुरूप संपूर्ण मूल्य श्रृंखला एकीकरण का फायदा लेने के लिए देश में कुल 1100 खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओज) की स्थापना की परिकल्पना की।

(च) भागीदारों/कार्यनीतिक गठबंधनों/पसंदीदा भागीदारों के साथ संयुक्त उद्यमों के जरिए संबंधपरक उद्यमों के सिद्धान्त को अपनाने और एक ऐसी कारोबार संबंधी कार्यनीति अपनाने के लिए जो प्रमुख कारोबार क्षेत्रों और अवसर-विशिष्ट विविधीकरण पर संकेन्द्रण सहित कंपनी कौशलों और आस्तियों के संवर्धन में भरोसा रखती है, ओएनजीसी अपने को पुनः तैयार कर रही है।

अपने संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के जरिए ओएनजीसी इक्विटी आयल की प्राप्ति हेतु विदेश में रकबों में भी प्रवेश कर गई है। इसके अतिरिक्त ओएनजीसी की एक सहायक कंपनी मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) ओएनजीसी की ओर से डाउनस्ट्रीम कार्यकलाप चला रही है। साथ ही साथ जोखिम कम करने और अपनी हाईड्रोकार्बन मूल्य श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए ओएनजीसी ने एकीकरण कार्यकलापों में प्रवेश का साहस किया है।

[अनुवाद]

विदेशों के साथ सांस्कृतिक समझौते

*257. श्री पी.सी. थामस : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने कितने देशों के साथ सांस्कृतिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) सरकार ने इनमें से कितने देशों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम बनाए हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के आयोजन के लिए 'फ्रैंडशिप कल्चरल सोसाइटियों' को अनुदान सहायता के रूप में कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(घ) क्या सरकार को चालू वर्ष के दौरान सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के आयोजन हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) भारत गणराज्य की सरकार ने 118 देशों के साथ सांस्कृतिक करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। उनमें से 86 देशों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम तैयार किए गए हैं।

(ग) सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के आयोजन के लिए 'फ्रैंडशिप कल्चरल सोसाइटियों' को कोई सहायता अनुदान नहीं दिया जाता है। वैसे भारत तथा संबंधित देश के बीच घनिष्ठ मैत्री संबंध और सांस्कृतिक संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए इन सोसाइटियों को सहायता अनुदान दिया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान 'फ्रैंडशिप कल्चरल सोसाइटियों' को सहायता अनुदान के रूप में दी गई धनराशि इस प्रकार है:-

वर्ष 2003-04	—	44.26 लाख रु.
वर्ष 2004-05	—	24.14 लाख रु.
वर्ष 2005-06	—	42.79 लाख रु.

(घ) जी, हां।

(ङ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1. सियोल, कोरिया में अक्तूबर-नवम्बर, 2006 के दौरान 'भारत की झलक' सप्ताह आयोजित किया जाएगा। भारत सप्ताह के लिए खाद्य उत्सव, मणिपुरी नृत्य, बौद्ध धर्म के संबंध में संगोष्ठी और फोटो प्रदर्शनी, भारतीय कठपुतली प्रदर्शनी, हस्ताशिल्प और हथकरघा प्रदर्शनी तथा फिल्मोत्सव आयोजित करने की योजना है।

2. वर्ष 2007 के पूर्वार्ध में ''भारत में पोलैंड के संस्कृति दिवस'' आयोजित करने का प्रस्ताव है। इन समारोहों को आयोजित करने के लिए संगीत नाटक अकादमी को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।

3. वर्ष 2006-07 के दौरान ''भारत में यूक्रेनी संस्कृति दिवस'', आयोजित किया जाना है। इसके ब्यौरे आई सी सी आर के सहयोग से तैयार किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

रक्षा स्टाफ प्रमुख की नियुक्ति

*258. श्री पंकज चौधरी :
श्री किन्जरपु येरननायडु :

(क) क्या सरकार ने रक्षा स्टाफ प्रमुख की नियुक्ति के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं। यह मामला विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चूंकि रक्षा स्टाफ प्रमुख की नियुक्ति से संबद्ध मुद्दे जटिल तथा संवदेनशील किस्म के हैं इसलिए व्यापक परामर्श प्राप्त करने के उद्देश्य से विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श की प्रक्रिया शुरू की गई है। उपर्युक्त के मद्देनजर, इस स्थिति में इस मामले के

संबंध में निर्णय लेने के लिए कोई समय-सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की जा सकती।

[अनुवाद]

एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स का विलय

*259. **श्री स्वदेश चक्रवर्ती** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स का विलय करके इसे एक निकाय बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन एयरलाइन्सों के विलय के मुद्दे पर विचार करने के लिए वित्तीय सलाहकारों की नियुक्ति की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन एयरलाइन्सों का विलय कब तक होने की संभावना है; और

(च) इन एयरलाइन्सों के कर्मचारियों (स्टॉफ) के हितों की रक्षा/सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ङ) दोनों एयरलाइनों के विलय के प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। इसके अतिरिक्त, एअर इंडिया बोर्ड द्वारा, एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के विलय पर गठित समिति ने मैसर्स एसेंचर इंडिया प्रा. लि. को परामर्शदाता नियुक्त किया है। परामर्शदाता ने बताया है कि वे विलय-पूर्व कार्यकलापों से संबंधित आरंभिक कार्य को, उन्हें सौंपे जाने के तारीख से 10 सप्ताह के अन्दर पूरा कर पायेंगे, जिससे कम्पनी सरकार को इसके अनुमोदन के लिए एक विस्तृत नोट तैयार करने में सक्षम हो सकेगी। सरकार के अनुमोदन की प्राप्ति के बाद, अनिवार्य विलय प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। विलय संबंधी कार्य को पूरा करने के लिए सही समय सीमा का निर्धारण अपेक्षित अनुमोदन लेने के बाद किया जाएगा।

(च) एअर इंडिया ने अपनी शर्तों के एक भाग के रूप में परामर्शदाता को जनशक्ति संसाधनों के समेकन से संबंधित विषयों पर कार्रवाई करने तथा इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त तरीकों की सिफारिश करने को कहा है।

[हिन्दी]

वैज्ञानिकों का देश से पलायन करना

*260. **प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा** :
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश से पलायन करने वाले रक्षा वैज्ञानिकों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस क्षेत्र में रक्षा वैज्ञानिकों की संख्या में भारी कमी आने के कारण कई रक्षा परियोजनाओं में विलंब हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा रक्षा वैज्ञानिकों के देश से पलायन को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) निजी क्षेत्र और विदेश में वर्धित अवसर उपलब्ध होने की वजह से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के कुछ वैज्ञानिक नौकरी छोड़ देते हैं। तथापि, ऐसे वैज्ञानिकों की संख्या अत्यधिक नहीं है।

(ग) वैज्ञानिकों के इस तरह से चले जाने से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की परियोजनाओं के पूरा होने पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा है। इस तरह से हुई रिक्तियों को सामान्य भर्ती द्वारा भर लिया जाता है।

(घ) पांचवें वेतन आयोग के बाद वैज्ञानिकों को कुछ प्रोत्साहन दिए गए थे जिनमें दो अतिरिक्त वेतन वृद्धियां तथा व्यावसायिक अद्यतन भत्ता शामिल हैं। वेतनमान और अन्य भत्तों/प्रोत्साहन संबंधी मामलों पर छठा वेतन आयोग विचार करेगा।

निगरानी प्रणाली की स्थापना

1829. **श्री चन्द्रभान सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जगुआर लड़ाकू विमान में निगरानी प्रणाली स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(घ) क्या विमान में निगरानी प्रणाली की स्थापना के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार ने भू-स्टेशनों के साथ मीडियम एल्टीट्यूड ड्यूल स्पेक्ट्रम रेकी पॉड्स की अधिप्राप्ति के लिए सिद्धांततः अनुमोदन दे दिया है।

(ग) इसकी अधिप्राप्ति के लिए बजट में आवश्यक धन उपलब्ध है।

(घ) और (ङ) विभिन्न विक्रेताओं को प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आर एफ पी) फरवरी, 2006 में जारी किए गए थे। चार विक्रेताओं ने प्रस्ताव हेतु अनुरोध का प्रत्युत्तर दिया है।

(च) आधिप्राप्ति, स्थापित रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया के अनुसार की जाती है जिसमें संविदा करने के लिए 2-3 वर्ष की समय-सीमा की परिकल्पना है।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस् द्वारा उत्पादों का विपणन

1830. श्री रनेन बर्मन : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस् मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लि. (एचपीएफ) अपने स्वयं के विपणन अवसंरचना को निष्क्रिय रखते हुए निजी उपभोक्ता खंडों में अपने उत्पादों के विपणन के लिए बाहरी अभिकरणों को कार्य पर लगा रही है;

(ख) क्या एचपीएफ ने देश में कथित रूप से अनुकूल व्यवसाय क्षमता वाले बायराटा पेपर का आयात एवं विपणन करने के स्थान पर बाहरी अभिकरणों को देश में इसके आयात एवं विपणन हेतु अनन्य अधिकार सौंप दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) एचपीएफ द्वारा "इन्दु" ब्रान्ड नाम के अंतर्गत उत्पादों के अंतर्गत उत्पादों के विपणन के लिए लगाए गए बाहरी अभिकरणों का ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (घ) हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (एचपीएफ) प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के कारण उत्पादों की बिक्री में भारी गिरावट होने से विपणन के लिए संसाधनों की कमी के कारण अपने श्वेत व श्याम पेपर उत्पादों का विपणन करने के लिए बाहरी अभिकरणों को काम पर लगाया था। एचपीएफ के अपने स्वयं के विपणन नेटवर्क का प्रयोग चिकित्सा और औद्योगिक एक्स-रे फिल्मों जैसे मुख्य उत्पादों के विपणन कार्य में किया जाता था।

एचपीएफ ने उत्पादन के लिए बायराटा और रेसिन कोटिड पेपर जैसी आयातित मदों सहित कच्चे माल की व्यवस्था करने के लिए मैसर्स शैकी फिल्मस, कानपुर को काम पर लगाया था। यह कंपनी 'इन्दु' नाम के तहत जॉब आर्डर आधार पर विपणन करने के लिए बाहरी अभिकरणों को तैयार मालों का उत्पादन तथा आपूर्ति करती थी। इस व्यवस्था के माध्यम से, कंपनी ने बिना किसी निवेश के पर्याप्त जॉब ऑर्डर प्राप्त किये थे। यह व्यवस्था जुलाई, 2004 में समाप्त हो गई तथा उसके बाद इसका नवीनीकरण नहीं किया गया।

[हिन्दी]

धार्मिक समूहों को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में सूचीबद्ध करना

1831. श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज) : क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने धार्मिक समूहों को अलपसंख्यक समुदाय के रूप में सूचीबद्ध करने की प्रथा को हतोत्साहित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अंतर्गत निम्नलिखित धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया है:-

1. मुस्लिम
2. ईसाई
3. सिख
4. बौद्ध
5. पारसी

तथापि, उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने अपनी वर्ष 1994-95 की वार्षिक रिपोर्ट में ''जैनियों'' को धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित करने की सिफारिश की है।

[अनुवाद]

छोटी कारों का उत्पादन एवं बिक्री

1832. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में छोटी कारों के उत्पादन एवं बिक्री में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत को छोटी कारों का केन्द्र बनाने हेतु सरकार के पास कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में छोटी कारों के उत्पादन एवं बिक्री को और प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। विगत तीन वर्षों के दौरान देश में लघु कारों के उत्पादन एवं बिक्री के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	उत्पादन	घरेलू बिक्री
2003-04	622832	537054
2004-05	741278	612532
2005-06	812852	662095

(ग) से (ङ) स्वचालित नीति (ऑटो नीति)-2002, लघु कारों के निर्यात के लिये भारत को एशिया का केन्द्र बनाने की परिकल्पना करती है तथा इस क्षेत्र की वृद्धि पर केन्द्रित है। इस क्षेत्र में वाहनों के उत्पादन तथा बिक्री को बढ़ावा देने हेतु, वित्त बिल 2006 में विशेषीकृत लघु कारों पर उत्पाद शुल्क को 24% से 16% तक घटा दिया गया है।

निदेशकों की नियुक्ति

1833. श्री वी.के. ठुम्मर : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार विमान कंपनियां निदेशकों की नियुक्ति सरकार के पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ही कर सकती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जेट एयरवेज ने एयरलाइन के निदेशक बोर्ड में नए निदेशकों की नियुक्ति करते समय सरकार से अनुमति ली है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई;

(ङ) क्या इन निदेशकों को विशेष मामला के रूप में नियुक्ति उपरांत मंजूरी दी गई थी; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) किसी भी एयरलाइन को अनुसूचित प्रचालक परमिट नागर विमानन आवश्यकताओं के खंड 3 श्रेणी सी भाग-II में दी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने पर ही जारी किया जाता है। आरंभिक अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किये जाते समय आवेदक को नागर विमानन

मंत्रालय में सुरक्षा क्लियरेंस हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र पाने के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार फर्म के निदेशकों और अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी का विवरण प्रस्तुत करना होता है। इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल अथवा अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी में किसी भी समय कोई भी परिवर्तन होने पर नागर विमानन मंत्रालय तथा नागर विमानन महानिदेशालय को निर्धारित प्रपत्र पर नए अध्यक्ष अथवा निदेशक के ब्यौरे के साथ सूचित करना होता है। नए अध्यक्ष तथा निदेशक केवल सुरक्षा क्लियरेंस के बाद ही नियुक्त किए जाएंगे।

(ग) से (च) जेट एयरवेज द्वारा नए निदेशकों की नियुक्ति से पहले नागर विमानन मंत्रालय से अनुमति ली जा रही है। सरकार के सामने ऐसे कुछ ही मामले आए हैं जब जेट एयरवेज सहित कुछ एयरलाइंस ने सुरक्षा क्लियरेंस की प्रतीक्षा किए बिना अपने निदेशकों की नियुक्ति की है। इन एयरलाइंस को नागर विमानन मानिदेशालय द्वारा और अधिक सावधान रहने तथा निदेशकों की नियुक्ति के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने की कड़ी सलाह दी गई है। वर्तमान में जेट एयरवेज के निदेशक मंडल के सभी निदेशक सुरक्षा क्लियरेंस प्राप्त हैं।

इलैक्ट्रिकल इंजन सर्विस सेंटर, भुसावल में आग

1834. श्री सुबोध मोहिते : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुसावल स्थित डीजल एवं इलैक्ट्रिकल इंजन सर्विस सेंटर (पी.ओ.एच.) 9 जून, 2006 को आग लगने से नष्ट हो गया है;

(ख) यदि हां, इसके परिणामस्वरूप जान-माल की क्षति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी जांच का आदेश दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) आग लगने की एक छोटी सी घटना घटी थी। बहरहाल, किसी की जान नहीं गई थी। 2300/- रु. मूल्य का लकड़ी का स्क्रैप जल गया था।

(ग) जी, हां।

(घ) इस आग की दुर्घटना के लिए कोई कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया है।

(ङ) मध्य रेलवे ने नए डिजाइन के अग्निशमन प्रणाली को पुनः स्थापित करने तथा नई हाइड्रैन्ट प्रणाली, पर्याप्त पानी भंडार प्रणाली, अपकेन्द्रीय पम्पों, फायर अधिकारियों की व्यवस्था तथा 'क', 'ख' तथा 'ग' श्रेणी की आग को बुझाने की व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया है।

निजी अस्पतालों द्वारा ई.सी.एच. का दुरुपयोग

1835. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निजी अस्पतालों द्वारा काफी बढ़ा-चढ़ाकर बिल प्रस्तुत करके भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ई सी एच एस) का घोर दुरुपयोग किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अस्पताल-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कदाचार के लिए पैनल से बाहर किए गए निजी अस्पतालों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ई सी एच एस के अवांछित व्यय में कमी करने के साथ ही यह सुनिश्चित करने हेतु कि भूतपूर्व सैनिकों को असुविधा का सामना न करना पड़े, सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) पैनल में रखे गए सिविल अस्पतालों में भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के रोगियों के उपचार कराने पर बिल संबंधित भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के पॉलिक्लिनिक को प्रस्तुत किए जाते हैं। उसके बाद सक्षम वित्तीय प्राधिकारी द्वारा अंतिम अनुमोदन दिए जाने से पहले इनकी विभिन्न स्तरों पर जांच की जाती है। किसी अधिक प्रभार को कम कर दिया जाता है। अतः इस योजना का निजी अस्पतालों द्वारा खुला दुरुपयोग रोकने के लिए जांच की एक सुस्थापित व्यवस्था है।

(ग) किसी भी निजी अस्पताल को भ्रष्टाचार के लिए पैनल से नहीं हटाया गया है। तथापि, दिल्ली में एक डेंटल क्लिनिक को

भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना की निबंधन और शर्तें नहीं मानने के लिए पैनल से हटाया गया है।

(घ) चूंकि अब अधिकतम पॉलिक्लिनिकों में कार्य शुरू हो गया है इसलिए अधिक से अधिक रोगियों का इलाज पॉलिक्लिनिक स्तर पर ही किया जा रहा है। जिन रोगियों को आगे और इलाज की आवश्यकता होती है उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध सेना अस्पतालों में भेजा जाता है तथा उनकी पूरी सुविधाओं का इस्तेमाल किया जाता है। यदि सेना अस्पतालों में सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं तब ऐसी स्थिति में ही रोगियों को विशेषज्ञ के चिकित्सा परामर्श के आधार पर पैनल में शामिल अस्पतालों में भेजा जाता है। व्यय को विनियमित करने के लिए कड़े मानदंड निर्धारित किए गए हैं तथा दर-सूची में सूचीबद्ध न किए गए अथवा प्रथम दृष्टया अधिक लागत वाली किसी प्रक्रिया/उपचार के लिए सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन लेना अपेक्षित होता है। उपचार समाप्त होने के बाद प्रस्तुत किए गए बिलों पर बहु-स्तरीय जांच के माध्यम से कार्रवाई की जाती है। व्यय पर कड़ा नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए अप्राधिकृत प्रभारों को कम कर दिया जाता है।

महाराष्ट्र में विमानपत्तन

1836. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र स्थित कुछ विमानपत्तन वर्तमान में संचालन में नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन्हें संचालन में लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अकोला तथा शोलापुर हवाईअड्डे यातायात की संभाव्यता की कमी की वजह से प्रचालन में नहीं हैं।

(ग) अकोला हवाईअड्डे को एटीआर श्रेणी के विमानों के प्रचालनों के लिए विकसित किया जा रहा है। शोलापुर हवाईअड्डे को विमानन संबंधी गतिविधियों के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए दिनांक 01.02.1997 से 15 वर्ष की अवधि के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार को लीज आधार पर स्थानान्तरित किया गया है।

[अनुवाद]

वायु सेना स्टेशन का उन्नयन

1837. श्री के.सी. पलनिसामी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में तंजावुर एवं अन्य स्थानों पर स्थित वायु सेना स्टेशन के स्तरोन्नयन का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि आबंटित की गई; और

(ग) इनका स्तरोन्नयन कब तक किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) देश में वायु सेना स्टेशनों का उन्नयन करना प्रत्येक स्थान की संक्रियात्मक जरूरतों पर आधारित होता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

छोटे रेलवे स्टेशनों के लिए पार्सल बुकिंग को समाप्त किया जाना

1838. श्री हंसराज जी. अहीर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने छोटे रेलवे स्टेशनों के लिए पार्सल बुकिंग को समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे को छोटे स्टेशनों के लिए पार्सल बुकिंग सेवाओं की पुनर्बहाली के लिए विभिन्न पक्षों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा खर्च में कमी लाने के लिए पार्सल यातायात से कम आमदनी अर्जित करने वाले स्टेशनों को बंद कर दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं। बहरहाल, बहुतेरे मामलों में उन स्टेशनों को दुबारा खोलना लाजमी नहीं समझा गया है जिनसे पार्सल यातायात से रेलवे को लाभ नहीं होता है।

[अनुवाद]

तेल एवं गैस ब्लाक में खोज कार्य

1839. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या म्यांमार ने भारत को खोज कार्य हेतु अपने कुछ तेल एवं गैस ब्लाक की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में दोनों देशों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल), जो आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और गेल (इंडिया) लिमिटेड के म्यांमार के दो अपतटीय ब्लाकों ए-1 तथा ए-3 में भागीदारी हित (पीआई) हैं।

प्रत्येक ब्लाक में परिसंघ के सदस्यों के द्वारा भागीदारी हित (पीआई) का नमूना निम्नानुसार है:-

ओवीएल	—	20%
गेल	—	10%
देवू इन्टरनेशनल कार्पोरेशन	—	60%
कोरिया गैस कार्पोरेशन	—	10%

(ग) और (घ) ब्लाक ए-1 तथा ए-3 में पीआई के अर्जन के लिए ओवीएल/गेल तथा देवू इन्टरनेशनल कार्पोरेशन के बीच करारों पर क्रमशः 28.1.2002 तथा 3.10.2005 को हस्ताक्षर किए गए। म्यांमार आयल एंड गैस एन्टरप्राइज (एमओजीई), जो म्यांमार सरकार की कंपनी है, ने क्रमशः 8.4.2002 तथा 24.3.2006 को ये करार अनुमोदित कर दिए।

वैगन की खरीद

1840. श्री जोवाकिम बखला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष वैगन इंडिया लि. के माध्यम से चल स्टाक कार्यक्रम के अंतर्गत कुल कितने वैगनों की खरीद की गई; और

(ख) वैगन इंडिया लि. के संघटकों द्वारा सुपुर्दगी की निर्धारित तिथि की तुलना में सुपुर्दगी की वास्तविक तिथि क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) वैगन इंडिया लिमिटेड के माध्यम से मालडिब्बों का प्रापण करना, 10 वर्ष पहले बंद कर दिया गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रायिक यात्री योजना (सॉफ्ट) के प्रबंध के लिए पृथक अभिकरण

1841. श्री एल. राजगोपाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को प्रायिक यात्री योजना (सॉफ्ट) के प्रबंध के लिए एक पृथक अभिकरण बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सॉफ्ट किस तरीके से निरन्तर सस्ती होती जा रही विमान यात्रा के साथ प्रतिस्पर्धा में सहायक है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) फरवरी, 2006 में बार-बार यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए योजना (एस ओ एफ टी) लागू की गई और इसे भारतीय रेल खानपान पर्यटन निगम द्वारा देखा जा रहा है।

(ग) यह योजना उच्च श्रेणियों अर्थात् प्रथम एसी, द्वितीय एसी, कुर्सीयान की ज्यादा लोकप्रियता के लिए लागू की गई थी जहां स्थान ग्रहण अन्य श्रेणियों के मुकाबले कम है।

बजट एअरलाइन्स

1842. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्यमान में प्रचालनाधीन बजट एअरलाइन्स का विमानपत्तन-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास सभी महानगरों से सभी देशों के लिए अधिक संख्या में बजट एअरलाइन्स शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) इस समय, एयर डैक्कन, स्पाइस जेट, गो-एयर तथा इंडीगो निजी अनुसूचित एयरलाइनें हैं जिनके पास डायनैमिक विमान किराया प्रणाली तथा आधारभूत इन-फ्लाइट सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसलिए इन्हें बजट एयरलाइनें कहा जा सकता है।

(ख) और (ग) सरकार एयरलाइनों को अनुसूचित या गैर-अनुसूचित एयरलाइन प्रचालक के रूप में स्वीकृति प्रदान करती है। विमान किराए का ढांचा तथा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का निर्णय प्रचालकों द्वारा उनके वाणिज्यिक विवेक के आधार पर लिया जाता है। सरकार ने दिनांक 29.12.2004 को निर्णय में घरेलू क्षेत्र में पांच वर्षों के निरन्तर प्रचालन के अनुभव तथा 20 विमानों के बेड़े वाले निजी अनुसूचित वाहकों को यूएई, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत तथा सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों को छोड़ कर अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर प्रचालन की अनुमति प्रदान कर दी है। केवल दो निजी घरेलू अनुसूचित वाहक, जो इस मापदण्ड को पूरा करते हैं, को अभी तक अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर प्रचालन की अनुमति प्रदान की गई है।

व्हील चेयरों के उपयोग के लिए शुल्क लगाया जाना

1843. श्रीमती जयाप्रदा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में इस बात को लाया गया है कि कुछ विमान कंपनियां व्हील चेयरों के उपयोग के लिए शुल्क ले रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसी प्रथाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नागर विमानन महानिदेशक द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि इस प्रकार के प्रभारों को कम किया जाना चाहिए। बैठक के बाद सभी आपरेटरों ने इस सुविधा को निःशुल्क कर दिया है सिवाय एयर डेकन के, जिसने प्रभारों को 500/- रुपए से घटाकर 200/- रुपए कर दिया है।

माल पर विलंब शुल्क का संग्रहण

1844. श्री प्रहलाद जोशी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान विभिन्न मालों एवं वस्तुओं पर विलंब शुल्क के संग्रहण से दक्षिण पश्चिमी रेलवे (एस.डब्ल्यू. आर.) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेलवे प्राधिकारियों को संबंधित पक्षों के अनुरोध पर इस प्रकार प्रभावित विलंब-शुल्क की कुछ राशि को माफ करने का अधिकार है;

(ग) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान एस.डब्ल्यू.आर. प्राधिकारियों द्वारा कितने मामलों में प्रभारित विलंब शुल्क को माफ किया गया है और इसमें कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है;

(घ) क्या रेलवे को एस.डब्ल्यू.आर. में कुछ अधिकारियों द्वारा विलंब शुल्क को अवैध रूप से माफ किए जाने के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) दक्षिण पश्चिम रेलवे ने 2005-06 के दौरान विलंब शुल्क के रूप में 17,56,20,354 रु. वसूले थे।

(ख) जी, हां।

(ग) 2005-06 के दौरान, दक्षिण पश्चिम रेलवे के समक्ष प्राधिकारियों द्वारा 2542 मामलों में विलंब शुल्क छोड़ दिया गया था और छोड़ी गई राशि 8,86,27,770 रु. है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

शोलापुर के लिए विमान सेवा

1845. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शोलापुर, महाराष्ट्र के लिए कोई विमान सेवा आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) फिलहाल, कम यातायात संभाव्यता तथा विमान क्षमता की अनुपलब्धता के कारण शोलापुर से हवाई सेवाएं शुरू करने की इंडियन एयरलाइंस की कोई योजना नहीं है। इंडियन एयरलाइंस/एलाइंस एयर का मौजूदा अनुसूची में सेवाएं प्रचालित करने में पूरी तरह लगा है तथा कोई भी अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध नहीं है।

तथापि, देश के विभिन्न क्षेत्रों की हवाई परिवहन सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हवाई परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन प्राप्त करने के विचार से, सरकार ने मार्ग संवितरण मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किये हैं। यातायात मांग तथा वाणिज्यिक साध्यता पर निर्भर रहते हुए तथा मार्ग संवितरण मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन के अध्याधीन, एयरलाइनें अब देश में कहीं भी अपना प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

[अनुवाद]

एच.पी.एफ. का पुनरुद्धार

1846. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस् विनिर्माण कंपनी लि. में विगत कुछ वर्षों से भारी घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और संग्रहीत घाटे सहित गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष हुए घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कंपनी के पुनरुद्धार के लिए सरकार के पास कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : (क) और (ख) एचपीएफ 1992-93 से हानि उठा रही है। कच्चे माल की अधिक लागत, अतिरिक्त व्यय और जनशक्ति की लागत रंगीन फिल्मों में तकनीकी का स्थानांतरण तथा अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार भारी घाटे के प्रमुख कारण हैं।

विगत तीन वर्षों में उठाये गये घाटे का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	निवल घाटा (प्राप्त ब्याज तथा मूल्यह्रास सहित)	संचित घाटा
2003-04	443.02	2657.04
2004-05	496.41	3153.46
2005-06	569.15	3722.61

(ग) से (ङ) वर्तमान परिदृश्य में एचपीएफ की जैव्यता की जांच करने के लिए उद्योग पर स्थायी संसदीय समिति से संबंधित विभाग की सिफारिशों के आधार पर विभाग ने मैसर्स अर्नेस्ट एंड यंग के एक परामर्शदाता को काम पर लगाया है।

[हिन्दी]

हेलीकॉप्टर दुर्घटना संबंधी जांच

1847. श्री रामदास आठवले : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन निदेशालय ने गत तीन वर्षों के दौरान

और चालू वर्ष में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं की जांच के आदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं की जांच पूरी हो गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) इन निष्कर्षों के आलोक में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी हां, नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा भारतीय सिविल पंजीकृत हेलीकॉप्टरों के वर्ष 2003, 2004, 2005 तथा 2006 में क्रमशः 7, 4, 3 तथा 1 हवाई दुर्घटनाओं की जांच के आदेश दिए गए हैं।

(ग) और (घ) 2005 तक हुई हवाई दुर्घटनाओं की जांच पूरी कर ली गई है तथा यह निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं कि इन हवाई दुर्घटनाओं में से अधिकतर पायलट की गलती, वायु कर्मियों के बीच उचित समन्वय की कमी, मशीनी/तकनीकी समस्याओं, गलत रखरखाव, अनुभव की कमी तथा मौसम के व्यवधान के कारण हुई।

(ङ) ऐसी हवाई दुर्घटनाओं को दुबारा होने से रोकने हेतु जांच रिपोर्टों में की गई सिफारिशों का नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुपालन किया जाता है तथा हवाई दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण करने वाले विशेष विमान सुरक्षा परिपत्र जारी किये जाते हैं। सुरक्षा परीक्षणों के द्वारा, निजी प्रचालकों सहित सभी विमान प्रचालकों द्वारा सुरक्षा नियमों का कड़ाई से अनुपालन भी नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। इसके अलावा, नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुरक्षण गतिविधियों की मौके पर जांच भी की जाती है।

विमानन सुरक्षा पहलुओं को मजबूत करने हेतु नागर विमानन महानिदेशालय नागर विमानन आवश्यकताओं/परिपत्रों को अद्यतन भी करता रहता है।

विमान सुरक्षा पहलुओं को बढ़ाने हेतु बेहतर उड़ान योग्यता अनुसूची उपलब्ध कराने के लिए सरकार नागर विमानन महानिदेशालय के कर्मचारियों तथा प्रचालकों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है।

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को पेट्रोल पंपों का आबंटन

1848. श्री गिरिधारी यादव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य खुदरा विपणन योजना 2004-05 के दौरान मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को खुदरा पेट्रोल बिक्री केन्द्रों के आबंटन से संबंधित आशय पत्र के जारी किए जाने के बावजूद उन्हें खुदरा पेट्रोल बिक्री केन्द्र आबंटित नहीं किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश राज्य के लिए 2004-05 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) की संबंधित राज्य खुदरा विपणन योजनाओं में से कुछ ऐसे मामले हैं जहां अनुसूचित जाति (अ.जा.) श्रेणी के तहत उम्मीदवारों को खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओ) डीलरशिपों (पेट्रोल पंपों) के लिए "आशय पत्र" के जारी किए जाने के बावजूद आरओज को चालू नहीं किया जा सका। ऐसे मामलों का ब्यौरा ओएमसीज के निदेशकों (विपणन) के पास उपलब्ध हैं।

उक्त मामलों में आरओज चालू न किए जाने का मुख्य कारण उपयुक्त भूमि की अनुपलब्धता और पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण करने में लंबा समय लगने वाली प्रक्रिया हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइंस का पुनर्नामकरण

1849. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस का पुनर्नामकरण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं। कंपनी का नाम इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड ही रहेगा। प्रचार/विज्ञापन के लिए प्रयोग किए जाने वाले नाम को बदलकर इंडियन कर दिया गया है।

(ख) नये और आधुनिक विमान बेड़े तथा मार्केट में प्रतिस्पर्द्धा को ध्यान में रखकर ब्रांडिंग की गई थी।

[हिन्दी]

हाजीपुर-सुगौली रेल मार्ग का निर्माण

1850. श्री कैलाश बैठा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक हाजीपुर-वैशाली-सुगौली रेल मार्ग के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) आज की तिथि तक परियोजना पर कितना व्यय किया गया है;

(ग) इस मार्ग पर निर्मित किए जाने वाले स्टेशनों की संख्या कितनी है और ये कहां-कहां स्थित होंगे; और

(घ) उक्त परियोजना को पूरा किए जाने की समय-सीमा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) हाजीपुर-वैशाली-सुगौली नई बड़े आमान की रेल लाइन (148.3 किमी.) का काम शुरू हो गया है। समस्त दूरी के लिए भूमि संबंधी आवेदन पत्रों को राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है। बजट 2006-07 में 4.00 करोड़ रु. का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है और 31 मार्च, 2006 तक परियोजना पर 7.54 करोड़ रु. का व्यय किया गया है।

(ग) 11 स्टेशन और 4 हाल्ट स्टेशनों सहित कुल 15 स्टेशनों को इस मार्ग पर निर्मित किए जाने का प्रस्ताव है। जिनके नाम इस प्रकार हैं (i) हरौली-फतेहपुर, (ii) घटरांव, (iii) लालगंज, (iv) वैशाली, (v) सरैया, (vi) पुरुखास, (vii) देवरिया, (viii) साहिबगंज, (ix) केसरिया, (x) सिसवा-पटना, (xi) बिशनपुर, (xii) मधुबनी (xiii) अरेराज, (xiv) हर्षिदी और (xv) रामपुर।

(घ) कार्य के पूरा करने की लक्ष्य तिथि निश्चित नहीं की गई है।

झारखंड में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र

1851. श्री टेक लाल महतो : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखंड के बोकारो जिले के अंतर्गत गोमियो रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र स्थापित करने हेतु भवन का निर्माण किया गया था परंतु यह चालू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक चालू किए जाने की संभावना है;

(ग) इस संबंध में हुए विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) इस पर कितना व्यय किया गया है; और

(ङ) इसे शीघ्र चालू करने हेतु रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) गोमिया में कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मुरैना रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों का ठहराव

1852. श्री अशोक अर्गल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में मुरैना स्टेशन पर आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस और कर्नाटक एक्सप्रेस के ठहराव का प्रावधान करने संबंधी प्रस्ताव रेलवे के पास विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मुरैना में 2723/2724 नई दिल्ली-हैदराबाद आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस और 2627/2628 नई दिल्ली कर्नाटक एक्सप्रेस को न तो वाणिज्यिक रूप से और न ही परिचालनिक रूप से व्यवहारिक पाया गया है।

[अनुवाद]

शारीरिक रूप से अशक्त युवाओं को हो रही कठिनाइयां

1853. श्री एम. अप्पादुरई : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अपंगता के कारण कम गति से बड़ी संख्या में सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले शारीरिक रूप से अपंग युवाओं को हो रही कठिनाइयों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा सिविल सेवा परीक्षा लिखने वाले शारीरिक रूप से अपंग युवाओं की सहायतार्थ क्या उपाय किए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

रत्नागिरि विद्युत संयंत्र को गैस की आपूर्ति

1854. श्री मिलिन्द देवरा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रत्नागिरि गैस एंड पावर लिमिटेड को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में विलंब होगा क्योंकि कतर की रैस लैफन गैस कंपनी या तो दाहेज अथवा हजिरा में ही एलएनजी उपलब्ध कराने के प्रति इच्छुक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अन्य परियोजनाओं पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ग) उक्त घटनाओं के कारण अतिरिक्त व्यय में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ग) रत्नागिरी स्थित एलएनजी प्राप्ति टर्मिनल को चालू करने में विलंब हो गया है और इस टर्मिनल के लिए दीर्घावधि एलएनजी की आपूर्तियों हेतु गठजोड़ गेल द्वारा किया जा रहा है। दहेज एलएनजी टर्मिनल से रत्नागिरी विद्युत परियोजना को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने की दृष्टि से गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल) दहेज-उरण पाइपलाइन (डीयूपीएल) और डाभोल-पनवेल पाइपलाइन (डीपीपीएल) बिछा रही है। डीयूपीएल और डीपीपीएल परियोजनाओं को क्रमश: 1830 करोड़ रुपए और 1326 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 31 मार्च, 2007 तक चालू किए जाने की आशा है। पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (पीएलएल), जो दहेज एलएनजी टर्मिनल की स्वामी है, परियोजना हेतु कतर से अल्पावधि एलएनजी आपूर्तियों के लिए गठबंधन करने की प्रक्रिया में है। यह विचार है कि संबद्ध सुविधाओं सहित एक बार यदि रत्नागिरी एलएनजी टर्मिनल शुरू हो जाता है और इस टर्मिनल के लिए आपूर्तियों के लिए गठबंधन हो जाता है तो रत्नागिरी विद्युत परियोजना को दहेज टर्मिनल से गैस की सीधी आपूर्ति की जा सकेगी। डीयूपीएल का प्रयोग दहेज टर्मिनल से उरण क्षेत्र को गैस की आपूर्ति हेतु और डीपीपीएल का प्रयोग डाभोल टर्मिनल से पनवेल क्षेत्र को व्यापारी विक्रय गैस मात्राओं की आपूर्ति हेतु किया जाएगा। एलएनजी टर्मिनलों की संबद्धता से गैस आपूर्ति प्रबंधन में काफी लचीलापन आ जाता है।

गुवाहाटी एवं लीलीबाड़ी के बीच विमान सेवाएं

1855. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने कह कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 2005 से एलायंस एयर की गुवाहाटी और लीलाबाड़ी के बीच विमान सेवा निरंतर रूप से अनियमित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में विमान सेवाओं का संचालन करने हेतु इसे निजी एयरलाइनों को सौंपने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस क्षेत्र में नियमित एवं समयानुसार विमान

सेवाओं को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) एलायंस एयर ने कर्मीदल की भारी कमी के कारण नवम्बर, 2005 से जुलाई, 2006 की अवधि के दौरान गुवाहटी तथा लीलाबाड़ी के मध्य 78 अनुसूचित उड़ानों में से केवल 27 उड़ानों को ही प्रचालित किया है।

(ग) और (घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों में विमान परिवहन सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विमान परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन के लिए सरकार ने मार्ग संवितरण मार्गदर्शी सिद्धान्तों का निर्धारण किया है। इस प्रकार, मार्ग संवितरण मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुपालन के मद्देनजर यातायात की मांग तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए एयरलाइनें देशभर में कहीं भी प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ङ) एलायंस एयर ने दिनांक 10.7.2006 से प्रभावी संशोधन अनुसूची तैयार की है जिसके परिणामस्वरूप एटीआर सेवाओं के विनियमन तथा विश्वसनीयता में सुधार हुआ है। संशोधित अनुसूची को लागू किए जाने के फलस्वरूप सप्ताह में दो दिन दिल्ली-लीलाबाड़ी के यात्रियों के लिए गुवाहाटी के रास्ते समान दिन सम्पर्क उपलब्ध हो गया है तथा गुवाहाटी व कोलकाता के रास्ते लीलाबाड़ी-दिल्ली के यात्रियों के लिए सप्ताह में दो दिन सम्पर्क उपलब्ध हो गया है। एलायंस एयर ने अपने मौजूदा कर्मीदल की संख्या बढ़ाने तथा प्रचालन में वृद्धि करने के उद्देश्य से एटीआर बेड़े के लिए निर्वासित पायलटों को शामिल करने के लिए भी कदम उठाए हैं।

[हिन्दी]

मधुपुर रेलवे स्टेशन पर व्यावसायिक परिसर का निर्माण

1856. श्री फुरकान अंसारी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडलान्तर्गत मधुपुर रेलवे स्टेशन पर अप्रयुक्त भूमि पर कुछ व्यावसायिक परिसर निर्मित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका निर्माण कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेलवे विनिर्माणकारी इकाइयों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि

1857. श्री जुएल ओराम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे की प्रत्येक विनिर्माणकारी इकाई की वर्तमान क्षमता कितनी है;

(ख) क्या रेलवे के पास प्रत्येक विनिर्माणकारी इकाई की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इसमें कितनी अतिरिक्त लागत अंतर्ग्रस्त है; और

(ङ) इन इकाइयों की उत्पादन क्षमता में कब तक वृद्धि किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) रेल मंत्रालय के अंतर्गत छः उत्पादन इकाइयां है। उनकी प्रतिवर्ष निर्धारित क्षमता निम्नानुसार है:-

नाम	मद	प्रतिवर्ष निर्धारित क्षमता
1	2	3
चित्तरंजन कारखाना (सी एल डब्ल्यू) चित्तरंजन	विद्युत रेल इंजन	150
डीजल रेल इंजन कारखाना (डीएलडब्ल्यू), वाराणसी	डीजल रेल इंजन	150

1	2	3
सवारी डिब्बा कारखाना (आर सी एफ), चेन्नई	कोच	1000
रेल डिब्बा कारखाना (आर सी एफ), कपूरथला	कोच	1000
रेल पहिया कारखाना (आर डब्ल्यू एफ), बंगलोर	पहिया धुरा	1,15,000 48,000
डीजल आधुनिकीकरण रेल इंजन कारखाना	डीजल विद्युत रेल इंजन पुनर्निर्माण	72

(ख) और (ग) जी, हां। वर्तमान निर्धारित क्षमता 1000 कोच प्रतिवर्ष से सवारी डिब्बा कारखाना (आई सी एफ), चेन्नई में प्रति वर्ष 1500 कोच तथा रेल डिब्बा कारखाना (आर सी एफ), कपूरथला में प्रतिवर्ष 1400 कोच निर्माण करने के लिए उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का कार्य स्वीकृत किया गया है। डी एल डब्ल्यू और सी एल डब्ल्यू की उत्पादन क्षमता में वृद्धि के मामलों की फिलहाल जांच की जा रही है।

(घ) आर सी एफ में कोच उत्पादन क्षमता की वर्तमान अनुमानित लागत में आवर्धन 55.42 करोड़ रु. है और आई सी एफ में 55.31 करोड़ रु. है।

(ङ) इन इकाइयों की उत्पादन क्षमता में 2009-10 तक वृद्धि होने की आशा है।

आगरा आने वाली रेलगाड़ियों का विलंब से आगमन

1858. श्री निहाल चन्द : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि आगरा आने वाली सभी रेलगाड़ियों को आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के आउटर सिग्नल पर नियमित रूप से अनावश्यक रोका जाता है जिससे रेलगाड़ियों का स्टेशन पर विलंब से आगमन होता है और विदेशी पर्यटकों सहित यात्रियों को परिहार्य परेशानी होती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) रेलवे द्वारा इस समस्या का समाधान करने हेतु क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) आगरा में दो बड़े जंक्शन हैं। आगरा छावनी पर मुंबई से एक तरफ झांसी दिशा से रेलगाड़ियां आती हैं और दूसरी तरफ पलवल-नई दिल्ली से गाड़ियां आती हैं, दोनों ही ट्रंक मार्गों पर स्थित हैं। आगरा फोर्ट पर रेलगाड़ियां बयाना और बांदीकुई के साथ-साथ टुंडला-कानपुर की तरफ से आती हैं। इससे भारी भीड़-भाड़ हो जाती है।

आगरा छावनी आगरा का एक बड़ा स्टेशन है जो रोजाना 82 मेल/एक्सप्रेस और लगभग 70 मालगाड़ियों को सम्हालता है। भारी यातायात के कारण, कई बार रेलगाड़ियां लाइन क्षमता और अन्य बाध्यताओं के कारण लाइन क्षमता की तंगी की वजह से प्लेटफार्म न मिलने पर स्टेशन के बाहर रोकनी पड़ती हैं। सामान्यत:, अप मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियां केवल प्लेटफार्म संख्या-1 पर ही रुकती हैं, कभी-कभी होम सिगनलिंग पर रूकौनी के परिणामस्वरूप गाड़ियों की बंचिंग हो जाती हैं।

(ग) एक नया सिगनलिंग यार्ड (मार्ग रिले अतंर्पाशन-आर आर आई) कार्य पहले ही स्वीकृत है और यार्ड के ढ़ांचे में परिवर्तन के पश्चात्, लाइन क्षमता तंगी को ठीक कर लिए जाने की आशा है।

एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स की लाभ/हानि संबंधी स्थिति

1859. श्री बंसगोपाल चौधरी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स की लाभ/हानि संबंधी स्थिति क्या है; और

(ख) देश में सरकारी क्षेत्र की एयरलाइनों और निजी क्षेत्र की एयरलाइनों द्वारा प्रति विमान कार्यरत श्रमबल के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) एअर इंडिया (एअर इंडिया एक्सप्रेस सहित) तथा इंडियन एयरलाइंस के लाभ का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	एअर इंडिया	इंडियन एयरलाइन्स
	(करोड़ रुपये में)	
2003-04	92.33	44.17
2004-05	96.36	65.61
2005-06 (संशोधित अनुमान)	9.68	68.50

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी अनुसूचित एयरलाइनों में प्रत्यक्ष रूप से प्रति विमान लगी जनशक्ति का ब्यौरा इस प्रकार है:-

एयरलाइन	प्रति विमान जनशक्ति
जेट एयरवेज	160
सहारा एयरलाइंस	154
एयर डेकन	70
किंग फिशर एयरलाइन	125
स्पाइस जेट	215
गो एयर	268
पैरामाउंट एयरवेज	186
इंडिगो	450
एअर इंडिया	429
इंडियन एयरलाइन्स	259

[हिन्दी]

रेलवे महाप्रबंधकों की शक्तियां

1860. श्री छत्तर सिंह दरबार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों से रेलवे बोर्ड ने महाप्रबंधकों की नियुक्तियां करने संबंधी शक्तियों में वृद्धि की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पीपावाव पत्तन से अहमदाबाद तक यात्री रेलगाड़ी

1861. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे पीपावाव पत्तन से अहमदाबाद तक कोई सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पीपवाव पत्तन-अहमदाबाद के बीच एक रेलगाड़ी शुरू करने का अध्ययन किया गया है परंतु परिचालनिक कारणों से इसे व्यवहार्य नही पाया गया है।

अम्बाडोला रेलवे स्टेशन से लांजीगढ़ वेदांत फैक्टरी तक रेलमार्ग

1862. श्री गिरिधर गमांग : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेदांत एल्यूमिनियम रिफाईनरी ने अम्बाडोला रेलवे स्टेशन से लांजीगढ़ वेदांत फैक्टरी तक रेलमार्ग के निर्माण के संबंध में रेलवे से संपर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अब इस रेलमार्ग के निष्पादन में कितनी प्रगति हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां। साइडिंग को बढ़ाने के बारे में कंपनी से संपर्क किया था।

(ख) से (घ) समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। 16 किमी. लंबी लाइन के निर्माण तथा यार्ड सुविधाओं के विकास के लिए कंपनी को आवश्यक अनुमोदन दे दिया गया है। कंपनी ने अपनी लागत पर लाइनों का निर्माण शुरू कर दिया है।

[हिन्दी]

सी एस डी के माध्यम से कारों की खरीद

1863. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना के भूतपूर्व अधिकारियों को सी एस डी के माध्यम से कारों की खरीद करने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सुविधा जेसीओ/एनसीओ को भी दी जा रही है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार उक्त सुविधा सभी भूतपूर्व सैनिकों/अधिकारियों को भी देने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां। सशस्त्र सेनाओं के सभी सेवानिवृत्त अफसरों को कैंटीन भण्डार विभाग (सीएसडी) से कार खरीदने की अनुमति होती है।

(ख) यह सुविधा सेवारत जूनियर कमीशन अफसरों के लिए भी उपलब्ध है। सेवारत गैर-कमीशन अफसर (एनसीओ) तथा सेवानिवृत्त जूनियर कमीशन अफसर इस सुविधा के हकदार नहीं हैं।

(ग) यह सुविधा सेवारत/सेवानिवृत्त अफसरों तथा सेवारत जूनियर कमीशन अफसरों को उनकी क्रय शक्ति जो सीधे-सीधे उनके वेतन-ढांचे तथा पेंशन-मानों से सम्बद्ध है के आधार पर उपलब्ध कराई गई है।

(घ) और (ङ) वर्तमान में, सेवानिवृत्त जूनियर कमीशन अफसरों, सेवारत/सेवानिवृत्त गैर-कमीशन अफसरों तथा अन्य सशस्त्र बलों के समकक्षों के लिए उक्त सुविधा का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जेट एयरवेज

1864. श्री थावरचन्द गेहलोत :
श्री गणेश प्रसाद सिंह :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेट एयरवेज ने समुचित सुरक्षा मंजूरी के बिना अपना संचालन आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के पास यह सूचना है कि जेट एयरवेज का वित्तपोषण अंडरवर्ल्ड द्वारा किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस मामले की कोई जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जेट एयरवेज ने नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा यथा निर्धारित अनुसूचित आपरेटर्स परमिट (यात्री) करने के लिए न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा करने पर दिनांक 13.2.1995 को देश में अनुसूचित वायु परिवहन सेवाएं प्रचालित करने के लिए अनुसूचित आपरेटर्स परमिट (यात्री) जारी किया है।

(ग) से (ङ) यद्यपि, गृह मंत्रालय की सुरक्षा क्लियरेंस ऐसे किसी प्रकार के सम्पर्क को नहीं दर्शाती है।

[अनुवाद]

जेट एयरवेज द्वारा एयर सहारा का अधिग्रहण

1865. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री पी.एस. गढ़वी :

श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेट एयरवेज ने सहारा अधिग्रहण की अपनी योजना की विफलता के लिए केन्द्र सरकार को दोषी ठहराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या विमान खरीद समिति ने अधिग्रहण योजना की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) सहारा एयरलाइंस को अधिग्रहण करने की जेट एयरवेज की योजना की विफलता के लिए केन्द्र सरकार को दोषी बताए जाने संबंधी कोई पत्र नागर विमानन मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) विमान अधिग्रहण समिति (एएसी) ने दिनांक 24.2.2006 को आयोजित अपनी बैठक में मैसर्स जेट एयरवेज तथा मैसर्स सहारा एयरलाइंस लिमिटेड के शेयर विक्रय करार पर विचार किया था तथा मैसर्स जेट एयरवेज द्वारा प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट का अवलोकन किया था। उन्होंने पाया कि मैसर्स जेट एयरवेज की रिपोर्ट में उठाया गया मुद्दा समिति से संबंधित नहीं है। बहरहाल, विमान अधिग्रहण समिति (एएसी) ने एयरलाइनों के विलय/टेक-ओवर तथा विमान की खरीद/हस्तांतरण की स्थिति में हवाईअड्डा अवसंरचना के प्रयोग के सीमित प्रश्न पर विचार किया। समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् सरकार ने एयरलाइनों के विलय/टेक-ओवर तथा विमान की बिक्री/हस्तांतरण के मामले में हवाईअड्डा अवसंरचना के प्रयोग के संबंध में अपनाई जाने वाली नीति का निर्धारण तथा प्रकाशन किया।

आर बी डी का जी आर एस ई के साथ विलय

1866. श्री बसुदेव आचार्य : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलकाता स्थित राजाबागान डॉकयार्ड का गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के साथ विलय किया गया है और राजबागान डॉकयार्ड के कर्मचारियों को भी गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में समायोजित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राजाबागान डॉकयार्ड के मुख्यालय के कर्मचारियों को गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा समायोजन नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को राजाबागान के मुख्य कार्यालय का गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के साथ विलय करने संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) से (ङ) सरकार के निर्णय के अनुसरण में सेंट्रल इन्लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की यूनिट राजाबागान डॉकयार्ड (आर बी डी) की परिसंपत्तियों और देनदारियों को गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने 01 जुलाई, 2006 को खरीद लिया है। इसके साथ राजाबागान डॉकयार्ड यूनिट की नफरी में 314 कर्मचारियों को गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में समायोजित कर लिया गया है। राजाबागान डॉकयार्ड का कोई पृथक प्रधान कार्यालय नहीं है। सरकार को गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में समायोजित किए जाने के लिए सी आई डब्ल्यू टी सी के प्रधान कार्यालय के कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सी आई डब्ल्यू टी सी के निगमित कार्यालय के किसी कर्मचारी को गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में समायोजित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

छठे वेतन आयोग में सशस्त्र बलों का प्रतिनिधित्व

1867. श्री जी.वी. हर्ष कुमार :
श्री चन्द्रभूषण सिंह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को छठे वेतन आयोग में सशस्त्र बलों के प्रतिनिधित्व हेतु सेवा मुख्यालयों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार को छठे केंद्रीय वेतन आयोग के नियत सदस्य के रूप में एक सेवा अफसर की नियुक्ति के लिए स्टॉफ प्रमुख समिति के अध्यक्ष से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस मामले को वित्त मंत्रालय को भेज दिया गया है।

त्रुटिपूर्ण उपबंध के कारण नुकसान

1868. श्री सुनील खां : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2005 की अपनी रिपोर्ट सं. 6 में यह उल्लेख किया है कि आपूर्ति आदेश में वास्तविक धनराशि (एक्चुअल्स) के अनुसार विदेशी मुद्रा के भुगतान के संबंध में खंड के शामिल नहीं होने से राजकोष को 84.11 लाख रुपए का नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम, भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड को दिए गए 1022 हाथ में पकड़े जाने वाले थर्मल इमेजर की अधिप्राप्ति के अगस्त 2002 के आपूर्ति आदेश में निहित विदेशी मुद्रा परिवर्तन खंड के अनुसार कुल विदेशी मुद्रा अंश 1 अमेरिकी डालर=48.92 रुपए के बराबर की विनिमय दर पर था। इसमें यह व्यवस्था भी थी कि रक्षा मंत्रालय भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड के बीजकों पर विदेशी मुद्रा विनिमय दर में हुई बढ़ोतरी की प्रतिपूर्ति करेगा। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की 2005 की रिपोर्ट संख्या 6 के पैरा 2.5 (रक्षा सेवाएं) में अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया है कि विनिमय दर में कमी होने की स्थिति में कुल राशि को संशोधित करके कम करने का कोई प्रावधान आपूर्ति आदेश में नहीं था और संविदा में इस एकतरफा प्रावधान की स्वीकृति के कारण सरकार को 84.11 लाख रुपए की हानि हुई जिसका विदेशी मुद्रा अंश के रूप में भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड को अधिक भुगतान किया गया। की गई कार्रवाई टिप्पणी को अब अंतिम रूप दे दिया गया है तथा इसे महानिदेशक, रक्षा लेखा-परीक्षा सेवाएं को भेज दिया गया है।

(ग) रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया, 2005 में सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों के मामलों में विदेशी मुद्रा विनिमय परिवर्तन के लिए दिशा-निर्देश निहित हैं जिनसे ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति से बचा जा सकेगा।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा

1869. श्री रूपचन्द मुर्मू :
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा देने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग) पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि., रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लि., पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि., नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि., भारत संचार निगम लि., शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि., नेशनल एल्यूमिनियम कं. लि. और हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि. को नवरत्न का दर्जा प्रदान करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

[हिन्दी]

मऊ छावनी क्षेत्र में पुराने भवनों की मरम्मत

1870. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मऊ छावनी क्षेत्र में पुराने भवनों की मरम्मत करने की अनुमति नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किये जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) मऊ छावनी क्षेत्र में पुराने भवनों की मरम्मत पर कोई सामान्य प्रतिबंध नहीं है। छावनी क्षेत्रों में पुराने भवनों की मरम्मत कार्य की अनुमति, इस विषय के संबंध में निर्धारित सरकारी नीति के अनुसार दी जाती है।

[अनुवाद]

पंजाब में राष्ट्रीय राजमार्गों पर रेल पुलों का निर्माण

1871. **श्री सुखदेव सिंह ढींडसा :**
सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में राष्ट्रीय राजमार्गों पर रेल अंडर/ओवर पुलों में निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) अब तक इन पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है; औ

(ग) इन पुलों के निर्माण की समय सीमाएं क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) पंजाब में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ने वाले ऊपरी सड़क पुल के दो कार्य निर्माणाधीन हैं। एक बनाओ, परिचालित करो और स्थानांतरित करो (बोट) संकल्पना पर स्वीकृत कुराली में और दूसरा निक्षेप शर्तों पर बाईपास सड़क पर सरहिंद-नांगलडैम खंड पर मोरिण्डा में।

(ख) बोट और निक्षेप शर्तों पर होने के कारण रेलवे कार्यों का खर्च सीधे रूप से वहन नहीं कर रही है।

(ग) कुराली में वृहत ढांचा सहित रेलवे भाग का उप ढांचा और गैर रेलवे भाग के विस्तार को पूरा कर लिया गया है। रेलवे का भाग दिसंबर, 2006 तक पूरा होने की संभावना है। मोरिण्डा में, ऊपरी सड़क पुल का कार्य पूरा हो गया है और उसे चालू कर दिया गया है।

[हिन्दी]

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन में कम्प्यूटरों की चोरी

1872. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (डी. आर. डी. ओ.) में कम्प्यूटर की चोरी के कितने मामले सरकार के ध्यान में आए;

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच करायी गई हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या इन मामलों में रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन का कोई अधिकारी संलिप्त है; और

(ङ) यदि हां, तो इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) गत तीन वर्षों में रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन में कंप्यूटर चोरी के दो मामले दर्ज किए गए हैं। दोनों मामलों में जांच-पड़ताल की गई। चोरी का पहला मामला मेटकॉफ हाउस दिल्ली में हुआ और दूसरा ए डी आर डी ई, आगरा में। जांच पड़ताल से यह पता चला है कि गुम हुई सूचना मानव संसाधन विकास से संबंधित जेनरिक डाटा, पुस्तकालय, इंटरनेट डाउनलोड, व्यक्तिगत फाइलें, मानक साफ्टवेयर पैकेज तथा डम्मी टेस्ट डाटा से संबंधित कुछ अध्ययनों से संबंधित थीं। दोनों में से किसी मामले में सामरिक महत्व की कोई सामग्री या सुरक्षा हित से संबंधित कोई सूचना की चोरी नहीं हुई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) अपनी ड्यूटी निष्पादित करने में लापरवाह पाए गए अधिकारियों के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की गई है।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियां चलाना

1873. **श्री डी.वी. सदानन्द गौडा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बजट में घोषित रेलगाड़ियों तथा त्यौहारों के अवसरों पर चलाई जाने वाली रेलगाड़ियों के अलावा विभिन्न वर्गों से प्राप्त मांगों/अनुरोधों की पूर्ति के लिए भी रेलगाड़ियां चलाता है, उसका विस्तार करता है तथा उनके फेरों की संख्या बढ़ाता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा तथा स्पष्ट नीति क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वर्गों से प्राप्त प्रतिवेदनों/अनुरोधों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रत्येक प्रतिवेदन/अनुरोध की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उनकी मांग को पूरा किए जाने के लिए क्या प्रक्रिया/मानदंड अपनाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, हां। यात्री सेवाओं की शुरूआत विभिन्न कारकों जैसे मांग, यातायात में वृद्धि, वाणिज्यिक औचित्य, सवारी डिब्बों और रेल इंजन की उपलब्धता, परिचालनिक टर्मिनल की बाध्यताएं, आवश्यक मालभाड़ा यातायात की प्रतिक्रिया, अवसंरचनाओं का विकास और संसाधनों की उपलब्धता आदि पर निर्भर करता है। चालू वर्ष के दौरान बजट 2006-07 में घोषित उद्घोषणाओं की अतिरिक्त निम्न सेवाएं आज तक उपलब्ध कराई गई है:-

(रेलगाड़ियां एकल में)

शुरू की गई	विस्तार	आवृत्ति में वृद्धि
14	16	2

बहरहाल, रेलवे व्यस्त अवधि जैसे ग्रीष्म, सर्दी, त्यौहार छुट्टियां, मेले आदि व्यस्त अवधि के दौरान अतिरिक्त भीड़ को खत्म करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करती है जिसमें विशेष रेलगाड़ियों को चलाना, मौजूदा सेवाओं का आवर्धन और फेरों में वृद्धि भी शामिल है।

जोकि यातायात के स्वरूप, वाणिज्यिक औचित्य संसाधनों की उपलब्धता आदि पर निर्भर करता है। सतत् प्रक्रिया होने के साथ-साथ ऊपरोवर्णित कारकों के कारण स्पेशल गाड़ियों का चालन वर्ष दर वर्ष निर्भर करती है।

(ग) और (घ) नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की मांगें विभिन्न स्तरों जैसे मंडल स्तर, मुख्यालय स्तर और रेलवे बोर्ड स्तर से प्राप्त होती रहती हैं। ये मांगें सारे साल प्राप्त होती रहती है और व्यवहारिक कदम उठाए जाते हैं। बहरहाल, यहां बड़े स्तर का आंकड़ा संकलित नहीं किया जाता है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल लाइन परियोजनाएं

1874. श्री हितेन बर्मन :
श्री सर्बानन्द सोनोवाल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में निर्माणाधीन रेल लाइन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इनके संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या रेलवे ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में नई रेल लाइन बिछाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सर्वेक्षण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में चालू रेल परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र. सं.	परियोजना	किमी	लागत	मार्च 2006 तक व्यय	परिव्यय 05-07	वास्तविक प्रगति (%)	टिप्पणी/स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	दुधनोई-देपा नई लाइन	15.5	22.33	0.5	0.01	शून्य	मेघालय सरकार ने देपा से मेहंदीपठार तक वैकल्पिक संरेखण का प्रस्ताव किया है। इस परिवर्तित संरेखण के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया गया है।

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	कुमारघाट-अगरतला नई लाइन	109	879.99	476.53	100	57	मानू-अगरतला 2006-07 में पूरा किए जाने का लक्ष्य है। एक राष्ट्रीय परियोजना होने के नाते 76 करोड़ रुपये की राशि अतिरिक्त रूप से प्राप्त होने की संभावना है।
3.	बोगीबील पुल, डिब्रूगढ़ और नॉर्थ बैंक नई लाइन के बीच सम्बद्ध लाइनों सहित	46	1767.4	456.45	230	22	संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य की प्रगति की जा रही है।
4.	न्यू मयनागुडी-जोगीघोपा नई लाइन	257	894.38	100.73	35	12	संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य की प्रगति की जा रही है।
5.	हरमूटी (बेदाती) ईटानगर नई लाइन	33	156	0.01	4	शून्य	बेदाती से ईटानगर के लिए वैकल्पिक सरेखण का सर्वेक्षण पूरा हो गया है।
6.	जीरीबाम-इम्फाल रोड (तुपुल) नई लाइन	97.9	727.56	2.57	15	0.41	26 किमी के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया हैं एक राष्ट्रीय परियोजना होने के नाते 70 करोड़ रुपये की राशि अतिरिक्त रूप से प्राप्त होने की संभावना है।
7.	हेबरगांव-मेराबाडी और सेनोचा जं.-सिलघाट टाउन सम्बद्ध शाखा लाइनों सहित लमडिंग-डिब्रूगढ़ का आमान परिवतर्नन	12	100.41	1.45	1	87	लमडिंग-सिलचर पूरा हो गया है और खोल दिया है। रक्षा मंत्रालय इस वर्ष में 30 करोड़ रुपये मुहैया कराएगा और सेनोचा-सिलघाट टाउन को इस वर्ष में पूरा किए जाने का लक्ष्य है।
8.	लमडिंग-सिलचर-जीरीबाम और बदरपुर-बराईग्राम आमान परिवतर्न	292	1496.4	512.96	125	37	एक राष्ट्रीय परियोजना होने के नाते 246 करोड़ रुपये की राशि अतिरिक्त रूप से प्राप्त होने की संभावना है।
9.	कटखाल-भेराबी आमान परिवर्तन	84	88.7	1.01	0.01	शून्य	लमडिंग-सिलचर पूरा हो जाने के बाद यह कार्य शुरू किया जाएगा जो पूरा होने के नजदीक है।

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	रंगिया-मरकोंगसेलेक आमान परिवर्तन	510.3	915.7	0.01	10	शून्य	रंगिया-रंगपाडा नॉर्थ के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। अनुमान पर कार्रवाई की जा रही है।
11.	नई जलपाईगुडी-सिलीगुडी-न्यू बोगांईगांव आमान परिवर्तन	419.5	890.83	770.56	12	81	न्यू जलपाईगुडी-न्यू बोगांईगांव (280 किमी) पूरा हो गया है और खोल दिया गया है।

(ख) से (घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में नई लाइन के लिए चालू सर्वेक्षणों का ब्यौरा इस प्रकार है:—

क्र. स.	सर्वेक्षण का नाम	किलोमीटर
1.	नागीनीमोरा-अंगुरी नई लाइन	35
2.	जोगीघोपा-सिलचर बरास्ता पंचरत्ना	500
3.	कोकराझार-जेलेफू (भूटान)	70
4.	पाठशाला-नंगलम (भूटान)	40
5.	रंगिया-समदुपजोंग (भूटान)	60
6.	मरकोंगसेलेक-पासीघाट	30
7.	सिवोक-रंगपो	30

उपर्युक्त सर्वेक्षणों के 2007-08 में पूरा हो जाने की संभावना है।

चालू सर्वेक्षणों के अलावा नई लाइन के लिए निम्नलिखित सर्वेक्षण पूरे किए जा चुके हैं:-

1. दीमापुर-कोहिमा (जुब्जा) (88 किमी)
2. अजरा-बरनीहाट (30 किमी)
3. भैराबी-सैरंग (एजवाल) (54 किमी)
4. अगरतला-सब्रू (110 किमी)

अहमदाबाद विमानपत्तन पर अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल परिसर का निर्माण

1875. श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी :
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :
श्री महेश कनोडीया :
श्री पी.एस. गढ़वी :
श्री मधुसूदन मिस्त्री :
श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद विमानपत्तन पर एक नए अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन परिसर का निर्माण किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एक विख्यात अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाता के माध्यम से भवन की वास्तुशिल्पीय संकल्पना/योजना को अंतिम रूप दिया है। अनिवार्य पर्यावरण संबंधी क्लीयरेंस प्राप्त कर ली गई है। परियोजना की और आगे प्रगति आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के क्लीयरेंस के अध्याधीन है।

[हिन्दी]

एयरलाइनों पर बकाया धनराशि

1876. डा. धीरेंद्र अग्रवाल :
श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई निजी एयरलाइनों द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को बकाया धनराशि दी जानी है;

(ख) यदि हां, तो एयरलाइन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनसे बकाया धनराशि की वसूली करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इन एयरलाइनों द्वारा बकाया धनराशि का भुगतान न किए जाने की स्थिति में निर्धारित उपबंध क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 31.3.2006 तक विभिन्न निजी एयरलाइन्स की बकाया देयताओं का ब्यौरा निम्न प्रकार से है (लाख रुपये में):—

एअर डेकन-2609.21, एअर सहारा-1013.97, ब्लू डार्ट एविएशन-64.96, कान्टीनेन्टल एविएशन प्राइवेट लिमिटेड-146.83, कॉस्मिक एयर प्राइवेट लिमिटेड-26.35, ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स-1183.46, ईस्ट वेस्ट ट्रैवल एंडउ ट्रेड लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड-310.85, एलबी एयरलाइन्स लिमिटेड-83.88, गो एयर-119.20, जेट एयरवेज-2363.24, किंगफिशर एयरलाइन्स-1328.90, मेस्को एयरलाइन्स-46.30, एनईपीसी एयरलाइन्स-308.25, पैरामाउन्ट-18.46, स्काईलाइन एनईपीसी एयरलाइन्स-150.49, स्पैन एयर-37.46, वीआईएफ एयरवेज-17.98, अन्य-438.24, कुल-10535.84।

(ग) और (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा नियमित रूप से देयताओं की मानीटरिंग की जाती है तथा जब भी आवश्यक होता है, कानूनी/मध्यस्थता/सार्वजनिक स्थान (बेदखली) (पीपीई) अधिनियम के माध्यम से कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, दोषी एअरलाइंस पर अधिक देय अवधि के लिए ब्याज लगाया जाता है। प्रचालनों के आधार पर जमानत राशि उचित प्रकार से बढ़ाई जाती है।

[अनुवाद]

हवाई यात्रा पर उपकर

1877. श्री के.एस. राव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में छोटे विमानपत्तनों का विकास करने के लिए हवाई यात्रा पर उपकर लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) जी, नहीं। इस समय देश में छोटे विमानपत्तनों का विकास करने के लिए हवाई यात्रा पर उपकर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

संयुक्त युद्धक विमान अभ्यास

1878. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय वायु सेना से अन्य देशों के साथ संयुक्त युद्धक विमान अभ्यासों की संख्या में कमी करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक अभ्यास पर अनुमानित कितनी धनराशि खर्च हुई; और

(घ) किसी वर्ष विशेष में संयुक्त अभ्यासों की संख्या को कितने तक सीमित किये जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रत्येक संयुक्त युद्धक विमान अभ्यास पर किया गया व्यय तैनात किए विमानों की श्रेणी, अभ्यास की अवधि और अभ्यास में भाग लेने वाले वायु सेना कार्मिकों की संख्या जैसे कारकों पर निर्भर है।

(घ) वर्ष के दौरान कितने द्विपक्षीय अभ्यास किए जाएं, इस बाबत कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

रेलवे समपार पर फ्लाइओवर ब्रिज का निर्माण

1879. श्री मंजुनाथ कुन्नुर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिहर-हुबली खंड पर नैलोगल-हनुमानमत्ती के निकट रेलवे समपार पर एक फ्लाइओवर ब्रिज का निर्माण किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो मामला किस स्तर पर है; और

(ग) इस परियोजना पर कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां। नेलोगुल गांव के समीप समपार संख्या 234 के बदले ऊपरी सड़क पुल और हनुमानमत्ती गांव के पास समपार संख्या 222 के बदले ऊपरी सड़क पुल, अंश भागिता के आधार पर अनुमोदित कार्य है।

(ख) दोनों ऊपरी सड़क पुलों पर कार्य, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। दोनों स्थानों पर 50% कार्य समाप्त हो चुका है।

(ग) दोनों ऊपरी सड़क पुलों को 31.12.2006 तक चालू किए जाने का लक्ष्य है।

घाटे में चलने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

1880. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में सरकारी क्षेत्र के कितने (पी.एस.यू.) कार्यरत हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान घाटे में चलने वाले ऐसे उपक्रमों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या इन उपक्रमों का संचयी घाटा निवेशित पूंजी से अधिक हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ऐसे उपक्रमों का ब्यौरा क्या है तथा भविष्य में उनके प्रचालन के लिए सरकार की नीति क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के 34 प्रचालनरत उपक्रम (पीएसई) हैं।

(ख) वर्ष 2005-06 (अनंतिम) वर्ष के वित्तीय परिणामों के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के 18 उपक्रम हैं जिन्होंने विगत तीन वर्षों 2003-04, 2004-05 और 2005-06 (अनंतिम) से निरंतर घाटा उठाया है।

(ग) वर्ष 2004-05 के नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के अनुसार, इन सभी उपक्रमों का संचयी घाटा, इक्विटी पूंजी के रूप में निवेशों से अधिक हो गया है।

(घ) और (ङ) विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। क्रयादेशों की कमी, कार्यशील पूंजी का अभाव, जनशक्ति की अधिकता, निवेशों की लागत में वृद्धि, अप्रचलित संयंत्र तथा मशीनरी इत्यादि घाटे के प्रमुख कारण हैं। राष्ट्रीय न्यूनतम सांझा कार्यक्रम में बनायी गयी नीति के अनुसार, जहां सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को आधुनिक बनाने तथा पुनर्संरचना करने के सभी प्रयास किये जायेंगे वहीं चिरकाल से रुग्ण कंपनियों को, उनके सभी देयों तथा क्षतिपूर्ति भुगतान के पश्चात् बेच दिया अथवा बंद कर दिया जायेगा। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरुद्धार तथा उनके भविष्य पर सिफारिशों देने के लिये एक लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) का गठन किया गया है।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र. स.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	31.3.2005 को इक्विटी के रूप में निवेश	31.3.2005 को संचित हानि
1	2	3	4
1.	एन्ड्र यूल एंड कंपनी लिमिटेड	158.84	-268.27
2.	बर्न स्टैन्डर्ड कंपनी लिमिटेड	128.82	-723.89
3.	भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड	10.10	-103.90
4.	तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लिमिटेड	8.44	-161.12
5.	भारत हेवी प्लेटस एंड वासेल्स लिमिटेड	33.80	-422.79
6.	रिचर्डसन एंड क्रुडास (1972) लिमिटेड	54.84	-178.31
7.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड	21.02	-331.35
8.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	419.36	-1702.28
9.	हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड	432.15	-2106.98
10.	एचएमटी बियरिंग्स लि.	9.49	-27.30
11.	एमएमटी मशीन टूल्स लि.	10.70	-461.75
12.	एचएमटी वाजेच लि.	5.49	-547.72
13.	एचएमटी चिनार वाचेज लि.	1.41	-104.10
14.	प्रागा टूल्स लि.	36.34	-310.39
15.	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	429.28	-2152.86
16.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मै. कंपनी लि.	199.87	-3153.46
17.	नेपा लिमिटेड	105.39	-292.77
18.	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	83.77	-241.48

[हिन्दी]

तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम द्वारा विशेष पैकेज

1881. **श्री जीवाभाई ए. पटेल :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड का विचार अन्वेषण कार्य के कारण निवासियों को हो रही असुविधा के लिए कुछ क्षेत्रों विशेषकर गुजरात में विशेष पैकेज प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम ने किन क्षेत्रों का चयन किया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) जी, नहीं। ओएनजीसी का कुछ क्षेत्रों, विशेषकर गुजरात में विशेष पैकेज उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि वहां अन्वेषण कार्य के कारण निवासियों को कोई असुविधा नहीं हुई है। ओएनजीसी की नैगम एचएसई नीति भलीभांति परिभाषित है, जो स्पष्टतः यह बताती है कि व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा पर्यावरण संरक्षण के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए वह प्रतिबद्ध है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेलवे स्टेशनों पर डब्ल्यू.आई.एल.डी प्रणाली की स्थापना

1882. **श्री चन्द्रभूषण सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ के निकट अजगेन रेलवे स्टेशन पर डब्ल्यू. आई.एल.डी प्रणाली स्थापित कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे निकट भविष्य में इस प्रणाली को अन्य रेलवे स्टेशनों पर स्थापित करने पर विचार कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) इस तरह के 9 उपकरणों के प्रापण के लिए वैश्विक निविदा, 18 सितंबर, 2006 को खोली जानी है।

सामाजिक उत्तरदायित्वों पर व्यय की गई धनराशि

1883. श्री सर्वानन्द सोनोवाल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सरकारी क्षेत्र की प्रत्येक तेल कंपनी द्वारा अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने के लिए कंपनीवार लाभ का कितना प्रतिशत व्यय किया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने के लिए धनराशि में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए सरकार ने कोई राशि निर्धारित नहीं की है। ऐसे कार्यों को बल प्रदान करने हेतु अपनी वित्तीय क्षमता, प्रचालनीय वातावरण तथा संबंधित सहयोग/संविधि ज्ञापन के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए लोक उद्यम विभाग का यह मत है कि सामाजिक उत्तरदायित्वों की पहचान करने और उन्हें क्रियान्वित करने में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पास नम्यता है।

विवरण

लाभ, प्रतिशत में

कंपनी का नाम	2003-04	2004-05	2005-06
आईओसीएल	0.43	0.56	0.41
बीपीसीएल	0.09	1.12	2.21 (अनंतिम)
ओआईएल	0.48	0.82	1.25
ओएनजीसी	0.24	0.33	0.22
एचपीसीएल	0.36	1.18	1.85
गेल	0.25	0.66	0.62
एमआरपीएल	0.0362	0.0049	0.0782
एनआरएल	0.57	0.26	0.27
ईआईएल	0.0072	1.140	0.034
बीआरपीएल	0.34	0.28	0.75
केआरएल	0.53	0.34	1.93
सीपीसीएल	0.36	0.84	0.80
आईबीपी	0.16	0.42	2.01

[हिन्दी]

खेल कोटा के अंतर्गत रेलवे में भर्ती

1884. श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे अपने कुछ कर्मचारियों को भर्ती खेल कोटे के अंतर्गत करता है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान खेल कोटे के अंतर्गत खेल-वार कितने अभ्यर्थियों का चयन किया गया?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) खेलकूद कोटे के अंतर्गत भर्ती के मापदंड इस विषय पर विस्तृत नीति पत्र के तहत विनियमित किए गए हैं। भर्ती के लिए न्यूनतम मापदंड इस प्रकार है:—

(i) आयु : 18 से 25 वर्ष।

(ii) शैक्षिक अर्हता : पद की आवश्यकता के अनुसार ग्रुप "डी" एवं ग्रुप "सी" के लिए न्यूनतम 8वीं पास।

(iii) खेलकूद संबंधी उपलब्धियां : अनुमोदित मानदंडों के अनुसार उम्मीदवार ने मेडल जीते हों/पिछले दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप जीती हो/भाग लिया हो।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान खेलकूद कोटे के अंतर्गत चुने गए खिलाड़ी

एथलेटिक्स	202
एक्वैटिक्स	49
आर्चरी	3
बैंडमिंटन	50
बॉल बैडमिंटन	19
बिलियर्ड और स्नूकर	5
बॉडी बिल्डिंग	32
बॉक्सिंग	51
ब्रिज	2
बास्केट बॉल	90
शतरंज	14
साइकिलिंग	10
क्रिकेट	315
क्रॉस कंटरी	3
फूट बॉल	144
जिम्नास्टिक	20
गोल्फ	2
गोलाफेक	7
हॉकी	172
कबड्डी	86
खो-खो	9
पॉवरलिफ्टिंग	20
राइफल शूटिंग	12
टेबल टैनिस	53
टैनिस	13
वॉलीबाल	96
भारोत्तोलन	45
कुश्ती	44
जोड़	1568

[अनुवाद]

एयरलाइन प्रचालकों के लिए पैकेज

1885. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मेट्रो शहरों को क्षेत्रीय केन्द्रों से जोड़ने वाले एयरलाइन प्रचालकों को पांच वर्ष का प्रोत्साहन पैकेज देने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) क्षेत्रीय सम्पर्कता बढ़ाने के लिए एयरलाइनों को प्रोत्साहन देने का मामला प्रस्तावित नागर विमानन नीति के भाग के रूप में सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

अतुल्य भारत अभियान

1886. श्री रशीद मसूद :
श्री हितेन बर्मन :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 'अतुल्य भारत अभियान' शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो इससे गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) जी, हां। विश्व के बाजार में पिछले तीन वर्षों से अतुल्य भारत अभियान चलाया जा रहा है।

(ख) विदेशी पर्यटक आगमनों तथा विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि के मामले में उपलब्धि निम्नानुसार है:-

वर्ष	विदेशी पर्यटक आगमन	विदेशी मुद्रा आय
2003	2726214	16429 करोड़ रुपए
2004	3457477	21603 करोड़ रुपए
2005	3915324	25172.28 करोड़ रुपए

[अनुवाद]

पर्यटन को बढ़ावा देने में निजी भागीदारी

1887. श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र को अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए विनिर्दिष्ट निबन्धन और शर्तें क्या हैं;

(ग) किन-किन क्षेत्रों में निजी भागीदारी की जाएगी;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में निजी भागीदारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ग) पर्यटन मंत्रालय ने वर्तमान योजना/दिशा-निर्देशों के अनुसार, पर्यटन अवसंरचना के विकास, आवास सुविधाओं में वृद्धि और पर्यटन उत्पादों के संवर्धन और मार्केटिंग के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुमति दे दी है। पर्यटन मंत्रालय इसकी भारी राजस्व सृजक योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए सहायता देता है।

(घ) और (ङ) पर्यटन क्षेत्र के समग्र विकास और संवर्धन में निजी क्षेत्र से एक अनुकूल प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ है। पर्यटन के विकास एवं संवर्धन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को शामिल करने के माध्यम से, वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान 31.7.06 तक निम्नलिखित व्यय किया गया है।

1. विदेशों में अभियान के लिए 13.94 करोड़ रुपए।
2. आवास अवसंरचना इमदादों के प्रोत्साहन के लिए 2.34 करोड़ रुपए।

भारत-ईरान गैस पाइपलाइन का चीन तक विस्तार

1888. श्री सुरेश कलमाडी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने प्रस्तावित ईरान-पाकिस्तान-भारत गैस पाइपलाइन का चीन तक विस्तार करने का प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत की सहमति भी ले ली गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ग) ईरान-पाकिस्तान-भारत (आईपीआई) गैस पाइपलाइन को, जो अभी स्वयं प्रस्ताव चरण में है, चीन तक बढ़ाने का कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं है। परियोजना से संबंधित किसी भी बैठक में पाकिस्तान से इस मामले पर कोई चर्चा नहीं हुई है हालांकि 22-23 मई, 2006 को इस्लामाबाद में परियोजना पर हुई दूसरी त्रिपक्षीय सचिव स्तर की संयुक्त कार्य समूह की बैठक में सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय, पाकिस्तान सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ अपनी उद्घाटन टिप्पणियों में कहा था कि आईपीआई गैस पाइपलाइन परियोजना तीनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ईरानी गैस के लिए बृहत् बाजार खुल जाएगा पूर्व की ओर चीन सहित और यह पाकिस्तान और भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी तथा साथ ही इससे दोनों देश अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे।

गुणता आश्वासन महानिदेशालय का पुनर्गठन

1889. श्री रघुनाथ झा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुणता आश्वासन महानिदेशालय के अधिकारियों द्वारा स्टोर्स का निरीक्षण सावधानी और सतर्कता के साथ नहीं किया जाता अतः गुणता आश्वासन मानदंडों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाए और दोष रहित गुणवत्तापूर्ण स्टोर्स/उपकरणों के साथ सेवाएं उपलब्ध कराई जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए गुणता आश्वासन महानिदेशालय को नया रूप देने तथा इसके पुनर्गठन की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो गुणता आश्वासन महानिदेशालय के पुनर्गठन के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) गुणता आश्वासन महानिदेशालय के अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता के कितने मामले लम्बित हैं और गुणता आश्वासन महानिदेशालय के कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) और (ख) गुणता आश्वासन महानिदेशालय संगठन संविदा विनियमित विनिर्दिष्टियों तथा निबंधन एवं शर्तों के अनुसार सामान की गुणता आश्वासन का कार्य अत्यधिक सावधानी तथा सतर्कतापूर्वक करता है। गुणता आश्वासन की तकनीकों में इष्टतम प्रभावकारिता लाने के लिए इसमें लगातार परिवर्तन किए जाते हैं। प्रौद्योगिकी में समानता बनाए रखने के लिए गुणता आश्वासन महानिदेशालय संगठन समकालीन प्रणाली अपना रहा है। समकालीन गुणता प्रबंधन प्रणालियों के अनुसार, गुणता आश्वासन महानिदेशालय द्वारा अब तक जिस सामान का निरीक्षण किया गया है उसे अब विनिर्माताओं अर्थात् आयुध निर्माणियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा यूनिटों को हस्तांतरित कर दिया गया है। गुणता आश्वासन महानिदेशालय अब आयुध निर्माणियों और सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा यूनिटों में होने वाले रक्षा सामान के विनिर्माण की गुणता की जांच संबंधी कार्यकलापों तथा उनकी निगरानी पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है।

(ग) चार मामलों में गुणता आश्वासन महानिदेशालय के छत्तीस (36) कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। दो कर्मचारियों के मामले में कार्रवाई पूरी कर ली गई है तथा चौंतीस कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई अभी की जानी है।

होटल उद्योग का विस्तार

1890. डा. एम. जगन्नाथ : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से उनके राज्यों में होटल उद्योग का विस्तार करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मुस्लिम समुदाय के लिए कम्प्यूटर और व्यावसायिक प्रशिक्षण

1891. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण : क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मुस्लिम समुदाय के लोगों को कम्प्यूटर और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) महाराष्ट्र में किन-किन संगठनों द्वारा मुस्लिम समुदाय हेतु कितने कम्प्यूटर और व्यावसायिक केन्द्र चलाए जा रहे हैं; और

(घ) इन प्रशिक्षण केन्द्रों का अभी तक का कार्य-निष्पादन कैसा है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) से (घ) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान डॉ. जाकिर हुसैन कॉलेज, अजमेरी गेट, दिल्ली के पुराने परिसर में महिलाओं के लिए एक व्यावससयिक प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन कर रहा है। इस केन्द्र में दिल्ली को महिलाओं को कटाई और सिलाई, टैक्सटाइल डिजाइनिंग, ब्यूटी कल्चर और कम्प्यूटर के निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किये जाते हैं। मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान विभिन्न राज्यों में गैर-सरकारी संगठनों को उपकरणों की खरीद, प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण आदि के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसने महाराष्ट्र में 918 लाभार्थियों को कवर करने वाली 7 परियोजनाओं के लिए 49.13 लाख रुपए की राशि संस्वीकृत की है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं जहां व्यय का 85% राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा अनुदान के माध्यम से वहन किया जाता है। वर्ष 2005-06 के दौरान राष्ट्रीय फैशन टेक्नालॉजी संस्थान, मुंबई के माध्यम से 60 महिलाओं को फैशन टेक्नालॉजी में प्रशिक्षण दिया गया, जिस पर 1.78 लाख रुपए का व्यय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम ने वहन किया।

[अनुवाद]

रक्षा सौदों की जांच

1892. **श्री रघुनाथ झा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी बी आई) ने ऑपरेशन विजय के दौरान किए गए 38 रक्षा सौदों की जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो सी बी आई की जांच का ब्यौरा क्या है;

(ग) रक्षा सौदों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो जांच के काम में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) 'आपरेशन विजय' से सम्बद्ध पच्चीस (25) रक्षा सौदे केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेजे गए थे। इनमें से तेरह (13) मामलों को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा रक्षा मंत्रालय को वापस भेज दिया गया था क्योंकि इनमें से कोई भी मामला आपराधिक किस्म का नहीं था। शेष 12 मामलों में से 7 की अभी जांच की जा रही है। 5 मामलों में प्राथमिक जांच दर्ज की गई है जिसमें एक मामले को नियमित मामले में बदल दिया गया है।

(ग) रक्षा अधिप्राप्ति, पूंजीगत अर्जन हेतु रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया, (डी पी पी) 2005 तथा राजस्व भंडारों के लिए रक्षा अधिप्राप्ति मैनुअल (डी पी एम), 2005 के अनुसार की जाती है। ये दोनों दस्तावेज रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया, 2005 के कुछेक प्रावधानों में निम्नलखित शामिल हैं:—

(i) गुणात्मक अपेक्षाओं को और अधिक व्यापक आधार वाली बनाना ताकि एकल विक्रेता स्थिति से बचा जा सके।

(ii) 300/- करोड़ रुपए से अधिक की खरीदों के लिए सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर करना।

(iii) मानक संविदा शर्तें प्रस्ताव हेतु अनुरोध में शामिल की गई हैं। इसमें विक्रेता द्वारा अनुचित प्रभाव के इस्तेमाल हेतु शास्ति तथा किसी एजेंट के शामिल होने या विक्रेता द्वारा एजेंसी कमीशन के भुगतान की निषिद्धता से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

(iv) अधिप्राप्ति संबंधी विभिन्न कार्यकलापों को पूरा करने के लिए व्यापक समय-सीमा।

रक्षा अधिप्राप्ति मैनुअल, 2005 के कुछेक प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

(i) लघु सूचीयन तथा निर्णय मानदंडों के उल्लेख के साथ स्वदेशी तथा विदेशी अधिप्राप्ति-दोनों के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध।

(ii) विभिन्न संविदागत खंडों तथा मुद्दों की व्याख्या में एकरूपता;

(iii) प्रत्येक चरण तथा अधिप्राप्ति प्रक्रिया हेतु स्पष्ट समय-सीमा का निर्धारण ताकि विलंब को कम किया जा सके तथा जिम्मेवारी तय की जा सके;

(iv) मूल्यों की तर्कसंगतता के मूल्यांकन हेतु सामान्य दिशा-निर्देश; और

(v) केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का सार तथा बैंक संबंधी दस्तावेज।

(घ) मामलों की जांच हेतु किसी समय-सीमा को उल्लेख नहीं किया जा सकता क्योंकि यह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा साक्ष्यों को एकत्रित करने के लिए अपेक्षित समय पर निर्भर करता है।

कादिया और ब्यास के बीच रेल लाइन

1893. **श्री नवजोत सिंह सिद्धू :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को कादिया और ब्यास के बीच रेल लाइन के शीघ्र निर्माण के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रेलवे द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) उक्त रेल लाइन पर काम कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) कादियां और ब्यास के बीच रेल लाइन का निर्माण करने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) कादियां और ब्यास (39.6 किमी) के बीच नई रेल लाइन का निर्माण करने के लिए सर्वेक्षण कार्य मार्च, 2006 में पूरा किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 39.6 किमी. लंबी लाइन का निर्माण करने की लागत (-) 8.27% प्रतिफल की दर से 141.53 करोड़ रु. आंकी गई है। परियोजना की संसाधनों की अत्यधिक तंगी तथा परियोजना के अलाभप्रद स्वरूप के कारण, इस कार्य को शुरू करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्तियां

1894. **श्री फ्रांसिस फैन्थम :** क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पेशेवर शिक्षा के केन्द्रीय और राज्य संस्थानों में अल्पसंख्यकों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पेशेवर संस्थानों में अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्तियां बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) से (घ) वित्त मंत्री द्वारा उनके बजट भाषण 2006-07 में की गई घोषणा के अनुसरण में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अल्पसंख्यक समुदायों के 20,000 छात्रों के लिए एक योग्यता-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना बनाई है।

परियोजना को पूरा करना

1895. **श्रीमती मनोरमा माधवराज :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सड़क संगठन द्वारा आरंभ की गई परियोजनाओं को पूरा करने में अत्यधिक विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो कितनी परियोजनाएं निर्धारित समय पर पूरी नहीं हुई हैं;

(ग) क्या सरकार सीमा सड़क संगठन के लिए परियोजनाओं को पूरा करने हेतु एक निश्चित समय-सीमा निर्धारित करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) सीमा सड़क संगठन, अन्य ऐसे संगठनों के विपरीत जो अपना कार्य ठेके के माध्यम से कराते हैं, परियोजनाओं का निष्पादन विभागीय तौर पर करता है।

समय-सीमा के अनुसार परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाते हैं। तथापि, कभी-कभी परियोजनाएं कानून और व्यवस्था संबंधी समस्याओं, प्राकृतिक आपदा, कुछ संसाधनों के विशेषकर दूर-दराज के क्षेत्र में उपलब्ध होने में विलंब, कार्मिक शक्ति की कमी जैसी विभिन्न सीमितताओं के कारण निर्धारित योजना के अनुसार पूरी नहीं होती। चालू परियोजनाओं में से चौदह बड़ी परियोजनाएं निर्धारित समय के भीतर पूरी नहीं हो सकी। एक निश्चित समय-सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के लिए सीमा सड़क संगठन को सक्षम बनाने के लिए सरकार ने सीमा सड़क संगठन की कार्मिक शक्ति तथा उपस्कर आदि की क्षमता में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए हैं।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र की तैल और कोयला कंपनियों पर बकाया राशि

1896. श्री सीताराम सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा निजी क्षेत्र की तेल तथा कोयला कंपनियों पर इस समय कितनी राशि बकाया है; और

(ख) रेलवे द्वारा इन कंपनियों से बकाया राशि की वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जून, 2006 के अंत तक, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों, कोयला कंपनियों और निजी कंपनियों पर क्रमशः 69 करोड़ रु., 79 करोड़ रु. और 173 करोड़ रु. बकाया हैं।

(ख) देयताओं की अभिवृद्धि और समाशोधन एक सतत् प्रक्रिया है। बहरहाल, देयताओं की वसूली के मामलों पर गंभीरतापूर्वक कार्रवाई की जाती है और मंडल और मुख्यालय स्तर पर, निजी क्षेत्र की कंपनियों और कोयला कंपनियों और निजी कंपनियों से समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं। उनके द्वारा दावों को जहां तक, संभव हो, देय राशि से समायोजित कर लिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधा का विस्तार प्रक्रियाधीन है, जिसमें रेलवे देयताओं के शीघ्र क्रेडिट की सुविधा होगी। कर्मचारियों के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारी इस संबंध में बड़ी दोषी पार्टियों से समय-समय पर संपर्क करते रहते हैं।

[अनुवाद]

आई आर सी टी सी में आउटसोर्स एजेंसी

1897. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम लिमिटेड (आई आर सी टी सी) और रेलवे के अन्य विभागों में जनशक्ति की आपूर्ति हेतु आउटसोर्स एजेंसी की सेवाएं ली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आई आर सी टी सी और रेलवे के अन्य विभागों ने प्रत्येक श्रेणी के कितने कर्मचारियों/जनशक्ति की सेवाएं ली हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान रेलवे ने आउटसोर्स एजेंसियों की जनशक्ति के भुगतान पर कुल कितनी राशि व्यय की;

(ङ) क्या आई आर सी टी सी में आउटसोर्स स्कैंडल के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम जनशक्ति की व्यवस्था का आउटसोर्स करता है। बहरहाल, भारतीय रेल के अधिकांश विभागों ने जनशक्ति की व्यवस्था के लिए किसी बाहरी एजेंसी को नियुक्त नहीं किया है। बाहरी एजेंसियों को भारतीय रेल के कुछ विभागों द्वारा केवल निर्माण कार्य संविदाओं अथवा वार्षिक अनुरक्षण संविदाओं के माध्यम से कार्य संबंधी निष्पादन सौंपा जाता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष (जून, 2006 तक) आई आर सी टी सी द्वारा नियुक्त श्रमशक्ति और कुल किया गया व्यय नीचे दिया गया है:

वर्ष	कुशल	अकुशल	व्यय
1	2	3	4
2003-04	5	3	31,43,787/- रु.
2004-05	49	2	97,88,946/- रु.

1	2	3	4
2005-06	126	5	1,08,15,980/- रु.
2006-07	155	6	41,90,286/- रु.

(ङ) और (च) जी, हां। एक शिकायत आई आर सी टी सी के सतर्कता विभाग द्वारा जांचाधीन है।

वाइन तैयार करना

1898. श्री लक्ष्मण सिंह : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वाइन उद्योग प्रसंस्करण क्षेत्र में मूल्यवर्धन और रोजगार सृजन के पर्याप्त अवसर प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में वाइन प्रसंस्करण को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) वाइन प्रसंस्करण में रुचि दर्शाने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (घ) वाइन मूलतः अंगूर से तैयार की जाती है। वाइन तैयार करने के लिए प्रसंस्करण हेतु इस्तेमाल करने पर अंगूर के मूल्यवर्धन में काफी सुधार होता है। देश में वाइन का बाजार सालना 25 फीसदी की दर से बढ़ रहा है। इस समय देश में अंगूर की पैदावार के एक से भी कम फीसदी का इस्तेमाल वाइन तैयार करने के लिए प्रसंस्करण हेतु किया जाता है। वाइन प्रसंस्करण क्षेत्र जिसमें खेत के साथ-साथ उद्योग स्तर पर बड़ी तादाद में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की बहुत संभावनाएं हैं, की वृद्धि के विपुल अवसर हैं।

महाराष्ट्र, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश ने वाइन उद्योग के विकास में रुचि दिखाई है। देश में वाइन प्रसंस्करण क्षेत्र के संवर्धन और प्रोत्साहन के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्थापना/उन्नयन/आधुनिकीकरण संबंधी अपनी योजना स्कीमों के तहत वाइन यूनिटी को वित्तीय सहायता देता है। वैसे वाइन उद्योग ने अब तक वित्तीय सहायता का लाभ नहीं उठाया है।

विरासत कलारूपों हेतु संस्थान

1899. श्री एन.एन. कृष्णदास : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विरासत कलारूपों के संरक्षण और उन्हें बढ़ावा देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में विरासत कलारूपों के संरक्षण और उन्हें बढ़ावा देने हेतु कोई संस्थान/अकादमी स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) संस्कृति मंत्रालय का कार्य सभी कलारूपों तथा संस्कृति का परिरक्षण एवं संवर्धन करना है। ये कार्यकलाप सम्बद्ध, अधीनस्थ और स्वायतशासी संस्थानों और मंत्रालय की विविध स्कीमों के माध्यम से पूरे किए जाते हैं। मंत्रालय द्वारा परिचालित निम्नलिखित स्कीमें विरासत कलारूपों के परिरक्षण हेतु प्रत्यक्षतः कार्यशील हैं:-

1. हिमालय की सांस्कृतिक विरासत का परिरक्षण एवं विकास।
2. जनजातीय/लोक कला एवं संस्कृति का संवर्धन एवं प्रसार।
3. बौद्ध/तिब्बती संस्कृति और कला का परिरक्षण एवं विकास।
4. सांस्कृतिक संगठनों को भवन अनुदान देने की स्कीम।
5. विशिष्ट प्रदर्शनकारी कला परियोजना हेतु व्यावसायिक समूहों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता।
6. विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्तियां।
7. प्रदर्शनकारी, साहित्यिक और प्लास्टिक कलाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट कलाकारों को वरिष्ठ/कनिष्ठ अध्येतावृत्तियां प्रदान करना।

8. संस्कृति से संबंधित नवीन क्षेत्रों में उत्कृष्ट कलाकारों को वरिष्ठ/कनिष्ठ अध्येतावृत्तियां प्रदान करना।

9. साहित्य, कलाओं और जीवन के ऐसे ही क्षेत्रों के विख्यात व्यक्तियों, जो दीनहीन परिस्थितियों में रह रहे हैं, तथा उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता।

10. सांस्कृतिक कार्यकलापों से जुड़े स्वैच्छिक संगठनों को अनुसंधान सहायता।

(ग) और (घ) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव संस्कृति मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

रेल मार्गों विद्युतीकरण

1900. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने डीजल के मूल्य वृद्धि को देखते हुए सभी मार्गों का विद्युतीकरण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे ने इस संबंध में कोई योजना बना ली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सभी रेल मार्गों के विद्युतीकरण हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं। रेलपथ का विद्युतीकरण एक आवश्यकता आधारित प्रक्रिया है जिसकी सतत् आधार पर समीक्षा की जाती है। रेलवे विद्युतीकरण पर निवेश मुख्यत: प्रणाली की यातायात की आवश्यकता और उन खंडों में जहां विद्युतीकरण आवश्यक समझा जाता है, शुरू किया जाता है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों हेतु स्व-रोजगार

1901. **श्री एस. अजय कुमार :** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के स्व-रोजगार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई विशेष योजनाएं बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में इस योजना के अंतर्गत आवंटित और जारी की गई राशि तथा इसके अंतर्गत लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय विकलांग विकास और वित्त निगम विकलांक व्यक्तियों को ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है जिससे कि ये व्यक्ति स्व-रोजगार कार्यकलाप जैसे सेवा/व्यापार क्षेत्र अथवा लघु औद्योगिक ईकाई में छोटे काम धंधे स्थापित, वाणिज्यिक वाहन खरीद, कृषि संबंधी कार्य करने, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का अध्ययन आदि कर सकें।

(ग) यह निगम राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को निधियों का आबंटन नहीं करता है। इसके बजाए, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर ऋण स्वीकृत/जारी किया जाता है।

विगत तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान जारी की गई निधियों और लाभार्थियों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

(लाख रुपए)

राज्य का नाम	वर्ष							
	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	126	531	17	152	1	12	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
असम	2	10	0	0	0	0	0	0
बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0
चंडीगढ़	3	15	6	30	3	28	0	0
छत्तीसगढ़	52	102	4	1	65	92	0	0
दिल्ली	43	118	64	301	5	1	0	0
गोवा	9	4	1	1	1	1	0	0
गुजरात	7	37	1	1	2	10	0	0
हरियाणा	185	367	207	386	242	475	15	27
हिमाचल प्रदेश	74	87	49	49	131	109	6	7
जम्मू-कश्मीर	0	0	3	4	2	4	0	0
कर्नाटक	123	536	50	237	148	723	0	0
केरल	126	216	82	147	72	103	30	49
लक्षद्वीप	1	2	1	1	11	12	0	0
मध्य प्रदेश	237	410	63	111	127	235	0	0
मणिपुर	0	0	4	31	0	0	0	0
महाराष्ट्र	845	1283	676	734	1117	1727	5	1
नागालैंड	0	0	122	244	1	2	0	0
उड़ीसा	184	461	2	15	0	0	0	0
पांडिचेरी	208	389	0	0	35	96	0	0
पंजाब	2	4	2	8	0	0	4	16
राजस्थान	339	633	298	494	228	488	0	0
तमिलनाडु	26	102	50	217	66	500	1	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	1	8	0	0	12	17	8	18
उत्तरांचल	4	4	59	112	17	23	5	6
पश्चिम बंगाल	85	246	7	6	58	107	0	0
कुल	2682	5565	1769	3282	2344	4765	74	134

ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण और अनुरक्षण

1902. **श्री जी.एम. सिद्धेश्वर :** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण और अनुरक्षण के बारे में विदेशों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में जिन देशों से बातचीत हुई है उनका ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ग) जी, हां। उपलब्ध सूचना के अनुसार ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:—

पाकिस्तान — कटारसराज मंदिर परिसर के पुनरुद्धार के लिए तकनीकी सहायता हेतु पाकिस्तान के अनुरोध के प्रत्युत्तर में सरकार ने 29 अगस्त से 02 सितम्बर, 2005 तक कटासराज का दौरा करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक अधिकारी को भेजा था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा तैयार की गई विस्तृत रिपोर्ट राजनयिक चैनलों के जरिए पाकिस्तान सरकार को भेज दी गई है।

श्रीलंका — श्रीलंका सरकार ने भारत सरकार से श्रीलंका में स्थित तिरुकुटीश्वरम मंदिर (हिन्दू मंदिर) और मुलीकिरिगला राज्य विहार (बौद्ध मंदिर) के पुनरुद्धार और संरक्षण हेतु सहायता मांगी है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों ने स्थल का दौरा किया है और विस्तृत रिपोर्ट विदेश मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी गई है।

लाओ पी डी आर — लाओ पी डी आर सरकार से भारत सरकार को वाट फू मंदिरों के विश्व विरासत स्थल के पुनरुद्धार के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के दल ने स्थल का दौरा किया था और विदेश मंत्रालय को अपने दौरे के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी।

कम्बोडिया — भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अंगकोर वाट मंदिर के संरक्षण कार्यों को 1986 से 1993 के बीच पूरा किया है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विदेश मंत्रालय के आई टी ई सी कार्यक्रम के अंतर्गत ता प्रोम मंदिर परिसर के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए 19.57 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक दूसरी परियोजना शुरू की है। परियोजना का कार्यान्वयन प्रगति पर है।

अफगानिस्तान — (i) काबुल में ऐतिहासिक 'स्टूर पैलेस' के पुनरुद्धार के लिए भारत की सहायता हेतु अफगान सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। सूचनानुसार इस पैलेस बिल्डिंग का निर्माण लगभग 100 वर्ष पहले तत्कालीन राजा अमानुला खान के लिए किया गया था। यह परियोजना विचाराधीन है।

(ii) अफगान सरकार ने पुरातत्व, अभिलेखागार, स्मारकों तथा संग्रहालय के क्षेत्र में भारत के सहयोग हेतु अनुरोध किया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों के एक दल ने अफगानिस्तान का दौरा किया था और अपनी रिपोर्ट

प्रस्तुत कर दी है। चार परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर विचार किया जा रहा है। ये हैं : (क) राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी संग्राहलय वस्तुओं का संरक्षण, परिरक्षण तथा पुनरुद्धार; (ख) राष्ट्रीय अभिलेखागार में रखी पाण्डुलिपियों का संरक्षण, परिरक्षण तथा पुनरुद्धार; (ग) पुरातत्व संस्थान में फील्ड संरक्षण प्रयोगशाला की स्थापना; और (घ) पुरातत्व संस्थान में फोटो प्रयोगशाला की स्थापना। ये परियोजनाएं अभी आरंभिक प्रक्रिया में हैं।

इण्डोनेशिया — भारत ने प्रामबनान स्थित मंदिरों की मरम्मत/संरक्षण के लिए इण्डोनेशिया को सहायता देने की पेशकश की है जो भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हो गए थे जिसने 27 मई, 2006 को मध्यवर्ती जावा द्वीप, इण्डोनेशिया के दक्षिणी तट को प्रभावित किया था।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प लेने वालों का पुनर्नियोजन

1903. **श्री चन्द्र शेखर दूबे :** क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प लेने वालों का पुनर्नियोजन के बारे में 13 मार्च, 2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2403 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, लोक उद्यम चयन मंडल (पीईएसबी) ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के विनिवेशित उद्यमों के 5 कार्यपालकों को चयन साक्षात्कार के लिए बुलाया था तथा 2 मामलों में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, खनिज गवेषण निगम लि. (एमईसीएल) तथा निदेशक (वित्त), भारत अर्थ मूवर्स लि. (बीईएमएल) के रूप में नियुक्ति के लिए उनकी सिफारिश की गई थी। निदेशक (वित्त), महानगर टेलीफोन निगम लि. (एमटीएनएल) के पद के एक मामले में विदेश संचार निगम लि. (वीएसएनएल), ने (30.8.2001 को, जब वह केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम था) एक अभ्यर्थी का आवेदन अग्रेषित किया था, जो निदेशक (वित्त), विदेश संचार निगम लि. के पद पर आसीन था। पीईएसबी की सिफारिशें दिनांक 7.12.2001 को दूरसंचार विभाग को भेज दी गई थीं तथा पदस्थ व्यक्ति को 3.4.2002 को इस पद पर नियुक्त किया गया था। वीएसएनएल का फरवरी, 2002 में विनिवेश किया गया था।

[हिन्दी]

रसोई यान प्रणाली समाप्त करना

1904. **श्री संतोष गंगवार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार गाड़ियों में परोसे जा रहे घटिया खाने के बारे में बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर विद्यमान रसोई यान प्रणाली को समाप्त करने और एक नई खानपान व्यवस्था को शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) वर्तमान में, मौजूदा पैंट्रीकार प्रणाली को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

विमान ईंधन की चोरी

1905. **श्री उदय सिंह :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयरलाइनों के अधिकारी दिल्ली एयरपोर्ट स्थित एयरपोर्ट ईंधन भंडार कक्ष से विमान ईंधन चुराते पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) दोषी एजेंसियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि देश के अनेक विमानपत्तनों पर बेईमान व्यक्ति विमान ईंधन चुराते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) जी, हां। दिनांक 27.6.2006 को आई जी आई हवाईअड्डे

से जेट एयरवेज के एक कर्मचारी द्वारा विमान टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) की पांच बोतलों की तस्करी करते समय केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (के.औ.सु.ब.) के कार्मिक द्वारा उसे पकड़े जाने का मामला सामने आया है। उस कर्मचारी को स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया था।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर तीसरी रेल लाइन का निर्माण

1906. श्री कमला प्रसाद रावत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने सीतापुर-बुधवाल बी.जी. खंड के फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर तीसरी रेल लाइन के निर्माण का अनुमोदन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्माण कार्य शुरू हो चुका है;

(ग) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब से शुरू हुआ; और

(घ) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां। तहसील फतेहपुर में तीसरी चालू लाइन के कार्य को बजट 2006-07 में शामिल कर लिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) बजट 2006-07 में शामिल यह एक नया कार्य है और यार्ड योजना को अंतिम रूप देना, विस्तृत आकलन और टेंडर प्रक्रिया जैसी प्रारंभिक गतिविधियों में समय लगता है जो कि प्रगति पर हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम को सुदृढ़ करना

1907. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एन एम डी एफ सी) के क्या उद्देश्य हैं;

(ख) क्या सरकार इसे सुदृढ़ और पेशेवर बनाने के लिए उपाय कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम को प्रशासनिक और परिचालनात्मक समस्याओं के अलावा अनेक राज्यों में ऋण की खराब वसूली और कर्मचारियों की भारी कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के उद्देश्य और लक्ष्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के कार्यकरण की समीक्षा करने और इसकी रणनीति और प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन में सुधार हेतु कार्रवाई योजना पर सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठित किया गया है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम ऋणों की अपर्याप्त वसूली, कर्मचारियों की कमी, राज्य सरकारों द्वारा अपर्याप्त इक्विटी अंशदान, राज्य सरकारों द्वारा पर्याप्त गारंटी देने में अन्यमनस्कता आदि समस्याओं का सामना कर रहा है।

विवरण

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के ज्ञापन एवं संगम-अनुच्छेद के अनुसार इसके लक्ष्य और उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

1. अल्पसंख्यकों के 'पिछड़े वर्गों' के लाभार्थ आर्थिक विकासात्मक कार्यकलापों को प्रोत्साहन देने हेतु व्यावसायिक समूह और महिलाओं को वरीयता देना;

2. सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित ऐसी आय और/अथवा आर्थिक मानदंड के अध्यधीन अल्पसंख्यक व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूहों के आर्थिक और वित्तीय व्यवहार्य

योजनाओं और परियोजनाओं के लिए ऋण और अग्रिम के माध्यम से सहायता प्रदान करना;

3. अल्पसंख्यकों के लाभार्थ स्वरोजगार और अन्य उद्यमों को प्रोत्साहित करना;

4. केन्द्र सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों अथवा योजनाओं के अनुसरण में समय-समय पर निर्धारित ब्याज-दरों पर ऋण और अग्रिम प्रदान करना;

5. स्नातक और उच्चतर स्तर पर प्रशिक्षण के लिए सामान्य/व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अल्पसंख्यकों के पात्र सदस्यों को ऋण तथा अग्रिम प्रदान करना;

6. उत्पादन यूनिटों के उपयुक्त और सक्षम प्रबंधन के लिए अल्पसंख्यकों के तकनीकी और उद्यमिता कौशलों का उन्नयन करने में सहायता प्रदान करना;

7. वित्तीय सहायता या इक्विटी अंशदान द्वारा और वाणिज्यिक निधि प्रदान करने अथवा पुनः निधि के माध्यम से अल्पसंख्यकों के विकास से संबंधित राज्य स्तरीय संगठनों को सहायता देना;

8. राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा स्थापित सभी निगमों/बोर्डों/अन्य निकायों के कार्यों की मॉनीटरिंग के समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्थान के रूप में कार्य करना और उनके आर्थिक विकास के लिए अल्पसंख्यकों को सहायता करने का दायित्व सौंपना; और

9. अल्पसंख्यकों के विकास के लिए सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को बढ़ावा देने में सहायता करना।

लेह हेतु विमान सेवाएं

1908. **श्री छेवांग थुपस्तन :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स और निजी एयरलाइनों द्वारा दिल्ली-लेह, जम्मू-लेह और श्रीनगर-लेह क्षेत्रों में प्रतिदिन कितनी उड़ानों का परिचालन किया जाता है;

(ख) क्या इन क्षेत्रों में और अधिक उड़ानों की कोई मांग की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (घ) वर्तमान में, दिल्ली-लेह, जम्मू-लेह तथा श्रीनगर-लेह हवाई सेवाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

इंडियन एयरलाइंस

दिल्ली-लेह-श्रीनगर-दिल्ली	प्रति सप्ताह 1 उड़ान
दिल्ली-श्रीनगर-लेह-दिल्ली	प्रति सप्ताह 1 उड़ान
दिल्ली-लेह-दिल्ली (सेना चार्टर)	प्रति सप्ताह 3 उड़ानें
दिल्ली-लेह-जम्मू-दिल्ली	प्रति सप्ताह 2 उड़ानें
दिल्ली-जम्मू-लेह-दिल्ली	प्रति सप्ताह 2 उड़ानें

जेट एयरवेज

दिल्ली-लेह-दिल्ली	प्रति सप्ताह 6 उड़ानें

इसके अतिरिक्त, इंडियन एयरलाइन्स तथा जेट एयरवेज द्वारा सिंधु दर्शन आदि के लिए अतिरिक्त उड़ानें लेह से/को यातायात मांग के आधार पर प्रचालित की जा रही थी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों में विमान परिवहन सेवाओं की आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने विमान परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन के मद्देनजर मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किए हैं। तथापि यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे यातायात मांग तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर आधारित विमान सेवाएं विशेष स्थानों को उपलब्ध कराएं। इस प्रकार एयरलाइनें सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुपालन के आधार पर देश में कहीं भी प्रचालन हेतु स्वतंत्र हैं।

[हिन्दी]

ओएमसी द्वारा विज्ञापन

1909. श्री मित्रसेन यादव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों ने अपने उत्पादों के प्रचार के लिए किसी विज्ञापन कोष का सृजन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में इन तेल कंपनियों ने राष्ट्रीय/निजी टी.वी. चैनलों पर अपने विज्ञापन प्रसारित किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इन कंपनियों द्वारा राष्ट्रीय और निजी टेलीविजन चैनलों पर पृथक-पृथक अपने विज्ञापन प्रसारित करने में कितनी धनराशि खर्च की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) तेल विपणन कंपनियों को विपणन योजना तथा बिक्री प्रोन्नयन क्रियाकलाप ब्रांड बिल्डिंग प्रयासों के द्वारा अनुपूरित होते हैं। तदनुसार, विज्ञापनों/प्रचार के द्वारा ब्रांडिग के लिए हर साल अलग से बजट रखा जाता है।

(ग) आईओसीएल, बीपीसीएल तथा एचपीसीएल ने राष्ट्रीय/निजी टी.वी. चैनलों पर अपने विज्ञापनों का प्रसारण किया है।

(घ) गत वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान तेल कंपनियों, जिन्होंने अपने विज्ञापन राष्ट्रीय तथा निजी दूरदर्शन चैनलों पर प्रसारित किए हैं, द्वारा खर्च की गई धनराशि निम्नवत् है:-

(रुपए लाख में)

कंपनी का नाम	राष्ट्रीय चैनल		निजी चैनल	
	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07
आईओसीएल	1542	434	1450	702
बीपीसीएल	20	1.75	2114	430
एचपीसीएल	34	23	1074	368

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को एलपीजी एजेंसियों का आवंटन

1910. श्रीमती सुशीला बंगारू लक्ष्मण : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी समय पहले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित बहुत से आवेदकों को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के खुदरा केन्द्र/डीलरशिप आबंटित की गई थी लेकिन आवश्यक अवसंरचना के अभाव में इसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्वीकृत केन्द्रों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ग) 1.7.2006 की स्थिति के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणियों के तहत आबंटित 170 तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) डिस्ट्रीब्यूटरशिपें चालू किए जाने हेतु लंबित हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

ये स्थल विभिन्न कारणों यथा भूमि की अनुपलब्धता, गोदाम का निर्माण, न्यायालय मामले/शिकायतें, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक अनापत्ति आदि के कारण चालू किए जाने के लिए लंबित हैं।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	20
असम	2
बिहार	11
छत्तीसगढ़	5

1	2
दिल्ली	4
गोवा	4
गुजरात	14
हरियाणा	5
जम्मू और कश्मीर	2
झारखण्ड	6
कर्नाटक	5
केरल	4
मध्य प्रदेश	9
महाराष्ट्र	20
उड़ीसा	7
पंजाब	2
राजस्थान	1
तमिलनाडु	13
त्रिपुरा	2
उत्तर प्रदेश	16
उत्तरांचल	5
पश्चिम बंगाल	12
अण्डमान एंड निकोबार द्वीपसमूह	1
योग	170

निःशक्त लोगों संबंधी सर्वेक्षण

1911. श्रीमती पी. सतीदेवी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने देश में निशक्त लोगों के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या मानसिक रूप से अविकसित बच्चों की सहायता के लिए कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय प्रतिपक्ष सर्वेक्षण संगठन ने जुलाई से दिसम्बर, 2002 तक निःशक्तजनों पर सर्वेक्षण किया था। सर्वेक्षण की परिणाम रिपोर्ट संख्या 485 (58/26/1) के माध्यम से जारी की गई, जो अब सार्वजनिक है।

(ग) मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की संख्या संबंधी कोई तुलनात्मक आंकड़े वर्षवार उपलब्ध नहीं है। इसलिए यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की संख्या बढ़ रही है।

(घ) और (ङ) आटिज्म, मानसिक मंदता, प्रमस्तिष्क अंगघात और बहुविकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय न्यास, विकलांग व्यक्तियों के परिवार में संकट के समय में आवश्यकता आधारित सेवाएं उपलब्ध कराने वाले पंजीकृत संगठनों को सहायता प्रदान करता है और इस तरह के लोगों के माता-पिता अथवा संरक्षकों की मृत्यु की दशा में इनकी देखभाल और संरक्षण के उपायों को प्रोत्साहित करता है।

त्रिवेन्द्रम और दिल्ली के बीच सीधी विमान सेवा

1912. श्री सी.के. चन्द्रप्पन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने पिछले दो माह से त्रिवेन्द्रम और दिल्ली के बीच की सीधी विमान सेवा को बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त सीधी विमान सेवा को पुन: शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) प्रचालन बाधाओं के कारण, दिल्ली-मुंबई-त्रिवेन्द्रम सेक्टर पर प्रचालित इंडियन एयरलाइंस की उड़ान आई सी 167 मुंबई-त्रिवेन्द्रम सेक्टर पर प्रचालन करने के लिए 6 अप्रैल, 2006 से रीशेड्यूल कर दिया गया है। दिल्ली-मुंबई-त्रिवेन्द्रम सेक्टर पर प्रचालित वापसी उड़ान आई सी 168 में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ग) दिल्ली-मुंबई-त्रिवेन्द्रम उड़ान 1 अगस्त, 2006 से पुन: चला दी गई है।

[हिन्दी]

रेल पथों की सुरक्षा हेतु योजना

1913. श्री शिशुपाल पटले :
श्री अशोक कुमार रावत :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा रेल पथों की सुरक्षा हेतु योजना तैयार की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे का विचार रेल पथों को सुरक्षा हेतु तैयार की जाने वाली योजना के संबंध में राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या रेलवे के पास रेल पथों की और विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरने वाली ट्रेनों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल हैं; और

(घ) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान रेलवे को आबंटित धनराशि में से कितनी धनराशि रेल पथों की सुरक्षा पर व्यय की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं। रेलपथों की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है।

(ख) सुरक्षा मामलों पर राज्य सरकारों के साथ समय-समय पर विचार-विमर्श किया जाता है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित छात्राओं को छात्रवृत्ति

1914. प्रो. महादेवराव शिवनकर : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित छात्राओं को विदेश में अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना कब से लागू है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष में उक्त योजना पर कितना व्यय हुआ है;

(घ) क्या उक्त योजना के अंतर्गत केवल कुछ ही छात्राओं को लाभ हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त अवधि के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग की कितनी छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (ङ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को विदेश में अध्ययन के लिए कोई छात्रवृत्ति प्रदान नहीं करता है।

[अनुवाद]

एयरलाइन फैसीलीटेशन कमेटी

1915. श्री पी. राजेन्द्रन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में किसी एयरलाइन फेसीलीटेशन कमेटी का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कमेटी ने निहित शक्तियों का और इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) अनेक अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों को स्थापित करने तथा बढ़ाने के साथ, नियमित आधार पर सभी सरकारी एजेंसियों तथा एयरलाइनों के बीच विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक मंच उपलब्ध करवाने के लिए संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की गई। इसलिए सरकार ने एक एयरलाइन फेसीलीटेशन कमेटी बनाने का निश्चय किया है, जिसमें नागर विमानन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नागर विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारतीय मौसम विभाग तथा घरेलू अनुसूचित एयरलाइनों के प्रतिनिधि अधिकारी शामिल होंगे।

(ग) समिति सरकार द्वारा उठाये जाने वाले निम्नलिखित उपायों पर ध्यान तथा सुझाव देगी।

(i) लिए जाने वाले विदेशी पायलटों के मामलों सहित पायलटों, इंजीनियरों, तकनीशियनों इत्यादि से संबंधित मामले (ii) विमान की उड़ान योग्यता जांच (iii) सुरक्षा मामलों सहित हवाईअड्डा मामले (iv) कोहरे की अवधि के दौरान लैंडिंग के लिए एयरलाइनों की तैयारियां (v) पूर्वोत्तर प्रचालन तथा मार्ग संवितरण मार्गदर्शी सिद्धान्त से संबंधित मामले (vi) अनुसूचियों का युक्तिकरण (vii) अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय तथा प्रोटोकाल (viii) यात्रियों की शिकायतों का निपटान (ix) कोई अन्य संगत मामले।

लक्षद्वीप में पर्यटन का विकास

1916. डा. पी.पी. कोया : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने भारतीय और विदेशी पर्यटकों ने लक्षद्वीप की यात्रा की है;

(ख) वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान विदेशी मुद्रा के रूप में कितना राजस्व अर्जित किया गया है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान पर्यटन से वहां के स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के कितने अवसरों का सृजन हुआ; और

(घ) सरकार द्वारा लक्षद्वीप द्वीपसमूह में पर्यटन के विकास के लिए तैयार की जा रही योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) वर्ष 2003, 2004 और 2005 के दौरान, लक्षद्वीप में घरेलू और विदेशी पर्यटकों के आगमन की संख्या निम्नानुसार है:—

वर्ष	2003	2004	2005
घरेलू	4604	3889	6908
विदेशी	682	1285	941

(ख) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विदेशी मुद्रा आय के आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ग) लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान पर्यटन से 142 नौकरियां सृजित की गई हैं।

(घ) पर्यटक रुचि के स्थलों के विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र, अवसंरचना एवं मानव संसाधन विकास, पर्यटन मार्केटिंग, और द्वीपों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए खोलने और संघ राज्य क्षेत्र में पर्यटन के संवर्धन के लिए लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड (एलडीसीएल) के साथ इक्विटी भागीदारी से संबंधित योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के गंतव्यों एवं परिपथों हेतु उत्पाद/अवसंरचना विकास की अपनी योजनाओं के अंतर्गत, उनके परामर्श से अभिनिर्धारित चुनिन्दा गंतव्यों/परिपथों में अवसंरचना के विकास में भी सहायता करती है। 8वीं और 9वीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान, संघ राज्य क्षेत्र के लिए 9 परियोजनाएं अनुमोदित की गई और 194.86 लाख रुपयों की राशि मंजूर की गई। 10वीं योजना के दौरान, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र से कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

हैदराबाद के वनस्थलीपुरम में रेल आरक्षण केन्द्र

1917. श्री गुंडलूर निजामुद्दीन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद शहर के वनस्थलीपुरम क्षेत्र में रेल आरक्षण केन्द्र को खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक खोले जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

शुभ यात्रा योजना

1918. श्री तुकाराम गंगाधर गडाख : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा शुभ यात्रा योजना की शुरूआत की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर रेलवे को कैसी प्रतिक्रिया मिली है;

(ग) क्या रेलवे इस योजना को उन सभी श्रेणियों में शुरू करने पर विचार कर रही है जिन श्रेणियों में वर्तमान में यह योजना लागू नहीं है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) उच्चतर श्रेणी में लोकप्रियता बढ़ाने की दृष्टि से, जहां पर शयनयान श्रेणी, 3 ऐसी श्रेणी की तुलना में अधिभोगिता काफी कम है, के लिए बार-बार यात्रा करने वाले यात्री योजना (एस ओ एफ टी) जिसे शुभ यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, को फरवरी, 2006 में शुरू किया गया था और यह I एसी, II एसी तथा एसी कुर्सीयान श्रेणी में अनुमेय है। बारबार यात्रा करने वाले यात्री को पुरस्कृत प्वाइंटों की एक निश्चित संख्या संचित करने के बाद एक मानार्थ गाड़ी यात्रा करने को मिलेगा।

(ग) से (ङ) चूंकि तुलनात्मक दृष्टि से अन्य श्रेणियों में पहले से ही अधिक मांग है, इस समय अन्य श्रेणियों में इस योजना का विस्तार करने के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

रेलवे में खान-पान और स्वच्छता

1919. श्री विजय कृष्ण :
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :
श्री मो. ताहिर :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्री अशोक कुमार रावत :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्री ने खान-पान और स्वच्छता से संबंधित स्थिति का जायज़ा लेने के लिए ट्रेनों का और नई दिल्ली/दिल्ली रेलवे स्टेशनों का आकस्मिक निरीक्षण किया था जैसाकि दिनांक 4 जून, 2006 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या रेलवे का विचार स्टेशनों और ट्रेनों में स्वच्छता बनाए रखने और यात्रियों को अच्छी गुणवत्ता वाला और पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) भोज्य पदार्थ की गुणवत्ता एवं मात्रा तथा बिस्तरों की सफाई के संबंध में कुछ कमियां देखी गई थी।

(ग) उत्तरदायी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई प्रारंभ की गई है।

(घ) सहायक प्रबंधक, दिल्ली क्षेत्र को स्थानांतरित कर दिया गया है, खानपान पर्यवेक्षक, दिल्ली को निलंबित कर दिया गया है था अनुशासनिक एवं अपील नियमों के अंतर्गत बड़े शास्ति का दंड दिया गया है। मुख्य निरीक्षक, खानपान, बेस किचन तथा मुख्य निरीक्षक, खानपान दिल्ली के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

[अनुवाद]

रेल लाइन का निर्माण

1920. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व-मध्य रेल जोन (ईसीआर) में शेखपुरा बिहारशरीफ दनियावान रेलवे स्टेशन के बीच एक नई रेल लाइन के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस रेल लाइन का निर्माण कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) फतुहा-इस्लामपुर तथा नेहुरा-दानियावान-शेखपुरा (171.5 किमी.) 406.92 करोड़ रु. की प्रत्याशित लागत से एक चालू परियोजना है।

दानियावान-बिहारशरीफ खंड पर मिट्टी संबंधी कार्य तथा पुल निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। शेष भाग में भूमि अधिग्रहण कर ली गई है।

(ग) फतुहा-इस्लामपुर का कार्य पूरा हो गया है। परियोजना को पूरा करने का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड का पुनरुद्धार

1921. डा. के. धनराजू : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (बीडब्ल्यूईएल) की स्थापना रेलवे के वैगनों के निर्माण के लिए की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या कंपनी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) पिछल तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कंपनी को कितनी हानि हुई; और

(ङ) इसे व्यवहार्य तथा लाभ कमाने वाली कंपनी बनाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग) भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (बीडब्ल्यूईएल) को भारत सरकार द्वारा रेलवे वैगनों का उत्पादन करने के लिए दो बंद कंपनियों नामत: दी ब्रिटानिया इंजीनियरिंग कंपनी (मोकामा यूनिट) तथा दी अर्थर बटलर एंड कंपनी (मुजफ्फरपुर) लिमिटेड से परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण कर एक सरकारी कंपनी के रूप में दिनांक 04.11.1978 को निगमित किया गया था। विगत कुछ वर्षों से कंपनी द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल होने के मुख्य कारण निम्नानुसार हैं:-

(i) निशुल्क मैचिंग आपूर्ति मदों जैसे बोगी, काप्लर, व्हील सेट, इस्पात एवं बेयरिंग की विलम्बित और अपर्याप्त प्राप्ति;

(ii) बाह्य बिक्रेताओं से बोगी तथा काप्लरों की खरीद के लिए कार्यशील पूंजी की कमी;

(iii) रेलवे द्वारा खुली निविदा नीति अपनाने के कारण वैगन मूल्यों में अचानक गिरावट हुई जिससे लागत मूल्य में वृद्धि के साथ-साथ उच्च उपरिव्यय के कारण सरकारी क्षेत्र के उद्यम अप्रतिस्पर्द्धातमक बन गये; तथा

(iv) मुख्य ग्राहकों द्वारा लगातार आपूर्ति आदेश की कमी; आदि।

(घ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा उठाई गई हानि के ब्यौरे निम्नानुसार है:-

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	निवल हानि
2003-04	24.05
2004-05	28.10
2005-06 (अनंतिम)	24.39

(ङ) भारत सरकार बीडब्ल्यूईएल की धारक कंपनी भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल) के जरिए बकाया मजदूरी और वेतानों का भुगतान कर, कार्यशील पूंजी, रेलवे से नि:शुल्क आपूर्ति मद और आदेश मुहैया करा कर इसके कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए सभी प्रयास कर रही है। बीडब्ल्यूईएल के लिए एक पुनरुद्धार पैकेज लोक उद्यम पुनगर्ठन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसने अपनी सिफारिशें दे दी हैं।

केरल के लिए सीधी उड़ानें

1922. **श्री अब्दुल्लाकुट्टी :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के वर्तमान विमान मार्ग पर सीट क्षमता बढ़ाने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को केरल के लिए सीधी उड़ानें शुरू करने हेतु मैसर्स लुफ्थांसा से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) 23 विदेशी राष्ट्रों की विनिर्दिष्ट एयरलाइंस को केरल के विभिन्न हवाईअड्डों में प्रचालन हेतु अभिगमन की अनुमति प्रदान की गई है। इनमें से अनुसूचित भारतीय वाहकों के अलावा 09 विदेशी एयरलाइंस वर्तमान में 117 सेवाएं/सप्ताह केरल से/को प्रचालित कर रही हैं। तथापि किसी भी एयरलाइंस को किसी विशेष स्थान के लिए वास्तविक प्रचालन हमेशा वाणिज्यिक निर्णयों के अनुसार करना होता है।

(ग) से (ङ) यद्यपि कोचीन, जर्मनी की विनिर्दिष्ट एयरलाइंस के लिए प्वाइंट ऑफ कॉल के रूप में उपलब्ध है, मैसर्स लुफ्थांसा ने कोचीन से/को सेवाएं बढ़ाने के किसी अनुरोध को नहीं ठुकराया है।

रेलवे अस्पताल

1923. **श्री भर्तृहरि महताब :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चल रहे रेलवे अस्पतालों का जोनवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेलवे ने नए रेलवे अस्पताल की स्थापना के बारे में कोई निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी स्थापना कहां-कहां की जाएगी; और

(घ) इनकी स्थापना कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) संपूर्ण भारतीय रेलों पर 121 रेलवे अस्पताल हैं जिनके विवरण निम्नानुसार है:—

मध्य रेलवे-11, पूर्व रेलवे-9, पूर्व-मध्य रेलवे-8, पूर्वतट रेलवे-4, उत्तर रेलवे-12, उत्तर-मध्य रेलवे-4, पूर्वोत्तर रेलवे-7, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे-11, उत्तर-पश्चिम रेलवे-8, दक्षिण रेलवे-11, दक्षिण-मध्य रेलवे-5, दक्षिण-पूर्व रेलवे-6, दक्षिण-पूर्व-मध्य रेलवे-4, दक्षिण-पश्चिम रेलवे-4, पश्चिम रेलवे-10, पश्चिम-मध्य रेलवे-7

(ख) जी, हां। निम्न चार क्षेत्रों में चार नए अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव है:—

1. पूर्व-मध्य रेलवे
2. उत्तर मध्य रेलवे
3. दक्षिण मध्य रेलवे
4. दक्षिण-पूर्व रेलवे

(ग) निम्नलिखित चार मंडलों अर्थात् उत्तर मध्य रेलवे पर आगरा मंडल में, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे पर रायपुर मंडल और दक्षिण मध्य रेलवे पर नांदेड मंडल, प्रतयेक में एक 50 बिस्तरों वाला रेलवे अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(घ) 18-24 महीने।

इंडियन एयरलाइंस/एयर इंडिया के पायलटों को मांग-पत्र

1924. **श्री दुष्यंत सिंह :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस तथा एयर इंडिया के पायलटों ने सरकार को अपना मांग-पत्र सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) पूर्ववर्ती इंडियन पायलट गिल्ड अब गैर-मान्यता प्राप्त यूनियन ने एअर इंडिया के प्रबंधन से 01/01/1997 से 31/12/2006 की अवधि के लिए चार्टर मांग रखी हैं। चूंकि विमानचालकों के लिए कोई मान्यता प्राप्त यूनियन नहीं है, प्रबंधन मामले पर विमानचालकों की समझौता टीम से विचार-विमर्श कर रहा है। जहां तक इंडियन एयरलाइंस का संबंध है, प्रबंधन को भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ से एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उन विभिन्न भत्तों के भुगतान में संशोधन का अनुरोध किया गया था जिन पर प्रबंधन द्वारा आपस में विचार किया गया था तथा निपटाया गया था।

बौद्धों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करना

1925. श्री हरिभाऊ राठौड़ : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति की सूची में बौद्ध जनसंख्या को शामिल न करने के मुद्दे पर देश में हाल ही में कोई चर्चा हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या उन लोगों के अंत: वर्गीकरण के बारे में पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है जोकि धर्म से बौद्ध हैं परंतु वे अनुसूचित जाति नहीं लिखते; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जनगणना, 2001 की सारणी योजना में अनुसूचित जाति के आकड़े उनके धर्म के अनुसार उपलब्ध हैं।

रनिंग भत्ता समिति

1926. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई 2002 में गठित रनिंग भत्ता समिति ने रेलवे को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने रनिंग कर्मचारियों के भत्तों तथा अन्य लाभों में कटौती की सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे ने समिति की उक्त सिफारिश को स्वीकार कर लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) समिति की सिफारिशें मान्यता प्राप्त फेडरेशनों तथा जोनल रेलवे के परामर्श से जांच की जा रही है।

विवरण

(ख) और (ग) जिन मदों में रनिंग भत्ता समिति-2002 ने कटौती की सिफारिश की है, उनके ब्यौरे सहित विवरण निम्नलिखित है:—

क्र. सं	मद	वर्तमान	रनिंग भत्ता समिति-2002 की सिफारिश
1	2	3	4
1.	विनिर्दिष्ट सेवा के दौरान वेतन घटक की गणना	मूल वेतन का 30%	मूल वेतन का 10%

1	2	3	4
2.	सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के लिए वेतन घटक	मूल वेतन का 55%	मूल वेतन का 20%
3.	घाट खंडों पर संचालित गाड़ियों के रनिंग स्टाफ को भुगतान के लिए किलोमीटर के हिसाब से गणना	(i) सभी घाट खंडों पर जहां बैंकर वास्तव में गाड़ी चलाने में सहायता करने के लिए तैनात किया गया है, उन संचालित गाड़ियों के रनिंग स्टाफ के मामलों में किलोमीटर की गणना वास्तव में गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी का 5 गुणा	(i) घाट खंडों पर श्रेणी-I तथा II संचालित गाड़ियों के रनिंग स्टाफ के मामलों में जहां बैंकर वास्तव में गाड़ी के संचालन में सहायता कर रहा है, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी का 4 गुणा
		(ii) अन्य सभी मामलों में (जहां बैंकिंग इंजन अथवा सहायता की जरूरत नहीं है, उन मामलों सहित) श्रेणी-I घाट खंड के मामले में गाड़ी द्वारा वास्तव में तय की गई दूरी का 5 गुणा हिसाब लगाकर तथा श्रेणी-II घाट खंड में गाड़ी द्वारा वास्तव में तय की गई दूरी का 3 गुणा	(ii) अन्य सभी मामलों में (जहां बैंकिंग इंजन अथवा सहायता की जरूरत नहीं है, उन मामलों सहित) श्रेणी-I घाट खंड के मामले में गाड़ी द्वारा वास्तव में तय की गई दूरी का 4 गुणा तथा श्रेणी-II घाट खंड के मामले में गाड़ी द्वारा वास्तव में तय की गई दूरी का ढाई गुणा
		(iii) विशेष घाट खंडों के रूप में विनिर्दिष्ट खंडों में गाड़ी द्वारा वास्तव में तय की गई दूरी का 2 गुणा	(iii) विनिर्दिष्ट घाट खंडों में गाड़ी द्वारा वास्तव में तय की गई दूरी का डेढ़ गुणा
4.	ट्रिप भत्ता	स्टाफ की कोटि के हिसाब को देखते हुए 6 रु. से 12 रु. प्रति ट्रिप समाप्त कर दिया गया है।	समाप्त कर दिया गया है।

उड़ीसा में रेलवे नेटवर्क का विस्तार

1927. श्री परसुराम माझी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा के 'के बी के' जिलों में रेलवे नेटवर्क के विस्तार का रेलवे का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है इसके अलावा, रेलवे परियोजनाओं को व्यापक सापेक्ष महत्व के आधार पर शुरू किया गया है तथा जिलावार आंकड़े नहीं रखते जाते हैं। बहरहाल, इस क्षेत्र में आरंभ की गई कुछ परियोजनाएं निम्नानुसार हैं:—

क्र. सं.	कार्य का नाम	लागत	मार्च, 06 तक किया गया व्यय	2006-07 के लिए बजट आबंटन
1.	लांजीगढ़ रोड-जूनागढ़ (54 किमी) के बीच नई लाइन	119.29	27.19	19.00
2.	खुर्दा रोड-बोलांगीर (289 किमी) के बीच नई लाइन	700.00	45.22	23.00
3.	लांजीगढ़ रोड-टिटलागढ़ (47 किमी) के बीच दोहरीकरण	134.73	122.56	15.00
4.	संबलपुर-टिटलागढ़ (182 किमी) के बीच दोहरीकरण	474.25	—	5.00

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत धनराशि

1928. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अचलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार मैट्रिक पश्चात् छात्रवृत्तियों, लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल, विशेष केन्द्रीय सहायता तथा विशेष संघटक योजना जैसी बहुत सी योजनाओं के लिए कोई वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करने की स्थिति में नहीं है;

(ख) यदि नहीं, तो कोई भी वास्तविक लक्ष्य निर्धारित न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने कुछ राज्य सरकारों को केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत धनराशि आबंटित नहीं की है जिसके परिणामस्वरूप लाभग्राहियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है;

(घ) यदि हां, तो वे राज्य कौन-कौन से हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के वर्ष 2006-07 के निष्पादन बजट में इन योजनाओं के परिमाणात्मक/वास्तविक उपलब्धियों के बारे में विवेचन किया गया है।

(ग) से (ङ) इन केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता, किसी वित्तीय वर्ष के लिए संबंधित राज्य सरकारों और संघ क्षेत्र प्रशासनों से प्रापत विशेष प्रस्तावों के आधार पर दी जाती है। फिर भी अनुसूचित जातियों के लिए उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के मामले में, अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के आकार, सापेक्ष पिछड़ेपन और प्रयास आधारित मानदंडों के अनुसार केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

नई पर्यटन नीति

1929. श्री रनेन बर्मन : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नई पर्यटन नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस नीति को कब तक तैयार कर लिए जाने की संभावना है; और

(ग) घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार द्वारा घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें शामिल हैं:–

— पर्यटक परिपथों/गंतव्यों की अवसंरचना विकास की अपनी

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पर्यटक स्थलों का विकास करना;

– होटल अवसंरचना, विशेषतया बजट होटलों, की वृद्धि पर ध्यान देना;

– प्रमुख पर्यटक आकर्षणों के लिए एयर क्षमता में वृद्धि करने और सड़क अवसंरचना में सुधार करने के माध्यम से संपर्क बेहतर करना;

– "इन्क्रेडिबल इंडिया" अभियान द्वारा इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से ग्राहकों तक सीधी पहुंच बनाना;

– विश्व स्तर की प्रचार सामग्री का सृजन करना;

– केन्द्रीयकृत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभियान चलाना;

– उभरते बाजारों, विशेषतया चीन, पूर्वोत्तर एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देना;

– व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेना;

– इंटरनेट एवं वेब मार्केटिंग का प्रयोग करना; और

– पर्यटक संबंधी प्रकाशनों का सृजन करना।

[हिन्दी]

जेतलसर और खसा के बीच रेल लाइन हेतु सर्वेक्षण

1930. **श्री वी.के. ठुम्मर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने पश्चिम रेलवे में जेतलसर तथा खसा के बीच एक नई रेल लाइन बिछाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सर्वेक्षण के क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) जेतलसर और खसा के बीच आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो गया है। सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर, आगे कोई निर्णय लिया जाएगा।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय मार्गों पर छोटे विमान का परिचालन

1931. **श्री सुबोध मोहिते :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने क्षेत्रीय मार्गों पर केवल छोटे विमान चलाने वाली छोटी विमान कंपनियों को बढ़ावा देते हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय क्षेत्रीय मार्गों पर छोटे विमान चलाने वाली विमान कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन विमान कंपनियों पर इस समय कौन-कौन से मानक लागू हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार वर्तमान मानकों में परिवर्तन करने का है;

(च) यदि हां, तो क्या परिवर्तित मानक हेलीकॉप्टर सेवाओं पर भी लागू होंगे; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ङ) इस समय केवल छोटे विमानों से, विशेष रूप से क्षेत्रीय मार्गों पर, प्रचालन करने वाली, एयरलाइनों के लिए कोई पृथक मानदंड निर्धारित नहीं है। बहरहाल, क्षेत्रीय मार्गों पर/क्षेत्रीय एयरलाइनों द्वारा छोटे विमानों के समय प्रचालनों को प्रोत्साहित करने के प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

(ख) इस समय, एयर डक्कन द्वारा प्रमुख मार्गों पर प्रचालन के अतिरिक्त एटीआर प्रकार के विमानों की सहायता से छोटे नगरों/शहरों को जोड़ते हुए क्षेत्रीय मार्गों पर अनुसूचित विमान सेवाएं उपलब्ध करा रही है। पेरामाउंट एयरवेज भी दक्षिण भारत के क्षेत्रीय मार्गों पर उड़ानें प्रचालित कर रही है। एलायंस एयर ने चार

एटीआर 42 विमान पट्टे पर लिए हैं तथा दिनांक 2.1.2003 से पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनुसूचित प्रचालन आरम्भ कर दिए हैं। पूर्वोत्तर परिषद के साथ किए गए समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार इन विमानों को विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात किया गया था।

(च) और (छ) इस समय, अनुसूचित सेवाओं के लिए हैलीकाप्टरों का प्रयोग नहीं किया जाता है इसलिए, प्रश्न नहीं उठता।

ओएनजीसी द्वारा असम नवीकरण परियोजना

1932. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (ओएनजीसी) ने "असम नवीकरण परियोजना" नामक एक बड़ी योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा परियोजना की लागत कितनी है; और

(ग) परियोजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी) ने सूचित किया है कि वह संपूर्ण पाइपलाइन नेटवर्क सहित असम परिसंपत्ति की विद्यमान भूतल सुविधाओं का जीर्णोद्धार करेगी और चांगमाईगांव व लाइप्लिगांव क्षेत्रों में नई भूतल सुविधाओं का निर्माण करेगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 250 करोड़ रुपए है।

(ग) ओएनजीसी ने काम सौंपे जाने की सूचना के बाद तीन वर्षों के अंदर काम पूरा करने की समय-सारणी के साथ 23.6.06 को निविदायें आमंत्रित की हैं।

पर्यटन एवं यात्रा का प्रबंधन संस्थान

1933. श्री जोवाकिम बखला : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कुछ नए पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थानों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इनकी स्थापना कहां-कहां की जाएगी?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) मंत्रालय ने सेक्टर 62, नोएडा, उ.प्र. में एक भू-भाग प्राप्त कर लिया है, जिसमें भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम) के एक अन्य केन्द्र के साथ-साथ एक 'एजुकेशन ग्रिड' स्थापित करने का प्रस्ताव भी शामिल है।

सीआईएसएफ द्वारा संरक्षित स्मारक

1934. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार ऐसे कितने स्मारक हैं जिनकी सुरक्षा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) द्वारा की जाती है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रतयेक वर्ष के दौरान इन स्मारकों की सुरक्षा पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) देश में सभी स्मारकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सुरक्षा कार्मिकों को ताजमहल, आगरा (उत्तर प्रदेश) तथा लाल किला, दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) में तैनात किया गया है, जिसके लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित व्यय किया गया है:—

2003-04	—	02.42 करोड़ रुपए
2004-05	—	13.14 करोड़ रुपए
2005-06	—	07.09 करोड़ रुपए

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने संरक्षित स्मारकों के लिए नियमित पहरा तथा निगरानी स्टॉफ लगाया है। इसके अतिरिक्त, चुनिंदा स्मारकों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए निजी सुरक्षा गार्डों तथा राज्य पुलिस कार्मिकों को भी तैनात किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने संरक्षित स्मारकों के लिए चारदीवारी बनाने हेतु एक योजनाबद्ध कार्यक्रम भी शुरू किया है।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशनों पर सफाई तथा जन-सुविधाओं के लिए निजी क्षेत्र

1935. **श्री चन्द्रभान सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन स्टेशनों का ब्यौरा क्या है जहां रेल मंत्रालय द्वारा सफाई अथवा जन-सुविधाओं तथा अन्य कार्य आदि को कराने के लिए अब तक निजी कंपनियों को पेशकश की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : भारतीय रेलों पर 'भुगतान और उपयोग' शौचालयों की व्यवस्था लगभग 550 स्टेशनों पर कर दी गई हैं इसके अलावा, इस क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त निजी एजेंसियों के माध्यम से यांत्रिकीकृत साफ सफाई भी कुछ स्टेशनों पर शुरू कर दी गई है।

[अनुवाद]

भूटान के साथ रेल संपर्क

1936. **श्री ई.जी. सुगावनम :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल तथा असम राज्यों से भारतीय रेलवे नेटवर्क के भूटान के निकटतम सीमावर्ती कस्बों तक विस्तार हेतु कोई व्यवहार्यता अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले तथा इसके लिए किन-किन मार्गों की पहचान की गई है; और

(ग) दोनों देशों के बीच रेल संपर्क कब तक स्थापित कर लिए जाएंगे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल तथा असम राज्यों से भूटान के नजदीकी सीमावर्ती कस्बों तक भारतीय रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए निम्नलिखित को शामिल करते हुए व्यवहार्यता अध्ययन आरंभ किया गया है:—

(i) हसीमारा (पश्चिम बंगाल) - फूऐंटशोलिंग (18 किमी) तथा पसाखा तक विभाजित करना;

(ii) कोकराझार (असम) - गेलेफू (70 किमी);

(iii) पाठशाला (असम) - नंगलम (40 किमी);

(iv) रंगिया (असम) - समुद्रपजोंगखर बरास्ता दरंगा (60 किमी); तथा

(v) बानरहाट (पश्चिम बंगाल) - सेमेत्से (16 किमी)।

दो देशों के बीच रेल संपर्क के संस्थापन के संबंध में निर्णय व्यवहार्यता अध्ययन के परिणामों के आधार पर किया जाएगा।

प्रशुल्क आयोग की सिफारिशें

1937. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाइपलाइन परिवहन प्रशुल्क तथा पुनःगैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस की मार्किटिंग मार्जिन सेल संबंध प्रशुल्क आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो प्रशुल्क आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रशुल्क आयोग द्वारा की गई सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जिन्हें स्वीकार नहीं किया है तथा इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (घ) उर्वरक उद्योग को प्राकृतिक गैस तथा एलएलजी की आपूर्ति से संबंधित मुद्दों की जांच करने के उद्देश्य से गठित अंतर मंत्रालयीन समूह (आईएमजी) को प्रशुल्क आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। आईएमजी ने दिनांक 18.5.2006 को हुई दूसरी बैठक में प्रशुल्क आयोग की सभी सिफारिशों पर विचार किया और उन्हें स्वीकार कर लिया। प्रशुल्क आयोग की प्रमुख सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

पुनर्गैसीकृत द्रवित प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) के खरीदकर्ताओं ने विपणन लाभ कम करने की सिफारिश पर अपनी शर्तों को अभिव्यक्त किया और इस मुद्दे की पुनः जांच का अनुरोध किया।

विवरण

प्रशुल्क आयोग की प्रमुख सिफारिशों का सारांश निम्नवत् है:

1. जहाजरानी दर 0.2597 अमरीकी डालर/एमएमबीटीयू की तुलना में 0.2488 अमरीकी डालर/एमएमबीटीयू होगी।

2. पुनःगैसीकरण प्रभार 5% वृद्धि के साथ रुपए 23.70/एमएमबीटीयू की तुलना में मूल्य परिवर्तन फार्मूला के साथ रुपए 23.85/एमएमबीटीयू होगा।

3. गेल द्वारा लिया जाने वाला परिवहन प्रशुल्क एचबीजे पाइपलाइन के लिए डब्ल्यूपीआई में प्रत्येक 10% वृद्धि के लिए 1% वृद्धि के साथ रुपए 1150/एमएससीएम तथा गुजरात राज्य में रुपए 500/एमएससीएम, विजयपुर तक रुपए 632/एमएससीएम तथा विजयपुर से आगे 5% वृद्धि के साथ रुपए 652/एमएससीएम के डीवीपीएल प्रशुल्क के स्थान पर मूल्य परिवर्तन फार्मूला के साथ एचबीजे तथा डीवीपीएल दोनों के लिए रुपए 81/एमएससीएम की एक समान दर पर वसूला जाएगा।

4. विपणन लाभ रुपए 5.04/एमएमबीटीयू के स्थान पर रुपए 1.97/एमएमबीटीयू होगा।

5. एनजी/आरएलएनजी दोनों ही उपभोक्ताओं के लिए हीटिंग मान (सकल तथा शुद्ध दोनों) एमएमबीटीयू में निर्दिष्ट किया जाए।

6. स्पर/फीडर लाइन के पशुल्क तथ्य करने के लिए व्यापक प्राचलों की सिफारिश।

रेल की पटरियों में दरारें

1938. श्री निखिल चन्द : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली और आगरा छावनी के बीच चलने वाली तथा भोपाल जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस की गति बढ़ाने के बाद रेल की पटरियों में दरारें पड़ने की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो नई दिल्ली तथा आगरा छावनी के बीच रेल की पटरियों की स्थिति का आंकलन किए बिना रेलगाड़ी की गति बढ़ाने का निर्णय लेने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं। पटरी/झलाई में तोड़फोड़ बहुत कम है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

तेल तथा गैस का अन्वेषण

1939. श्री छत्तर सिंह दरबार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां पिछले दो वर्षों के दौरान तेल तथा गैस निकालने का कार्य शुरू किया गया है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) इस कार्य में लगी कंपनियों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी), आयल इंडिया लिमिटेड (आईओएल) और निजी/संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनियां आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा राज्यों और देश के अपतटीय क्षेत्रों में वेधन कार्यकलाप कर रही हैं।

(ख) पिछले 2 वर्षों में वेधन के परिणामस्वरूप ओएनजीसी, ओआईएल और निजी/जेवी कंपनियों ने 768.75 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) तत्स्थान तेल तथा गैस भंडार की अभिवृद्धि की है।

(ग) तटीय वेधन प्रयासों के रूप में ओएनजीसी, ओआईएल और निजी/जेवी कंपनियों ने निम्नलिखित कंपनियों से वेधन सेवाएं किराये पर ली है:-

- द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड, मुंबई
- मैसर्स डीप वाटर सर्विसेज (इंडिया) प्रा. लि., मुंबई
- एबन लायड काइल्स आफशोर लिमिटेड, चेन्नई
- जिंदल ड्रिलिंग एंड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, नई दिल्ली
- मैसर्स डिस्कवरी हाइड्रोकार्बन (प्रा.) लिमिटेड, नई दिल्ली
- जगसन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली
- ट्रांसओसन आफशोर इंटरनेशनल वेंचर्स लिमिटेड, मुंबई

– ट्राइटन होल्डिंग लिमिटेड, मुंबई

– सेडको फोरेक्स इंटरनेशनल ड्रिलिंग इंक, मुंबई

– आर एंड बी फाल्कन (ए) पीटीवाई लि., आस्ट्रेलिया

– प्राइड फोरामर एस.ए.एस., दुबई, यू.ए.ई.

– ट्रांसओसन आफशोर डीप वाटर ड्रिलिंग इंक, (टीओडीडीआई) यूएसए

– डाल्फिन ड्रिलिंग लिमिटेड, यू.के.

– मैसर्स सिव-वाणी यूनिवर्सल लिमिटेड

– मैसर्स न्यूजको डाइरेक्शनल एंड हारिजेंटल ड्रिलिंग सर्विसेज इंक, कनाडा

– मैसर्स जेबी एनर्जी पीटीई लिमिटेड

– मैसर्स फ्लोटेक कंसल्टैंट एंड सर्विसेज पीटीई लिमिटेड

[अनुवाद]

जामनगर से कराची तक विमान सेवा

1940. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को सरकारी/निजी विमान कंपनियों से जामनगर से कराची के बीच अपनी विमान सेवाएं आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेल स्वयंसेवी योजना

1941. श्री मिलिन्द देवरा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे का विचार हाल ही में मुंबई में हुए श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट के मद्देनजर अपनी रेल स्वयंसेवी योजना को पुन: आरंभ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अ.जा./अ.ज.जा. के लिए आरक्षण

1942. श्री मोहन रावले : क्या सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के संविधान में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण प्रावधान केवल दस वर्षों के लिए किया गया था;

(ख) यदि हां, तो संविधान में संशोधन के माध्यम अब तक आरक्षण के प्रावधान को कितनी बार बढ़ाया जा चुका है;

(ग) क्या आरक्षण का लाभ एक जाति विशेष ने ही उठाया है और अग्रणी जातियों के समकक्ष हो गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि आरक्षण के लाभ वास्तव में अन्य पिछड़े वर्ग उठा सकें; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (ङ) आरंभत: संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं में 10 वर्ष की अवधि के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। इस अवधि को संविधान के अनुच्छेद 334 को पांच बार संशोधित करके 2010 तक बढ़ाया गया है। ऐसे कोई विशेष आंकड़े उपलब्ध नहीं है जिससे यह पता चले कि किसी जाति विशेष ने आरक्षण का लाभ उठाया है।

जोनल रेलवे परामर्शदात्री समितियां

1943. श्री एम. अंजनकुमार यादव :
श्री वी.के. ठुम्मर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न जोनल रेलवे परामर्शदात्री समितियों की अब तक कोई भी बैठक नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में बैठकें आयोजित करने के लिए क्या नियम निर्धारित हैं; और

(घ) इन समितियों की बैठकों के आयोजन के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) 1.8.2004 से 31.7.2006 की अवधि के दौरान क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्त्ता परामर्श समिति (जेड आर यू सी सी) की दो से चार बैठकें हो चुकी हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्त्ता परामर्श समिति के संघटन में दी गई व्यवस्था के अनुसार एक वर्ष में तीन बैठक होनी चाहिए।

(घ) निर्धारित समय के अनुसार, इन समितियों की बैठकें आयोजित करने के लिए अनुदेश दोहराए गए थे।

ग्राम पर्यटन

1944. श्री श्रीपाद येसो नाईक :
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में ग्राम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिनमें यह योजना लागू की गई है; और

(घ) शेष राज्यों में उक्त योजना को लागू करने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) जी, हां। पर्यटन की संभावना वाले ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना के सृजन के लिए पर्यटन मंत्रालय के गंतव्य तथा परिपथ के उत्पाद/अवसंरचना विकास की मौजूदा योजना के अंतर्गत सहायता दी जा रही है, जबकि ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल उन्नयन समेत, सामुदायिक भागीदारी तथा क्षमा निर्माण को जीओआई-यूएनडीपी अंतर्जात पर्यटन परियोजना के माध्यम से सहायता दी जा रही है। इसका उद्देश्य उन ग्रामीण स्थलों तथा गांवों में ग्रामीण जीवन, कला, संस्कृति तथा विरासत को दर्शाना है, जिन्हें संस्कृति/शिल्पकला/हथकरघा/वस्त्र आदि के मामले में दक्षता हासिल है।

(ग) योजना के अंतर्गत ग्रामीण स्थलों पर अवसंरचना विकास हेतु निधियां मंजूर की जाती हैं और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को जारी की जाती हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, प्रत्येक ऐसे गांव के विकास हेतु प्रदान की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता के ब्यौरे विवरण-I में तथा यूएनडीपी परियोजना के अंतर्गत क्षमता निर्माण आदि हेतु प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता विवरण-II में संलग्न हैं।

(घ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ बातचीत तथा परामर्श के आधार पर, पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2006-07 के दौरान ग्रामीण पर्यटन स्थलों के रूप में विकास करने हेतु 25 गांवों की पहचान की है।

विवरण-I

10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रतयेक ऐसे गांव के विकास के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपयों में)

राज्य	क्रम सं.	परियोजना का नाम	संस्वीकृति का वर्ष	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5	6
1. आंध्र प्रदेश	1.	नालगोंडा जिले में पोचमपल्ली का विकास	2003-04	50.00	40.00

1	2	3	4	5	6
	2.	पूर्वी गोदावरी जिले के कोनासीमा गांव में ग्रामीण पर्यटन	2003-04	50.00	50.00
	3.	अनंतपुर जिले में पुट्टापारथी में ग्रामीण पर्यटन का विकास	2004-05	49.50	49.50
	4.	पूर्वी गोदावरी जिले के चिन्विनाडा में ग्रामीण पर्यटन का विकास	2004-05	50.00	40.00
	5.	चितूर जिले के श्रीकालाहस्ती में ग्रामीण पर्यटन का विकास	2004-05	50.00	40.00
2. अरुणाचल प्रदेश	6.	पूर्वी सियांग जिले के रेंगो गांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास	2005-06	49.62	39.69
3. असम	7.	गोलाघाट जिले के दुर्गापुर में ग्रामीण पर्यटन का विकास	2002-03	46.83	14.04
	8.	देहिंग-पटकई क्षेत्र, जिला तिनसुखिया में ग्रामीण पर्यटन का विकास	2004-05	44.33	35.46
	9.	कामरूप जिले के सुआलकुच्ची में ग्रामीण पर्यटन	2004-05	50.00	40.00
	10.	दुबरी जिले के अक्षरीकांडी गांव में ग्रामीण पर्यटन परियोजना	2005-06	48.97	39.17
4. बिहार	11.	नालंदा जिले के नेपूरा गांव में ग्रामीण पर्यटन परियोजना	2003-04	50.00	40.00
5. छत्तीसगढ़	12.	बस्तर जिले के चित्रकोट गांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास	2003-04	50.00	40.00
	13.	बस्तर जिले के चित्रकोट गांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास	2003-04	50.00	40.00
	14.	रायपुर जिले के चंपारण में ग्रामीण पर्यटन का विकास	2003-04	50.00	15.00
	15.	जिला बस्तर के नगरनार में ग्रामीण पर्यटन	2003-04	48.00	38.40
	16.	बस्तर जिले के कोण्डागांव में ग्रामीण पर्यटन	2005-06	50.00	40.00

1	2	3	4	5	6
6. दिल्ली	17.	कोटला मुबारकपुर में ग्रामीण पर्यटन	2003-04	09.78	09.78
	18.	दिल्ली के नंगली, राजापुर में ग्रामीण पर्यटन	2003-04	36.30	36.30
7. गुजरात	19.	कच्छ जिले टेरा में हैरिटेज ग्राम का विकास	2003-04	50.00	40.00
	20.	कच्छ जिले के होडका में ग्रामीण पर्यटन	2003-04	50.00	40.00
	21.	डैंग जिले के नवांगांव और मालेगांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास	2003-04	92.70	27.81
8. हरियाणा	22.	कुरुक्षेत्र जिले के ज्योतिसर में ग्रामीण पर्यटन	2003-04	50.00	40.00
9. हिमाचल प्रदेश	23.	कुल्लू जिले के नगर में ग्रामीण पर्यटन	2003-04	50.00	40.00
	24.	कांगड़ा घाटी जिले के परागपुर में ग्रामीण पर्यटन	2003-04	50.00	40.00
10. जम्मू व कश्मीर	25.	बारामुल्ला जिले के डूंग गांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास	2005-06	50.00	40.00
	26.	जम्मू जिले के सुरिन्सर गांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास	2005-06	50.00	40.00
	27.	श्रीनगर जिले के गगनगीर गांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास	2005-06	50.00	40.00
	28.	अनंतनाग जिले के पहलगाम, गांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास	2005-06	50.00	40.00
	29.	जम्मू जिले के झेरी गांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास	2005-06	50.00	40.00
11. कर्नाटक	30.	बेल्लूर जिले के कोकारे बेल्लूर में ग्रामीण पर्यटन परियोजना	2002-03	50.00	15.00
	31.	उत्तर कन्नड़ जिले में एक ग्रामीण पर्यटन परियोजना के रूप में अट्टीवेरी बर्ड सेन्चुरी का विकास	2003-04	60.00	18.00
	32.	उत्तर कन्नड़ जिले के बनवासी में ग्रामीण पर्यटन	2003-04	50.00	40.00
	33.	कोप्पल जिले के अनेगुंडी में ग्रामीण पर्यटन परियोजना	2003-04	50.00	40.00

1	2	3	4	5	6
	34.	कोडागु जिले के कूर्ग में ग्रामीण पर्यटन परियोजना	2003–04	50.00	40.00
12. केरल	35.	अरुणाकुलम जिले में ग्रामीण पर्यटन गंतव्य के रूप में कुम्बालांगी का विकास	2003–04	50.00	40.00
	36.	पथनामथिट्टा जिले के अरुणामुला मेंग्रामीण पर्यटन का विकास	2003–04	20.00	16.00
	37.	तिरुवनंतपुरम जिले के बलरामपुर गांव का विकास	2004–05	50.00	40.00
	38.	स्पाइस परिपथ के लिए एरनाकुलम जिले के कालाडी गांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास	2006–07	47.20	37.76
	39.	स्पाइस परिपथ इडुक्की जिले के अन्नाकारा गांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास	2006–07	50.00	40.00
13. मध्य प्रदेश	40.	सिद्धि जिले के हतवा गांव में ग्रामीण पर्यटन	2002–03	44.00	13.20
	41.	मंडला जिले के चौगान में ग्रामीण पर्यटन	2003–04	50.00	40.00
	42.	जि अशोक नगर के प्राणपुर में ग्रामीण पर्यटन परियोजना	2003–04	48.00	38.00
	43.	टीकमगढ़ जिले के ओरछा में ग्रामीण पर्यटन परियोजना	2005–06	50.00	40.00
14. महाराष्ट्र	44.	औरंगाबाद जिले के सुलीभंजन - खुलताबाद में ग्रामीण पर्यटन	2003–04	50.00	40.00
15. नागालैंड	45.	मोपुनचुपकेट में ग्रामीण पर्यटन	2002–03	50.00	15.00
16. उड़ीसा	46.	पुरी जिले के रघुराजपुर में ग्रामीण पर्यटन परियोजना	2002–03	50.00	40.00
	47.	पुरी जिले में पिपली गांव का विकास	2004–05	50.00	40.00
	48.	मयूरभंज जिले के खीचिंग गांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास	2005–06	50.00	40.00
	49.	बारगढ़ जिले के बारपल्ली गांव में ग्रामीण पर्यटन विकास	2006–07	50.00	40.00

1	2	3	4	5	6
	50.	खुर्द जिले के हिरापुर गांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास	2006-07	50.00	40.00
	51.	गंजम जिले के पदनाभपुर गांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास	2006-07	50.00	40.00
17. राजस्थान	52.	अलवर जिले के नीमराणा में ग्रामीण पर्यटन	2003-04	50.00	50.00
	53.	जयपुर जिले के सामोद गांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास	2003-04	50.00	40.00
18. सिक्किम	54.	उत्तरी जिले में लाचेन गांव का विकास	2004-05	50.00	40.00
19. तमिलनाडु	55.	जिला कुथ्थूकुडी में ग्रामीण पर्यटन के अंतर्गत काजूगूमलई का विकास	2003-04	48.66	38.94
	56.	धर्मपुरी जिले में तीर्थमलई का विकास	2003-04	50.00	40.00
	57.	शिवगंगा जिले में कराईकुड्डी, चेट्टीनाडु में ग्रामीण पर्यटन	2003-04	50.00	40.00
	58.	रामनाथपुरम जिले में देवीपट्टीनम नवभाषनम का विकास	2005-06	50.00	40.00
	59.	तिरुकुरुनगुड्डी, जिला तिरुनेलवल्ली	2005-06	50.00	40.00
	60.	तिरुपुड्डईमीथूर जिला तिरुनेलवल्ली, तमिलनाडु	2005-06	49.55	39.64
	61.	स्पाइस परिपथ के लिए थेनी जिले के कोमबाई गांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास	2006-07	50.00	40.00
	62.	स्पाइस परिपथ के लिए दिन्दीगुल जिले के ताडियान कुड्डीसाई गांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास	2006-07	50.00	40.00
20. त्रिपुरा	63.	पश्चिम त्रिपुरा जिले के कमलासागर में ग्रामीण पर्यटन	2002-03	42.92	13.48
	64.	पश्चिम त्रिपुरा जिले के बम्बई हिल्स में ग्रामीण पर्यटन	2003-04	50.00	15.00

1	2	3	4	5	6
	65.	दक्षिण त्रिपुरा जिले के जोयचन्द्रापुर गांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास	2005-06	50.00	40.00
21. उत्तरांचल	66.	अलमोड़ा जिले के जागेश्वर में ग्रामीण पर्यटन परियोजना	2002-03	50.00	50.00
	67.	उत्तरकाशी जिले के अगोरा गांव (डोडीताल) में ग्रामीण पर्यटन परियोजना	2005-06	48.50	38.80
	68.	मोताड और इसके सेटेलाइट स्टेशन में हब ग्राम का विकास	2005-06	48.05	38.44
	69.	चम्पावत जिले के चेखोनीबोरा गांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास	2005-06	44.20	35.28
	70.	कोटी, इंद्रोली गांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास	2005-06	47.10	37.68
	71.	जिला चमोली के माना गांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास	2005-06	50.00	40.00
	72.	रुद्रप्रयाग जिले के सारी ग्राम में देवरीयातल में ग्रामीण पर्यटन (ईको टूरिज्म) का विकास	2005-06	45.14	36.00
22. उत्तर प्रदेश	73.	रायबरेली जिले के भीतर ग्राम में ग्रामीण पर्यटन का विकास	2005-06	49.52	39.62
	74.	मथुरा जिले के मुखराई ग्राम में ग्रामीण पर्यटन का विकास	2005-06	45.89	36.00
23. पश्चिम बंगाल	75.	बीरभूम जिले के बल्लभपुर डांगा में ग्रामीण पर्यटन केन्द्र का विकास	2003-04	50.00	15.00
	76.	दार्जिलिंग जिले में सोनाडा गांव का विकास	2004-05	50.00	40.00
	77.	बंकुरा जिले के मुकुटमणिपुर गांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास	2006-07	50.00	40.00
		कुल		3764.76	2826.99

विवरण-II

यूएनडीपी परियोजना के अंतर्गत क्षमता निर्माण आदि के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपयों में)

राज्य	परियोजना का नाम	जिले का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5	6
1. आंध्र प्रदेश	1. पोचमपल्ली	नालगोंडा	2004-05	20.00	16.00
	2. श्रीकलाहस्ती	चित्तूर	2004-05	20.00	16.00
2. असम	3. दुर्गापुर	गोलाघाट	2004-05	20.00	16.00
	4. सुवालकुची	कामरूप	2004-05	19.95	15.96
3. बिहार	5. नेपुरा	नालंदा	2004-05	20.00	16.00
4. छत्तीसगढ़	6. चित्रकूट	बस्तर	2004-05	20.00	16.00
	7. नगरनार	बस्तर	2004-05	20.00	16.00
5. गुजरात	8. होडका	कच्छ	2004-05	20.00	16.00
6. हरियाणा	9. ज्योतिसर	कुरुक्षेत्र	2004-05	20.00	16.00
7. हिमाचल प्रदेश	10. नग्गर	कुल्लू	2004-05	20.00	16.00
8. कर्नाटक	11. बनवासी	उत्तर कन्नड़	2004-05	20.00	16.00
	12. अन्नेगुंडी	कोप्पल	2005-06	20.00	16.00
9. केरल	13. कुम्बालंगी	अर्नाकुलम	2004-05	20.00	16.00
	14. अरनमुला	पथानमथिट्टा	2004-05	20.00	16.00
	15. कलाडी (स्पाईस सर्किट)	अर्नाकुलम	2005-06	10.00	08.00
	16. अनक्कारी (स्पाईस सर्किट)	ईडुकी	2005-06	10.00	08.00

1	2	3	4	5	6
10. मध्य प्रदेश	17. परानपुर	अशोकनगर	2004-05	20.00	16.00
	18. चोगन	मंडला	2004-05	20.00	16.00
11. महाराष्ट्र	19. सुलीभंजन-खुलताबाद	औरंगाबाद	2004-05	20.00	16.00
12. उड़ीसा	20. रघुराजपुर	पुरी	2004-05	20.00	17.60
	21. पिपली	पुरी	2004-05	20.00	16.00
13. पंजाब	22. राजासांसी	अमृतसर	2004-05	20.00	16.00
14. राजस्थान	23. नीमराना	अलवर	2004-05	20.00	16.00
	24. सामोद	जयपुर	2004-05	20.00	16.00
	25. हल्दीघाटी	राजसमंद	2004-05	19.32	15.45
15. सिक्किम	26. लाचेन	नार्थजिला	2004-05	20.00	16.00
16. तमिलनाडु	27. काजुगुमलाई	थुथुकुड्डी	2004-05	20.00	16.00
	28. कराईकुड्डी	शिवगंगा	2004-05	20.00	16.00
	29. कोम्बाई (स्पाईस सर्किट)	थेनी	2005-06	10.00	08.00
	30. पड्डियानकुड्डिसाई (स्पाईस सर्किट)	डींडिगुल	2005-06	10.00	08.00
17. त्रिपुरा	31. कमलासागर	पश्चिम त्रिपुरा	2004-05	20.00	16.00
18. उत्तरांचल	32. जगेश्वर	अलमोड़ा	2005-06	20.00	16.00
	33. माना	चमोली	2004-05	20.00	16.00
19. उत्तर प्रदेश	34. भूगूवाला	सहारनपुर	2004-05	19.75	15.50
20. पश्चिम बंगाल	35. बल्लभपुर डंगा	बीरभूम	2004-05	20.00	16.00
	36. मुकुटमणिपुर	बंकुरा	2004-05	20.00	16.00
	कुल			679.02	544.51

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पेट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्र

1945. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर पेट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्रों को खोलने के लिए क्या मानदंड निर्धारित हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा कितने पेट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्र खोले गए;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुछ खुदरा बिक्री केन्द्र बंद किये गए; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर ईंधन स्टेशनों, सर्विस स्टेशनों तथा विश्राम क्षेत्रों को आरंभ करने की अनुमति, जहाजरानी, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अधीन प्रदान की जाती है। इन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ, स्थल निर्धारण की सामान्य शर्तों, ईंधन स्टेशनों के लिए प्लाट का आकार, विन्यास, जल निकासी की अपेक्षाओं, प्रवेश अधिकार लागू करने तथा बिल्डिंग लाइन, साइन तथा मार्किंग प्रणाली, क्रियान्वयन प्रक्रिया आदि का भी उल्लेख है।

(ख) से (घ) गत तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज), नामत: इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड तथा आईबीपी कंपनी लिमिटेड ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर 2655 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप (आरओ) खोले हैं। उक्त अवधि के दौरान, राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुछ खुदरा बिक्री केन्द्रों को विभिन्न कारणों के चलते बंद भी किया गया है, जैसे राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार/चौड़ा करने की वजह से आरओ का स्थान बदलना, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमोदन न मिलना, डीलरों द्वारा अनियमितताओं/कदाचारों में लिप्त होने के कारण खुदरा बिक्री केन्द्र को बंद करना, भागीदारों के बीच विवाद और बिक्री के निष्पादन कमी आदि।

वरिष्ठ पी.एस.यू. अधिकारियों के विरुद्ध जांच

1946. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं के बारे में 11 मई, 2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2978 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने वरिष्ठ पी.एस.यू. अधिकारियों के विरुद्ध जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और इस पर सरकार द्वारा की गई अथवा की जाने वाली अनुवर्ती कार्यवाही क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने हाल ही में लोक उद्यम चयन मंडल द्वारा बनाए गए पेनल में शामिल निम्नलिखित तीन उम्मीदवारों के मामले में सतर्कता अनुमति नहीं दी थी अथवा रोक ली थी:—

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक - नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.
2. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक - नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लि.
3. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक - हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लि.

सतर्कता अनुमति नहीं प्राप्त कर पाने वाले किसी उम्मीदवार की नियुक्ति उक्त सरकारी उपक्रमों में संबंधित पदों पर नहीं की गई थी।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों में प्रसाधन सुविधाएं

1947. श्री सुखदेव सिंह ढींडसा :
सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अम्बाला-अमृतसर और अम्बाला-नंगल रेलगाड़ियों में कोई प्रसाधन सुविधाएं नहीं हैं जिससे यात्रियों को बहुत असुविधा होती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे का विचार इन रेलगाड़ियों में प्रसाधन सुविधाएं प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) नीति के तौर पर, यात्री गाड़ियां जो अपेक्षाकृत अल्प दूरी लगभग 160 किमी तक या 4 घंटे तक के यात्रा समय की गाड़ियों को बिना शौचालय के चलायी जा सकती है। यात्रा समय ज्यादा होने पर, यात्रियों के हित के लिए मध्यवर्ती और सुविधाजनक स्टेशन पर पर्याप्त हॉल्ट की व्यवस्था की जाती है।

मौजूदा मामले में, अम्बाला-अमृतसर के बीच बिना शौचालय के डीएमयू सेवाएं 249 किमी की दूरी तय करती है। अम्बाला कैंट-अमृतसर के बीच डीएमयू गाड़ी सं. 333 के लिए लुधियाना जंक्शन पर 40 मिनट का ठहराव दिया गया है तथा अमृतसर और अम्बाला कैंट के बीच डीएमयू गाड़ी सं. 334 के लिए लुधियाना जंक्शन में ठहराव का समय बढ़ाकर 30 मिनट कर दिया गया है ताकि यात्रियों को स्टेशनों पर शौचालय की सुविधा का लाभ मिल सके।

अम्बाला-नंगलडैम के बीच एमईएमयू/डीएमयू गाड़ियां 157 किमी की दूरी ही तय करती है इसलिए नीति के तौर पर इनमें शौचालय की सुविधा नहीं है।

भूतपूर्व सैनिकों को रसोई गैस एजेंसियां/ पेट्रोल पंप

1948. श्री ब्रजेश पाठक :
श्री जय प्रकाश (मोहन लाल गंज) :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को कितनी गैस एजेंसियां और पेट्रोल पंप आबंटित किये गए;

(ख) चालू वर्ष के दौरान कितनी रसोई गैस एजेंसियां/पेट्रोल पंप आबंटित किये जाएंगे;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान सरकार को भूतपूर्व सैनिकों को पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों के आबंटन के बारे में कुछ विवादों की सूचना प्राप्त हुई;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 2003-04, 2004-05 और 2005-06 में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) नामत: इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसी), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसी) और आईबीपी कं. लिमिटेड (आईबीपी) ने भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को 205 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप (आरओ) और 51 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप (एलपीजी) आबंटित किए हैं। वर्षवार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	आरओ	एलपीजी	योग
2003-04	44	16	60
2004-05	96	31	127
2005-06	65	4	69
कुल योग	205	51	256

वर्षा 2006-07 में भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को 168 आरओ और 265 एलपीजी एजेंसियां आबंटित करने की ओएमसीज की योजना है।

डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिए ओएमसीज के दिशानिर्देशों में शिकायत समाधान प्रणाली का प्रावधान है जिसके आधार पर डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन/नियुक्ति संबंधी कोई भी शिकायत/विवाद संबंधित ओएमसीज द्वारा निपटाया जाता है। सरकार को प्राप्त शिकायतें भी आवश्यक कार्रवाई हेतु ओएमसीज को अग्रेषित की जाती हैं। ऐसे मामलों का ब्यौरा और साथ ही की गई कार्रवाइउ का ब्यौरा संबंधित ओएमसीज के निदेशक (विपणन) के पास उपलब्ध होता है।

भीलडी-समदड़ी रेल लाइन का आमान परिवर्तन

1949. श्री मधुसूदन मिस्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भीलडी-समदड़ी रेल लाइन परियोजना के आमान परिवर्तन में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) आज की तिथि तक इस परियोजना पर कुल कितना व्यय हुआ है; और

(ग) उपरोक्त परियोजना को पूरा करने हेतु समय-सीमा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) भूमि संबंधी और पुल संबंधी कार्य शुरू हो गए है। 1.05 घनमीटर भूमि संबंधी और 13 पुलों की उपसंरचना का कार्य पूरा हो चुका है।

(ख) 30.06.2006 तक परियोजना पर व्यय लगभग 8.13 करोड़ रुपए हैं।

(ग) मार्च, 2008 ।

पेट्रो रसायन परियोजनाएं

1950. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम (आई.ओ.सी.) का विचार पानीपत और पारादीप में अपने प्रस्तावित पेट्रो रसायन की हिस्सेदारी कुवैत पेट्रोलियम कार्पोरेशन को देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का संबंधित लाभों सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आई.ओ.सी. ने भारत में तेल की खोज और परिशोधन उद्यमों की स्थापना के लिए कुवैत पेट्रोलियम कार्पोरेशन के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कौन-कौन से राज्यों में इन उद्यमों की स्थापना की जायेगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) इंडियन आयल कार्पोरेशन (आई.ओ. सी.) ने पारादीप में अपनी ग्रासरूट एकीकृत रिफाइनरी वे पेट्रोरसायन परिसर और पानीपत में नाफ्था क्रेकर और डाउनस्ट्रीम पोलीमर परिसर में भी कुवैत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (के पी सी) की सहभागिता के संबंध में अपनी इच्छा प्रकट की है।

उपरोक्त परियोजनाओं में के पी सी की सहभागिता होने से आई. ओ.सी. को निम्नलिखित लाभ मिलने की संभावना है:-

(i) के पी सी की शेयर सहभागिता से इस परियोजना में दोनों कंपनियों की पृथक-पृथक सहभागिता हितलाभ के अनुपात में आई.ओ.सी. का जोखिम कम हो जायेगा।

(ii) ऐसी बड़ी परियोजनाओं से जुड़े होने का के पी सी का अंतर्राष्ट्रीय अनुभव आई ओ सी के लिए लाभदायक हो सकता है।

(iii) भारत में आई.ओ.सी. की परियोजना में के पी सी की सहभागिता से के पी सी की विदेशी परियोजनाओं में आई ओ सी की सहभागिता आसान हो जाएगी।

(ग) से (ङ) आई.ओ.सी. ने हाइड्रोकार्बनों के कारोबार अपस्ट्रीम तेल और गैस परियोजनाओं, डाउनस्ट्रीम तेल परियोजनाओं, अनुसंधान और विकास और प्रशिक्षण में, भारत में, कुवैत में और किसी अन्य तीसरे देश में, सहयोग हेतु मार्च, 2006 में के पी सी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

समेकित रेलवे नवीकरण योजना

1951. श्री बी. विनोद कुमार :
श्री सुब्रत बोस :
श्री वसुभाई धानाभाई बारड़ :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने एक समेकित रेलवे नवीकरण योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के दायरे में आने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के क्रियान्वयन के लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और इस पर अब तक कितना व्यय हुआ है; और

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कौन-कौन से प्रमुख कार्य किये जाएंगे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, हां। समेकित रेलवे नवीकरण योजना 2005-2010 तक की अवधि के लिए बनाई गई है जिसमें एक निश्चित समयावधि में कार्यों की पहचान करके उनको कार्यान्वित करने की है। इसके 3 भाग हैं जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

यात्री संव्यवहार खंड में सभी राजधानी/शताब्दी गाड़ियों में आधुनिक सवारी डिब्बों को लगाना, पूरे देश में यात्री आरक्षण प्रणाली का विस्तार तथा अनारक्षित टिकट वितरण प्रणाली का विस्तार, सवारी डिब्बों में कुदरत के माकूल शौचालयों की व्यवस्था, टक्कररोधी तथा अग्निरोधी विशेषताओं के मद्देनजर सवारी डिब्बों को बेहतर संरक्षा सुविधाओं से सुसज्जित करना शामिल है।

माल संव्यवहार खंड में उच्चतर धुरा भार लगाना, चिह्नित मार्गों पर डबल स्टैक कंटेनर तथा रोल-ऑन-रॉल-ऑफ माल डिब्बे चलाना, हल्के तथा जंगरोधी स्टील तथा अल्यूमिनियम माल डिब्बों को लगाना, टर्मिनल, रेक और क्रू प्रबंधन प्रणाली में समाहन के लिए माल भाड़ा परिचालन प्रबंधन प्रणाली का विस्तार कुछ अन्य थ्रूपुट संवर्धन संबंधी कार्यों के साथ-साथ राष्ट्रीय रेल विकास योजना के अंतर्गत चिह्नित कार्यों को पूरा करना इत्यादि शामिल है।

अन्य नवीकरण शुरूआतों में रेलपथ नवीकरण तथा इसकी अनुरक्षण पद्धतियां, पुल प्रबंधन प्रणाली का आधुनिकीकरण, सिगनल एवं दूरसंचार प्रणाली, यांत्रिकीय और विद्युतीय प्रणाली तथा आपदा प्रबंधन प्रणाली शामिल है।

(ग) आई आर एम पी के तहत चिह्नित मदों के कार्यान्वयन के लिए कुल खर्च 24,000 करोड़ रुपए आंकी गई है और अब तक 2617 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

(घ) वित्तीय वर्ष में निष्पादित किए जाने वाले प्रमुख मदों के कार्य निम्नलिखित हैं:—

1. थ्रूपुट संवर्धन कार्यों को पूरा होना।
2. आधुनिक माल भाड़ा टर्मिनलों का विकास।
3. डबल स्टैक कंटेनरों को लगाना।
4. रेल टर्मिनलों के निकट माल गोदाम संबंधी सुविधाएं।
5. यात्री आरक्षण प्रणाली तथा अनारक्षित टिकट वितरण प्रणाली का विस्तार।
6. रेलपथ, पुल तथा सिगनल आधुनिकीकरण।

[हिन्दी]

मैंगलोर स्थित पैट्रो-रसायन परियोजना

1952. **डा. चिन्ता मोहन :**
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :
श्री संतोष गंगवार :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेष आर्थिक जोन योजना के अंतर्गत मैंगलोर में पैट्रो रसायन परियोजना की स्थापना का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना की कितनी लागत है;

(ग) उक्त परियोजना से क्या-क्या लाभ होने की संभावना है; और

(घ) इसकी स्थापना कब तक किये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) को, 4852 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर मंगलौर एस ई जेड में एक सुगन्ध प्रशाधन परिसर के कार्यान्वयन

के लिए एक विशेष उद्देश्य व्यवस्था, (एस पी वी) अर्थात् मंगलौर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एम पी एल) के निर्माण हेतु अपने निदेशक मंडल से अनुमोदन प्राप्त हो गया है। ओ एन जी सी ने मंगलौर एस ई जेड में एक ओलफिन परियोजना का प्रस्ताव किया है। इसका फीड स्टाक विद्यमान मंगलौर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एम आर पी एल), ओ एन जी सी की सहायक कंपनी और उसकी प्रस्तावित विस्तार इकाई से प्राप्त सुगन्ध समृद्ध नाफ्था स्ट्रीम होगी।

(ग) प्रस्तावित पेट्रोरसायन परियोजना से निम्नलिखितम महत्वपूर्ण लाभ परिकल्पित हैं:—

— एम आर पी एल उत्पादर स्लेट के भारी नाफ्था स्ट्रीम में मूल्य श्रृंखला वर्धन।

— प्रोन्नत रिफाइनरी में भारी और उच्च सुगन्धित अंश वाले क्रूड का उपयोग करने की संभाव्यता जिससे और अधिक रिफाइनरी मार्जिन मिलेगा।

— एस ई जैड में स्थित होने के कारण परियोजना की पूंजीगत लागत में कमी।

— दक्षिणी प्रायद्वीप में डाउनस्ट्रीम पेट्रोरसायन परियोजनाओं के लिए तैयार फीडस्टाक।

(घ) इस परियोजना के वर्ष 2010 के अंत तक चालू होने की संभावना है।

[अनुवाद]

केरल की पर्यटन परियोजनाएं

1953. श्री पी.सी. थामस :
श्री पी. करुणाकरन :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने भारतीय और विदेशी पर्यटकों ने केरल, गोवा और जम्मू और कश्मीर की सैर की;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को चालू वर्ष के दौरान केरल सरकार से केन्द्रीय सहायता से पर्यटन परियोजनाओं का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) केरल में पर्यटन के विकास/प्रोत्साहन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल, गोवा और जम्मू और कश्मीर की यात्रा करने वाले घरेलू और विदेशी पर्यटकों की संख्या निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	राज्य का नाम	2003		2004		2005 (अनंतिम)	
		घरेलू	विदेशी	घरेलू	विदेशी	घरेलू	विदेशी
1.	गोवा	1725140	314357	2085729	363230	1829019	327455
2.	केरल	5871228	294621	5972182	345546	5946423	346499
3.	जम्मू और कश्मीर	5748846	24330	6881473	40242	7239481	44345

(ख) और (ग) देश में पर्यटन का विकास एवं संवर्धन एक सतत् प्रक्रिया है। पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से, पर्यटक रुचि के स्थानों की पहचान कर रहा है और उन्हें विकसित कर रहा है।10वीं पंचवर्षीय योजना से, पर्यटन मंत्रालय निम्नलिखित योजनाओं के लिए निधियां प्रदान कर रहा है:-

(i) पर्यटक परिपथ

(i) उत्पाद अवसंरचना एवं गंतव्य विकास

(iii) कार्यक्रमों सहित मेले और उत्सव

(iv) भारी राजस्व सृजक परियोजनाएं

वर्ष 2006-07 के दौरान केरल में केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, निम्नलिखित परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान की गई है:-

गंतव्य :

(1) वागामोन

(2) कुमारकोम

(3) पदनाभपुरम

पर्यटक परिपथ :

(i) दक्षिणी ईको-पर्यटन

मेले और उत्सव :

1. मालाबार महोत्सव

2. अंतर्राष्ट्रीय बोट शो

3. हाथी उत्सव

4. निशागांधी उत्सव

ग्रामीण पर्यटन :

(i) कथक्कली कास्टयूम विलेज

(ii) कॉयर विलेज

(iii) स्पाइस विलेज

केरल राज्य सरकार से निम्नलिखित परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं:-

(1) दक्षिणी ईको पर्यटन परिपथ

(2) पदनाभपुरम गंतव्य

(3) मालाबार महोत्सव

(4) अंतर्राष्ट्रीय बोट शो

(5) हाथी उत्सव

(6) निशागांधी उत्सव

(घ) प्राप्त सभी प्रकार से पूर्ण परियोजना प्रस्तावों का, पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है और संबंधित शीर्ष के अधीन उपलब्धता की शर्त पर, निधियां अवमुक्त की जाती हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 2005-06 तक) के दौरान, पर्यटन मंत्रालय ने केरल राज्य के लिए 9278.92 लाख रुपयों की परियोजनाएं स्वीकृत की हैं।

(ङ) घरेलू और विदेशी मार्केटों में पर्यटन का संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है। पर्यटन मंत्रालय भारत में स्थित अपने 20 भारत पर्यटन कार्यालयों और 13 विदेश स्थित कार्यालयों के माध्यम से और "अतुल्य भारत" अभियान के माध्यम से इलेक्ट्रानिक, प्रिंट एवं आनलाइन मीडिया से भी, केरल राज्य सहित, देश में पर्यटक रुचि के स्थानों/स्थलों का संवर्धन करता है।

[हिन्दी]

सेना में महिला अधिकारियों की लड़ाकू भूमिका

1954. श्री पंकज चौधरी :
सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के महानिदेशक (डीजीएएफएमएस) द्वारा एक व्यापक रिपोर्ट में यह पाया गया है कि भारतीय सेना में महिला अधिकारी लड़ने की भूमिका में सक्षम हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशक द्वारा सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

रेलवे संरक्षा नीति

1955. श्री हितेन बर्मन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने समयबद्ध कार्यक्रम के भीतर पटरियों, डिब्बों, वैगनों और सिगनलों आदि जैसी पुरानी परिसंपत्तियों को नष्ट करने और पुराने पुलों की मरम्मत को तरजीह देने वाली कोई रेलवे संरक्षा नीति तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) 6 वर्षों की निर्धारित समय-सीमा के भीतर गतायु परिसंपत्तियों जैसे रेलपथ, पुल, सवारी डिब्बे, माल डिब्बे, सिगनल आदि का नवीकरण करने/बदलने के संबंध में बकाया को हटाने के लिए 1.10.2001 को 17,000 करोड़ रुपए की एक अव्यपगत 'विशेष रेल संरक्षा निधि' की स्थापना की गई है। विशेष रेल संरक्षा निधि के तहत वित्तपोषित मुख्य मदों का विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है :-

कार्यों का विवरण	लक्ष्य		मार्च, 2006 तक प्रगति
1	2		3
रेलपथ नवीकरण	16538 किमी: पूर्ण रेलपथ नवीकरण (12376 किमी बला पर, 4162 किमी मीला पर)		13358 किमी: पूर्ण रेलपथ नवीकरण
पुल कार्य	2370 पुल		1920 पुल
सिगनल और दूरसंचार	1448 स्टेशन: पूर्ण रेलपथ		866 स्टेशन: पूर्ण नवीकरण
	911 स्टेशन: आकस्मिक नवीकरण		608 स्टेशन: आकस्मिक नवीकरण
चल स्टॉक	डीजल लोको+बला-93		90
	डीजल लोको' छोला-6		कुछ नहीं
	कोच बला-186	849	409
	ऊपरी निरीक्षणयान-52		
	डीजल मल्टीपल यूनिट-12,		
	इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट-599		
	कोच% मीला-520		74
	कोच छोला-157		48
	स्वचालित. दुर्घटना ट्रेन आरटी-60		कुछ नहीं
	वैगन-7698 (वीयूएस)		5443

1	2	3
संरक्षा में बढ़ोतरी		
ट्वीन बीम लंबी दृश्यता हेडलाइट डीजल और बिजली लोको और ईएमयू	9800 अदद (4900 डीजल) (4900 इलेक्ट्रिक)	2779 अदद (डीजल) 4900 अदद (इलेक्ट्रिक)
लोको डीजल और बिजली इंजन और ईएमयू में स्वचालित फ्लैशर लाइट	2400 अदद (1200 डीजल) (1200 इलेक्ट्रिक)	1200 अदद (डीजल) 1200 अदद (इलेक्ट्रिक)
रेल टेस्टिंग के लिए स्पर्ट कार	3	2
कंप्रेस्ड एयर सिस्टम-डीजल रेल इंजन के लिए एयर ड्रायर	2000 अदद	495 अदद
कंप्रेस्ड एयर सिस्टम-बिजली रेल इंजन के लिए एयर ड्रायर	3800 अदद	2700 अदद
बिजली और डीजल इंजन लोको स्पीड रिकार्डर के लिए स्पीड रिकार्डर माइक्रो प्रोसेसर	1300 अदद (डीजल-650) (इलेक्ट्रिक-650)	692 अदद (डीजल) 652 अदद (इलेक्ट्रिक)
रेलपथ परिपथन	5307 स्थान	3349 स्थान
डीजल और बिजली रेल इंजन ड्रायवरों के लिए सिमुलेटर	16 अदद	11 अदद
हाइड्रोलिक री-रेलिंग उपकरण	39 अदद	39 अदद
पटरी की आयु में सुधार करने के लिए थर्मिट वेल्ड को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी	1 कार्य	परीक्षण के लिए 2 फर्मों को इंडेंट किया गया।
आप्टिक फाइबर केवल और केबल कार्य	8147 मार्ग किमी	7847 मार्ग किमी

+बला - बड़ी लाइन

%मीला - मीटर लाइन

*छोला - छोटी लाइन

पर्यटन को समवर्ती सूची में शामिल करना

1956. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'पर्यटन' को समवर्ती सूची में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों से उनके दृष्टिकोण/राय ली है;

(ग) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस मामले में निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

बेरोजगार शिक्षित युवकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

1957. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) ने पिछड़े वर्गों के बेरोजगार शिक्षित युवकों की मौजूदा दक्षता में प्रोन्नयन और नई दक्षताओं के सृजन के उद्देश्य से कोई व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया है;"

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के विभिन्न हिस्सों में विशेषकर पिछड़ा वर्ग बहुल जिलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) पिछड़े वर्गों के कारीगरों के कौशलों के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा परियोजना संबद्ध प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की एक योजना है। यह योजना राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। इसके लिए वित्तीय सहायता इस निगम द्वारा प्रदान की जाती है।

(ख) इस योजना का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) इस समय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन योजना

इस योजना का उद्देश्य लक्षित वर्ग को प्रशिक्षण प्रदान करना है जिससे कि उसे पारम्परिक और तकनीकी काम-धंधों और उद्यमिता के क्षेत्र में उपयुक्त तकनीकी प्रशिक्षण देकर समर्थ और स्वावलम्बी बनाया जा सके। इसके लिए राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी/संस्था के माध्यम से अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। प्रशिक्षणार्थी सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अपना काम-धंधा शुरू करने के लिए इस निगम की सामान्य ऋण योजनाओं के अंतर्गत ऋण ले सकता है।

यह निगम राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के तकनीकी और उद्यमीय कौशल के उन्नयन के लिए परियोजना संबद्ध प्रशिक्षण हेतु वित्तीय सहायता इस प्रकार प्रदान करता है:-

वित्त पोषण का तरीका

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	:	प्रशिक्षण लागत का 90%।
एस.सी.ए.	:	प्रशिक्षण लागत का 10%।

पात्रता : आवेदक समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित पिछड़े वर्ग का हो। आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में क्रमशः 40,000 रुपए और 55,000 रुपए से कम हो।

प्रशिक्षण अवधि : तीन दिन से तीन माह तक।

[हिन्दी]

रसोई गैस सिलेण्डरों में पानी मिलाना

1958. श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को घरेलू तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एल पी जी) सिलेण्डरों में पानी मिलाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले छह माह के दौरान राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन रसोई गैस वितरकों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है जो इन अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) ने दिल्ली में गत छः माह के दौरान इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी) के एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा उपभोक्ताओं को दिए गए पानी भरे सिलेंडरों के 5 मामले दर्ज किए हैं। एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों के नाम निम्नवत् हैं:-

(i) मैसर्स सोना एंटरप्राइसेज

(ii) मैसर्स सिंधु एंटरप्राइसेज

(iii) मैसर्स जयन्त गैस

(iv) मैसर्स करोल बाग गैस

(v) मैसर्स सांई सेवा एंटरप्राइसेज

आई ओ सी ने रिपोर्ट दी है कि इन 5 मामलों में से 4 मामलों में, सिलेंडरों में आंशिक पानी ही पाया गया और संबंधित डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा वे निशुल्क बदल दिए गए थे और 1 मामले में, ग्राहक ने सिलेंडर जांच के लिए नहीं दिया। इसके अलावा, आई ओ सी ने रिपोर्ट दी है कि मामले की विस्तृत जांच के लिए एक समिति का गठन कर दिया गया है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के लिए कोचिंग सुविधाएं

1959. श्री एल. राजगोपाल : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य में अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों को कोचिंग और इसके साथ-साथ अन्य प्रकार की सहायता के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता में वर्ष 2002-03 से कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जाति के छात्रों की योग्यता की उन्नयन योजना के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश राज्य को जारी की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) आन्ध्र प्रदेश राज्य में अ.जा., अ.पि.व. और अल्पसंख्यकों हेतु गुणवत्ता कोचिंग प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) कोचिंग और संबद्ध सहायता योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य को 2002-2003 से जारी की गई केन्द्रीय सहायता इस प्रकार हैं:-

(लाख रुपए)

2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
142.31	77.62	76.39	66.49

किसी भी वर्ष में केन्द्रीय सहायता की राशि क्षेत्रीय कार्यान्वयन एजेंसियों अर्थात् राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों, आंध्र प्रदेश के गैर-सरकारी संगठनों से प्राप्त प्रस्ताव पर निर्भर करती है।

(ग) अनुसूचित जाति के छात्रों की योग्यता के उन्नयन की योजना के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार को जारी की गई केन्द्रीय सहायता इस प्रकार हैं:-

(लाख रुपए)

2003-04	2004-05	2005-06
42.00	44.40	44.40

(घ) मंत्रालय राज्य सरकारों से कोचिंग की गुणवत्ता का आंकलन करने और इसे सुधारने के लिए इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के दौरान कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण करने का आग्रह करता है। फैकल्टी सदस्यों की शैक्षिक अर्हताओं और अनुभव की प्रस्तावों के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए जांच की जाती है कि कोचिंग अच्छे और अनुभवी सदस्यों द्वारा दी जाती है।

फुटकर बिक्री केन्द्रों का विस्तार

1960. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को फुटकर बिक्री केन्द्रों के विस्तार को रोकने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को वैज्ञानिक और प्रासंगिक सर्वेक्षण करने तथा 200 कि.लि. प्रतिमाह से कम तेल बेचने वाले फुटकर बिक्री केन्द्रों की पहचान करने को कहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में तेल कंपनियों की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (घ) तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) के कार्य निष्पादन की समीक्षा करने के उद्देश्य से अप्रैल, 2006 में मंत्रालय में हुई बैठक में, यह पाया गया कि यद्यपि 1.4.2002 से प्रभावी पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था को समाप्त करने के बाद ओ एम सीज ने अपने खुदरा बिक्री केन्द्र (आर ओ) नेटवर्क में बड़े स्तर पर विस्तार किया है, किन्तु उनके द्वारा संस्थागत तथा प्रौद्योगिकी व्यवस्थाओं के सुधार पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है, परिणामत: न केवल प्रति आर ओ उनकी औसत थ्रूपुट में कमी आई है बल्कि कदाचारों की शिकायतें भी मिली हैं। यह महसूस किया गया कि इस मुद्दे पर ओ एम सीज द्वारा अन्तर्निरीक्षण की गंभीर आवश्यकता है और विमर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया कि जब तक पूर्ण स्थिति की समीक्षा लम्बित है, ओ एम सीज को किसी नए खुदरा बिक्री केन्द्र की स्थापना नहीं करनी चाहिए। इस संबंध में दिनांक 20 अप्रैल, 2006 को एक पत्र ओ एम सीज को भेजा गया था। उक्त बैठक में, ओ एम सीज को यह भी सलाह दी गई थी कि थ्रूपुट में कमी तथा सेवाओं के ह्रास के कारणों के साथ-साथ 200 कि.ली. प्रति माह से कम की बिक्री करने वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों का पता लगाने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी से सर्वेक्षण कराया जाए। तत्पश्चात्, ओ एम सीज के अभ्यावेदनों तथा संपूर्ण मुद्दे की समीक्षा करने के बाद, नए खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना पर लगी रोक हटाने का निर्णय लिया गया और 4 मई, 2006 को ओ एम सीज को पत्र भेजा गया। तथापि, ओ एम सीज से उपरोक्त सर्वेक्षण एक समयबद्ध ढंग से कराने के लिए कहा गया।

इसके उपरान्त, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की स्थायी समिति (2005-06) (चौदहवीं लोक सभा) ने 15.5.2006 को संसद में प्रस्तुत/रखी गई अपनी नौवीं रिपोर्ट में ओ एम सीज द्वारा अंधाधुंध खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना तथा प्रति आर ओ थ्रूपुट में परिणामी कमी, साथ ही खुदरा बिक्री केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सामान्य ह्रास पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की। इसलिए समिति ने मुद्दों को देखने तथा स्थिति में सुधार के लिए सुधारात्मक उपाय सुझाने के उद्देश्य से एक स्वतंत्र विशेषज्ञ दल के गठन की सिफारिश की। उक्त समिति की इस सिफारिश को स्वीकार करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एम ओ पी एण्ड एन जी) ने इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी) से, सार्वजनिक क्षेत्र की ओ एम सीज के खुदरा बिक्री केन्द्रों के अध्ययन के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी की स्थापना के लिए कहा। यह निर्णय लिया गया कि एजेंसी की नियुक्ति की तारीख से दो माह की अवधि में अध्ययन पूरा कर लिया जाए। सरकार के इस निर्णय के अनुसार, सभी ओ एम सीज की ओर से आई ओ सी ने खुदरा बिक्री केन्द्रों के अध्ययन का कार्य भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद को सौंप दिया है। इस घटना की दृष्टि से, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ओ एम सीज को सलाह दी है कि पहले 4.5.2006 को उन्हें यथा सूचित सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता नहीं है।

बयादगी रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव

1961. **श्री मंजुनाथ कुन्नुर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को कर्नाटक में बयादगी रेलवे स्टेशन पर इंटर-सिटी एक्सप्रेस और मैसूर-धारवाड़ एक्सप्रेस के ठहराव के लिए समाज के विभिन्न वर्गों से प्रत्यावेदन/अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में रेलवे द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) मामले की जांच की गई है। 2725/2726 बंगलौर-हुबली इंटरसिटी एक्सप्रेस और 6201/6202 मैसूर-धारवाड़ का बयादगी स्टेशन पर ठहराव देना फिलहाल परिचालनिक रूप से व्यवहारिक नहीं पाया गया है।

विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा

1962. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी** :
श्री सुनील खां :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सार्वजनिक शिक्षा योजना "सर्व शिक्षा अभियान" के अन्तर्गत भी विकलांग बच्चों की विशेष आवश्यकताओं के कारण उनके द्वारा शिक्षा प्राप्त करने में सामना की जा रही कठिनाइयों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो विकलांग बच्चों को समुचित शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे बच्चों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देते हुए उनके द्वारा बिना किसी बाधा के शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रत्येक जिले में कम से कम एक स्कूल की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ) विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:-

(1) सर्व शिक्षा अभियान का 2010 तक 6-14 वर्ष आयु-वर्ग के विकलांग बच्चों सहित सभी बच्चों को आरंभिक स्कूली शिक्षा प्रदान करने का 8 वर्षों का लक्ष्य है। इस कार्यक्रम में, विशेष जरूरतमंद बच्चों को सामान्य स्कूलों में समेकित एवं समावेशी शिक्षा प्रदान करने पर जोर दिया गया है। यह कार्यक्रम व्यापक पहुंच, विकल्प एवं रणनीति का समर्थन करता है। इसमें, अन्य बातों के साथ, मुक्त शिक्षण पद्धति एवं मुक्त स्कूल, वैकल्पिक स्कूली शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, विशेष स्कूल जहां आवश्यक हो, गृह आधारित शिक्षा, भ्रमणशील शिक्षक मॉडल, उपचारी अध्यापन, अंशकालिक कक्षाएं, समुदाय आधारित पुनर्वास और व्यावसायिक शिक्षा शामिल है।

(2) विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा योजना, विशेष जरूरतमंद बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य स्कूल अध्यापकों को समुचित अवसंरचना सृजन, शैक्षणिक सामग्री एवं प्रशिक्षण हेतु 100% वित्तीय सहायता प्रदान करके स्कूलों में समेकित शिक्षा को प्रोत्साहित करती है।

(3) दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना के अंतर्गत विशेष स्कूलों में विकलांग बच्चों को शिक्षा एवं जीवन कौशल प्रदान करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

खान-पान सेवाओं संबंधी समिति

1963. **श्री इकबाल अहमद सरडगी** :
श्री एन. जर्नादन रेड्डी :
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्टेशन स्थित रसोई, हजरत निजामुद्दीन में स्थित अल्पाहार कैंटीन और पुरानी दिल्ली स्टेशन स्थित स्वयंसेवा रेस्तरां

को अस्वास्थ्यकर पाया गया है, जैसाकि दिनांक 20 जुलाई, 2006 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक समिति ने रेलों की खान-पान सेवाओं का निरीक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी कमियों के लिए जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों/अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) रेलवे की खान-पान सेवा में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा नियुक्त समिति ने नई दिल्ली में बेस किचेन, हजरत निजामुद्दीन में जलपान कक्ष और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्वत: सेवा रेस्तरां का निरीक्षण किया। समिति ने अनेक उपकरणों का काम न करना, कर्मचारियों की कमी, रसोईयान में वायु प्रवेश की कमी, रसोईघर में सफाई की कमी, व्यक्तिगत स्वच्छता की कमी इत्यादि के संबंध में रिपोर्ट दी।

(घ) सहायक प्रबंधक, दिल्ली क्षेत्र का स्थानांतरण कर दिया गया है और खानपान पर्यवेक्षक, दिल्ली को निलंबित कर दिया गया है और अनुशासन एवं अपील नियमों के अंतर्गत बड़ी शास्ति का दंड दिया गया है। मुख्य निरीक्षक खानपान, बेस किचेन और मुख्य निरीक्षक खानपान, दिल्ली के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है।

(ङ) रेल उपभोक्ताओं को मानकीकृत स्वच्छ भोजन एवं पेय सप्लाई किए जाते हैं। बेस रसोईघरों और अन्य भोजन इकाईयों द्वारा निर्धारित स्वच्छता पद्धतियों का पालन किया जाता है। भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (आई आर सी टी सी) ने पहले से ही बेस किचेन/भोजन इकाईयों का नवीकरण शुरू कर दिया है। पुराने/खराब फर्नीचर, भोज्य सेवा उपकरण और अन्य वस्तुओं, गैस की पाइप लाइनों इत्यादि का प्रतिस्थापन आवश्यकता के आधार पर शुरू किया जाता है। उपर्युक्त के अलावा, सेवा की गुणवत्ता का उन्नयन करने के लिए खानपान कर्मचारियों के लिए बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण योजना आयोजित की जा रही है। भारतीय मानक ब्यूरो और एग्मार्क मानक जहां अनुप्रयोज्य हो द्वारा स्वीकृत प्रतिष्ठित सहकारी समितियों से अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे सामानों की खरीद की जाती है। भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आई आर सी टी सी द्वारा त्वरित उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर "सर्विस मॉनीटरिंग सेल" (एस एम सी) का गठन किया गया है। खानपान सेवा की गुणवत्ता और स्वच्छता स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेल और आई आर सी टी सी के कर्मचारी नेमी निरीक्षण/औचक जांच/विशेष अभियान चलाते हैं।

[हिन्दी]

मालगाड़ियों का प्रचालन

1964. **श्री हंसराज जी. अहीर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने मालगाड़ियों के प्रचालन के लिए निजी कंपनियों को अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रेलवे द्वारा इससे कुल कितना राजस्व अर्जित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या भविष्य में मालगाड़ियों के प्रचालन को पूर्ण रूप से निजी क्षेत्र को सौंपे जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

ओ.एन.जी.सी. द्वारा कोयला गैसीकरण परियोजनाएं

1965. **श्री रशीद मसूद** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड का विचार कोयला गैसीकरण परियोजनाओं की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं की स्थापना के लिए ओ. एन. जी. सी. द्वारा किन-किन स्थानों की पहचान की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। ओ.एन.जी.सी. ने भारत में कोयला/लिग्नाइट पर्तों में भूमिगत कोयला गैसीकरण (यू सी जी) के क्रियान्वयन के लिए स्कोचिंस्की इंस्टीट्यूट आफ माइनिंग (एस आई एम) के साथ सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए हैं तथा यू सी जी क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत की कोयला/लिग्नाइट कंपनियों, नामत: गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (जी एम डी सी), नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लि. (एन एल सी), गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लि. (जी आई पी सी एल), कोल इंडिया लिमिटेड (सी आई एल) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एस सी सी एल) के साथ भी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। ओ.एन.जी.सी. ने भारत के दक्षिण भाग में भूतल कोयला गैसीकरण परियोजना के संयुक्त विकास के लिए मैसर्स शैल इंडिया लिमिटेड के साथ भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) गुजरात के सूरत जिले में एक स्थल नामत:, वास्तान माइन ब्लाक, यू सी जी के लिए उपयुक्त पाया गया है।

[अनुवाद]

अल्पसंख्यकों के लिए कार्यक्रमों के अंतर्गत बजट आबंटन

1966. **श्री असादूद्दीन ओवेसी :**
श्री बालेश्वर यादव :

क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों/विभागों को अल्पसंख्यकों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए अपने बजट का 15 प्रतिशत हिस्सा आबंटित करने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) और (ख) सरकार ने हाल ही में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की है जिसमें यह उल्लेख है कि जहां कहीं संभव हो विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लक्ष्यों और परिव्यय के 15% को अल्पसंख्यकों के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी योजना को कार्यान्वित करने वाले विभिन्न मंत्रालय/विभागों को लक्ष्यों और परिव्ययों को निर्दिष्ट करने हेतु कहा गया है।

[हिन्दी]

मनमाड-नरगना के बीच रेल लाइन

1967. **श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार मनमाड-मालेगांव-नरगना के बीच एक रेल लाइन बिछाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार गुजरात से शिरडी जाने वाले यात्रियों की सुविधा को देखते हुए सूरत और नासिक के बीच एक रेल लाइन बिछाने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) धुले-नारदना-शिरपुर (350 किमी) के रास्ते मनमाड से इंदौर तक नई बड़ी लाइन के निर्माण का सर्वेक्षण 2004-05 के दौरान पूरा हो गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, इस लाइन के निर्माण की लागत ऋणात्मक लाभ दर के साथ 1001.16 करोड़ रुपए आंकी गई है। परियोजना की लागत में कम-से-कम 50% तक साझेदारी के लिए जांच हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कलाकारों/संगीतकारों को वित्तीय सहायता

1968. **श्री फ्रांसिस फैन्थम :** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीब कलाकारों/संगीतकारों की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उक्त योजना के अन्तर्गत कितने कलाकारों/संगीतकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) संस्कृति मंत्रालय साहित्य, कला और जीवन के ऐसे ही अन्य क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्तियों, जो दीनहीन परिस्थितियों में हों, के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम चला रहा है। उक्त स्कीम का लाभ उनके आश्रितों को भी उपलब्ध है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2000/- रु. प्रति माह की वित्तीय सहायता कलाकारों को प्रत्यक्षतः प्रदान की जाती है। मंत्रालय राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों के सहयोग से भी सहायता प्रदान करता है। इसके तहत्, मंत्रालय 1500/- रु. सीधे कलाकारों को उपलब्ध कराता है, जबकि शेष 500/- रु. राशि का भुगतान कलाकारों को राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों द्वारा किया जाता है।

(ग) सहायता प्राप्त कलाकारों की कुल संख्या निम्नानुसार है:-

2003-2004	—	843
2004-2005	—	904
2005-2006	—	1470

योग्य तकनीकी स्टाफ का पलायन

1969. श्रीमती मनोरमा माधवराज : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी एयरलाईनें अब अपने वायुयान अनुरक्षण कार्मिकों और अन्य योग्य तकनीकी स्टाफ का निजी एयरलाइनों की ओर पलायन की समस्या का सामना कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उनके पलायन को रोकने के लिए क्या निवारणात्मक उपाय किए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जहां इंडियन एयरलाइन्स के समक्ष निजी एयरलाइनों द्वारा इसके विमान अनुरक्षण तथा अन्य अर्हताप्राप्त स्टाफ के अतिक्रमण की कोई समस्या नहीं आई है, कुछ विमान अनुरक्षण कार्मिक तथा अन्य अर्हताप्राप्त तकनीकी स्टाफ एअर इंडिया, एअर इंडिया एक्सप्रेस तथा एलायंस एयर (इंडियन एयरलाइंस की अनुषंगी) को छोड़कर गए हैं।

विमान अनुरक्षण कार्मिकों तथा अन्य अर्हताप्राप्त तकनीकी स्टाफ के पलायन को रोकने के लिए, इन एयरलाइनों द्वारा इंजीनियरों तथा तकनीशियनों की परिलब्धियों/पदोन्नति संबंधी अवसरों/अन्य सेवा शर्तों का संशोधन किया जा रहा है ताकि बाजार की स्थितियों का सामना किया जा सके।

महत्वपूर्ण तेल भंडार में वृद्धि

1970. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास तेल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण तेल भण्डार में वृद्धि करने और तेल कूटनीति को सुदृढ़ बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। देश की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने और आपूर्ति में अल्पकालिक व्यवधानों से बचाव के लिए सरकार ने 5 मिलियन मीट्रिक टन (एम एम टी) का कार्यनीतिक भंडार, तीन स्थानों अर्थात् वाईजैग (1.0 एम एम टी), मंगलोर (1.5 एम एम टी) और मंगलोर अथवा उसके निकट किसी स्थान पर (2.5 एम एम टी) बनाने का अनुमोदन कर दिया है। किसी प्राकृतिक विपदा अथवा आपूर्ति में व्यवधान अथवा आपूर्ति के अभाव/कीमतों में असाधारण वृद्धि जैसी किसी अप्रत्याशित वैश्विक घटना की स्थिति में कच्चा तेल जारी किया जायेगा। इस प्रस्ताव पर 90 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के परिचालन एवं रख-रखाव व्यय के अलावा पूंजीगत लागत लगभग 2400 करोड़ रुपए और कच्चे तेल की लागत 8870 करोड़ रुपए (कच्चे तेल का औसत मूल्य 55 अमरीकी डालर प्रति बैरल) आयेगी।

रेल परियोजनाओं में सरकारी-निजी भागीदारी

1971. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के पास सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) के लिए लगभग 240 परियोजनाओं का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कुल कितनी लागत शामिल है; और

(ग) सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अंतर्गत कितनी परियोजनाएं शुरू की जानी हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अवसंरचनात्मक परियोजनाओं, रेल साइड गोदामों, निजी मालभाड़ा टर्मिनलों, मालडिब्बा निवेश योजना, कंटेनर रेलगाड़ियों और लक्जरी रेलगाड़ियों को चलाना आदि को सार्वजनिक-निजी सहभागिता में बढ़ावा दिया गया है। परियोजनाओं की संख्या निजी क्षेत्र द्वारा भागेदारी के स्तर पर निर्भर करेगी।

एफपीआई में रोजगार

1972. श्री सुग्रीव सिंह :

श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के पास रोजगार के अवसर बढ़ाने की क्षमता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) रोजगार के ऐसे अवसरों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (घ) देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के पर्याप्त अवसर हैं। मंत्रालय से नवीं योजना के दौरान सहायता-प्राप्त खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों के संबंध में आई आई एम, कोलकाता, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् और मैसर्स "स्कोप", चेन्नई के मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार अनुमान है कि मंत्रालय द्वारा दी गई एक लाख रुपए की सहायता ने निजी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों से 6.23 लाख रुपए का निवेश आकर्षित किया है और 0.98 प्रत्यक्ष रोजगार तथा 1.29 अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न किया है। निवेश तथा रोजगार संबंधी निष्कर्ष सामान्य बाजार परिस्थितियों, परियोजनाओं की व्यवहार्यता, प्रबंधन के निष्पादन आदि पर भी निर्भर हैं। यह मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजना स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है।

[हिन्दी]

फिल्म की शूटिंग

1973. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूरी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 जून, 2006 के "दी हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है जिसके अनुसार वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की पत्नियों द्वारा भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में एक फिल्म की शूटिंग की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त शूटिंग के लिए सरकार से पूर्व अनुमति ली गई थी;

(ग) यदि हां, तो उक्त फिल्म के निर्माण का उद्देश्य क्या था;

(घ) क्या उक्त प्रयोजनार्थ सामान्यतः अनुमति दे दी जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो इस फिल्म की शूटिंग पर भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून और सेना मुख्यालय द्वारा कितना सरकारी धन खर्च किया गया है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) मैसर्स इंडिया कनेक्ट, पुणे से उनकी "शौर्य" शीर्षक की प्रस्तावित फिल्म के लिए सेना से सहायता मांगने के संबंध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। ऐसी फिल्मों/टी वी सीरियलों, जिनमें सशस्त्र सेनाओं की छवि में वृद्धि करने की सम्भावनाएं होती हैं, को फिल्माने के लिए सेना आदेश 12/88 के मुताबिक सेना-सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जो निर्धारित दरों के अनुसार प्रभारों का भुगतान किए जाने और अन्य औपचारिकताएं पूरी किए जाने की शर्त के अधीन है। तथापि, फिल्म 'शौर्य' के मामले में, रक्षा मंत्रालय द्वारा इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी गई है।

(ङ) इस प्रयोजना के लिए कोई सरकारी धन खर्च नहीं किया गया है।

निजी कंपनियों को लाइसेंस

1974. श्री एस. अजय कुमार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में तेल शोधक कारखानों के अन्वेषण और उनकी स्थापना के लिए निजी कंपनियों को लाइसेंस जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन निजी कंपनियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिन्हें पेट्रोलियम उत्पादों की फुटकर डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) रिफाइनरी क्षेत्र को जून, 1998 से लाइसेंस मुक्त करने के परिणामस्वरूप, संस्थापक के व्यवहार्यता मूल्यांकन के आधार पर निजी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा भारत में कहीं भी रिफाइनरी स्थापित की जा सकती है।

सरकार ने तेल व गैस के अन्वेषण के लिए निम्नलिखित निजी कंपनियों और उनके परिसंघ को 50 पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पी ई एल) जारी किए हैं।

जिन निजी कंपनियों को ये लाइसेंस जारी किए गए हैं उनके नाम नीचे दिए गए हैं:-

1. आर आई एल
2. कैर्न एनर्जी
3. एच ओ ई सी
4. फोकस एनर्जी (फीनिक्स ओवरसीज लि.)
5. ओ ए ओ गैजप्रोम
6. कनोरो रिसोर्सेज लि.
7. जुबिलेंट इन्प्रो प्रा. लि.
8. हार्डी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इंडिया लिमिटेड
9. ज्यो ग्लोबल रिसोर्सेज
10. निको रिसोर्सेज लि.
11. ई एन आई
12. बर्कबेंक इन्वैस्टमेंट लि.
13. प्राइज पेट्रोलियम
14. ज्यो पेट्रोल इंटरनेशनल

(ग) सरकार ने तीन निजी कंपनियों नामतः मैसर्स रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर आइ एल), मैसर्स एस्सार आयल लिमिटेड (ई ओ एल) और मैसर्स शैल इंडिया मार्केटिंग प्रा. लिमिटेड (एस आई एम पी एल) को परिवहन ईंधनों का विपणन करने के लिए प्राधिकार प्रदान किया है।

सी.एन.जी. फिलिंग स्टेशन

1975. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली राज्य सरकारों को अपने राज्यों में पर्याप्त सी एन जी फिलिंग स्टेशनों का प्रावधान करने के लिए निदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सी.एन.जी. उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो किन-किन एन सी आर नगरों में अभी तक ऐसे प्रावधान पूरे किए गए हैं;

(ङ) एन सी आर नगरों में ऐसे सी.एन.जी. फिलिंग स्टेशनों की स्थापना के पश्चात सी.एन.जी. की मांग में किस सीमा तक वृद्धि हुई है; और

(च) निकट भविष्य में सी.एन.जी. की ऐसी मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य विभिन्न अभिकरणों को आवश्यक अनुमति और सुविधायें प्रदान करेंगे, बशर्ते की वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विभिन्न शहरों में खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने की प्रक्रिया प्रारम्भ करने हेतु पात्रता की शर्त और अन्य अपेक्षाओं को पूरा करते हों।

(ग) से (च) सरकार ने दिल्ली में नगर गैस नेटवर्क के लिए प्राकृतिक गैस के आबंटन के अलावा, नौएडा, ग्रेटर नौएडा, फरीदाबाद और गुड़गांव के लिए इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड को प्राकृतिक गैस आबंटित कर दी है। इस समय दिल्ली और नौएडा में 146 सी.एन.जी. स्टेशनों से सी.एन.जी. की आपूर्ति की जा रही है।

गेल द्वारा उपलब्ध कराये गए, अनुमानों के अनुसार 2000 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सी.एन.जी. वाहनों की संख्या लगभग 5200 से बढ़कर 2006 में 1.6 लाख से अधिक हो गई है। फलस्वरूप सी.एन.जी. की बिक्री भी 2000 में 0.08 लाख कि.ग्रा. प्रतिदिन से बढ़कर 2006 में 8.73 लाख कि.ग्रा. प्रतिदिन हो गई है।

[हिन्दी]

तटरक्षकों के लिए नए गश्ती पोत

1976. श्री रामदास आठवले : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय समुद्री आर्थिक जोन की सतत् निगरानी के लिए भारतीय तटरक्षक को नए गश्ती पोत उपलब्ध कराने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नए गश्ती पोत उपलब्ध कराने में अभी तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) सेवा से हटाए गए प्लेटफार्मों के प्रतिस्थापन स्वरूप तथा बल की शक्ति को बढ़ाने के लिए तटरक्षक में विभिन्न श्रेणी के जलयानों को शामिल करने का अनुमोदन दिया जाता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है तथा यह उन निर्दिष्ट भूमिकाओं के अनुसार किया जाता है जिनका निष्पादन तटरक्षक के लिए अपेक्षित है।

(ख) और (ग) इस समय समुद्र तथा तटीय क्षेत्रों में गश्त करने के लिए तटरक्षक के पास 69 गश्ती जलयान हैं। पिछले दो वर्षों में 12 नए जलयान शामिल किए गए हैं। इसके अलावा विभिन्न शिपयार्डों में 22 जलयानों का निर्माण-कार्य चल रहा है।

[अनुवाद]

उत्पादन लागत

1977. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी तेल कंपनियां सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों से कम मूल्य पर पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा उत्पादन की उच्च लागत के क्या कारण हैं जबकि निजी-कंपनियों की उत्पादन लागत कम है और वे सरकारी क्षेत्र की कंपनियों से काफी कम मूल्य पर पेट्रोलियम उत्पाद बेच रही हैं; और

(घ) सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों की उत्पादन लागत को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) जी, नहीं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्तमान में निजी तेल कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों की तुलना में अधिक कीमत पर पेट्रोल, डीजल और घरेलू एल पी जी बेच रही हैं। जहां तक अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का संबंध है, वे मुक्त व्यापार उत्पाद हैं और निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां अपने कारोबार की योजनाओं के अनुसार अपनाई जाने वाली रणनीतियों/बाजार की स्थितियों के आधार पर अलग-अलग बाजार के लिए इनकी कीमत निर्धारित करती हैं।

(ग) और (घ) कच्चे तेल की परिशोधन लागत विन्यास, प्रौद्योगिकी, क्षमता, आयु, अवस्थिति, संभारतंत्र आदि पर निर्भर करती है। परिशोधन लागत कम करने के लिए पी एस यू रिफाइनरियों द्वारा किए गए उपाय नीचे दिए गए हैं:-

(i) मूल्य वर्धित उत्पादों (एल पी जी, एम एस, ए टी एफ आदि) का अधिकतम उत्पादन।

(ii) ऊर्जा संरक्षण और हाइड्रोकार्बन क्षतियों में न्यूनीकरण पर बल देना।

(iii) आकारन्यूनीकरण के जरिए जनशक्ति लागत न्यूनतम करना।

(iv) ईष्टतम अनुरक्षण लागत की उपलब्धि हेतु प्रतिषेधात्मक अनुरक्षण कार्यक्रम का अनुपालन।

(v) ऊपरी खर्चों पर नियंत्रण।

(vi) पैमाने की किफायतों की उपलब्धि हेतु क्षमता का विस्तार।

युद्धपोतों की खरीद

1978. श्री के.सी. पल्लानी शामी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार युद्धपोतों की खरीद करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गयी है; और

(ग) इन्हें कब तक शामिल किया जाएगा?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) सेवा से हटाए गए प्लेटफार्मों को बदले जाने और नौसेना की शक्ति में वृद्धि किए जाने के लिए इसमें युद्धपोत शामिल किए जाते हैं। खतरे की संभावना और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिवेश के आधार पर यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है।

इस संबंध में ब्यौरे उजागर करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

माल भाड़े में परिवर्तन

1979. श्री बसुदेव आचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे अपने माल भाड़े में बजट से परे प्रशासनिक आदेश के माध्यम से परिवर्तन करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे बजट 2005-06 तथा 2006-07 में रेलवे ने माल भाड़े के वर्गीकरण परिवर्तनों, परिवर्तनात्मक मूल्यनिर्धारण, आधार वर्ग के टेपर में संशोधन आदि के माध्यम से परिवर्तन किया है;

(ग) यदि हां, तो दो वर्षों में विभिन्न सामानों के संबंध में माल भाड़े की दर में किए गए परिवर्तनों के प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे का ध्यान बजट से परे माल भाड़े की दर में अंतरिम परिवर्तनों के कारण अचानक की गई वृद्धि तथा कंपनियों के व्यवसाय पर इसके असर की ओर आकर्षित किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) जी, हां। 2005-06 तथा 2006-07 में कतिपय मुख्य पण्यों के माल भाड़ा दर में की गई परिवर्तन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) से (च) जी, हां। इस संबंध में कुछ रेल ग्राहकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक अभ्यावेदन की गुणवत्ता तथा उसके सभी पहलुओं की जांच के बाद ही उपयुक्त निर्णय लिया जाता है।

विवरण

पण्यों के गाड़ी लदान वर्गीकरण का संशोधन दिखाता विवरण

क्र.सं.	पण्य का नाम	2005-06							2006-07		
		31.3.2005 को	1.4.2005 से वर्गीकरण	15.5.2005 से प्रभावी	17.6.2005 से प्रभावी	20.7.2005 से प्रभावी	1.12.2005 से प्रभावी	15.1.2006 से प्रभावी	1.4.2006 से प्रभावी	1.6.2006 से प्रभावी	1.7.2006* से प्रभावी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	बांस	145	90	—	90डब्ल्यू1	—	—	—	एलआर4	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	स्लेम	140	160	—	140	—	—	—	140	—	—
3.	स्टील पाइप	180	180	—	130	—	—	—	130	—	—
4.	वायर रॉड क्वायल	180	180	—	130	—	—	—	130	—	—
5.	नारियल की जटा	130	90डब्ल्यू1	—	90डब्ल्यू2	—	—	—	एलआर5	—	—
6.	लौह अयस्क	140	140	160	—	—	—	—	160	—	170
7.	बंदरगाह पर बुक किए गए लौह-अयस्क	140	140	160	—	—	180	—	180	—	—
8.	चूना पत्थर तथा डोलोमाईट	140	140	—	—	—	160	—	160	—	170
9.	बाक्साइट	140	140	—	—	—	—	—	160	—	—
10.	मैंगनीज अयस्क	140	140	—	—	—	—	—	160	—	—
11.	पायरोक्सीनाइट	140	140	—	—	—	—	—	160	—	—
12.	अनाज	90	100	—	—	—	110	—	110	120	—
13.	फ्लाई एश	125	120	—	140	—	—	—	140	—	—
14.	रासायनिक अयस्क	95-115	100	—	—	—	110	—	110	120	—
15.	किरोसिन तेल	135	130	—	—	—	—	150	150	180	—
16.	नमक (मानव खपत के लिए)	90	90	—	—	—	—	100	100	110	—
17.	खाद्य तेल (जब टैंक वैगन में बुक किया गया)	90	90डब्ल्यू2	—	—	90	—	—	एलआर1	100	—
18.	गेहूं का आटा	90	90	—	—	—	110	—	110	120	—
19.	खलली	120	110	—	100	—	—	—	110	—	—
20.	ब्यॉलर पुर्जे	240	100	—	90डब्ल्यू1	—	—	—	100	—	—

*बेस क्लास के टैपर-100 को 1.7.2006 से संशोधित किया गया है।

[हिन्दी]

डाक को लाना/ले जाना

1980. श्री टेक लाल महतो : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहले एस.एल.आर. बोगियों में रेल डाक सेवा (आर.एम.एस.) की व्यवस्था की जाती थी;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले कुछ महीनों में आधी आर.एम.एस. को सामान्य बोगियों में बदलने के कारण डाक को लाना/ले जाना असुरक्षित हो गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या रेलवे का विचार आर.एम.एस. बोगियों की सुरक्षा के मद्देनजर अपने निर्णय को वापस लेने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) भारतीय रेल पर, पैसेंजर गाड़ियों में रेल डाक सेवा रेलगाड़ी में स्थान की उपलब्धता, डाक यातायात की मात्रा, परिचालनिक व्यावहारिकता, लोकप्रिय रेलगाड़ियों के आवर्धन की मांग आदि के आधार पर पूर्ण डाक वैन (पीपीएस), द्वितीय श्रेणी के सवारी डिब्बों में आधी वैन, एल एल आर में 40 सीटें जैसे विभिन्न रूपों में चलाई जाती है।

(ख) जी, नहीं। रेलवे बोर्ड के पास पारवहन के दौरान डाक के खोने से संबंधित कोई शिकायत नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सवारी डिब्बों का विनिर्माण

1981. श्री के.सी. पल्लानी शामी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान इन्टिग्रल कोच फैक्ट्री (आई.सी.एफ.) चेन्नई तथा रेल कोच फैक्ट्री (आर.सी.एफ.), कपूरथला द्वारा विनिर्मित सवारी डिब्बों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन फैक्ट्रियों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान सवारी डिब्बा कारखाना, चेन्नई और रेल डिब्बा कारखाना, कपूरथला का उत्पादन निम्नानुसार है:-

प्रकार	वर्ष	आई.सी. एफ.	आर.सी. एफ.
इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट (ई एम यू)	2003-04	113	–
	2004-05	112	–
	2005-06	155	–
मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (एम ई एम यू)	2003-04	–	72
	2004-05	–	88
	2005-06	–	88
डीजल मल्टीपल यूनिट (डी एम यू)	2003-04	37	12
	2004-05	36	–
	2005-06	27	–
ब्रॉड गेज कन्वेंशनल	2003-04	920	1023
	2004-05	971	1057
	2005-06	993	1155
मीटर गेज कन्वेंशनल	2003-04	–	94
	2004-05	–	56
	2005-06	–	20
जोड़	2003-04	1070	1201
	2004-05	1119	1201
	2005-06	1175	1263

(ख) जी, हां।

(ग) इस समय 1000 कोच प्रतिवर्ष की क्षमता से सवारी डिब्बा कारखाना, चेन्नई की उत्पादन क्षमता में 1500 कोच प्रतिवर्ष और रेल डिब्बा कारखाना, कपूरथला की उत्पादन में 1400 कोच प्रतिवर्ष बढ़ाने के लिए कार्य स्वीकृत किया गया है।

विमान भाड़े में बढ़ोत्तरी

1982. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमानन ईंधन की लागत में बढ़ोत्तरी को देखते हुए सरकारी विमान कंपनियों सहित विभिन्न विमान कंपनियों ने यात्री किराए तथा माल भाड़े में बढ़ोत्तरी की है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी बढ़ोत्तरी की गई है तथा ईंधन की लागत में बढ़ोत्तरी की प्रतिपूर्ति करने के लिए यह कहां तक तर्कसंगत है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां। कुछ एयरलाइनों ने हाल ही में विमानन टर्बाइन ईंधन (ए टी एफ) में हुई वृद्धि के दृष्टिगत ईंधन अधिभार की लेवी/वृद्धि की है।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र की एयरलाइनों ने संकेत दिया है कि ईंधन अधिभार में वृद्धि से ए टी एफ की कीमतों में हुई वृद्धि की केवल अंशतः भरपाई हो सकती है।

[हिन्दी]

सिराथु रेलवे स्टेशन को जिला रेलवे स्टेशन का दर्जा देना

1983. श्री शैलेन्द्र कुमार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को उत्तर प्रदेश के सिराथु रेलवे स्टेशन को जिला स्टेशन का दर्जा देने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) सिराथु रेलवे स्टेशन को जिला रेलवे स्टेशन के रूप में घोषित करने के संबंध में राष्ट्रीय युवा सेवा संगठन, सिराथु नगर पंचायत, जिला कौशाम्बी से दिनांक 24.2.2006 को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(ग) भारतीय रेलों पर वार्षिक यात्री आय के आधार पर स्टेशनों को वर्गीकृत किया जाता है। तदनुसार, सिराथु रेलवे स्टेशन को 'ङ' कोटी में रखा गया है।

[अनुवाद]

खाड़ी देशों के लिए विमान सेवाएं

1984. श्री पी. राजेन्द्रन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार त्यौहारों के मौसम को देखते हुए अगस्त तथा सितम्बर 2006 के दौरान खाड़ी देशों से केरल के लिए विशेष उड़ानें शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को खाड़ी क्षेत्रों में व्यस्ततम काल के दौरान सरकारी विमान कंपनियों द्वारा विमान किराए में बढ़ोत्तरी करने के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) एअर इंडिया, एअर इंडिया एक्सप्रेस तथा इंडियन एयरलाइंस वाणिज्यिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए केरल से खाड़ी देशों के लिए विशेष अतिरिक्त सेक्शन उड़ानें प्रचालित करती है।

(ग) और (घ) अधिक भीड़-भाड़ के मौसम के दौरान खाड़ी क्षेत्रों के लिए/से उड़ानों के किरायों में संशोधन के विरुद्ध समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों से अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस दोनों ही वाणिज्यिक संगठन हैं तथा व्यवसाय के सिद्धांतों के आधार पर कार्य करती हैं। बाजार शक्तियां यथा मांग/पूर्ति, मौसम तथा उत्पाद विशेषताएं यथा बारम्बारता, समय, प्रत्यक्ष प्रचालन

आदि किरायों का निर्धारण को प्रभावित करती हैं। बाजार की आवश्यकताओं के आधार पर किरायों में कमी व बढ़त का रुख बनता है।

भारत-खाड़ी मार्ग पर लोगों को अधिक किफायती तथा सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराने की दृष्टि से एअर इंडिया ने अप्रैल, 2005 में कम लागत वाले कैरियर यथा एअर इंडिया एक्सप्रेस की स्थापना भी की है।

अन्तर-द्वीपीय हेलिकॉप्टर सेवाएं शुरु किया जाना

1985. डा. पी.पी. कोया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लक्षद्वीप प्रशासन से अंतर-द्वीपीय हेलिकॉप्टर सेवा शुरू करने के लिए कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) पवन हंस हेलीकॉप्टर लि. ने फरवरी, 1988 से लक्षद्वीप प्रशासन के लिए, उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करने के लिए, एक डॉफिन हेलीकॉप्टर पट्टे पर लिया है। कानून व्यवस्था बनाये रखने सहित, आपातकालीन प्रयोजन के लिए दीर्घावधिक पट्टे के आधार पर एक दूसरे डॉफिन हेलीकॉप्टर को सेवा में लगाने के लिए लक्षद्वीप प्रशासन से एक प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लि. ने सिद्धांत रूप में जितनी जल्दी संभव हो सके इसकी व्यवस्था करने पर सहमति दे दी है।

अल्पसंख्यकों के लिए गरीबी उपशमन कार्यक्रम

1986. श्री गुंडलूर निजामुद्दीन : क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आन्ध्र प्रदेश राज्य में विशेष रूप से मुसलमानों सहित अल्पसंख्यकों में गरीबी उपशमन हेतु कोई योजनाएं कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो अल्पसंख्यकों में गरीबी उपमशन हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) से (ग) सरकार ने हाल ही में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की है। नए कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लाभ से वंचित लोगों के लिए चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदायों के अलाभान्वित वर्गों को मिलना सुनिश्चित करना है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि जहां भी संभव हो विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लक्ष्यों और परिव्यय का 15% अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। मुसलमानों सहित सभी अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों को इस कार्यक्रम द्वारा कवर किया गया है और इसे आन्ध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जाएगा।

निःशक्त भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतें

1987. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निःशक्त भूतपूर्व सैनिक पेंशन तथा अन्य लाभों में नियमित (पीसीआर) तथा इमर्जेन्सी कमिशन्ड ऑफिसर्स (ईसीओ) के बीच समानता लाने की मांग करते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को निःशक्त भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतों के निवारण के संबंध में कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) आपातकालिक कमीशनप्राप्त अधिकारी/अल्पकालिक सेवा कमीशनप्राप्त अधिकारी नियमित कमीशनप्राप्त अधिकारियों के लिए यथास्वीकार्य निशक्तता पेंशन के सेवा अंश में सेवा की पूरी अवधि का लाभ दिए जाने की मांग कर रहे हैं।

(घ) सरकार ने आपातकालिक कमीशनप्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक सेवा कमीशनप्राप्त अधिकारियों को नियमित कमीशनप्राप्त अधिकारियों के लिए यथास्वीकार्य निशक्तता पेंशन का सेवा अंश देने का निर्णय लिया है, यदि निशक्तता सैन्य सेवा के कारण हुई हो अथवा उसकी वजह से उसमें वृद्धि हुई हो। यह लाभ विगत में सेवानिवृत्त

सभी अधिकारियों पर भी भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू होगा।

क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र

1988. श्री विजय कृष्ण : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में कार्य कर रहे क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान इन केन्द्रों के कार्यकलापों पर केन्द्र-वार कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान ये क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र अपने लक्ष्य पूरा करने में असफल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) भारत सरकार ने देश के लोक तथा पारम्परिक कलाकारों तथा दस्तकारों को सहायता देने के उद्देश्य से सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित किए हैं। प्रत्येक केन्द्र को एक अक्षयनिधि प्रदान की गई है। भागीदार राज्य भी उक्त अक्षय निधि में अनुपातिक राशि का अंशदान करता है। प्रत्येक केन्द्र स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है और उसे राज्य जहां केन्द्र स्थित है, का राज्यपाल इसका अध्यक्ष होता है। सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र पटियाला, नागपुर, इलाहाबाद, तंजावूर, कोलकाता, उदयपुर तथा दीमापुर में स्थित हैं।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र का नाम	वित्त वर्ष 2004-05 (लाख रु. में)	वित्त वर्ष 2005-06 (लाख रु. में)	वित्त वर्ष 2006-07 (31.07.06 तक) (लाख रु. में)
दक्षिण क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र	105.56	131.76	14.72
दक्षिण-मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र	66.15	108.13	14.63
उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र	80.57	73.27	24.00
उत्तर-मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र	104.78	150.44	20.44
पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र	124.20	134.64	11.55
उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र	153.62	282.80	491.00
पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र	619.75	576.66	93.38

भुवनेश्वर जाने वाली रेलगाड़ियां को बरास्ता कटक चलाया जाना

1989. श्री भर्तृहरि महताब : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर-सम्भलपुर, भुवनेश्वर-निजामुद्दीन जाने वाली सभी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को बरास्ता कटक चलाए जाने तथा

ऐसी रेलगाड़ियों का कटक में ठहराव बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं। वर्तमान में, भुवनेश्वर-सम्बलपुर, भुवनेश्वर-निजामुद्दीन को कटक होकर चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य पदार्थों को पौष्टिक बनाया जाना

1990. **श्री रघुनाथ झा :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुपोषण पर नियंत्रण करने तथा आम आदमी के खाद्य पदार्थों को संवर्धित करने के लिए खाद्य पदार्थों को पौष्टिक बनाने हेतु कोई योजना शुरू की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और इसके अंतर्गत कितनी उपलब्धियां हासिल की गई हैं;

(ग) क्या आयोडीन नमक के उत्पादन को अनिवार्य बनाने के प्रावधान की तरह ही खाद्य पदार्थों को पौष्टिक बनाने हेतु सख्त दण्डात्मक उपबंध बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालयी माइक्रोन्यूट्रिएंट कुपोषण नियंत्रण समन्वयन समिति माइक्रोन्यूट्रिएंट कुपोषण की समस्या पर विचार करने के लिए अपेक्षित रणनीतियों का पुनरीक्षण और पहचान करती है।

गेहूं के आटे को लौह से पुष्ट करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय गेहूं के आटे को पुष्ट करने हेतु ''खाद्य पुष्टीकरण'' संबंधी एक स्कीम चला रहा है, जिससे लौह तत्व की कमी की रोकथाम होगी और उसे नियंत्रित रखा जा सकेगा।

गेहूं के आटे के पुष्टीकरण के लिए सभी क्षेत्रों में अनाज/अनाज आधारित उत्पादों के उत्पादन में लगे सभी मौजूदा उद्योगों/मिलों को पूंजीगत उपकरण (डोसिंग मशीन आदि) की लागत और उसकी स्थापना प्रभार का 50%, जिसकी अधिकतम सीमा 3 लाख रुपए है, सहायता अनुदान के रूप में दिया जाता है।

(ग) और (ङ) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हाइड्रोजनेटड वनस्पति तेल (वनस्पति) में विटामिन ''ए'' का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। खाद्य की पुष्टीकरण के बारे में विधि/दंडनीय उपबंधों संबंधी कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है।

एलपीजी किट वाली कारों का विनिर्माण

1991. **श्री एस.के. खारवेनथन :** क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ कार विनिर्माता तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) जोकि कम लागत वाली तथा पर्यावरण अनुकूल दोनों हैं, का प्रयोग करके एक वैकल्पिक ईंधन प्रौद्योगिकी वाहन बाजार में लाने वाले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में प्रदूषण मुक्त तथा पर्यावरण अनुकूल वाहनों का विनिर्माण करने के लिए देश के वाहन विनिर्माताओं को कोई निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स (एम्बेसडर) तथा मारुति उद्योग लिमिटेड (वैगन आर) ने भारतीय बाजार में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) द्वारा चालित वाहनों को उतारा है।

(ग) से (ङ) जहाजरानी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा समय-समय पर एलपीजी किट/सीएनजी किट लगे हुये वाहनों सहित सभी वाहनों के संबंध में उत्सर्जन मानदंड तथा टाइप अप्रुवल प्रणाली बनाता है। सभी स्वःचालित (ऑटो) विनिर्माताओं को अनिवार्य रूप से देश के विभिन्न भागों में मौजूदा उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन करना आवश्यक है जो वर्तमान में 11 महानगरों में भारत स्टेज-III तथा देश के अन्य भागों में भारत स्टेज-II है। पर्यावरण तथा वन

मंत्रालय ने हाल ही में सीएनजी/एलपीजी किटों के कलपुर्जों के आयात पर सीमा-शुल्क छूट प्रमाण-पत्र प्रदान किये हैं।

[हिन्दी]

वायु सेना केन्द्र की स्थापना

1992. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान के जोधपुर जिले के फलौदी कस्बे के निकट एक नया वायु सेना केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) वायु सेना स्टेशन की स्थापना करना प्रत्येक स्थान की संक्रियात्मक जरूरतों पर आधारित होता है। यह मूल्यांकन एक सतत् प्रक्रिया है।

पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता

1993. **श्री ब्रजेश पाठक** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को चालू वर्ष के दौरान जनजातीय क्षेत्रीय तथा सांस्कृतिक पर्यटन परियोजनाओं के विकास, संवर्धन तथा विपणन हेतु विभिन्न राज्य सरकारों से वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) पर्यटन के विकास की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य/संघ राज्य सरकारों की है। पर्यटन मंत्रालय जनजातीय क्षेत्रों एवं सांस्कृतिक पर्यटन परियोजनाओं सहित, पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए पर्यटन परियोजनाओं को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के परामर्श से, अभिनिर्धारित किया जाता है और प्राथमिकता प्रदान की जाती है। जनजातीय क्षेत्रों और सांस्कृतिक पर्यटन परियोजनाओं सहित, भारत के पर्यटन उत्पादों का संवर्धन एवं विपणन, इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया में विश्वव्यापी केन्द्रीय अभियान के माध्यम से और विदेशों में स्थित भारत पर्यटन कार्यालयों के विभिन्न संवर्धनात्मक कार्यकलापों के माध्यम से भी किया जाता है।

(ख) और (ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, कार्यान्वयन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ परामर्श से प्राथमिकता प्रदत्त पर्यटन परियोजनाएं विवरण-I में दी गई है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, पर्यटन मंत्रालय ने विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं के लिए राज्य/संघ क्षेत्र सरकारों को 6142.29 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है और 4903.84 लाख रुपए की राशि अवमुक्त की है, जैसा कि विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2006-07 के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली प्राथमिकता प्रदत्त परियोजनाओं का विवरण

क्र. सं.	राज्य	गंतव्य	परिपथ	कार्यक्रम/मेले/उत्सव	ग्रामीण पर्यटन
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1. चारमीनार और गोलकोण्डा सहित हैदराबाद	1. समुद्रतट परिपथ विजाग	1. काकटिया कार्यक्रम	1. कुंचीपुडी (विजयवाड़ा के पास
		2. वारंगल	2. बौद्ध परिपथ	2. गोलकोण्डा कार्यक्रम	2. धरमकरम (कुदुपारथी के पास

1	2	3	4	5	6
		3. नेलोर (पुलिकट झील)	3. कलाहस्ती-कनिपक्कम-तालाकोना परिपथ	3. विजयनगर उत्सव	3. सुरभी (पोचमपल्ली के पास)
				4. कलिंग	
2.	अरुणाचल प्रदेश	1. लोहित जिले के परशुराम कुंड में सुविधाएं	1. तिनसुकिया (असम)-नामसई-तेजु-वालोंग-डोंगी	1. अरुणाचल उत्सव	1. लिंगु ग्राम, अपर सुबंसिरी जिला
		2. डंबुक में हैरिटेज स्थल (स्टोन रामपार्ट) का नवीरकरण एवं संरक्षण		2. सियांग नदी उत्सव	
				3. न्योकुम/मोपिन उत्सव	
				4. बौद्ध महोत्सव	
3.	असम	1. कामाख्या और हाजो का सैटेलाइट तीर्थ टाउनशिप	1. ओरांग-तेसरपुर-नामेरी-भालुकपोंग-त्सांग पयर्टक परिपथ	1. रंगोली उत्सव	1. सिवसागर जिले में चारीदेव सुकाफा नगर
		2. सिवसागर समागम केन्द्र और		2. देहिंग - पटकई	
		3. गुवाहाटी के होटल ब्रह्मपुत्र अशोक में वेलनेस सेंटर		3. चाय पर्यटन	
				4. काजीरंगा हाथी उत्सव	
4.	बिहार	1. मंडेश्वरी मंदिर	1. बोधगया-नालंदा-राजगीर	1. बौद्ध महोत्सव	1. पटहारकथी (गया के पास
				2. राजगीर महोत्सव	
				3. सोनपुर मेला	
				4. छठ महोत्सव	
5.	छत्तीसगढ़	1. चित्रकूट फाल	1. जगदलपुर परिपथ	1. बस्तर कार्यक्रम	1. चिल्पी (कान्हा राष्ट्रीय पार्क के पास)
		2. राजीम		2. मल्हार कार्यक्रम	2. चूरी (हसदेव बंगो बांध के पास)
				3. सिरकूर उत्सव	
				4. राजीम उत्सव	
6.	दिल्ली	1. कॉनवेल्थ खेलों के लिए मास्टर प्लान के अनुसार अवसंरचना का विकास	—	—	सूचित किया जाएगा।
7.	गोवा	—	1. उत्तरी गोवा परिपथ	1. शिगमो उत्सव	—

1	2	3	4	5	6
			2. दक्षिणी गोवा परिपथ	2. गोवा कार्निवाल	
8.	गुजरात	1. चम्पानेर पावागढ़	1. जूनागढ़-वेरावल-पोरबंदर	1. नवरात्री	दांडी
		2. गिर		2. तारनेतर	वाडनगर
		3. द्वारका		3. अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव	नागेश्वर
				4. शरद उत्सव	
9.	हरियाणा	1. सूरजकुंड	1. कुरुक्षेत्र	1. कुरुक्षेत्र-सूफी उत्सव	सूचित किया जाएगा।
		2. सोनीपत-एथनिक इंडिया		2. हैरिटेज उत्सव पिंजौर	
		3. बडकल		3. कला और शिल्प उत्सव, करनाल	
				4. एक और मेला संसूचित किया जाना है।	
10.	हिमाचल प्रदेश	धर्मशाला	1. जनजातीय क्षेत्रों में ईको पर्यटन	1. ग्रेट हिमालयन रन	1. शिमला में मशोबरा ग्राम
			2. तीर्थ परिपथ	2. प्री-वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग	2. धर्मशाला के पास बारोह ग्राम
				3. कुल्लू दशहरा	3. गुरुकुल ओरिएंटिक ग्राम
				4. शिमला ग्रीष्म उत्सव	
11.	जम्मू व कश्मीर	(क) भदरेवाह, किश्तवार, पुंछ, राजौरी, लखनपुर-सारथल, कोकेरनाग, लेह और कारगिल के पर्यटन विकास प्राधिकरणों के लिए विशिष्ट पर्यटन अवसंरचना परियोजनाएं	कारगिल में पर्यटक परिपथ का विकास	1. जून 2006 में विशाल कार्यक्रम 2. जश्ने-कश्मीर 3. जम्मू उत्सव	(क) (साफ्टवेयर कार्ययोजना) पांच ग्रामों अर्थात् द्रुंग, पहलगांव, झेरी, सुरींसर और गगनगीर हेतु समर्थन
		(ख) पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पटनीटाप के पर्यटन विकास प्राधिकरणों के लिए विशिष्ट पर्यटन अवसंरचना परियोजनाएं		4. नवरात्रा उत्सव, वैष्णों देवी 5. गुलमर्ग उत्सव	(ख) राज्य सरकार द्वारा पहचान किए जाने वाले दस नए ग्रामों के लिए समर्थन

1	2	3	4	5	6
		(ग) मुबारक मंडी, चरण-I में हैरिटेज भवन का नवीकरण			
		(घ) जम्मू में गोल्फ कोर्स			
		(ङ) श्रीनगर में क्षतिग्रस्त टीआरसी का पुनर्निर्माण			
12.	झारखंड	1. राजमहल	1. रांची-रामगढ़-राजारप्पा-तेनूघाट-हज़ारीबाग-पदमा इटखोरी	1. हज़ारीबाग उत्सव	1. अमादूबी, जिला सिंहभूम
		2. पारसनाथ		2. एयरशो रांची	2. खरसावन, जिला सरायकेला खरसावन
				3. हिजला	
				4. जगन्नाथ रथ यात्रा	
13.	कर्नाटक	1. हम्पी	1. बीजापुर-बिदार-गुलबर्गा	1. बंगलौर हब्बा	1. चेनपूतना ग्राम-बंगलौर 2. अलकान ग्राम-बगालकोटे
		2. लिंगामक्की	2. सदर्न वाइल्डरनेस सर्किट	2. संसूचित किया जाना है	
				3. हम्पी	
				4. करावली	
14.	केरल	1. वागामोन	1. दक्षिणी ईको पर्यटन	1. मालाबार महोत्सव	1. कथक्कली कास्ट्यूम ग्राम
		2. कुमारकोम		2. बोट शो	2. कॉयर ग्राम
		3. पदनाभापुरम पैलेस		3. हाथी उत्सव	3. स्पाइस ग्राम
		4. तिरुपुनिथुरा		4. निशागांधी उत्सव	
15.	मध्य प्रदेश	1. पन्ना	1. अमरकंटक-मंडला-डिंडोई	1. खजुराहो उत्सव	1. दत्तिया में सिवरा
		2. मांडु	2. होशंगाबाद-महेश्वर-ओंकारेश्वर-बरवानी	2. ट्रेवल मार्ट	2. मंडला में रामनगर
				3. पचमढ़ी	3. महेश्वर में कोई ग्राम
16.	महाराष्ट्र	1. कुंकुश्वर	1. एलीफैण्टा सहित बौद्ध परिपथ	1. एलीफैण्टा	1. कोल्हापुर के पास ग्राम

1	2	3	4	5	6
			2. फोर्ट परिपथ	2. एलोरा	2. गुरुकुल के लिए पुणे के पास ग्राम
				3. कालीदास	
				4. चिकलधारे	
17.	मणिपुर	1. नोंगमेचिंग (गोल्फ कोर्स के साथ ईको पार्क)	1. इम्फाल-विष्णुपुर-सेन्द्रा-चूड़ाचांदपुर	1. मणिपुर पर्यटन उत्सव	एन्ह्रो, खोंगियम और नोन
		2. इम्फाल		2. मणिपुर पर्यटन मिलन	
				3. लुई-नगाई-नी उत्सव	
				4. केयूटी उत्सव	
18.	मेघालय	1. जोवाई के आस-पास गुफाओं का संरक्षण एवं विकास	1. विलियम नगर-जकरेम-जोवाई	1. शीत पर्यटन उत्सव	निर्णय लिया जाना है।
		2. तुरा	2. शिलांग-चेरापूंजी जोवाई मावपलांग	2. शिलांगशरद उत्सव	
				3. नांगक्रम उत्सव	
				4. वांगला उत्सव	
19.	मिजोरम	1. चलतलांग	1. दक्षिणी हरांगचाकवान, तावीपुईज, लांगटलाई, साहिया, वामबुक, संगाऊ, एस. वनलाईफाई	1. चपचार कुट	–
		2. चलफिल्ह	2. पूर्वी-केट्टुम, एन. वनलाईफाई, पूर्वी लुंगदार, खाउबंग, फरकान, जोखावथार, हनलान	2. थालफावांग कुट	
				3. अनथुरियम उत्सव	
				4. बाद में निर्णय लिया जाएगा।	
20.	नागालैंड	1. कोहिमा जिले में टूपहेमा पर्यटक यात्रा गंतव्य	1. जुनहेबोटो तुएनसांग-कीफरी	1. टोकु ईमांग	पहचान किया जाना है।
		2. जुनहेबोटो जिले में आइजूटो	2. गर्वनर का कैंप (गोखा)-नुई लैंड क्षेत्र (दीमापुर)-जलुकी (पेरेन)	2. मेटुमन्यू	

1	2	3	4	5	6
				3. हार्नबिल कार्यक्रम	
				4. कार्यक्रम-कल्चरल नाइट वैराइटी शो	
21.	उड़ीसा	1. चिल्का	1. भुवनेश्वर-पुरी-कोणार्क	1. भुवनेश्वर-पुरी-उत्सव	1. डयेनिंग बाडी ग्राम धूलबारी जिला
			2. सिम्पलीपाल-चांदीपुर-तलसारी-पंचलिंगमेश्वर	2. इकामरा	2. खेलियाजाली ग्राम
			3. अराकू घाटी - सोनेबेडा-कोरपुट-मलकागिरी	3. पुरी समुद्र तट उत्सव	
				4. कोणार्क उत्सव	
22.	पंजाब	1. रोपड़	1. स्वतंत्रता संग्राम परिपथ	1. रायपुर जिले के किला रायपुर ग्राम में ग्रामीण ओलंपिक्स (ग्रामीण खेल)	1. ग्राम पाल्डी (जिला होशियारपुर)
		2. फतेहगढ़ साहिब (आम खास बाग के साथ ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन सहित)	दिल्ली-अमृतसर 2. तीर्थ परिपथ	2. फिरोजपुर जिले के अभोर में कीन्नु उत्सव	2. ग्राम कलानौर (जिला गुरदासपुर)
		3. कपूरथला		3. पंजाब उत्सव (मेला)	3. ग्राम मेइसर खाना (जिला भटिंडा)
				4. कपूरथला में शिल्प मेला	
23.	राजस्थान	1. अजमेर शरीफ	1. ईको टूरिज्म सर्किट	1. हैरिटेज उत्सव	1. पहचान किया जाना है।
		2. जैसलमेर	2. स्मारकों की प्रकाशपुंज व्यवस्था	2. राजस्थान दिवस समारोह	
				3. पुष्कर मेला	
				4. मरुस्थल उत्सव	
24.	सिक्किम	1. सरमसा में मनोरंजन पार्क का विकास	1. उतरी सिक्किम के फोडांग और मंगन में पर्यटक केन्द्रों का विकास	1. नांची उत्सव	1. दक्षिणी सिक्किम में रोंग ग्राम
		2. सोरंग में तीर्थ केन्द्र	2. पूर्वी सिक्किम के असम लिंगजे और खेदी ट्रेक रूट का विकास	2. गंगटोक शीत उत्सव	2. पश्चिमी सिक्किम में थार ग्राम

1	2	3	4	5	6
				3. रावंगला उत्सव	
				4. माघे मेला	
				5. मांगन उत्सव	
				6. ग्यालसिंग (पेलिंग)	
25.	तमिलनाडु	1. मदुरई 2. तंजावुर	—	1. महाबलीपुरम विशाल उत्सव	सूचित किया जाएगा।
		3. कन्याकुमारी			
26.	त्रिपुरा	1. चतुर्दशी देवता बारी	1. उत्तर-पश्चिम त्रिपुरा परिपथ का विकास	1. सूचित किया जाएगा।	1. जायचन्द्रपुर
27.	उत्तर प्रदेश	1. अलीगढ़	1. आगरा-फतेहपुर-सीकरी-मथुरा	1. सारनाथ में बौद्ध महोत्सव	1. सूचित किया जाएगा।
			2. वाराणसी-सारनाथ	2. लठमार होली	
			3. ब्रजभूमि-वृंदावन	3. देव दीपावली	
28.	उत्तरांचल	1. यमनोत्री	1. ऋषिकेश-हरिद्वार (विशाल परियोजना)	1. देहरादून विरासत उत्सव	1. ग्राम त्रिजुगी नारायण, जिला रूद्रप्रयाग
		2. टिहरी	2. बिंदसार-बैजनाथ-मानसेर	2. गढ़वाल उत्सव	
				3. कुमांऊ उत्सव	
				4. पूर्णागिरि उत्सव	
29.	पश्चिम बंगाल	1. गोके	1. स्वतंत्रता परिपथ	1. सूचित किया जाएगा।	1. सूचित किया जाएगा।
		2. कालीमपोंग	2. चाय पर्यटन		
		3. पलासी	3. समुद्रतट परिपथ		

विवरण-II

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 2006-07 के दौरान पर्यटन मंत्रालय द्वारा अब तक स्वीकृत राज्य-वार परियोजनाएं दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	परियोजना	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश		
	वारंगल जिले में इको पर्यटन गंतव्य के रूप में लकनावरम झील का गंतव्य विकास	468.63	337.90

1	2	3	4
2.	अरुणाचल प्रदेश		
	परसुरामकुंड लोहित में सुविधाएं	462.68	370.15
3.	छत्तीसगढ़		
	राजमेरगढ़ में अवसंरचना एवं गंतव्य विकास	275.73	220.58
4.	दिल्ली		
	गार्डन उत्सव, 2006 समारोह	5.00	5.00
5.	गुजरात		
	जूनागढ़/वेरावल/पोरबंदर-द्वारका पर पर्यटक परिपथ का एकीकृत विकास	329.83	263.86
6.	कर्नाटक		
	वाइलडरनैस पर्यटन परिपथ का एकीकृत विकास	226.88	204.20
7.	केरल		
	स्पाइस परिपथ के लिए इडुकी जिले के अन्नाकारा ग्राम में ग्रामीण पर्यटन का विकास	46.00	36.80
	स्पाइस परिपथ कलाडी गांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास	47.20	37.76
8.	महाराष्ट्र		
	सतारा जिले के महाबलेश्वर (चरण-II) का अवसंरचना एवं गंतव्य विकास	480.57	384.45
	महाराष्ट्र में आईपी परियोजनाओं के विकास के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता	54.81	49.33
9.	मणिपुर		
	इम्फाल का गंतव्य विकास	418.00	334.00
	मणिपुर पर्यटन उत्सव	10.00	8.00
10.	उड़ीसा		
	बारगढ़ जिले के बरपाली गाव में ग्रामीण पर्यटन का विकास	50.00	40.00
	खुरदा जिले के हीरापुर गांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास	50.00	40.00

1	2	3	4
	गंजम जिले के पदनाभपुर गांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास	50.00	40.00
	मयूरभंज जिले में सिम्लीपाल का विकास	297.12	237.70
11.	पंजाब		
	फ्रीडम ट्रेल पंजाब का एकीकृत विकास	784.45	627.56
12.	राजस्थान		
	झालावाड़ जिले के गगरोन का संरक्षण, नवीकरण और परीरक्षण	281.71	225.36
	उदयपुर का एकीकृत विकास	276.68	221.34
13.	तमिलनाडु		
	थेनी जिले के कोम्बाई गांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास	50.00	40.00
	थाडीयानकुडीसई गांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास	50.00	40.00
	तमिलनाडु में आईटी परियोजना के विकास हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता	27.60	24.84
14.	उत्तर प्रदेश		
	अलीगढ़ जिले में विभिन्न स्थलों का विकास	497.04	397.63
15.	पश्चिम बंगाल		
	उत्तरी बंगाल में चाय पर्यटन परिपथ का एकीकृत विकास	388.98	311.18
	दार्जिलिंग में जोरपोखरी में नाइट सफारी पार्क स्थापित करना	15.00	7.50
	कालिंम्पोंग का विकास	498.38	398.70
	कुल	6142.29	4903.84

[अनुवाद]

रेल परियोजनाएं

1994. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी :
श्री पी.एस. गढ़वी :
श्री महेश कनोडीया :
श्री हरि सिंह चावड़ा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार से रेल लाइनों के आमान परिवर्तन/निर्माण हेतु पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए जाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ग) सुरेन्द्रनगर-धरनगधरा, मेहसाणा-पाटण, अहमदाबाद-बोटाड रेल लाइन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार, निम्नलिखित चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त निधियों के आबंटन के लिए गुजरात सरकार से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं:-

क्रम सं.	परियोजना	2006-07 के दौरान मुहैया कराया गया परिव्यय
(i)	अहमदाबाद-दिल्ली (बड़ी लाइन) के साथ गांधीनगर को जोड़ना (गांधीनगर-कलोल नई लाइन परियोजना	5 करोड़ रुपए
(ii)	सुरेन्द्रनगर-भावनगर, ढोला-ढासा-महुवा का सुरेन्द्रनगर-धरनगधरा खंड का पिपावाव आमान परिवर्तन परियोजना के साथ विस्तार करना	5 करोड़ रुपए
(iii)	विरमगाम-मेहसाणा-पाटण-भील्डी आमान परिवर्तन	5 करोड़ रुपए
(iv)	भरुच-दाहेज आमान परिवर्तन*	10 करोड़ रुपए

*इस परियोजना को 2006-07 के बजट में शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान नियोजित कार्य के निष्पादन के लिए उपर्युक्त परियोजना के लिए मुहैया कराई गई राशि पर्याप्त समझी जाती है।

(ग) महेसाणा-पाटण खंड पर, 9 अदद बड़े पुलों में से 4 तथा 37 अदद छोटे पुलों में से 3 को पहले ही बना दिया गया है। गिट्टी आपूर्ति तथा मिट्टी संबंधी कार्य के लिए निविदाओं पर कार्रवाई की जा रही है।

सुरेन्द्रनगर-धरनगधरा खंड पर, 4.19 लाख घनमीटर में से 1.2 लाख घनमीटर मिट्टी संबंधी कार्य, 7 अदद बड़े पुलों में से 2, 26 अदद छोटे पुलों में से 3 तथा 85,000 घनमीटर गिट्टी में से 10,323 घनमीटर गिट्टी की आपूर्ति का कार्य पूरा हो गया है।

अहमदाबाद-बोटाड खंड केउ आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा होने के अंतिम चरण में है।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात

1995. डा. चिन्ता मोहन :
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों से पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान उक्त निर्यात में वार्षिक वृद्धि की दर क्या है;

(ग) क्या उक्त निर्यात के साथ तेल कंपनियों के लाभ में भी वृद्धि हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र की उन तेल कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिनके लाभ में इसके परिणामस्वरूप उक्त अवधि के दौरान वृद्धि हुई है तथा प्रत्येक कंपनी के लाभ में कितनी वृद्धि हुई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	मात्रा टी एम टी में	वृद्धि (%)
2003-04	14,620	42.1
2004-05	18,211	24.6
2005-06	21,507	18.1

(ग) और (घ) पी एस यू तेल विपणन कंपनियों का पिछले तीन वित्त वर्षों का कर पश्चात लाभ नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपये में)

कंपनी	2003-04	2004-05	2005-06
आई.ओ.सी.	7005	4891	4915
बी.पी.सी.	1694	966	130*
एच.पी.सी.	1904	1277	406

*गैर लेखापरीक्षित

[अनुवाद]

अल्पसंख्यक समुदायों की छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति

1996. **श्री पी.सी. थामस : क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यक समुदायों की छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस योजना से कितनी छात्राएं लाभान्वित हुई?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) और (ख) जी, हां। मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान अल्पसंख्यक मेधावी छात्राओं को छात्रवृत्तियां प्रदान कर रहा है। ऐसी छात्राएं जिन्होंने 55% से अधिक अंक प्राप्त किया हो और 11वीं कक्षा या इसके समतुल्य में दाखिला लिया हो और जिनके माता-पिता की वार्षिक आय एक लाख रुपए से कम हो, 10,000/- रुपए का एक मुस्त अनुदान पाने की हकदार होती हैं।

(ग) इस प्रतिष्ठान द्वारा वर्ष 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान मेधावी छात्राओं को क्रमशः 634, 2,781 तथा 3,371 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई।

[हिन्दी]

एक ही खिड़की/पटल से आरक्षित व अनारक्षित टिकट जारी करना

1997. **श्री पंकज चौधरी :**
श्री किन्जरपु येरननायडु :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ही खिड़की/पटल से आरक्षित व अनारक्षित टिकट उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और स्थान क्या हैं; और

(ग) उक्त प्रस्ताव के कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अनारक्षित टिकट प्रणाली व यात्री आरक्षण प्रणाली टर्मिनलों की स्थापना करने हेतु भारतीय रेलों पर 98 स्थानोंउ की पहचान की गई है। रेलवेवार ब्यौरा निम्नानुसार है—मध्य रेलवे (5), पूर्व मध्य रेलवे (28), पूर्व रेलवे (2), उत्तर-मध्य रेलवे (4), पूर्वोत्तर रेलवे (9), पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (2), उत्तर रेलवे (5), उत्तर-पश्चिम रेलवे (3), दक्षिण-मध्य रेलवे (23), दक्षिण-पूर्व-मध्य रेलवे (2), दक्षिण रेलवे (3), दक्षिण-पश्चिम रेलवे (2), पश्चिम-मध्य रेलवे (4), पश्चिम रेलवे (6)।

जैसे ही आवश्यक संचार संपर्क और अन्य अवसरंचना उपलब्ध होंगी इन्हें स्थापित कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

सुरक्षा उपायों के संबंध में निजी एजेंसियों की भागीदारी

1998. **श्री बालासाहिब विखे पाटील :**
श्री मिलिन्द देवरा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे पश्चिमी रेलवे में उपनगरीय रेलगाड़ी नेटवर्क पर सुरक्षा उपायों पर परामर्श हेतु निजी एजेंसियों से संपर्क करने तथा सुरक्षा प्रणाली उपकरण खरीदने के लिए इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) से सहयोग करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितना अनुमानित व्यय आने की संभावना है;

(ग) क्या रेलवे ऐसे कार्यक्रम को पूरे रेलवे में विस्तारित करने की भी योजना बना रहा है; और

(घ) यदि हां, तो देश में यात्रियों की सुरक्षा के लिए उक्त योजना को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां। कुछ महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा उपायों में सुधार करने के लिए पश्चिम रेलवे ने इलेक्ट्रानिक कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ई सी आई एल) और कुछ अन्य एजेंसियों को अध्ययन करने और सुझाव देने के लिए कहा है। उनके विशेषज्ञों की राय और सुझावों की प्रतीक्षा है।

(ख) संबंधित एजेंसियों की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही अनुमानित खर्च आकलित और प्रस्तुत की जा सकती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेलवे परीक्षाओं का रद्द होना

1999. **श्री हरिकेवल प्रसाद :**
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :
श्री चन्द्रभान सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रश्नपत्रों के लीक होने के कारण कई रेलवे परीक्षाएं रद्द हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन मामलों में कोई जांच करायी गयी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ङ) इन मामलों में लिप्त पाए गए अधिकारियों/व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है; और

(च) ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कौन से ठोस कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां। प्रश्न पत्रों के लीक हो जाने की वजह से केवल दो परीक्षाएं रद्द की गई हैं;

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) *उत्तर प्रदेश की वाराणसी पुलिस मामले की जांच कर रही है।

**ग्रुप 'डी' परीक्षा के संबंध में विशेष कार्यदल, लखनऊ द्वारा दर्ज कराई गई एफ आई आर पर लखनऊ पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही है।

(घ) और (ङ) इन मामलों में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अभी तक कोई भी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।

(च) प्रश्न पत्रों के समुचित रख-रखाव तथा उनकी गोपनीयता के संबंध में अनुदेश पहले से ही मौजूद हैं जिन्हें कड़ाई से अनुपालन करने हेतु समय-समय पर दोहराया जाता है।

विवरण

वर्ष	पद	जिसके द्वारा आयोजित किया गया
2004*	जूनियर इंजीनियर/ सेक्शन इंजीनियर	रेलवे भर्ती बोर्ड/मुंबई
2006**	ग्रुप 'डी'	उत्तर रेलवे

* जूनियर इंजीनियर/सेक्शन इंजीनियर के पदों के लिए शोलापुर एवं पुणे में दिनांक 5.12.2004 को आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र जो उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दिनांक 3.12.2004 को वाराणसी के बाहरी क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों के कब्जे में पाए गए थे, के लीक हो जाने की वजह से रद्द करनी पड़ी।

** ग्रुप 'डी' परीक्षा 12.2.2006, 26.2.2006 तथा 5.3.2006 को तीन चरणों में आयोजित की जानी थी। 26.2.2006 को आयोजित की जाने वाले परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक हो जाने की सूचना की वजह से रद्द करनी पड़ी थी।

[अनुवाद]

विमान अपहरण रोधी निति

2000. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री निखिल कुमार :
श्री अधीर चौधरी :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विमान अपहर्ताओं को पकड़ने का अभियान शुरू करने के लिए उपलब्ध किसी भी विमान को अपनी कमान में लेने हेतु राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी) को सक्षम बनाने के लिए विमान अपहरण रोधी निति को सख्त बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अन्तिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) जी, हां। वायुयान अधिनियम, 1934 के खंड 6 के अधीन एक आदेश जारी किया गया है तथा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। इस अधिसूचना के अनुसार, अनुसूचित अथवा गैर-अनुसूचित आपरेटर के किसी भी विमान के प्रचालन के लिए, जिसके लिए डी जी सी ए द्वारा एक परमिट स्वीकृत किया जाता है, इसे विमान अपहरण की किसी भी घटना से निपटने के प्रयोजन के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को उनकी ओर से किए गए मांग पर तत्काल डिलीवर किया जाएगा।

हवेरी रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं

2001. श्री मंजुनाथ कुन्नुर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को जानकारी है कि कर्नाटक के हवेरी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त स्टेशन पर पर्याप्त यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) हवेरी रेलवे स्टेशन पर प्रचलित मानदंडों के अनुसार न्यूनतम आवश्यक यात्री सुविधाएं उपलब्ध हैं। बहरहाल, हवेरी स्टेशन पर प्रत्यक्ष सुधार के लिए निम्न कार्य किए जाने की योजना है:-

1. 24 सवारी डिब्बों को समाहित करने के लिए प्लेटफार्मों को बढ़ाना एवं ऊंचा उठाना।
2. प्लेटफार्म संख्या 4 पर प्रकाश व्यवस्था सहित भारतीय रेल मानक के अनुसार सायबानों की व्यवस्था।
3. 'भुगतान एवं प्रयोग करो' शौचालय का निर्माण।
4. यात्री द्वारा चालित इंक्वायरी टर्मिनल की व्यवस्था।
5. विद्युती डिजीटल रेल आगमन/प्रस्थान संकेतक प्रणाली की व्यवस्था।
6. ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था।
7. स्टेशन भवन और आस-पास के क्षेत्रों को आकर्षक बनाना।
8. रोड सं.1 एवं 2 पर भारतीय रेल मानक के अनुसार 80 मीटर लंबे प्लेटफार्म सायबान की व्यवस्था करना।

एयर इण्डिया में प्रथम श्रेणी की सीटें हटाना

2002. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इन्डिया ने अपनी उड़ानों में प्रथम श्रेणी की सीटें हटाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बायो-डीजल पर कर छूट

2003. श्री हंसराज जी. अहीर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बायो-डीजल पर कर छूट/रियायत हेतु कोई मांग प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

मालेगांव में "हब" की स्थापना

2004. **श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तरी महाराष्ट्र के मालेगांव के निकट एक "हब" की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कुवैत के साथ विमान सेवा समझौता

2005. **श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के कुवैत के शिष्टमंडल के साथ दोनों देशों के बीच नागर विमानन क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को प्रोत्साहन देने के लिए हाल ही में एक बैठक की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार कुवैत से प्रचालित होने वाली एयर लाइनों में सीटों की साप्ताहिक क्षमता बढ़ाने पर सहमत हो गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। भारत तथा कुवैत के बीच, नई दिल्ली में 18-19 जुलाई, 2006 को विमान सेवाओं पर द्विपक्षीय विचार-विमर्श हुआ था।

(ग) जी, हां।

(घ) इन वार्ताओं के दौरान हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार, दोनो पक्षों की नामित विमान कंपनियों के लिए क्षमता हकदारी प्रति सप्ताह 5200 से बढ़ाकर प्रति सप्ताह 8000 सीट कर दी गई है। इसके अलावा, कुवैत की नामित विमान कंपनियों को वर्तमान मुंबई, दिल्ली, त्रिवेन्द्रम, चेन्नई और कोचीन में स्थानों के अलावा अहमदाबाद को अतिरिक्त अवतरण स्थल के रूप में स्वीकृति भी दी गई है।

हथियार और गोला बारूद का निर्यात

2006. **श्री सुग्रीव सिंह :**
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2005-06 के दौरान विभिन्न आयुध निर्माणियों द्वारा विनिर्मित कुल कितने मूल्य के हथियार और गोला बारूदों का निर्यात किया गया;

(ख) क्या निर्यात किए गए हथियार व गोला बारूदों की गुणवत्ता के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) वर्ष 2005-06 के दौरान आयुध निर्माणियों द्वारा किए गए कुल निर्यात का मूल्य 13.44 करोड़ रुपए है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन विकास हेतु पुनरीक्षित योजना

2007. श्री सुबोध मोहिते : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पर्यटन क्षेत्र के अवसंरचनात्मक विकास को पूरा करने के लिए वृहद राजस्व सृजन करने वाली परियोजनाओं हेतु एक पुनरीक्षित योजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना के अंतर्गत किन-किन परियोजनाओं की पहचान की गई है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) जी, हां। पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए वृहत राजस्व सृजन करने वाली परियोजनाओं हेतु एक सहायता योजना तैयार की है। पर्यटक आकर्षण वाली और पर्यटकों द्वारा प्रयुक्त वृहत राजस्व सृजन करने वाली परियोजनाओं को, जो शुल्क की उगाही या पर्यटकों पर उपभोक्ता शुल्क के माध्यम से राजस्व सृजित करती है, इस योजना के अंतर्गत सहायता दी जा सकती है।

(ग) और (घ) इस योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान के लिए परियोजनाओं पर विचार करते हुए निजी क्षेत्र द्वारा संवर्धित परियोजनाओं और सार्वजनिक निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं, जिसमें न्यूनतम इमदाद व्यय शामिल है, को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत उनकी परियोजना के बारे में विचार करने से पूर्व कार्यान्वयन पार्टनर द्वारा, यदि निजी क्षेत्र की भागीदारी है, एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) तैयार करना है। इस योजना के अंतर्गत सभी परियोजना प्रस्ताव के साथ सार्वजनिक वित्तीय संस्था द्वारा तैयार अनुमानित खर्च शामिल होना चाहिए।

[हिन्दी]

तेल खोज हेतु ओमान के साथ समझौता

2008. श्री चन्द्रभान सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेल (इंडिया) लिमिटेड ने तेल खोज और उत्पादन हेतु हाल ही में ओमान के साथ कोई समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त समझौते में अन्य भागीदार कौन हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) जी, हां। गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल) ने अपने परिसंघ भागीदारों के साथ-साथ अन्वेषण ब्लाकों के लिए ओमान के बोली दौर में बोली दी थी। परिसंघ को एक ब्लाक अर्थात् ब्लाक संख्या 56 प्रदान किया गया था। उत्पादन हिस्सेदारी (पी एस सी) पर ओमान सल्तनत सरकार के तेल व गैस मंत्रालय के साथ हस्ताक्षर किए गए थे।

(ख) दिनांक 28 जून, 2006 को पी एस सी पर हस्ताक्षर किए गए थे। ओमान के ब्लाक संख्या 56 में गेल के परिसंघ भागीदार निम्न हैं:-

भागीदार	भागीदार हित
आपलेक्स एन एल, आस्ट्रेलिया (प्रचालक)	25%
विडियोकॉन	25%
गेल	25%
एच पी सी एल	12.5%
बी पी सी एल	12.5%

[अनुवाद]

एयर इण्डिया के अधिकारियों द्वारा सुरक्षा मानदण्डों का उल्लंघन

2009. श्री एस. अजय कुमार : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री के अप्रैल माह में विदेश दौरे के दौरान एयर इण्डिया के अधिकारियों ने सुरक्षा मानदण्डों का उल्लंघन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, दिनांक 24 अप्रैल, को जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय को लेकर एक वी वी आई पी विमान हनोवर से बर्लिन के लिए उड़ान भरने वाला था, तो विमान के ऊपरी डैक के एक बार कार्ट के प्रभारी, एअर इंडिया फ्लाइट पर्सर ने देखा कि एक प्लास्टिक बार सील टूटी हुई थी और उसमें से शराब की 6 बोतलें गायब थीं।

(ग) से (ङ) प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि मामला सुरक्षा संबंधी खामी का नहीं है। बहरहाल, व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जा रही है और सम्बद्ध स्टाफ एवं क्रू कर्मचारियों को अगले आदेश तक वी वी आई पी फ्लाइट ड्यूटियों से हटा लिया गया है। इसके अतिरिक्त, वी वी आई पी उड़ानों के लिए स्टाफ एवं क्रू के चयन संबंधी प्रक्रिया को और कड़ा किया गया है।

यू.एन.ओ. से अधिशेष भुगतान की वसूली

2010. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने विभिन्न देशों में सयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सहायतार्थ कई दल भेजे हैं;

(ख) वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान विभिन्न देशों को भेजे गए ऐसे दलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी सहायता के लिए यू.एन.ओ. भुगतान करता है;

(घ) क्या शांति मिशनों में भारतीय सैनिकों की भागीदारी के लिए यू.एन.ओ. पर कोई राशि बकाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यू.एन.ओ. से अधिशेष भुगतान की शीघ्र वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (च) भारत संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित शांति स्थापना अभियानों में 1950 से सक्रिय रूप से भागीदार रहा है। वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान विभिन्न संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों में भेजे गए सशस्त्र सेना कार्मिकों का देशवार ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्रम सं.	तैनाती की अवधि	देश का नाम	तैनात किए गए कार्मिकों की संख्या
1.	2004-05	कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य	4056
2.	2005-06	सूडान	2630
3.	2005-06	गोलन हाइट्स	189

इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों में 2291 कार्मिक संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों अर्थात् लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अभियान (यू एन आई एफ आई एल) और इथोपिया-इरीट्रिया में संयुक्त राष्ट्र अभियान (यू एन एम ई ई) में तैनात रहे जो अभी भी जारी है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों में की गई सेवाओं के लिए सैनिकों की लागत, सैन्य टुकड़ी के अपने उपस्करों और कार्यालय तथा खानपान प्रबंधन उपस्कर, फर्नीचर आदि जैसी जरूरी मदों के लिए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है।

जुलाई, 2006 की स्थिति के अनुसार जारी अभियानों के लिए संयुक्त राष्ट्र से 180.55 मिलियन (लगभग) अमरीकी डालर की राशि बकाया है। बकाया राशि के भुगतान करने के मुद्दे को न्यूयार्क स्थित भारत के स्थायी मिशन के माध्यम से लगातार उठाया जाता है।

[हिन्दी]

छावनी बोर्डों के चुनाव

2011. श्री रामदास आठवले : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश छावनी बोर्ड अनिर्वाचित जन प्रतिनिधियों द्वारा चलाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार छावनी बोर्डों के चुनाव का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) छावनी बोर्डों का प्रशासन छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 14 के अंतर्गत फेरफारित छावनी बोर्डों का गठन करके किया जा रहा है जिसमें स्टेशन का कमान अफसर, स्टेशन के कमान अफसर द्वारा नाम से नामित एक सैन्य अधिकारी और एक सदस्य जो सरकारी सेवा में न हो, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा कमान के ऑफीसर कमांडिंग-इन-चीफ के परामर्श से नामांकित किया गया हो, शामिल हैं।

(ख) और (ग) एक नया छावनी विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया है। राज्य सभा से पारित होने के बाद यह विधेयक लोक सभा में विचाराधीन है। अधिनियम के अधिनियमित होने के बाद चुनाव कराए जाएंगे।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन

2012. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद अपने उत्पाद के 5 प्रतिशत से भी कम का प्रसंस्करण करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के प्रोत्साहन हेतु अपार संभावना और क्षमता रखने वाले क्षेत्रों के बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो पहचाने गए क्षेत्र कोन से हैं; और

(घ) ऐसी संभावनाओं के पर्याप्त रूप से दोहन के लिए तैयार की गयी योजनाएं, यदि कोई हैं, क्या हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (घ) भारत में फल और सब्जियों का प्रसंस्करण स्तर लगभग 2% है। सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना और आधुनिकीकरण, बुनियादी सुविधाओं के सृजन आदि हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजना स्कीमें तैयार और कार्यान्वित की हैं। खाद्य प्रसंस्करण को प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/विस्तार संबंधी स्कीम के तहत सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की परियोजना लागत के 25% की दर पर जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है और दुर्गम क्षेत्रों में परियोजना लागत के 33.33% की दर पर जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रुपये है, सहायता अनुदान के रूप में सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

इस मंत्रालय ने अनेक राज्य नोडल एजेंसियों से अनुरोध किया है कि वे अपने राज्यों में संभावनाओं का पता लगाने के लिए अध्ययन करवाएं जिसके लिए मंत्रालय द्वारा सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य ने ऐसा अध्ययन करवाया है। पश्चिम बंगाल और गुजरात राज्यों में इस मंत्रालय की सहायता से अध्ययन शुरू किए गए हैं।

कोच्चि-अगत्ती विमान सेवा

2013. डा. पी.पी. कोया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में विमान सेवा प्रदान करने के लिए पट्टे पर कम क्षमता वाले एटीआर विमान लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोच्चि और अगत्ती के बीच एटीआर विमान की उड़ान शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के समान स्थानीय अनुसूचित जनजाति के यात्रियों को रियायत देने पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा मुख्यभूमि और लक्षद्वीप तथा विभिन्न द्वीप समूहों के बीच विमान संपर्क सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) एलाइंस एयर ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए/से और इस क्षेत्र में हवाई सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 4 एटीआर 42-320 विमान ड्राई लीज आधार पर लिए हैं।

(ग) जी, नहीं, अगाती में मौजूदा हवाईअड्डा एटीआर प्रचालनों के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके अतिरिक्त, इंडियन एयरलाइंस/एलाइंस एयर के पास कोच्चि और अगाती के बीच सेवाओं के प्रचालन पर विचार करने के लिए एटीआर विमानों के साथ-साथ क्रू भी नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) पूर्वोत्तर में स्थानीय अनुसूचित जनजाति के लिए कोई रियायती दरें नहीं हैं और लक्षद्वीप के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इंडियन एयरलाइंस ने अनबैंडल फेयर ऑफर के तहत अगाती-कोचीन सैक्टर पर विशेष प्रोत्साहन किराए आरम्भ किए हैं।

(छ) इंडियन एयरलाइंस पहले ही कोच्चि और अगाती के बीच सप्ताह में 6 दिन डोर्नियर सेवाओं के जरिए लक्षद्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ रही है। उपयुक्त कम क्षमता वाले विमानों की अनुपलब्धता की वजह से इंडियन एयरलाइंस/एलाइंस एयर द्वारा लक्षद्वीप समूह में अंतर-द्वीपीय सेवाओं का प्रचालन नहीं किया जा सकता। सरकार ने कोचीन-अगाती मार्ग पर हवाई सेवाओं को आरम्भ करना सुगम बनाने के लिए इस सैक्टर को मार्ग संवितरण संबंधी दिशानिर्देशों की श्रेणी-II के तहत शामिल किया है।

विश्व विरासत स्थलों के लिए सड़क संपर्क

2014. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन मंत्रालय ने पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा राज्य सरकारों से विश्व विरासत स्थलों और पर्यटन महत्व के अन्य स्थलों को सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा पहचान किए गए इन स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) क्या पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटम महत्व के अन्य स्थलों तथा विश्व विरासत स्थलों तक सड़क संपर्क विकसित करने के लिए राज्यों को कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) जी, हां। पर्यटन मंत्रालय ने पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा राज्य सरकारों से विश्व विरासत स्थलों और पर्यटन महत्व के अन्य स्थलों के सड़क संपर्क में सुधार करने के लिए अनुरोध किया है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा पहचान की गई सड़कों की सूची विवरण-I में दी गई है।

(ग) पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा राज्य सरकारों ने अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, विश्व विरासत स्थलों तथा अन्य स्थानों के साथ सड़क संपर्क सुधारने को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है।

(घ) और (ङ) पर्यटन मंत्रालय पहचान किए गए गंतव्यों तथा परिपथों पर पर्यटक अवसंरचना के एकीकृत विकास के रूप में, सड़कों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2004-05 से स्वीकृत राज्य-वार ऐसी परियोजनाओं की सूची विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

सुधार की जाने वाली प्रस्तावित सड़कों की सूची

क्रम सं.	सड़क से - तक	दूरी कि.मी.	सड़क का प्रकार	गंतव्य को जोड़ने वाला	राज्य
1	2	3	4	5	6
1.	झांसी - खजुराहो	175	एसएच	खजुराहो	उ.प्र./म.प्र.
2.	थेक्काड़ी - मुन्नार	110	राज्य पीडब्ल्यूडी	थेक्काड़ी/मुन्नार	केरल

1	2	3	4	5	6
3.	मैसूर - बांदीपुर - ऊटी	160	एसएच	मैसूर/बांदीपुर/ऊटी	कर्नाटक/तमिलनाडु
4.	कोहिमा - कुकी - डुलोंग	150	एसएच	पोइलवा इको पर्यटन क्षेत्र	नागालैण्ड
5.	जबलपुर - कान्हा	160	एसएच	कान्हा राष्ट्रीय पार्क	म.प्र.
6.	श्रीविलीपुथुर - मदुरै	63	एसएच	मदुरै	तमिलनाडु
7.	हुबली - गोवा	185	एनएच/एसएच	गोवा	कर्नाटक/गोवा
8.	सतना - खजुराहो	120	एसएच	खजुराहो	म.प्र.
9.	जलेसर - आगरा	13	जिला सड़क	आगरा	उ.प्र.
10.	सिलीगुड़ी - दार्जिलिंग	90	एनएच	दार्जिलिंग	पश्चिम बंगाल
11.	भुवनेश्वर - कोणार्क	65	एनएच/एसएच	कोणार्क	उड़ीसा
12.	चमाटा - मार्योंग - तिनयाली	18	जिला सड़क	पोबीतोरा वन्य जीव अभ्यारण्य	असम
13.	बरपेटा रोड - बसबारी	26	जिला सड़क	मानस राष्ट्रीय पार्क	असम
14.	कुर्सियांग - घूम	30	जिला सड़क	घूम (दार्जिलिंग)	पश्चिम बंगाल
15.	बिसरामगंज - मेलाघर	20	एसएच	नीरमहल	त्रिपुरा
16.	श्रावणबेलगोला - मंडागेरी	25	एसएच	श्रावणबेलगोला	कर्नाटक
17.	बेल्लूर - सकलेसपुर	37	एसएच	बेल्लूर	कर्नाटक
18.	कटनी - बांधवगढ़	102	एसएच	बांधवगढ़	म.प्र.
19.	जगदलपुर - चित्रकोट	39	एसएच	चित्रकोट	छत्तीसगढ़
20.	मोहन सराय - मुगल सराय	30	एनएच	वाराणसी	उ.प्र.

विवरण-II

एकीकृत भाग के रूप में सड़कों के विकास को शामिल करते हुए वर्ष 2004-05 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की गई पर्यटन अवसंरचना परियोजनाएं दर्शाता हुआ विवरण

क्र.सं.	राज्य	पर्यटन अवसंरचना परियोजना का नाम
1	2	3
1.	बिहार	बोधगया - राजगीर - नालंदा पर्यटक परिपथों का विकास
2.	छत्तीसगढ़	(i) सिरपुर का एकीकृत विकास
		(ii) रायपुर - अरांग - सिरपुर - नारायणपुर - गिरोड़पुरी - शेवरीनारायण - खारोड़ - माथर - रतनपुर - टाटा सेक्टर पर पर्यटन परिपथ का एकीकृत विकास

1	2	3
		(iii) रायपुर - नागपुरा - भोरामदेव पर पर्यटन परिपथ
3.	हरियाणा	उच्चाणा (जिला करनाल) में करना झील का विकास
4.	झारखंड	झारखंड में देवघर का एकीकृत विकास
5.	कर्नाटक	(i) बांदीपुर टाइगर रिजर्व का विकास
		(ii) बादामी - आइहोल - पट्टाडकल - महाकुटा परिपथ का एकीकृत विकास
6.	केरल	(i) थ्रिसूर जिले के गुरुवायुर के पुन्नायुर कोट्टा में ऐलीफेंट पार्क का गंतव्य विकास
		(ii) पोनमुडी का गंतव्य विकास
		(iii) मुन्नान गंतव्य विकास के पुनरुद्धार हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता
7.	मध्य प्रदेश	बुरहानपुर का गंतव्य विकास
8.	महाराष्ट्र	अजन्ता गुफाओं में फुटहिल्स का विकास
9.	पंजाब	फ्रीडम ट्रेल पंजाब पर्यटन परिपथ का एकीकृत विकास
10.	उत्तर प्रदेश	(i) रायबरेली और आस-पास के क्षेत्र का विकास
		(ii) एक पर्यटक गंतव्य के रूप में सुरहाताल शहीद स्मारक, बलिया का विकास
		(iii) जिला कानपुर नगर के बिठ्ठूर में नानाराव स्मारक का विकास एवं सौंदर्यीकरण
		(iv) आगरा पुनरुद्धार और ताजमहल के लिए आगन्तुक प्रबंधन का एकीकृत विकास
		(v) गढ़मुक्तेश्वर - बृजघाट परिपथ का विकास
11.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल राज्य में कालिम्पोंग का विकास

[हिन्दी]

अल्पसंख्यकों के लिए कार्यक्रमों का क्रियान्वयन

2015. **श्री छत्तर सिंह दरबार :** क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अल्पसंख्यकों के लिए बने कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कुछ राज्य पीछे चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सभी राज्यों में इन कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) से (ग) यह सत्य है कि अल्पसंख्यकों के लिए विकासात्मक कार्यकलापों को वित्त पोषित करने वाला राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को ऋण की कम वसूली, कर्मचारियों की कमी, राज्य सरकारों द्वारा अनुपयुक्त इक्विटी अंशदान और बढ़ी हुई उपयुक्त गारंटी के लिए राज्य सरकारों की अन्यमनस्कता आदि से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं को राज्य सरकारों के साथ उठाया गया है। सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए हाल ही में प्रधान मंत्री के नए 15-सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की गई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस कार्यक्रम का लाभ अल्पसंख्यकों को मिल रहा है। जहां भी संभव है, इस कार्यक्रम की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लक्ष्यों और परिव्यय का निर्धारण 15% अधिसूचित अल्पसंख्यकों के लिए किया गया है। इस कार्यक्रम की भली-भांति मॉनीटरिंग के लिए भी प्रबंध किए गए हैं।

[अनुवाद]

रेल लाइनों का दोहरीकरण

2016. **श्री भर्तृहरि महताब :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कटक से पारादीप तथा कटक से बारंग के बीच रेल लाइनों के दोहरीकरण की अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) इन दो दोहरीकरण परियोजनाओं के लिए अब तक कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) इन परियोजनाओं की धीमी प्रगति के क्या कारण हैं; और

(घ) अतिरिक्त धनराशि आबंटित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि ये परियोजनाएं निर्धारित समय पर पूरी हो जाएं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (घ) संपूर्ण तालचेर-नेरगुंडी-कटक-पारादीप लाइन का दोहरीकरण (महानदी के ऊपर दूसरे पुल को छोड़कर) शुरू किया गया है तथा चालू किया गया है। महानदी के ऊपर दूसरे पुल की अनुमोदित लागत 122 करोड़ रुपए है तथा कटक-बारंग (12 किमी) खंड के दोहरीकरण की अनुमोदित लागत 178.98 करोड़ रुपए है। इन दोनों पुलों का कार्य रेल विकास निगम लि. (आर वी एन एल) द्वारा शीघ्र पूरा करने के लिए निष्पादित किया जा रहा है। 31.3.2006 तक इन कार्यों पर किया गया व्यय क्रमशः 48.94 करोड़ रुपए और 24.74 करोड़ रुपए है। वर्ष 2006-07 में इन परियोजनाओं के लिए प्रदान किया गया बजट परिव्यय क्रमशः 39.90 करोड़ रुपए और 40.15 करोड़ रुपए है। निर्धारित समय से कार्य पर प्रगति करने के लिए रेल विकास निगम लि. के पास पहले से ही धन उपलब्ध है।

(ग) कटक-बारंग दोहरीकरण का वित्त-पोषण अंशतः एशियन विकास बैंक (एडीबी) निधि से किया जा रहा है। एशियन विकास बैंक की प्रक्रिया के अनुसार निविदा को अंतिम रूप देने में समय लगा। दूसरे महानदी पुल पर कार्य निर्धारित समय अनुसूची के अनुसार चल रहा है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को वित्तीय सहायता

2017. **श्री रघुनाथ झा :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान बड़ी संख्या में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को वित्तीय सहायता/अनुदान दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इन्हें प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन इकाइयों से उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसी इकाइयों को वित्तीय सहायता की दूसरी किश्त जारी की गई है जिन्होंने उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों द्वारा वित्तीय सहायता का दुरुपयोग न किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा कुल 550 यूनिटों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है।

(ख) उक्त अवधि के दौरान उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (च) खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को सहायता दो (2) किस्तों में उपलब्ध कराई जाती है। अनुदान की द्वितीय किस्त को तभी जारी किया जाता है जब संबंधित यूनिटों, जिन्हें अनुदान की प्रथम किस्त उपलब्ध कराई गई है, से उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाते हैं। उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की समय-सीमा मंजूरी के जारी होने की तारीख से अठारह (18) महीने है। अनुदान की द्वितीय किस्त जारी करते समय, यह सुनिश्चित किया जाता है कि संप्रवर्तक का 100% अंशदान, सावधि ऋण का 100% और राज्य नोडल एजेंसी से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है कि परियोजना भौतिक रूप में अस्तित्व में आ गई है और वह उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार है/वास्तविक रूप में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है।

विवरण

(लाख रुपये में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-2004	2004-2005	2005-2006
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	465.57	797.67	689.80
असम	257.79	245.76	67.18
बिहार	—	25.32	64.22
छत्तीसगढ़	—	32.61	98.25
दिल्ली	—	2.50	36.77
गोवा	17.00	25.00	47.58
गुजरात	165.85	262.15	370.05
हरियाणा	185.94	183.34	167.04
हिमाचल प्रदेश	99.18	75.51	154.48
जम्मू एवं कश्मीर	108.78	74.78	63.67
झारखण्ड	—	—	48.28
कर्नाटक	151.49	425.32	419.73
केरल	192.53	152.86	436.39
मध्य प्रदेश	88.93	45.62	239.95
महाराष्ट्र	529.03	778.67	1,251.94
मणिपुर	108.41	—	11.77
मेघालय	—	12.14	13.26
मिजोरम	110.50	12.30	—
नागालैण्ड	40.75	—	—
उड़ीसा	—	63.31	22.23
पाण्डिचेरी	—	24.54	14.67
पंजाब	163.00	538.23	497.67
राजस्थान	86.00	35.83	117.39
तमिलनाडु	274.03	310.60	699.68
त्रिपुरा	33.07	—	—
उत्तर प्रदेश	263.19	591.76	845.14
उत्तरांचल	5.37	87.88	162.71
पश्चिम बंगाल	132.96	325.74	400.14

पाइपलाइन से रसोई गैस की आपूर्ति

2018. **श्री एस.के. खारवेनथन :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाइपलाइन से रसोई गैस की आपूर्ति हेतु दिल्ली और देश के अन्य भागों के किन-किन क्षेत्रों को कवर किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस सुविधा का अन्य क्षेत्रों तक विस्तार करने का है;

(ग) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और पाइपलाइन से रसोई गैस की कब तक आपूर्ति की जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (घ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओ एम सीज) दिल्ली में पाइपलाइनों के द्वारा एल पी जी की आपूर्ति नहीं कर रही हैं। तथापि, ओ एम सीज ने दिल्ली समेत विभिन्न शहरों के आवास परिसर विशेषों के घरेलू उपभोक्ताओं को पाइप से एल पी जी का वितरण करने हेतु एल पी जी जालदार प्रणालियां आरंभ की हैं। इस प्रणाली में सिलेंडर बैंकों में केन्द्रीकृत एल पी जी भण्डार होता है तथा इस प्रणाली को अपनाने में उपभोक्ताओं की तत्परता तथा ओ एम सीज के वाणिज्यिक दृष्टिकोणों के आधार पर, इस प्रणाली को अन्य क्षेत्रों में विस्तारित किए जाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

जोधपुर विमानपत्तन से विमान सेवा

2019. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोधपुर से आने-जाने वाली सीडी 7471 और 7472 उड़ानों को कम कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त उड़ानों को नियमित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। विमानों तथा कर्मियों की कमी के कारण, एलाइंस एयर को जोधपुर के लिए/से अपने प्रचालनों को दैनिक सेवा से घटाकर सप्ताह में छः सेवाएं करना पड़ा था। वृहस्पतिवार को उड़ान सीडी-7471 जोधपुर होकर प्रचालन नहीं करती परंतु उदयपुर होते हुए दिल्ली रसे मुंबई के लिए प्रचालन करती है।

(ग) और (घ) इंडियन एयरलाइंस द्वारा दैनिक सेवाओं की बहाली पर्याप्त मात्रा में विमान क्षमता तथा प्रचालन कर्मियों की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

[अनुवाद]

अति विशिष्ट व्यक्तियों हेतु विश्राम कक्ष

2020. श्री पी.सी. थामस : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ प्रमुख विमानपत्तनों पर अति विशिष्ट व्यक्तियों तथा अन्यों हेतु विश्राम कक्षों का निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में यह आया है कि मुंबई विमानपत्तन पर इन कक्षों को संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा अधिकारियों के कक्षों में परिवर्तित कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) क्या उन अति विशिष्ट व्यक्तियों तथा अन्य हेतु वैकल्पिक प्रबंध किए जाने का प्रस्ताव है जिन्हें मुंबई के रास्ते होकर जाना होता है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) चेन्नई, कोलकाता, त्रिवेन्द्रम, कालीकट, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, नागपुर, कोयम्बतूर, पटना, भोपाल, इंदौर, बड़ोदरा, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, विशाखापट्टनम, रांची, अगरतला, बागडोगरा तथा आगरा के हवाईअड्डों पर विश्राम कक्ष उपलब्ध हैं।

(ख) से (ङ) मुंबई हवाईअड्डे पर 14 कक्ष थे। इस सुविधा को आधुनिकीकरण के एक भाग के रूप में अस्थायी आधार पर वापस ले लिया गया है।

कला संग्रहालय

2021. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कला संग्रहालयों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ कला संग्रहालयों की स्थिति अच्छी नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन संग्रहालयों की स्थिति को सुधारने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (घ) मुंबई स्थित अपनी कार्यात्मक शाखा सहित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख कला वीथी और संग्रहालय है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली; सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद; भारतीय संग्रहालय, कोलकाता; इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद; विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता जैसे कई अन्य संग्रालय हैं, जिनके पास भी कला संग्रह हैं। इन संग्रहालयों का रख-रखाव भारत सरकार से प्राप्त नियमित बजटीय सहायता के माध्यम से किया जाता है। संस्कृति मंत्रालय ''क्षेत्रीय और स्थानीय संग्रहालयों के संवर्धन और सुदृढ़ीकरण'' की स्कीम के अंतर्गत राज्य

सरकारों के अधीन और गैर-सरकारी संगठनों, न्यासों इत्यादि द्वारा अनुरक्षित संग्रहालयों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

[हिन्दी]

भिखारियों का पुनर्वास

2022. श्री हंसराज जी. अहीर : क्या सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भीख मांगने पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) भिखारियों के पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा कितने भिक्षुक गृहों का निर्माण किया गया है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार ने भिक्षुक गृहों के निर्माण हेतु राज्य सरकारों को कोई अनुदान प्रदान किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, नहीं। केन्द्रीय क्षेत्र में भिक्षावृत्ति के निवारण के लिए फिलहाल कोई योजना नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारी उद्योगों में सुधार

2023. श्री सुग्रीव सिंह : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारी उद्योगों में सुधार लाने का है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2005-06 के दौरान औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड द्वारा स्वीकृत पुनरुद्धार योजनाओं तथा इन उद्योगों हेतु कैश इन्फ्यूजन और वित्तीय पुनर्गठन का उद्योग-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का भारी उद्योग क्षेत्र में अपनी इक्विटी घटाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी उद्योग-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में चालू वित्तीय वर्ष हेतु सरकार द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) भारी (हैवी) के रूप में उद्योग का कोई औपचारिक वर्गीकरण नहीं है। हालांकि जहां तक भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का संबंध है, राष्ट्रीय न्यूनतम सांझा कार्यक्रम में बनायी गयी नीति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के आधुनिकीकरण तथा पुनर्संरचना के सभी प्रयास किये जायंगे। विगत दो वर्षों के दौरान, संलग्न ब्यौरे के अनुसार लगभग 365 करोड़ रुपये के नये नकद निवेश तथा 2849 करोड़ रुपये की छूट/रियायतों के साथ सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के 10 उपक्रमों के पुनरुद्धार/पुनर्संरचना का अनुमोदन किया गया है।

(ग) सरकार द्वारा कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2023 का दिनांक 10.8.2006 को दिये जाने वाले उत्तर के भाग (क) और (ख) से संदर्भित विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के नाम	सरकारी द्वारा निधियों का नया निवेश	छूट/रुपान्तरण	कुल
1	2	3	4	5
1.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.	4.28	66.32	70.60

1	2	3	4	5
2.	ब्रीज एंड रूफ कंपली लि.	60.00	42.92	102.92
3.	बीबीजे कंस्ट्रक्शन लि.	शून्य	54.61	54.61
4.	प्रागा टूल्स लि.	5.00	177.12	182.12
5.	हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि.	100.00	1116.30	1216.30
6.	एचएमटी (बियरिंग्स) लि.	7.40	26.57	33.97
7.	ब्रेथवेट एंड कंपनी लि.	4.00	112.91	116.91
8.	सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	184.29	1252.25	1436.54
9.	रिचर्डसन एंड क्रुडास लि.	शून्य	शून्य	शून्य
10.	तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लि.	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	364.97	2849.00	3213.97

इंडियन एयरलाइंस में परोसे जाने वाले खाने की गुणवत्ता

2024. श्री एस. अजय कुमार : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस की इन-फ्लाइट सर्विसेज के दौरान परोसे जाने वाले खाने की गुणवत्ता बहुत घटिया है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) खाने की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) जनवरी, 2006 से जून, 2006 की अवधि में इंडियन एयरलाइंस के विमानों में दिए गए भोजन की गुणवत्ता से संबंधित कुल सात शिकायतें मुख्यालय तथा सभी चार क्षेत्रों के ग्राहक सेवा एकक से प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त, इस अवधि में, ग्राहक सेवा मुख्यालय में प्राप्त 2440 फीड बैंक फार्मों में से, 266 में इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों में वितरित भोजन के प्रकार के संबंध में प्रतिकूल टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं।

(ग) प्रस्थान और आगमन की उड़ानों में नियमित के साथ-साथ आकस्मिक आधार पर भोजन की गुणवत्ता और मात्रा की जांच हेतु इंडियन एयरलाइंस की प्रणालियां हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी शिकायतें/फीडबैक जो कमियों की ओर संकेत करते हैं, पर तुरंत कार्रवाई की जाती है तथा केटरर/कर्मचारी स्तर पर सुधार कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

पर्यटन अवसंरचना विकास कार्यक्रम हेतु विशेष प्रकोष्ठ

2025. श्री रामदास आठवले : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पर्यटन हेतु अवसंरचना विकास कार्यक्रम

में तेजी लाने और पर्यटन स्थलों पर मनोरंजनद और सेवाओं हेतु सुविधाएं प्रदान करने तथा लंबित पर्यटन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को कोई निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन राज्य सरकारों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने आज तक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ग) केन्द्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से स्वीकृत पर्यटन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की मानिटरिंग एक निरंतर संयुक्त प्रयास है जिसमें पर्यटन मंत्रालय, इसके स्वदेशी क्षेत्रीय कार्यालय तथा संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें शामिल होती हैं। पर्यटन मंत्रालय के निर्देश पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के सचिव (पर्यटन) के स्तर पर पर्यटन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति को मॉनीटर करती हैं। जहां तक पर्यटक स्थानों पर मनोरंजन तथा सेवाओं के लिए सुविधाओं का संबंध है, इसकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। पर्यटन मंत्रालय पर्यटक सुविधा केन्द्र तथा व्याख्यान केन्द्र स्थापित करने के लिए भी सहायता प्रदान करता है।

[अनुवाद]

सिंगापुर के साथ विमान सेवा बढ़ाना

2026. श्री अचलराव पाटील शिवाजीराव :
श्रीमती अर्चना नायक :
श्री दुष्यंत सिंह :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और सिंगापुर ने विमान सेवा बढ़ाने के लिए किसी नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देश फिफ्थ फ्रीडम मुद्दे को हल करने में विफल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो सिंगापुर के साथ इस मुद्दे को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) भारत को इस समझौते से क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है; और

(च) भारत का किन-किन देशों के साथ फिफ्थ फ्रीडम समझौता है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) भारत तथा सिंगापुर के बीच 10-11 जुलाई, 2006 को हुए द्विपक्षीस विमान सेवा या परामर्शों के अंतिम चरण के दौरान हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार, दोनों पक्षों द्वारा हमारे आसियन प्रस्ताव को लागू किए जाने के संबंध में पुष्टि की गई थी, जो कि अन्य बातों के साथ भारत में 18 पर्यटक गंतव्यों के लिए असीमित अभिगमन उपलब्ध कराता है। दोनों पक्ष सभी कार्गो सेवाओं की आवृत्ति, मार्ग निर्धारण तथा क्षमता में असीमित खुली आकाश व्यवस्था के लिए भी सहमत थे।

(ग) और (घ) वार्ताओं के दौरान दोनों पक्षों ने स्वीकार किया कि फिफ्थ फ्रीडम अधिकारों की वृद्धि के मामले पर दोनों देशों के बीच वार्ताओं के अगले दौर के दौरान चर्चा की जाएगी।

(ङ) दोनों देशों की विनिर्दिष्ट एयरलाइनों को भारत में असीमित अभिगमन वाले 18 पर्यटक स्थलों के खुलने के साथ पर्यटन क्षेत्र को लाभ होगा। इसके अलावा, सभी कार्गो सेवाओं के लिए खुली आकाश की स्वीकृति दिए जाने के साथ सभी कार्गो सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा।

(च) वर्तमान में, भारत का पारस्परिकता के आधार पर यूएसए, कनाडा, ब्राजील, यूके, बेल्जियम, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, इटली, नीदरलैंड्स, पोलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, स्विटजरलैंड, रूस, कजाकिस्तान, यूक्रेन , इथोपिया, घाना, कीनिया, लिसोथो, मॉरीशस, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, तंजानिया, यमन, दुबई, इजिप्ट, बहरीन, ओमान, ईरान, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, सीरिया, तुर्की, आस्ट्रेलिया, बंगलादेश, भूटान, ब्रूनी, चीन, फिजी, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, न्यूजीलैंड, फिलीपीन, सिंगापुर, श्रीलंका, ताईवान, थाईलैंड के साथ फिफ्थ फ्रीडम समझौता है। डेनमार्क, नार्वे, स्वीडन, तुर्कमेनिस्तान तथा उजबेकिस्तान के मामले में भारतीय वाहकों के पास एक पक्षीय फिफ्थ फ्रीडम अधिकार है।

हुबली-अंकोला रेल लाइन का निर्माण

2027. **श्री मंजुनाथ कुन्नुर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने हुबली-अंकोला नई रेल लाइन परियोजना का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना को पूरा करने हेतु समय-सीमा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) हुबली-किरवत्ती खंड पर, जहां कहीं भूमि उपलब्ध हो गई है, वहां पर मिट्टी और पुल संबंधी कार्य शुरू हो गया है। शुष खंड में भी भूमि अधिग्रहण शुरू हो गया है।

(ग) कोई लक्षित तिथि निश्चित नहीं की गई है।

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर तैनात कर्मचारियों का आमेलन

2028. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन को संयुक्त उद्यम कंपनी- जी एम आर कंसोर्टियम को सौंप दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो समझौते के अनुसार इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर तैनात कितने प्रतिशत कर्मचारियों को जेवीसी में आमेलित किया जाएगा;

(ग) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने शेष कर्मचारियों के आमेलन हेतु कोई कार्य-योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ कर्मचारियों को मुख्य कार्यालय में आमेलित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) दिल्ली हवाईअड्डे की सौदा प्रक्रिया में रियायत अवधि के पहले तीन वर्षों के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रचालनिक समर्थन प्रदान किए जाने का प्रावधान है, जिसमें इन हवाईअड्डों के कर्मचारी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारी बने रहेंगे और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अन्य कर्मचारियों की तरह उन्हीं सेवा शर्तों तथा नियमों पर रहेंगे। 3 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर दिल्ली हवाईअड्डे के लिए जी एम आर कंसोर्टिया द्वारा सौदे की प्रभावी तिथि के अनुसार इन हवाईअड्डों पर कार्यरत 60% कर्मचारियों को समाविष्ट करना अपेक्षित होगा। वे कर्मचारी, जो संयुक्त उद्यम कंपनियों में समावेशन की पेशकश के बावजूद, संयुक्त उद्यम कंपनियों में रोजगार/नियुक्ति का विकल्प नहीं चुनेंगे, अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि तक या अन्यथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों के रूप में बने रहेंगे और जहां कहीं रिक्तियां होंगी, उनकी नियुक्ति की जाएगी।

विमानपत्तन पर हाई-टेक सुरक्षा उपकरण

2029. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन-किन विमानपत्तनों पर सुरक्षा के लिए सी आई एस एफ को तैनात किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार विमानपत्तनों पर हाई-टेक सुरक्षा उपकरण संस्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन उपकरणों पर कितना व्यय किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इन्हें कब तक संस्थापित किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) आज की तारीख तक 54 हवाईअड्डों पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को तैनात किया जा चुका है।

(ख) से (घ) जी, हां। देश के सभी महत्वपूर्ण हवाईअड्डों पर बायो-मैट्रिक पहुंच नियंत्रण प्रणाली, विस्फोटक निरोधक उपकरण,

सीसीटीवी, पैरामीटर इंट्रूजन डिटैक्शन प्रणाली आदि जैसे सुरक्षा उपकरणों को संस्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रस्थान क्षेत्र में संस्थापित किए जाने वाले सुरक्षा उपकरण तथा उनकी लागत निम्नानुसार है:—

इन-लाइन एक्स-रे बैगेज जांच प्रणाली	—	58.30 करोड़ रुपए
विस्फोटक ट्रेस डिटैक्टर	—	62.27 करोड़ रुपए
मेटल डिटैक्टर	—	05.77 करोड़ रुपए
एक्स-रे बैगेज जांच प्रणाली	—	34.00 करोड़ रुपए

(ङ) इन उपकरणों को चरणबद्ध आधार पर संस्थापित किया जाएगा।

[हिन्दी]

पेट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्रों का आबंटन

2030. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्रों की आबंटन हेतु मौजूदा प्रक्रिया क्या है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्रों के आबंटन हेतु कोई विपणन योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र की प्रत्येक तेल कंपनी द्वारा अब तक राज्यवार पेट्रोल के कितने खुदरा बिक्री केन्द्र आबंटित किए गए हैं; और

(ङ) उक्त योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) नामत: इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, और आई बी पी कंपनी लिमिटेड ने खुदरा बिक्री केन्द्र (आर ओ) डीलरशिपों (पेट्रोल पम्पों), एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों और एस के ओ-एल डी ओ डीलरशिपों के चयन/नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश तैयार कर लिए हैं और इन दिशानिर्देशों के अनुरूप चयन करते रहे हैं। इन दिशानिर्देशों में ओ एम सीज द्वारा डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन हेतुर अपनाई जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया दी हुई है। इस प्रक्रिया में कुछ निर्धारित प्राचलों की तुलना में उम्मीदवारों की उपयुक्तता के आकलन के आधार पर संबद्ध ओ एम सी की चयन समिति द्वारा डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन सम्मिलित है।

(ख) और (ग) 1.4.2002 से पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासनिक मूल्य प्रणाली की समाप्ति की घोषणा के पश्चात् नए आर ओ स्थापित करने हेतु ओ एम सीज वार्षिक/द्विवार्षिक आधार पर अपनी-अपनी विपणन योजनायें बनाती हैं। आर ओ स्थापित करने हेतु दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है। नए आर ओ स्थापित करने हेतु ओ एम सीज द्वारा बनाई गयी राज्य-वार विपणन योजनाओं के ब्यौरे संबंधित ओ एम सीज के निदेशक (विपणन) के पास उपलब्ध हैं।

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि अर्थात् 2002-2007 के दौरान सरकारी क्षेत्र की ओ एम सीज ने देश में अब तक 14,493 आर ओ का आबंटन किया है।

(ङ) आर ओ आबंटन के लिए ओ एम सीज ने दसवीं योजना के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है।

[अनुवाद]

अल्पसंख्यकों के संबंध में श्वेत-पत्र

2031. श्री किसनभाई वी. पटेल : क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति के संबंध में श्वेत-पत्र लाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : (क) से (ग) जी, हां। कोई समय-सीमा निश्चित नहीं की गयी है।

[हिन्दी]

ब्लैंक पेपर टिकट जारी किया जाना

2032. श्री हंसराज जी. अहीर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने लंबी दूरी की रेल यात्रा के लिए ब्लैंक पेपर टिकट जारी करना बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त सुविधा बंद किए जाने से रेलवे की आय पर प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेलवे का विचार उक्त सुविधा को पुनः बहाल करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (च) ब्लैंक पेपर टिकट तथा टेलीस्कोपिक भाड़े की सुविधा जैसा कि 1.4.2006 से पहले उपलब्ध थी, को पहले ही 15.6.2006 से पुनः चालू कर दिया गया है।

[अनुवाद]

खुदरा बिक्री केन्द्र के डीलरों से ड्राफ्ट बनाने पर शुल्क

2033. श्री अधीर चौधरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी बैंकों सहित अनुसूचित बैंक डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए नकदी जमा करने वाले खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरों से प्रति हजार 1 रुपए शुल्क वसूल कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ये बैंक ड्राफ्ट बनाने के लिए 2 से 3 रुपए प्रति हजार भी शुल्क वसूल कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या ये बैंक इन डिमांड ड्राफ्ट पर सेवा कर भी वसूल कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या तेल कंपनियों ने एम एस/एच एस डी पर प्रति किलोमीटर इस लागत के संबंध में सर्वेक्षण किया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या तेल कंपनियां इस लागत की प्रतिपूर्ति के लिए सिद्धांततः बाध्य हैं;

(च) यदि नहीं, तो क्या खुदरा बिक्री केन्द्रों के डीलर इस लागत को एम एस/एच एस डी के खुदरा बिक्री मूल्य में जोड़ने के लिए प्राधिकृत हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) ने रिपोर्ट दी है कि ग्राहक के साथ कारोबारी संबंध के आधार पर बैंकों द्वारा डिमांड ड्राफ्ट बनाने का प्रभार शून्य से लेकर रुपए 3.50 प्रति हजार अलग-अलग रहता है।

(ग) मौजूदा कर नियमों के अनुसार बिक्री कर लागू होता है।

(घ) ओ एम सीज ने इस मामले में कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ङ) डीलरों द्वारा डिमांड ड्राफ्ट बनाने में किए गए खर्चे की भरपाई ओ एम सीज द्वारा की जाती है, बशर्ते एम एस के लिए 58% रुपए प्रति किलो लीटर (के एल) तथा एच एस डी के लिए 34/-रुपए प्रति कि.ली. की अधिकतम सीमा हो।

(च) और (छ) खुदरा बिक्री मूल्य एक समान आधार पर निर्धारित किया जाता है, जिसमें डिमांड ड्राफ्ट बनाने के प्रभार शामिल हैं। चूंकि खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरों को डिमांड ड्राफ्ट बनाने के प्रभारों की भरपाई कर दी जाती है, इसलिए खुदरा बिक्री मूल्य में यह लागत शामिल करने का उन्हें अधिकार नहीं है।

गैर-घरेलू प्रयोजनार्थ उपभोग की गई विद्युत पर विद्युत शुल्क

2034. श्रीमती सुस्मिता बाउरी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्ग अभियंता (पूर्व) फिरोजपुर ने रक्षा स्थापना द्वारा अगस्त, 2002 से जनवरी, 2004 के बीच गैर-घरेलू प्रयोजन हेतु उपभोग

की गई विद्युत पर अनियमित रूप से 75.34 लाख रुपए विद्युत शुल्क का भुगतान किया है जैसाकि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 2005 की रिपोर्ट सं. 6 में उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) गैरिसन इंजीनियर (पूर्व) फिरोजपुर ने अगस्त, 2002 से जनवरी, 2004 तक की अवधि के लिए गैर घरेलू प्रयोजन हेतु पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड को 72.67 लाख रुपए (75.34 लाख रुपए नहीं जैसाकि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की 2005 की रिपोर्ट संख्या 6 में उल्लेख किया गया है) अधिक विद्युत शुल्क का भुगतान किया है। राज्य विद्युत बोर्ड ने भुगतान की गई 72.67 लाख रुपए की समूची अधिक राशि वापस कर दी है। लेखा-परीक्षा ने इस मामले में तैयार 'की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट' की विधीक्षा कर ली है।

ऐतिहासिक स्मारकों का अतिक्रमण

2035. श्री गणेश प्रसाद सिंह : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के शिवालिक मालवीय नगर स्थित राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित मुगलकालीन स्मारक सराय शाहजी पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इन ऐतिहासिक स्मारकों से अवैध कब्जा को हटाने और दिल्ली स्थित ऐसे अन्य स्मारकों का विकास करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) जी, हां। मई, 1988 में स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किए जाने से पहले ही स्मारक का संरक्षित क्षेत्र आंशिक रूप से अतिक्रमित है।

(ख) और (ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई शुरू की है। जिला प्राधिकारियों, पुलिस तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संयुक्त रूप से स्थल का सर्वेक्षण किया गया। अतिक्रमणकारियों की बेदखली का मामला जिला कार्य दल के साथ उठाया गया है जिसका गठन संरक्षित स्मारकों से अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार किया गया है।

खुदरा बिक्री केन्द्रों का आबंटन

2036. श्री उदय सिंह :
श्री अधीर चौधरी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों से किसी शहर विशेष के चालू कोको पंपों को कारगिल शहीदों अथवा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के आशय-पत्र धारकों को आबंटित करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियां विशेषकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड निर्देशों का उल्लंघन कर रही है और संबंधित तेल कंपनियों के पास सरकारी अभिकरणों से उक्त स्थान पर भूमि के लंबित आबंटन होने अथवा कोको आधार पर कई पेट्रोल पंपों का संचालन करने के बावजूद हरियाणा में उक्त श्रेणी के आशय-पत्र धारकों के खुदरा बिक्री केन्द्रों का अधिष्ठापन और इनको चालू नहीं कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच की है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(च) इन आशय-पत्र धारकों को शीघ्र खुदरा बिक्री केन्द्र आबंटित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को सामान्यतः यह सलाह दी गई है कि वे कारगिल शहीदों के आश्रितों को डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप आबंटित करने की विशेष योजना, विवेकाधीन

कोटा योजना, निकाय निधि योजना (अ.जा./अ.ज.जा.) श्रेणी डीलरशिप, 40 वर्ष और अधिक आयु की विधवा और महिलाओं जिनके माता-पिता आय अर्जन नहीं कर रहे हैं और इस क्रम में अन्य श्रेणियों के तहत लंबित आशय पत्र (एल ओ आई) धारकों को, उपयुक्तता की शर्तों पर, अपने कुछ अस्थायी कंपनी स्वामित्व वाले कंपनी द्वारा प्रचालित (सी ओ सी ओ) खुदरा बिक्री केन्द्रों का प्रस्ताव करें।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (च) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेलवे में एन एस सी और किसान विकास पत्र की चोरी

2037. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को उसके द्वारा राष्ट्रीय मुद्रणालय नासिक में मुद्रित 'किसान विकास पत्र' और राष्ट्रीय बचत पत्रों को लाते समय रास्ते में गायब हुए पत्रों को गिरवी रखने और उनके ठेका लेने और कानून तोड़ने में दुरुपयोग करने संबंधी घोटाले की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे को नई दिल्ली से प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका 'आउटलुक' में दिनांक 24 जुलाई, 2006 को 'चोरी और सीनाजोरी' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित लेख की भी जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) उक्त घटना के लिए केंद्र सरकार के कौन-कौन से विभाग जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां। वर्ष 1998 में पटना जंक्शन रेलवे यार्ड से नेशनल प्रेस नासिक रोड से हावड़ा तक बुक किए गए माल डिब्बा संख्या सीआर 64037 से राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी), किसान विकास पत्र (केवीपी) और पोस्टल आर्डर की चोरी का एक मामला रिपोर्ट हुआ था।

(ख) 20.2.1998 को माल डिब्बा सं. सीआर 64037 जो नेशनल प्रेस, नासिक रोड से हावड़ा जंक्शन यार्ड से बुक किया गया था, पटना जंक्शन यार्ड से चोरी की सूचना प्राप्त होने पर, माल डिब्बे की पटना पार्सल कार्यालय में जांच की गयी थी और 04 पैकेट, जिनमें राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी), किसान विकास पत्र (केवीपी) और पोस्टल आर्डर थे, गायब पाए गए। इस संबंध में राजकीय रेल पुलिस/पटना द्वारा दिनांक 24.2.1998 को अपराध संख्या 29/28 द्वारा भारतीय दंड संहिता की धाराओं 468/409/120-बी के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू हो गई।

1.4.1998 को कुछ यात्रियों से सूचना प्राप्त होने पर, मुगलसराय के रेलवे सुरक्षा बल ने 5½ वर्ष वाले किसान विकास पत्र की 4000 शीटें जिनका मूल्य 4 करोड़ रुपए था, मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी संख्या 3073 हिमगिरि एक्सप्रेस के एक कम्पार्टमेंट से प्राप्त किया। किसान विकास पत्र की बरामद शीटें राजकीय रेलवे पुलिस/पटना को सौंप दी गई।

(ग) से (च) जी, हां। चोरी हुए राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी), किसान विकास पत्र (केवीपी) और पोस्टल आर्डरों के गलत प्रयोग को रोकने के लिए पोस्ट मास्टर जनरल/बिहार, मुख्य आयुक्त, आयकर, बिहार, राज्य रेल पुलिस/पटना को सूचित किया गया। राजकीय रेल पुलिस/पटना ने हाल ही में अनुबंध प्राप्त करने के लिए चोरी हुए मूल्यवान प्रतिभूतियों के प्रयोग के संबंध में 225/2006 के तहत एक मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। दानापुर मंडल के 12 रेसुब अधिकारियों और कर्मचारी, जोकि चोरी के लिए जिम्मेदार पाए गए थे, को चार्जशीट दी गई और उन्हें विभागीय रूप से दंडित किया गया।

आतंकवादी गतिविधियां

2038. **प्रो. महादेवराव शिवनकर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना ने सरकार को देश के कुछ राज्यों में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2005 और 2006 में और अभी तक सेना द्वारा उल्फा आतंकवादियों की योजनाओं को कितनी बार नाकाम किया गया है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को सुरक्षा प्रबंधों के लिए सहायता प्रदान की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) सेना प्राधिकारी, सरकार को देश में सुरक्षा स्थिति के बारे में, विशेष रूप से जहां आतंकवादरोधी संक्रियाओं के लिए सेना तैनात है, नियमित रूप से अवगत कराते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुरक्षा बलों द्वारा उल्फा सहित विभिन्न आतंकवादी गुटों के विरुद्ध लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। सुरक्षा बलों द्वारा कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप, असम के अधिकांश हिस्सों में उल्फा के गढ़ नष्ट कर दिए गए हैं और आतंकवादी कार्रवाइयां करने की उनकी क्षमता को काफी हद तक कम कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) आतंकवादरोधी कार्रवाइयों के लिए नि:शुल्क उपलब्ध कराई जा रही सेना सहायता के अलावा संघ सरकार गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजना के तहत सुरक्षा संबंधी व्यय के कुछ हिस्से की प्रतिपूर्ति भी करती है। ऐसी सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य, देश की शांति, एकता और संप्रभुता बनाए रखने के लिए राज्य सरकार के संसाधनों को बढ़ाना है।

[अनुवाद]

विमान कंपनियों को विमानपत्तन स्लॉटों का आबंटन

2039. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
श्री एम. अंजनकुमार यादव :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विमान कंपनियों को देश में प्रमुख विमानपत्तनों पर पार्किंग के लैंडिंग स्लॉट तथा हैंगर हासिल करने में कठिनाइयां आ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विमान कंपनियों को विमानपत्तन स्लॉटों के आबंटन हेतु एक पारदर्शी प्रणाली बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रणाली को कब तक तैयार कर लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां। कुछ बड़े हवाईअड्डों, विशेषकर दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई तथा कोलकाता में हैंगर स्पेस की अनुपलब्धता की वजह से कुछ एयरलाइनों को थोड़ी कठिनाइयां हो रही हैं।

(ख) और (ग) एयरलाइनों के स्लाट्स के आबंटन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अनुसरित कार्यविधि व्यापक रूप से अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन संगठन (आयटा) के दिशानिर्देशों पर आधारित है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नए विमानपत्तनों का निर्माण

2040. श्री श्रीपाद येसो नाईक :
श्री एम. अंजनकुमार यादव :
श्री सुरेश कलमाडी :
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :
श्री जे.एम. आरून रशीद :
श्रीमती करुणा शुक्ला :
श्री ब्रजेश पाठक :
श्री अनंत कुमार :
श्री गुंडलूर निजामुद्दीन :
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में कुछ नए विमानपत्तनों के निर्माण की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन से तकनीकी वास्तविक रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर और क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) इन विमानपत्तनों के निर्माण के लिए वास्तव में कितनी

धनराशि की आवश्यकता है तथा इस राशि को किस प्रकार एकत्र किया जाएगा; और

(ङ) इस मामले में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) इस समय, सरकार द्वारा सिक्किम में गंगटोक, नागालैण्ड में कोहिमा, महाराष्ट्र में चाकन, पुणे तथा नवी मुम्बई, राजस्थान में अजमेर, केरल में कन्नूर, अरुणाचल प्रदेश में इटानगर, पश्चिम बंगाल में रायगंज, गुजरात में भरूच तथा पंजाब में हलवारा में सिविल एन्क्लेव में नए हवाईअड्डों के निर्माण से संबंधित प्रस्तावों की जांच की जा रही है। ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के विकास के लिए सुनिर्धारित प्रक्रियाएं हैं और अनुमोदन के लिए विचार किए जाने से पहले उपरोक्त प्रस्ताव निर्धारित शर्तों के अनुरूप होने चाहिएं।

(ख) गोवा में मोपा के संबंध में अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) की ओर से तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट केवल गोवा राज्य सरकार के माध्यम से ही प्राप्त हुई है।

(ग) और (घ) उपरोक्त प्रस्ताव प्रारंभिक अवस्थाओं में हैं। अतएव, अभी तक किसी वित्तीय आबंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आर पी एफ और जी आर पी का आमेलन

2041. श्री शैलेन्द्र कुमार :
श्री असादुद्दीन ओवेसी :
श्रीमती पी. सतीदेवी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवादी हमलों, डकैतियों और अन्य अपराधों की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (आर पी एफ) और राजकीय रेलवे पुलिस (जी आर पी) को एकल एकीकृत विशेष केंद्रीय बल में आमेलित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई बैठक आयोजित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) इस मामले में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

डी आर डी ओ द्वारा खाद्य उत्पादों का विकास

2042. श्री किसनभाई वी. पटेल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी आर डी ओ) ने देश के दूरवर्ती और अलग-अलग क्षेत्रों में तैनात जवानों के लिए प्रोटीन खाद्य उत्पादों के उत्पादन में अपना अनुसंधान किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष डी आर डी ओ द्वारा कौन-कौन से विभिन्न खाद्य उत्पाद विकसित किए गए हैं;

(ग) डी आर डी ओ द्वारा रक्षा कार्मिकों के लिए कौन-कौन से अन्य खाद्य उत्पाद विकसित किए जाने की संभावना है; और

(घ) वर्ष 2005-06 के दौरान डी आर डी ओ में ऐसे अनुसंधान कार्य के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) जी, हां। निम्नलिखित खाद्य उत्पादों का विकास किया गया है:-

वर्ष	विकसित उत्पाद
1	2
2003-04	न्यूट्री बार, अंडायुक्त तथा प्रोटीन से भरपूर बिस्कुट
2004-05	प्रोटीन से भरपूर ठोस बार (न्यूट्री-बार)

1	2
2005-06	सोया युक्त तत्काल तैयार
	पुलाव
	खिचड़ी
	उपमा
	हलवा
	आलू
	परांठा

अन्य खाद्य उत्पाद जिनको विकसित किए जाने की सम्भावना हैं:-

(i) मटन और चिकन युक्त ठोस बिस्कुट

(ii) अनाज, दालें/फलियों पर आधारित प्रोटीन से भरपूर बार, पोषक तत्वों से युक्त सुखे मेवे।

(घ) वर्ष 2005-06 के दौरान रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन में ऐसे अनुसंधान कार्य के लिए 5 लाख रुपए का धन आबंटित किया गया था।

ओ.एन.जी.सी. को जबरन वसूली का नोटिस

2043. श्री उदय सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओ एन जी सी) को प्रतिबंधित अलगाववादी गुरिल्ला नेशनल सोशलिस्ट काउन्सिल आफ नागालैन्ड से जबरन वसूली करने संबंधी मांग मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ओ एन जी सी द्वारा एन एस सी एन की जबरन वसूली की मांग मान ली गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या एन एस सी एन ने ओ एन जी सी को इसके परिणाम भुगतने की धमकी दे दी है; और

(ङ) यदि हां, तो एन एस सी एन की धमकियों को देखते हुए ओ एन जी सी के नए सुरक्षा संबंधी पहलुओं का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 17.3.2006 की जबरन वसूली संबंधी सूचनायें असम परिसम्पत्ति, नजीरा के परिसम्पत्ति प्रबंधक, जी जी एम (वेधन) और जी एम (उत्पादन) के कार्यालय में क्रमशः 8.5.2006 और 9.5.2006 को प्राप्त हुई थी।

इन पत्रों के माध्यम से एन एस सी एन ने प्रत्येक अधिकारी से 3.00 करोड़ रुपए की मांग की थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) पत्र में कोई धमकी नहीं दी गई थी। तथापि, उन्होंने यह संकेत दिया है कि 5 अप्रैल, 2006 तक उनकी मांग पूरी हो जाने के बाद ही ओ एन जी सी "मान" जिले के चांगपांग क्षेत्र (असम-नागालैंड सीमा) के आस-पास कार्य कर सकती है।

(ङ) 1. उग्रवादियों की धमकियों में बढ़ोत्तरी के मामले को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा गृह मंत्रालय और असम सरकार के साथ उठाया गया है।

2. राज्य के अधिकारियों (असम सरकार) के साथ आवधिक समीक्षा होती है और स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है।

3. तटीय सुरक्षा समन्वयन समिति की बैठकों में उग्रवादियों की धमकियों और जबरन वसूली संबंधी मुद्दों पर समय-समय पर चर्चा की गई है।

4. उग्रवादियों की बढ़ती धमकियों के मद्देनजर निवारक उपाय करने के लिए सुरक्षा कार्मिक (असम में तैनात) को संवेदनशील बनाया गया है।

5. सुभेद्य क्षेत्रों में गश्त और जांच तेज कर दी गई है। साथ ही स्थानीय पुलिस की मदद से उग्रवादी गतिविधियों का सामना करने के लिए सचल नाकाबंदी हेतु हुए क्षेत्रों/सड़कों की पहचान कर ली गई है।

6. क्षेत्र में जाने वाले वरिष्ठ अधिकारियों के लिए असम पुलिस से पी एस ओज तैनात किए गए हैं। शिफ्ट बसें सी आर पी एम की सुरक्षा में ले जाई जाती हैं।

7. स्थानीय पुलिस से कारगर सम्पर्क बनाने के लिए मुख्य प्रबंधक (सुरक्षा) के रूप में असम पुलिस से एस एस पी रैंक का एक अधिकारी लगाया गया है।

रेल सुरक्षा परियोजनाएं

2044. श्री रनेन बर्मन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रैक नवीकरण, रोलिंग स्टॉक बदलने तथा रेलवे पुलों की मरम्मत जैसी रेल सुरक्षा से संबंधित कई परियोजनाएं लंबित हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जोन-वार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय रेलों पर परिसंपत्तियों जैसे रेलपथ, पुल और चल स्टॉक की मरम्मत और अनुरक्षण करना तथा नवीकरण/पुन:संगठित करना एक सतत् प्रक्रिया है।

यह कार्य स्वीकृत कार्य है और इनका निष्पादन आयु एवं स्थिति के मानदंडों के अनुसार किया जाता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

रेलवे टिकट

2045. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई रेलवे स्टेशनों पर गंतव्य विशेष के लिए मुद्रित रेलवे टिकट उपलब्ध नहीं होते हैं जिससे यात्रियों को ज्यादा पैसे का भुगतान करना पड़ता है जैसाकि दिनांक 15 जुलाई, 2006 की राजस्थान पत्रिका (कोटा) में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रेलवे स्टेशनों पर पर्याप्त संख्या में मुद्रित रेलवे टिकट उपलब्ध करवाने के लिए रेलवे द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं;

(घ) क्या रेलवे का विचार सभी रेलवे स्टेशनों पर कंप्यूटरीकृत टिकट मशीन स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) प्रिंटिंग में देरी के कारण, कोटा मंडल के कुछ स्टेशनों पर टिकटों की कमी है। प्रिंटेड कार्ड टिकट न होने से उसी किराए पर पेपर टिकटें जारी की जाती हैं। ज्यादा प्रभार की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।

(ग) टिकटों के मांग पत्र और पर्याप्त स्टॉक की उपलब्धता की नियमित तौर पर अनुवीक्षा की जा रही है।

(घ) और (ङ) 31.7.2006 को देशभर में 646 स्थानों पर कंप्यूटरीकृत अनारक्षित टिकट सुविधाएं उपलब्ध हैं और इस सुविधा को क, ख, ग एवं घ श्रेणी के सभी स्टेशनों पर मार्च, 2007 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

करों का युक्तिसंगत बनाना

2046. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होटलों और अन्य पर्यटन उद्योगों संबंधी करों को युक्तिसंगत बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में राज्य सरकारों की राय सुनिश्चित कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (घ) होटलों तथा अन्य पर्यटन उद्योग पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा करों को युक्तिसंगत बनाने के मामले पर 4 तथा 5 मार्च, 2005 को नई दिल्ली में आयोजित राज्य पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा की गई थी। ऐसा माना गया था कि पर्यटन, आर्थिक वृद्धि का एक

बड़ा चालक तथा रोजगार पैदा करने वाला है। अत: संकल्प में यह पारित किया गया कि सभी राज्य, करों की युक्तिसंगतता तथा एकरूपता की दिशा में काम करेंगे, ताकि वो अपने गंतव्यों को प्रतिस्पर्धात्मक बना सकें। इस बात पर सहमति जताई गई कि इससे पर्यटक आगमनों में वृद्धि होगी और अधिक राजस्व पैदा होगा। राज्यों से प्रत्येक जोन में एक मॉडल एकसमान कराधान प्रणाली तैयार करने की संभावना तलाशने का अनुरोध किया गया। राज्य सरकारों से इस पर कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

बकाया धनराशि

2047. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-अधिकारिक यात्राओं के लिए रक्षा विमानों का उपयोग करने के लिए बहुत से व्यक्तियों पर भारतीय वायु सेना की धनराशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनसे बकाया धनराशि की वसूली करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) दो भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों तथा एक भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री पर गैर-सरकारी यात्राओं के लिए रक्षा सेनाओं के विमान का उपयोग करने के लिए लगभग 6.5 करोड़ रुपए बकाया हैं।

(ग) सरकार द्वारा नोटिस भेजकर या उचित वसूली प्रक्रिया अपनाकर बकाया वसूली के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

अदरक प्रसंस्करण योजनाएं

2048. श्री पी.सी. थामस : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा वित्त पोषित की जाने वाली कोई अदरक प्रसंस्करण योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) अदरक प्रसंस्करण के लिए अलग से कोई स्कीम नहीं है। वैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण संबंधी वर्तमान स्कीम के अंतर्गत शामिल अनेक कार्यकलापों/मदों में से एक मद मसाले हैं जिन्हें इस स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया है। अदरक मसालों की श्रेणी में शामिल है।

इस स्कीम के अंतर्गत, यह सहायता अनुदान के रूप में होगी जो सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25% जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है और दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रुपये तक है, दी जाती है।

विशिष्ट व्यक्तियों हेतु पेंशन

2049. श्री सुग्रीव सिंह : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राज्य-वार कितने व्यक्तियों को "मैन ऑफ आर्ट्स" हेतु केन्द्रीय पेंशन मिल रही है;

(ख) ऐसे व्यक्तियों को प्रदान की गई पेंशन का ब्यौरा क्या है और इस पेंशन को पिछली बार कब संशोधित किया गया था;

(ग) ऐसी पेंशन प्रदान करने हेतु निर्धारित मानदंड क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त पेंशन योजना के अंतर्गत कुछ और समुदायों को लाने के लिए मानदंड में परिवर्तन करने का है; और

(ङ) देश के जनजातीय समुदायों से और अधिक व्यक्तियों को ऐसी पेंशन प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) और (ख) संस्कृति मंत्रालय साहित्य, कला तथा जीवन के ऐसे ही अन्य क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्तियों, जो दीन-हीन परिस्थितियों में हों, तथा उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता की स्कीम चला रहा है। इस स्कीम के दो भाग हैं नामत: केन्द्रीय कोटा और केन्द्रीय राज्य कोटा। केन्द्रीय कोटा के तहत कलाकारों को संस्कृति मंत्रालय द्वारा सीधे 2000 रु. प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्रीय राज्य कोटा के तहत् संस्कृति मंत्रालय 1500 रु. प्रतिमाह की सहायता देता है और

इसे संबंधित कलाकार को सीधे भेजता है। शेष 500 रु. की राशि सीधे संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा दी जाती है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। अंतिम बार वित्तीय सहायता में 01.01.1998 से संशोधन किया गया था।

(ग) यह स्कीम 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के साहित्य तथा कला में विशिष्ट ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो दीनहीन परिस्थितियों में हों और जिनके परिवार की आय 2000 रु. से अधिक नहीं है। वित्तीय सहायता प्राप्तकर्ता की मृत्यु की स्थिति में, उसके आश्रित की वित्तीय हालत की जांच करने के बाद केन्द्र सरकार के विवेक पर उक्त वित्तीय सहायता जारी रखी जा सकती है। उक्त कलाकार की पत्नि/पति के मामले में उसके जीवित रहने तक यह लाभ जारी रहेगा और कलाकार के आश्रित के मामले में यह सहायता उसके विवाह होने या उसे रोजगार मिलने या उसके 21 वर्ष का होने तक जारी रहेगी।

(घ) सरकार का इस स्कीम के तहत मानदण्ड बदलने का प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) इस स्कीम को किसी समुदाय विशेष के किसी विशिष्ट सन्दर्भ के बिना अखिल भारतीय आधार पर समान रूप से कार्यान्वित किया जाता है।

विवरण

वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले कलाकारों की संख्या

राज्य का नाम	केन्द्रीय कोटा के तहत	केन्द्रीय राज्य कोटा के तहत
1	2	3
आंध्र प्रदेश	149	16
असम	21	15
बिहार	29	–
छत्तीसगढ़	1	–
दिल्ली	38	–
गोवा	9	11
गुजरात	4	–
हरियाणा	20	1
हिमाचल प्रदेश	5	–
झारखंड	7	–
जम्मू और कश्मीर	1	–
केरल	72	74
कर्नाटक	155	34
मिजोरम	2	2
महाराष्ट्र	145	4
मध्य प्रदेश	33	–
मणिपुर	76	3
मेघालय	2	–
नागालैंड	1	–
उड़ीसा	97	105
पांडिचेरी	11	1
पंजाब	5	2
राजस्थान	6	2
त्रिपुरा	1	–
तमिलनाडु	28	–
उत्तर प्रदेश	130	84
उत्तरांचल	11	–
पश्चिम बंगाल	53	4
कुल	1112	358

प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता

2050. श्री रघुनाथ झा : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजारों में चोरी-छिपे प्रवेश कर रही प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं सहित आयातित प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो आयातित प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता जांच कराने के लिए क्या उपाए किए गए हैं;

(ग) क्या खाद्य उत्पादों का उत्पादन करने वाले भारतीय उत्पादक निर्धारित मानदंडों और गुणवत्ता संबंधी मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं जिसके कारण व्यक्तियों विशेषकर बच्चों के स्वास्थ्य को खतरा हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो खाद्य वस्तु उत्पादकों द्वारा निर्धारित, मानदंडों और गुणवत्ता संबंधी मानकों का सख्ती से पालन कराना सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है/किए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) आयातित प्रसंस्कृत खाद्य मदों की गुणवत्ता स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित की जाती है। प्रसंस्कृत खाद्य मदों के देश में प्रवेश के लिए निकासी देने से पूर्व, उनके नमूनों का परीक्षण किया जाता है और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम तथा नियमों के तहत निर्धारित गुणवत्ता मानकों और मानदण्डों के अनुपालन की जांच की जाती है।

(ग) और (घ) खाद्य मदों का निर्माण करने वाले भारतीय निर्माताओं को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित मानदण्डों और गुणवत्ता मानकों का पालन करना होता है और उल्लंघनकर्ता के खिलाफ खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है। गत तीन वर्षों के दौरान दर्ज किए गए मामलों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघशासित प्रदेश	निम्नलिखित वर्षों के दौरान अपमिश्रित पाए गए दर्ज मामलों की संख्या		
		वर्ष 2001	वर्ष 2002	वर्ष 2003
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1273	966	1022
2.	अरुणाचल प्रदेश	12	06	02
3.	असम	157	117	212
4.	बिहार	690	उपलब्ध नहीं	555
5.	गोवा	02	09	19
6.	गुजरात	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	499
7.	हरियाणा	370	356	504
8.	हिमाचल प्रदेश	93	62	176
9.	जम्मू और कश्मीर	292	67	70
10.	कर्नाटक	302	316	437
11.	केरल	299	308	408
12.	मध्य प्रदेश	497	476	237
13.	महाराष्ट्र	2413	1973	2162
14.	मणिपुर	03	06	शून्य
15.	मेघालय	13	शून्य	03
16.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य
17.	नागालैण्ड	02	शून्य	13
18.	उड़ीसा	161	218	145
19.	पंजाब	290	318	360

1	2	3	4	5
20.	राजस्थान	595	698	465
21.	सिक्किम	04	10	शून्य
22.	तमिलनाडु	376	668	उपलब्ध नहीं
23.	त्रिपुरा	08	14	08
24.	उत्तर प्रदेश	2361	2773	3171
25.	पश्चिम बंगाल	124	124	87
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	शून्य
27.	चंडीगढ़	107	74	50
28.	दादरा और नगर हवेली	05	01	03
29.	दमण और दीव	02	04	शून्य
30.	दिल्ली	392	350	218
31.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य
32.	पांडिचेरी	12	21	21
33.	छत्तीसगढ़	77	70	101
34.	झारखंड	31	उपलब्ध नहीं	48
35.	उत्तरांचल	45	20	32
	कुल	11008	10025	10928

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 1.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.31 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 1.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 1.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 1.00 बजे पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात में भयंकर बाढ़ आई हुई है। वहां स्थिति अत्यंत गंभीर है। गुजरात की सरकार ने केन्द्र से मदद मांगी है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

(व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) (एक) नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 4619/06]

(3) (एक) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 4620/06]

(5) (एक) नेशनल म्यूजियम इंस्टिट्यूट आफ हिस्ट्री आफ आर्ट, कंजरवेशन एण्ड म्यूजियोलाजी, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल म्यूजियम इंस्टिट्यूट आफ हिस्ट्री आफ आर्ट, कंजरवेशन एण्ड म्यूजियोलाजी, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 4621/06]

(7) (एक) सेंटर फार कल्चरल रिसोर्सेज एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फार कल्चरल रिसोर्सेज एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 4622/06]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : मैं श्री प्रफुल पटेल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के लेखापरीक्षित लेखाओं पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों पर सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(तीन) एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 4623/06]

(ख) (एक) इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के लेखापरीक्षित लेखाओं पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों पर सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(तीन) इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन,

लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 4624/06]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन आफ इंडिया, कानपुर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन आफ इंडिया, कानपुर के वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 4625/06]

(3) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995 पर उक्त अधिनियम की धारा 15क की उपधारा (4) के अंतर्गत वर्ष 2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 4626/06]

(5) अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 पर उक्त अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (4) के अंतर्गत वर्ष 2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 4627/06]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : मैं इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2006-2007 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 4628/06]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2006-2007 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4629/06]

(दो) गेल (इंडिया) लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2006-2007 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4630/06]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संकरण)—

(एक) केरोसिन (उपयोग पर प्रतिबंध तथा अधिकतम मूल्य का निर्धारण) संशोधन आदेश 2006, जो 6 जुलाई,

2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 405(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) द सोलवेंट, रैफिनेट एण्ड स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भंडारण और आटोमोबाइल्स में प्रयोग का निवारण) संशोधन आदेश, 2006, जो 6 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 404(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4631/06]

अपराह्न 1.01 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:-

''राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 8 अगस्त, 2006 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 2 अगस्त, 2006 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2006 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।''

अपराह्न 1.01½ बजे

वित्तीय समितियां

एक समीक्षा

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं वित्तीय समितियां (2005-2006) एक समीक्षा के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 1.02 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

कलाकारों को विदेशों में भेजने में भेजने में भ्रष्टाचार के बारे में दिनांक 24.11.2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 431 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

[अनुवाद]

***पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी)** : महोदय, लोक सभा के उपर्युक्त अतारांकित प्रश्न के उत्तर में, भाग (क) से (घ) तक का उत्तर मंत्रालय के पास उस तिथि तक उपलब्ध सूचना के आधार पर दिया गया था। तत्पश्चात्, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, विदेश मंत्रालय से कुछ सूचना प्राप्त हुई है। तद्नुसार, निम्नलिखित सूचना को 24-11-2005 को दिये गये उत्तर में परिशिष्ट माना जाए।

(क) इन देशों में स्थित हमारे दूतावासों से प्राप्त विशेष आग्रह के आधार पर ही केवल उन कलाकारों को प्रदर्शन के लिए भेजा जाता है जो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के पेनल में हैं। अपेक्षित क्षेत्रों में कलाकार का व्यावसायिक विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए किसी विशेष सांस्कृतिक मंडली के लिए कलाकारों का चयन करने में पूरी सावधानी बरती जाती है।

(ख) और (ग) दुर्भाग्यवश भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद सितम्बर, 2005 में एक मामला प्रकाश में आया जिसमें भांगड़ा ग्रुप के नौ भारतीय कलाकार जर्मनी से वापस नहीं लौटे।

(घ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा मामले की जांच की जा रही हैं। भांगड़ा ग्रुप के नौ सदस्यों को सितम्बर 2005 में जर्मनी में भेजे जाने की सी.बी.आई. द्वारा जांच अभी जारी है।

उपर्युक्त उल्लिखित प्रश्न का उत्तर मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर तैयार किया गया था। इस मंत्रालय को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, विदेश मंत्रालय से अन्तिम सूचना दिनांक 26-7-2006 को ही प्राप्त हुई थी। इसलिए संशोधित वक्तव्य को एक सप्ताह के भीतर ही सभा पटल पर रखना सम्भव नहीं था।

---

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए सं. एल.टी. 4632/06

अपराह्न 1.02½

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आज नियम 377 के अधीन मामले सभा-पटल पर रखे जाएंगे।

(एक) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई) के अन्तर्गत राजस्थान के अलवर जिले में प्रस्तावित डेयरी विकास योजना को शीघ्र मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादव (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विशेष परियोजना जो अलवर जिले में डेयरी विकास से संबंधित है, राजस्थान सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को अपने पत्रांक एफ 6(32) जी.वी.वी./एसपी/4/2003 दिनांक 31.07.2003 को भेजी थी। मंत्रालय द्वारा कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे। अत: पुन: संशोधित योजना प्रस्तुत की गयी है। यह योजना काफी समय से ग्रामीण विकास मंत्रालय में लंबित है। मेरा जिला कृषि एवं डेयरी विकास की विपुल संभावनाओं वाला क्षेत्र है। अत: ग्रामीण रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए लगभग साढ़े चार करोड़ रुपये की यह योजना एसजीएसवाई के अंतर्गत शीघ्र स्वीकृत करें।

(दो) जल परियोजनाओं में समान भागीदारी के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती प्रतिभा सिंह (मंडी) : मैं इस सम्मानीय सभा का ध्यान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं में इक्विटी भागीदारी की ओर दिलाना चाहती हूं। 2051 मेगावाट वाली पर्वती जल विद्युत परियोजना का एन.एच.पी.सी. द्वारा निष्पादन किया जा रहा है तथा 800 मेगावाट वाली कोलडैम परियोजना का एन.टी.पी.सी. द्वारा निष्पादन किया जा रहा है जिसमें हिमाचल प्रदेश की इक्विटी भागीदारी है।

*सभा पटल पर रखे माने गये।

इसके साथ ही सरकार और लोगों को लम्बे समय से मिल रही प्राकृतिक सम्पदाओं के स्थान पर अधिकतम लाभ मिलेंगे। हमारी राज्य सरकार राज्य में चिन्हित की गयी सभी छिपी हुई सम्भावनाओं का दोहन करने के लिए वचनबद्ध है जिससे कि पड़ोसी राज्यों को विद्युत की आपूर्ति की जा सके और साथ ही केंद्र सरकार को राज्य तथा राज्य के लोगों के हितों की रक्षा करनी चाहिए।

मैं प्रधानमंत्री तथा विद्युत मंत्री से अनुरोध करती हूं कि जल विद्युत परियोजनाओं में इक्विटी भागीदारी हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार की मांग को स्वीकार किया जाए।

(तीन) दार्जिलिंग के पर्वतीय चाय बागानों को जल उपकर का भुगतान करने से छूट दिए जाने की आवश्यकता

श्री डी. नरबुला (दार्जिलिंग) : दार्जिलिंग अपने तीन 'टी' के लिए प्रसिद्ध है अर्थात् टी, टूरिजम और टिम्बर। इन तीनों में से चाय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि दार्जिलिंग की अर्थव्यवस्था अधिकतर चाय पर ही निर्भर है। दार्जिलिंग की चाय पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वर्तमान चाय का उत्पादन उत्तर बंगाल में चिंताजनक स्थिति में है। उत्पादन लागत में बढ़ोत्तरी इसका एक प्रमुख कारण है। दार्जिलिंग में चाय उद्योग दिन प्रति दिन बदत्तर स्थिति में होता जा रहा है। जिसके कारण न केवल दार्जिलिंग बल्कि हमारे देश में निराशा है इससे चाय के निर्यात पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि विभिन्न देशों को निर्यात की जाने वाली चाय का अधिकांश उत्पादन दार्जिलिंग में होता है।

इस समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा चाय उत्पादन को कुछ सुविधाएं देनी चाहिए। विगत में दर्जिलिंग के चाय बागानों को जल उपकर अदा करने से छूट प्राप्त थी क्योंकि चाय के बागान नगरपालिका अथवा अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते। अब पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने धन उगाने के उद्देश्य से चाय बागान फैक्ट्री का लाइसेंस नवीकरण करने से पूर्व प्रत्येक चाय बागान पर 5000 रु. (पांच हजार) का शुल्क लगाया जाता है।

दार्जिलिंग पहाड़ी पर स्थित चाय बागानों की स्थिति समतल स्थानों पर स्थित चाय बागानों से भिन्न है। पहाड़ी क्षेत्रों में पानी की भारी कमी है। प्रबंधन को अपने संसाधन जुटाकर वर्षा जल तथा झरनों से प्राप्त पानी का संरक्षण करना चाहिए। सरकार या प्रशासन इस कठिनाई को कम करने के लिए चाय बागान प्रबंधन की कोई सहायता नहीं करता।

[श्री डी. नरबुला]

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह पर्यावरण और वन मंत्रालय की दिनांक 6 मई, 2003 की अधिसूचना संख्या 499(ई) को संशोधित करे और दार्जिलिंग के पर्वतीय चाय बागानों को जल उपकर अदा करने से छूट प्रदान करे।

(चार) टी.वी. धारावाहिकों में अश्लीलता के चित्रण को रोकने के लिए एक संहिता बनाए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल) : टेलीविजन एक जनसंचार का माध्यम है जो प्रत्येक घर में देखा जाता है इसे न केवल वयस्क पुरुषों और महिलाओं बल्कि 10 से 25 वर्ष आयु की पीढ़ी के द्वारा भी देखा जाता है। यह अवस्था किसी के जीवन की मताग्राही अवस्था भी मानी जाती है। टेलिविजनों पर अधिकांश समय फिल्में दिखाई जाती हैं। दुर्भाग्यवश इन फिल्मों में मद्यपान, धूम्रपान, तुच्छ वस्त्रों में नृत्य, भयावह लड़ाई और युद्ध, युवा लड़कियों द्वारा प्रेम और कुछ का अपहरण किया जाना, कुछ दृश्यों में बलात्कार, युवा लड़कों द्वारा युवा लड़कियों की हत्या जैसे दृश्य दिखाये जाते हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आपराधिक मामलों में संलिप्त महिलाओं पर चल रहे मुकदमों पर भी विस्तृत कार्यक्रम दिखाये जाते हैं, ऐसे कार्यक्रम मात्र दर्शकों का ध्यान आकर्षित करके अपने चैनल को महत्व प्रदान करने के उद्देश्य से प्रसारित किए जाते हैं। ऐसे दृश्यों का युवा पीढ़ी पर गम्भीर प्रभाव और असर पड़ता है। इस प्रकार युवा पीढ़ी के मन में खराब और उत्तेजक विचार आते हैं। ऐसे कार्यक्रमों का भारत के भविष्य और युवा पीढ़ी जो कि देश के भावी नागरिक हैं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए यह हमारा दायित्व और कर्तव्य है कि हम युवा पीढ़ी के मस्तिष्क को दूषित होने से रोकें। टी.वी. पर प्रसारित किए जाने वाले धारावाहिकों तथा फिल्मों का सीधा प्रभाव पड़ता है। मुझे बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि हम फिल्म तथा टेलीविजन से इस प्रकार के भयानक दृश्यों को रोक नहीं पाये हैं। अतः सरकार को टी.वी. पर प्रसारित किए जाने वाले ऐसे धारावाहिकों तथा फिल्मों, जो प्रत्येक घर में दिखाए जाते हैं, पर नियंत्रण लगाना चाहिए।

इस प्रकार के कार्यक्रमों को नियंत्रित किया जाना चाहिए तथा ऐसे प्रसारकों के विरुद्ध पर्याप्त कानून बनाया जाना चाहिए।

(पांच) कर्नाटक के हावेरी जिले में फूड पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री मंजुनाथ कुन्नुर (धारवाड़ दक्षिण) : खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय अनेक स्थानों पर खाद्य पार्क स्थापित कर रहा है। यह ज्ञात हुआ है कि कर्नाटक में ऐसे चार पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। मैं यह आग्रह करना चाहूंगा कि हावेरी जिले, जो कि एक अत्यंत पिछड़ा जिला है, में भी खाद्य पार्क स्थापित किया जाए। हावेरी जिला कर्नाटक में वर्धा तथा अपर तंग नामक दो नदियों के मध्य स्थित है। वहां एक रेलवे जंक्शन भी स्थित है। परिवहन की बेहतर सुविधाएं हैं हावेरी जिला राष्ट्रीय राजमार्ग-4 पर पूना-बैंगलोर सड़क के मध्य स्थित है तथा यह पश्चिमी घाट से सटा हुआ है। यहां आम बहुतायत में उगाया जाता है। साथ ही मक्के की खेती भी की जाती है जो गुजरात तथा महाराष्ट्र भेजी जाती है। निसन्देह मिर्च की खेती भी इस क्षेत्र में बहुतायत में की जाती है। बायदगी मिर्च जो कि हावेरी जिले में उगायी जाती है की अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी मांग है। विश्व के अन्य देशों से भी लोग बायदगी मिर्च खरीदने आते हैं। केरल के लोगों ने जैतून के तेल की फैक्ट्रियां केरल तथा कर्नाटक के हावेरी जिले में स्थापित की हैं जिनकी न केवल भारत में बल्कि विश्व में भी अच्छी मांग है।

इन परिस्थितियों को देखते हुए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि हावेरी जिले में खाद्य पार्क स्थापित किए जाएं।

(छह) मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में भारतीय खेल प्राधिकरण का उप-केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राकेश सिंह (जबलपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर जबलपुर में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के प्रशिक्षण हेतु वर्ष 2001 में भारतीय खेल प्राधिकरण के एक उप-केन्द्र की स्थापना की घोषणा की गयी थी। जिसके लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा रानीताल स्थित 50 एकड़ खाली भूमि भी निशुल्क हस्तांतरित की गयी। इसके अंतर्गत इनडोर, आउटडोर खेलों के स्टेडियम, स्विमिंग पूल, हॉस्टल एवं कार्यालय के निर्माण प्रस्तावित थे। इस उपकेन्द्र के लिए स्थल चयन व निरीक्षण का कार्य भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक, कार्यकारी निदेशक तथा क्षेत्रीय निदेशक आदि अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया तथा इनके निरीक्षण एवं संतुष्ट हो जाने के पश्चात् ही उक्त परिसर की भूमि का हस्तांतरण किया गया। किन्तु मुझे प्राप्त जानकारी के अनुसार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा इस स्थल को अनुपयुक्त मान लिया गया जबकि इसी खेल परिसर की भूमि पर ही

लगभग 20 एकड़ भू-खण्ड पर मध्य प्रदेश शासन खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न आउटडोर व इनडोर खेलों के लिए स्टेडियम तथा एथलेटिक ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है तथा कुछ भू-भाग पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा ही खेल मंत्रालय, भारत सरकार की आर्थिक सहायता से यूथ हॉस्टल का निर्माण किया गया है।

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं केन्द्र सरकार से यह मांग करता हूं कि घोषणानुसार भारतीय खेल प्राधिकरण के उपकेन्द्र के निर्माण हेतु सभी बाधाओं को दूर कर कार्य प्रारंभ किया जाए। इस बहुप्रतीक्षित उपकेन्द्र की स्थापना होने से आजादी के बाद से लगातार अपेक्षित रहे महाकौशल क्षेत्र में खेलों को समुचित प्रोत्साहन देने का मार्ग प्रशस्त होगा।

(सात) जयपुर से सीकर तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 को चार लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता

श्री सुभाष महरिया (सीकर) : महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग-11 के भाग जयपुर-सीकर सड़क (110 कि.मी.) जो कि यातायात की दृष्टि से काफी व्यस्त रहता है, जिस कारण आए दिन ट्रैफिक जाम, भारी परिवहन एवं दुर्घटना की संभावना बनी रहती है एवं जयपुर से बीकानेर झुंझुनू, चुरू, पंजाब व हरियाणा जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग-11 के भाग जयपुर-सीकर सड़क का प्रयोग किया जाता है।

धार्मिक स्थलों जैसे-खाटूश्यामजी, सालासरजी व जीणमाताजी के दर्शनों एवं शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियों को देखने के लिए काफी संख्या में लोगों एवं विदेशी सैलानियों का आवागमन है एवं औद्योगिक क्षेत्र की दृष्टि से भी जयपुर-सीकर सड़क काफी व्यस्त रहता है।

मेरा केंद्रीय मार्ग परिवहन, राजमार्ग एवं जहाज मंत्री जी से आग्रह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग-11 के भाग जयपुर-सीकर सड़क (110 कि.मी.) को शीघ्र चार लेन में चौड़ाईकरण करने की स्वीकृति देने का कष्ट करें।

(आठ) आंध्र प्रदेश में पोलवरम परियोजना पर कार्य को रोके जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री परसुराम माझी (नवरंगपुर) : दक्षिण उड़ीसा और विशेषकर मलकानगिरि और अविभाजित कोरापुट जिले के लोग आंध्र प्रदेश में पोलवरम परियोजना पर चल रहे कार्य को लेकर बहुत उत्तेजित हैं। एक बार परियोजना के पूरा हो जाने के बाद दक्षिण उड़ीसा में बहुत से लोग विस्थापित हो जाएंगे क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा भू-भाग जलमग्न हो जायेगा। आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने परियोजना के कार्यान्वयन से पूर्व अपने पड़ोसी राज्य उड़ीसा के प्रभावित क्षेत्र के लोगों की कोई बात नहीं सुनी। बल्कि उसने एकतरफा निर्णय कर लिया। जब उड़ीसा के लोगों को इस परियोजना के लिए पर्यावरण सम्बंधी अनुमति मिलने की बात का पता चला तो उन लोगों ने अपना विरोध जताया जिस पर आंध्र प्रदेश की सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद लोग बहुत उत्तेजित हो गए और वे प्रस्तावित पोलवरम परियोजना के विरुद्ध में किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इससे दोनों राज्यों के लिए कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाएगी।

महोदय, इससे पहले कि कोई अप्रिय घटना घटित हो, मेरी अपील है कि भारत सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और आंध्र प्रदेश प्रदेश सरकार को निर्देश दे कि वह पोलवरम परियोजना पर होने वाले आगे किसी भी कार्य पर रोक लगा दे।

(नौ) भारत-बंगलादेश सीमा पर घुसपैठ को रोके जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : महोदय, बांग्लादेशी अवैध घुसपैठ की समस्या आज केवल भारत-बांग्लादेश सीमा तक ही सीमित नहीं रही। देश के विभिन्न भागों में इनकी राष्ट्रविरोधी गतिविधियां न केवल कानून व्यवस्था की दृष्टि से अपितु अन्य दृष्टियों से भी सबकी चिंता का विषय बन गया है। आज पूरे देश में लगभग ढाई करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए अवैध तरीके से रह रहे हैं। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों तथा पश्चिम बंगाल और बिहार में इन घुसपैठियों ने पूरा जन-सांख्यिकी संतुलन ही बिगाड़ दिया है। अवैध घुसपैठ के कारण ही बिहार के पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, सहरसा आदि तथा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और उत्तरी दिनाजपुर जिले मुस्लिम बाहुल्य हो चुके हैं। असम की स्थिति तो अत्यंत विस्फोटक है। 126 विधानसभा क्षेत्रों में से लगभग 36 विधानसभा क्षेत्रों में ये बांग्लादेशी घुसपैठिए जन प्रतिनिधियों के भाग्य निर्माता बन गए हैं। असम सहित त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में वर्ष 1991 तथा वर्ष 2001 के बीच

[योगी आदित्यनाथ]

जनसंख्या में 19 प्रतिशत से लेकर 31 प्रतिशत तक वृद्धि दर्ज की गई है। इन अवैध घुसपैठियों ने अपने नाम मतदाता सूचियों में दर्ज करा लिए हैं तथा राशनकार्ड भी बनवा लिए हैं। आज पूरे देश में 20 लोक सभा क्षेत्रों तथा लगभग 125 विधान सभा क्षेत्रों में ये घुसपैठिए चुनाव परिणाम को प्रभावित करने वाली स्थिति में आ गए हैं। राजधानी दिल्ली में भी इनकी संख्या लाखों में है, जो आए दिन कानून व्यवस्था के लिए समस्या बनते जा रहे हैं। विभिन्न अपराधों तथा राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में अनेक बांग्लादेशियों के समूह लिप्त पाए गए हैं।

माननीय गृह मंत्री कृपया इस संबंध में माननीय सदन में अपना स्पष्ट वक्तव्य दें तथा राष्ट्रविरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने तथा बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने के संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, स्पष्ट करने का कष्ट करें।

(दस) तमिलनाडु के मदुरै में एक पासपोर्ट कार्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी. मोहन (मदुरै) : तमिलनाडु के चेन्नई और तिरुचिरापल्ली में पासपोर्ट कार्यालयों में बढ़ते कार्यों जैसे नए पासपोर्ट, नवीनीकरण, ई.सी.एन.आर. पृष्ठांकन जैसी सहायक आवश्यकताएं, पते में परिवर्तन आदि को कर नहीं पा रहे हैं। इसके कारण पासपोर्ट जारी करने में बहुत अधिक समय लगता है। इससे वहां दलालों का कारोबार फल-फूल रहा है जो अत्याधिक विलम्ब होने के कारण पासपोर्ट आवेदकों की चिंताओं का फायदा उठा रहे हैं। इसलिए जिला कलेक्टर कार्यालयों में पासपोर्ट प्रकोष्ठ खोला गया है। लेकिन फिर भी बढ़ती हुई आवश्यकताओं में वृद्धि और इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न समस्याओं में कोई कमी नहीं आई है।

मदुरै शहर तमिलनाडु के मध्य में है और तमिलनाडु के दक्षिण जिलों का प्रवेश-द्वार है। यह एक उभरता हुआ शहर है जहां तेजी से हो रहे औद्योगीकरण तथा बढ़ रहे कम्प्यूटर साफ्टवेयर और सूचना केन्द्र संबंधी उद्यमों के चलते तेजी से विकास हो रहा है। इस तीर्थ-यात्रा-तथा-पर्यटन और व्यावसायिक केन्द्र में विगत दो वर्षों में रेल और हवाई सेवाएं कई गुणा बढ़ गई हैं। मलेरिया, सिंगापुर और मध्य-पूर्व में जाने वाले हजारों प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित श्रमिकों की बढ़ती संख्या के कारण मदुरै हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए जाने की जरूरत है। इसलिए, विदेश मंत्रालय से मेरा अनुरोध है कि वह तमिलनाडु के मदुरै शहर में एक दूसरा पासपोर्ट कार्यालय खोले। मदुरै में एक सम्पूर्ण सुविधाओं वाला कार्यालय खोला जाए जिससे तमिलनाडु के दूरदराज के दक्षिण जिलो से आने वाले लोगों को काफी लाभ होगा।

(ग्यारह) केरल में कल्लाडा सिंचाई परियोजना को कमान क्षेत्र विकास जल प्रबंधन (सी ए डी डब्ल्यू एम) कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती सी.एस. सुजाता (मवेलीकारा) : कल्लाडा सिंचाई परियोजना दक्षिण केरल के कोल्लम, पथनअमिता और अलप्पुजा जिलों में सिंचाई के लिए तथा बड़ी संख्या में लोगों, विशेषकर किसानों के लिए पेयजल का स्रोत है। केरल सरकार कल्लाडा परियोजना को कमांड क्षेत्र विकास जल प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित करने का अनुरोध करती रही है और इस संबंध में उसने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कल्लाडा परियोजना को कमांड क्षेत्र विकास जल प्रबंधन कार्यक्रम में सम्मिलित करे।

(बारह) जनता की सुविधा के लिए इटावा के बलराई और 24 सी, चंदनपुर कोठी रेलवे क्रासिंग पर स्थित रेलवे गेटों को पूर्व की ओर स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रघुराज सिंह शाक्य (इटावा) : महोदय, सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र इटावा के दो रेलवे फाटकों को अवस्थित जगह से पूर्व की दिशा में अवस्थित करने के संबंध में आग्रह करते हुए कहना है। पहला, बलराई रेलवे स्टेशन के पूर्व में लूप लाइन पर रेलवे क्रासिंग होने से मालगाड़ी अनवरत् कई दिनों तक लूपलाइन पर खड़े होने से रेलवे फाटक जाम हो जाता है एवं रेल के नीचे से हो कर जाना पड़ता है, जिससे काफी परेशानी एवं दुर्घटना आए दिन होती रहती है।

दूसरा, 24 सी, चान्दनपुर कोठी रेलवे क्रासिंग की कोई उपयोगिता नहीं रह गई है, क्योंकि जो पक्की सड़क का निर्माण किया गया है, वो क्रासिंग के पूर्व की दिशा में है जबकि अभी क्रासिंग बीच गांव

में है जिससे आम ग्रामीण एवं नागरिक को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

अत: माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह है कि उपयुक्त समस्या के निदान हेतु दोनों रेलवे फाटक को पूर्व की दिशा में बढ़ा कर अवस्थित कराने की कृपा करें, जिससे आम नागरिक को समस्या से निदान मिले।

(तेरह) उच्च और तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए प्रस्तावित आरक्षण को लागू किए जाने की आवश्यकता

श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव (गोपालगंज) : पहली बार सरकार द्वारा उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के पिछड़ों के आरक्षण को सही स्वरूप में प्रस्तावित किया गया है। हाल के दिनों में समाचार पत्रों में अच्छी खबरों के आधार पर उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा में सरकार द्वारा घोषित आरक्षण के स्वरूप को पुन: बदलना, आरक्षण विरोधियों के पूर्वाग्रह को तुष्ट करने की कोशिश नजर आ रही है। अत: हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि आरक्षण के नियमों की घोषणा अपने मूल स्वरूप में शीघ्रातिशीघ्र करें ताकि आरक्षण का उद्देश्य पूरा हो सके।

(चौदह) उड़ीसा में बे अन्वेषण परियोजना में तकनीकी रूप से अधिक प्रशिक्षित कार्मिकों को शामिल किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर) : आयल इंडिया लिमिटेड जो सार्वजनिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण उपक्रम है ने उड़ीसा में समुद्री क्षेत्र में तथा स्थल क्षेत्र पर, 1979 में तेल निकालने का काम शुरू किया था लेकिन उड़ीसा के प्रति अपनी विद्वेषपूर्ण और सौतेला व्यवहार के कारण अपना लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहा जबकि उड़ीसा हाइड्रो कार्बन भंडार से युक्त एक सम्पन्न राज्य है। लेकिन दुर्भाग्यवस, आयल इंडिया लिमिटेड ने पिछले दिनों में अपनी ड्रीलिंग गतिविधियों में काम तेज करने की बजाए धीमा कर दिया दिया था। उड़ीसा में स्थापित परियोजना कार्यालय जिसे खाड़ी तेल खनन परियोजना कहा जाता है, में शुरू में तकनीकी लोगों और अन्य सहायक कर्मचारियों की संख्या काफी अच्छी थी लेकिन अब इसमें केवल नाम-मात्र के कर्मचारी रह गये हैं जिसमें कोई तकनीकी कर्मचारी नहीं है। बिना किसी सशक्त कारण के ड्रीलिंग का काम धीमा कर दिया गया और लक्षित गहराई तक खुदाई करने से पूर्व बीच में ही रोक दिया गया। उड़ीसा में परियोजना रोक देने की स्थिति पैदा हो गई और 1998 में इसे बंद करने की अनुमति मांगी गई। लेकिन कर्मचारी संघों और उड़ीसा के लोगों के भारी विरोध के कारण ऐसा नहीं हो सका। उड़ीसा के तत्कालीन मुख्य मंत्री स्वर्गीय श्री बीजू पटनायक ने भी प्रक्रिया को बंद करने से रोकने के लिए मामले में हस्तक्षेप किया। आयल इंडिया लिमिटेड, जिसकी पारादीप में परियोजना तथा अवसंरचना थी जिसमें ड्रीलिंग सामग्री सम्मिलित थी तथा जिसका पिछले 27 वर्षों से भुवनेश्वर में परियोजना कार्यालय है को उड़ीसा के तट पर अन्वेषण संबंधी कार्य को पुन: आरंभ करने की आवश्यकता है जिसके लिए केन्द्र सरकार को आयल इंडिया लिमिटेड को नया ब्लाक देने की जिम्मेदारी लेनी होगी।

इस प्रकार के परिसर के लिए, मैं पेट्रोलियम मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि वह आयल इंडिया लिमिटेड से कहे कि उड़ीसा में मौजूद अवसंरचना को वह समाप्त न करे बल्कि उसे खाड़ी अन्वेषण परियोजना को तत्काल और अधिक प्रशिक्षित तकनीकी कार्मिकों से युक्त करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

(पंद्रह) बिहार के सीवान जिले में महराजगंज केन्द्रीय विद्यालय में कक्षाएं आरंभ किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : महोदय, बिहार प्रान्त अन्तर्गत सिवान जिले का महराजगंज अनुमण्डल मुख्यालय है। महराजगंज में अनुमण्डलीय पुलिस मुख्यालय, रेलवे स्टेशन, अस्पताल, उच्च विद्यालय, महाविद्यालय, अनेकों उच्च कोटि के व्यावसायिक प्रतिष्ठान, थाना, प्रखण्ड मुख्यालय आदि पूर्व से हैं। महराजगंज और उसके आस-पास के क्षेत्र में हजारों की संख्या में केन्द्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारी, सेवा निवृत्त कर्मचारी निवास करते हैं। महराजगंज एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है, परन्तु महराजगंज में एक भी अच्छा विद्यालय नहीं है, मजबूर होकर कर्मचारियों को शिक्षा अध्ययन हेतु अपने बच्चों को बाहर भेजना पड़ता है जिसके कारण कर्मचारियों को अनावश्यक आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है। महराजगंज में वर्षों से एक अच्छे विद्यालय की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

महराजगंज में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति दे दी गयी है। केन्द्र सरकार के निदेशानुसार राज्य सरकार द्वारा महराजगंज केन्द्रीय विद्यालय का प्रारूप भी भेज दिया गया है, परन्तु अभी तक महराजगंज केन्द्रीय विद्यालय में पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि बिहार प्रान्त अन्तर्गत सिवान जिले के महराजगंज में स्वीकृत केन्द्रीय विद्यालय में पढ़ाई शीघ्र शुरू कराई जाए।

(सोलह) देश में सांप द्वारा डसे गए लोगों को समय पर चिकित्सा सहायता और दवाइयां उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा. के. धनराज (टिंडिवनाम) : भारत की अधिकांश आबादी गांवों में रहती है और प्रमुखतः दूर-दराज के क्षेत्रों में जिनका सड़क से कोई अच्छा संपर्क नहीं है और कोई भी तीव्र गति के यातायात के साधन उपलब्ध नहीं हैं।

प्रतिवर्ष 15 से 20 हजार लोग सांपों के काटने से मर जाते हैं क्योंकि समय पर पर्याप्त चिकित्सा सहायता और सर्प विष निवारक दवा उन्हें नहीं मिल पाती। तीव्र गति की यातायात प्रणाली के अभाव में मरीज को शीघ्र शहरों में उपचार के लिए नहीं लाया जा सकता। देश में सर्प-विष निरोधी दवा की कमी है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और राजस्थान में सबसे ज्यादा ऐसे पीड़ितों के मामले सामने आते हैं। ऐसा जानकारी मिली है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद वी.एम. वैज्ञानिक अनुसंधान फाउंडेशन, बैंगलोर ने लेगहार्नबर्ड को प्रत्येक प्रकार के सर्प विष की कम घातक दवा से प्रतिरक्षित कर मुर्गी के अंडे से सर्प-विष निरोधी दवा सफलतापूर्वक विकसित की है। अंडों से निकाली गई सर्प-विष निरोधी दवा की शुद्धता, प्रभावकारिता और सुरक्षा की जांच की गई है। मेरी सूचना के अनुसार इस पर चिकित्सीय परीक्षण चल रहे हैं। मैं देश के वैज्ञानिकों को इसके लिए बधाई देता हूं और जानना चाहूंगा। कि इसका उत्पादन तथा इससे उपचार कब शुरू होगा। पर्याप्त प्राथमिक केन्द्रों और उप-केन्द्रों के अभाव में कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए ताकि विष-निरोधी इंजेक्शन पंचायतीराज संस्थानों के द्वारा आसपास के अस्पतालों से चिकित्सकों को बुलाकर लगाए जा सकें।

यह एक महत्वपूर्ण विषय है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि जब विष-निरोधी दवाइयां को हिम-शुष्क बना दिया जाता है तब उनकी शीतन की आवश्यकता नहीं पड़ती और फिर उन्हें पांच वर्ष तक रखा जा सकता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत प्रत्येक गांव में और उपकेन्द्र खोलना चाहिए और विष-निरोधी दवा उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि सर्प-दंश रोगी का बहुमूल्य जीवन बचाया जा सके। मैं आशा करता हूं कि केन्द्र सरकार इस संबंध उपयुक्त में कार्रवाई करेगी और सर्प-दंश के हजारो पीड़ितों का जीवन बचाएगी।

(सत्रह) आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने के लिए समय पर पर्याप्त धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

डा. एम. जगन्नाथ (नगर कुरनूल) : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए मुख्य रूप से सरकारी वित्तीय सहायता केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों पर निर्भर करते हैं चाहे वह व्यावसायिक पाठ्यक्रम हो या गैर-व्यावसायिक पाठ्क्रम हो।

पुस्तकों की खरीद, शुल्क का भुगतान, होस्टल मेस के शुल्क का भुगतान मुख्यतः उनको दी जाने वाली छात्रवृत्ति के समय पर संस्वीकृति पर निर्भर करता है।

व्यावसायिक तथा गैर-व्यावसायिक दोनों पाठ्यक्रमों के लिए, मेस-शुल्क, ट्यूशन शुल्क और अन्य शुल्कों के भुगतान, में विलम्ब होने से अनुसूचित जाति/अनुसूचितजन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए अनावश्यक और अवांछित समस्याएं खड़ी होती हैं।

हाल ही में ओसमानिया विश्वविद्यालय और इससे सम्बद्ध महाविद्यालयों ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों का दाखिला यह कहकर मंजूर नहीं किया गया कि उन्हें पहले शुल्क अथवा फीस देनी, होगी।

संवैधानिक प्रावधान है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों से शुल्क के अग्रिम भुगतान की मांग

नही की जाएगी और जब उनकी छात्रवृति स्वीकृत की जाती है तब इस शुल्क को समायोजित करना होता है।

अगर यही प्रक्रिया हर वर्ष जारी रही तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के छात्रों का मनोबल क्षीण होगा और प्रबंधन की ओर से अपमान को सह पाना और अध्ययन जारी रखना उनके लिए कठिन होगा।

इसलिए, भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति/अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृति कोष और शुल्क की मंजूरी काफी पहले दी जाए ताकि वे अपनी पढ़ाई शांतिपूर्वक जारी रख सकें और अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें।

(अठारह) असम में धोले और सदिया के बीच ब्रह्मपुत्र नदी के लोहित चैनल पर एक पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर) : मैं सरकार का ध्यान अरुणाचल प्रदेश के तेजू से आगे भारत-चीन सीमा को राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 37 से जोड़ने के लिए असम में धोले और सादिया के बीच ब्रह्मपुत्र नदी के लोहित चैनल पर एक पुल बनाने की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस पुल के बन जाने पर न केवल असम और अरुणाचल प्रदेश को मुख्य भूमि से जोड़ा जा सकेगा बल्कि सीमा पर रक्षा संबंधी आवागमन को सुगम बनाने के अतिरिक्त इससे एन.एच.पी.सी. द्वारा चलायी जा रही अरुणाचल प्रदेश में तीन मेगा पनबिजली परियोजनाओं के निर्माण में सहयोग मिलेगा। समुद्र से दूर कृषि उत्पाद वन सौर खनिज सम्पदा के रूप में सम्पन्न इस संसाधनपूर्ण क्षेत्र में देश का व्याणिज्यिक केन्द्र भी खोला जा सकेगा। इस पुल के अंतर-राज्यीय महत्व पर विचार करते हुए एन.ई.सी. ने पहले ही एक संभाव्यता अध्ययन कराया है और इसकी अंतिम रिपोर्ट आने की उम्मीद है। यह अपेक्षित है कि इस सर्वेक्षण में तेजू तक सड़क संपर्क तथा अरुणाचल प्रदेश के रोईंग को सादिया से जोड़ने के कार्य को सम्मिलित किया जाए तथा परियोजना के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय राजमार्ग का 689 कि.मी. से आगे विस्तार किया जाए।

इसलिए, मैं सरकार से विशेषकर प्रधान मंत्री कार्यालय योजना आयोग और डी.ओ.एन.ई.आर. से अनुरोध करता हूं कि इसे ग्यारहवीं योजना के लिए संयुक्त उद्यम केन्द्रीय परियोजना के रूप में अनुमति दें ताकि रक्षा, एन.एच.पी.सी., सड़क राजमार्ग मंत्रालय और एन.ई.सी. जैसे सभी शेयरधारकों से धन जुटाना निश्चित किया जा सके। इस परियोजना को पूर्ण करने के लिए एक निश्चित समय-सीमा के साथ निश्चित रूप से वित्तपोषित करने के लिए वचनबद्धता के साथ इस परियोजना को अंतिम रूप देने के लिए मंत्रालय और एन.ई.सी. के साथ मिलकर सभी शेयरधारकों के साथ समन्वय स्थापित करने का काम योजना आयोग को दिया जाए।

(उन्नीस) मणिपुर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कारगार बनाए जाने की आवश्यकता

श्री मणि चारिनामै (बाहरी मणिपुर) : महोदय, मैं माननीय उपभोक्ता मामले तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्री का ध्यान मणिपुर, विशेषकर मणिपुर के पांच पर्वतीय जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पूर्ण असफलता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गरीब ग्रामीण इम्फाल घाटी में कुछ भूमिगत व्यक्तियों के सक्रिय होने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर उनका पूर्ण नियंत्रण होने के कारण खाद्यान्नों और आवश्यक वस्तुओं के कृत्रिम अभाव सम्बंधी संकट उत्पन्न होने के कारण सरकार द्वारा निर्धारित कीमत पर इन वस्तुओं को खरीद पाने में असमर्थ हैं। गरीब ग्रामीणो को चावल 12 से 15 रुपये प्रतिकिलो, चीनी 30 रुपये प्रतिकिलो और मिट्टी का तेल 35 रुपये प्रतिलीटर खरीदने पर मजबूर हैं। पर्वतीय जिलों में एक भी उचित मूल्य की दुकान नहीं है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के निमित्त खाद्यान्न जरूरतमंद लोगों को नहीं मिल रहा है।

इसके अतिरिक्त तामेंगलांग और चूड़ाचंदपुर नामक दो पर्वतीय जिले कृतक जीवों द्वारा कृषि फसल की बड़े-पैमाने पर बर्बादी के कारण उत्पन्न सूखा जैसी स्थिति की चपेट में हैं।

इसलिए, मैं माननीय खाद्य उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्री तथा गृह मंत्री से भी अनुरोध करता हूं वे जिला मुख्यालयों को खाद्यान्न सीधे भेजकर, विशेषकर वामलेंग और चूड़ाचन्दपुर जिलों, के लिए पर्याप्त खाद्यान्न का प्रबंध करें ताकि खाद्यान्न की कमी से प्रभावी रूप से निपटा जा सके।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 1.30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 1.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 1.30 बजे

लोक सभा अपराह्न 1.30 बजे पुन: समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.31 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा 11 अगस्त, 2006/20 श्रावण, 1928 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री रायापति सांबासिवा राव श्री बालासोवरी वल्लभनेनी	241
2.	श्री हरिन पाठक श्री मधुसूदन मिस्त्री	242
3.	श्री गिरधारी लाल भार्गव श्री जसुभाई धानाभाई बारड़	243
4.	श्री एम. राजामोहन रेड्डी श्री हरिकेवल प्रसाद	244
5.	श्री जसवंत सिंह बिश्नोई श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	245
6.	श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता	246
7.	श्री श्रीचन्द कृपलानी श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे	247
8.	श्री ब्रजेश पाठक श्री बृज किशोर त्रिपाठी	248
9.	श्री रामजी लाल सुमन श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'	249
10.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड श्रीमती निवेदिता माने	250
11.	श्री राकेश सिंह	251
12.	श्री बी. विनोद कुमार श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटिल	252
13.	श्री सज्जन कुमार डा. राजेश मिश्रा	253
14.	श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया श्री रघुवीर सिंह कौशल	254
15.	श्री मोहन रावले	255
16.	डा. चिन्ता मोहन श्री बालासाहिब विखे पाटील	256
17.	श्री पी.सी. थामस	257
18.	श्री पंकज चौधरी श्री किन्जरपु येरननायडु	258
19.	श्री स्वदेश चक्रवर्ती	259
20.	प्रो. विजय कुमार मलहोत्रा श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी	260

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे.एम.	2040
2.	अब्दुल्लाकुट्टी, श्री	1922

1	2	3
3.	आचार्य, श्री बसुदेव	1866, 1979
4.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	1878, 1900, 1987, 2014, 2028
5.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	1876
6.	अहीर, श्री हंसराज जी.	1838, 1964, 2003, 2022, 2032
7.	अजय कुमार, श्री एस.	1901, 1974, 2009, 2024
8.	अनंत कुमार, श्री	2040
9.	अंसारी, श्री फुरकान	1856
10.	अप्पादुरई, श्री एम.	1853
11.	अर्गल, श्री अशोक	1852
12.	आठवले, श्री रामदास	1847, 1976, 2011, 2055
13.	बैठा, श्री कैलाश	1850
14.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	1951
15.	बर्मन, श्री हितेन	1874, 1886, 1955
16.	बर्मन, श्री रनेन	1830, 1929, 2044
17.	बाउरी, श्रीमती सुस्मिता	2034
18.	बखला, श्री जोवाकिम	1840, 1933
19.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	1945, 1992, 2019, 2030
20.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	1835
21.	बोस, श्री सुब्रत	1951
22.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	1912
23.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	1891, 1967, 2004
24.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	1875, 1876, 1994

1	2	3
25.	चिन्ता मोहन, डा.	1952, 1995
26.	चौधरी श्री बंसगोपाल	1859
27.	चौधरी, श्री पकज	1954, 997
28.	चौधरी, श्री अधीर	2000, 2033. 2036
29.	दरबार, श्री छत्तर सिंह	1860, 1939 2015
30.	देवरा, श्री मिलिन्द	1854, 1941, 1998
31.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	1845
32.	धनराजु, डा. के.	1921
33.	ढींडसा, श्री सुखदेव सिंह	1871, 1947
34.	दूबे, श्री चन्द्र शेखर	1903
35.	फैन्थम, श्री फ्रांसिस	1894, 1968
36.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	1918
37.	गढ़वी, श्री पी.एस.	1865, 1875, 1994
38.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	1887, 1950
39.	गमांग, श्री गिरिधर	1862
40.	गंगवार, श्री संतोष	1904, 1952
41.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	1864
42.	गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द	1873
43.	हर्ष कुमार, श्री जी.वी.	1867
44.	जगन्नाथ, डा. एम.	1890
45.	जय प्रकाश, श्री	1831, 1948
46.	जयाप्रदा, श्रीमती	1843

1	2	3
47.	झा, श्री रघुनाथ	1889, 1892, 1990, 2017, 2050
48.	जोशी, श्री प्रहलाद	1844
49.	कलमाडी, श्री सुरेश	1888, 2040
50.	कनोडीया, श्री महेश	1875, 1994
51.	करुणाकरन, श्री पी.	1953
52.	खैरे, श्री चंद्रकांत	1836
53.	खां, श्री सुनील	1868, 1962
54.	खंडूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र	1863, 1973
55.	खारवेनथन, श्री एस.के.	1832, 1934, 1991, 2018, 2047
56.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	2037, 2045
57.	कोया, डा. पी.पी.	1916, 1985, 2013
58.	कृष्ण, श्री विजय	1919, 1988
59.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	1899
60.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	1879, 1961, 2001, 2027
61.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	1952, 1995
62.	लक्ष्मण, श्रीमती सुशीला बंगारु	1910
63.	लिब्रा, सरदार सुखदेव सिंह	1871, 1947
64.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	1861, 1940, 1975
65.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	1895, 1969
66.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	1870
67.	महताब, श्री भर्तृहरि	1923, 1989, 2016
68.	महतो, श्री टेक लाल	1851, 1980

1	2	3
69.	माझी, श्री परसुराम	1927
70.	माने, श्रीमती निवेदिता	1887, 1950
71.	मसूद, श्री रशीद	1886, 1955
72.	मैक्लोड, सुश्री इन्ग्रिड	1954
73.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	1946
74.	मिस्त्री, श्री मधुसूदन	1875, 1949
75.	मो. ताहिर, श्री	1919
76.	मोहिते, श्री सुबोध	1834, 1931, 2007
77.	मुर्मु, श्री हेमलाल	1897
78.	मुर्मु, श्री रूपचन्द	1869
79.	नाईक, श्री श्रीपाद येसो	1944, 2040
80.	नायक, श्रीमती अर्चना	2026
81.	निहाल चन्द, श्री	1858, 1938
82.	निखिल कुमार, श्री	2000
83.	निजामुद्दीन, श्री गुंडलूर	1917, 1986, 2040
84.	ओराम, श्री जुएल	1857
85.	ओवेसी, श्री असादुद्दीन	1966, 2041
86.	पलानी शामी, श्री के.सी.	1837, 1978, 1981
87.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	1881
88.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	1865, 1972, 2006, 2031, 2042
89.	पाठक, श्री ब्रजेश	1948, 1993, 2040
90.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	1956, 1998

1	2	3
91.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	1944
92.	पटले, श्री शिशुपाल	1913
93.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	1958, 1999
94.	राजगोपाल, श्री एल.	1841, 1959
95.	राजेन्द्रन, श्री पी.	1915, 1984
96.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	1907, 1977
97.	राव, श्री के.एस.	1877
98.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	1925
99.	रावले, श्री मोहन	1942
100.	रावत, श्री अशोक कुमार	1913, 1919
101.	रावत, श्री कमला प्रसाद	1906
102.	रेड्डो, श्री जी. करूणाकर	1880, 1962, 2002, 2021, 2046
103.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	1869
104.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	1971, 2040
105.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	1963
106.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	1958, 1999
107.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	1885, 1963
108.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	1855
109.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	1911, 2041
110.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	1982, 2012
111	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	1884
112.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	1983, 2041

1	2	3
113.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	1878, 1928, 1960, 2000, 2026
114.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	1914, 1919, 2038
115.	शुक्ला, श्रीमती करुणा	2040
116.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	1902
117.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	1893
118.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	1872, 2039
119.	सिंह, श्री लक्ष्मण	1898
120.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	1867, 1882
121.	सिंह, श्री चन्द्रभान	1829, 1935, 1999, 2008
122.	सिंह, श्री दुष्यंत	1924, 2026
123.	सिंह, श्री गणेश प्रसाद	1864, 2035
124.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	1887, 1950, 2039
125.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	1920
126.	सिंह, श्री सीताराम	1896
127.	सिंह, श्री सुग्रीव	1865, 1972, 2006, 2023, 2049
128.	सिंह, श्री उदय	1905, 2036, 2043
129.	सिप्पीपाराई, श्री रविचन्द्रन	1842, 1970, 2005
130.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	1875, 1994
131.	सोनोवाल, श्री सर्वानन्द	1874, 1883
132.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	1839, 1932
133.	सुगावनम, श्री ई.जी.	1846, 1936
134.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	1849, 1875, 1937

1	2	3
135.	थामस, श्री पी.सी.	1953, 1996, 2020, 2048
136.	तुम्मर, श्री वी.के.	1833, 1930, 1943
137.	थुपस्तन, श्री छेवांग	1908
138.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	1963, 1975, 2010, 2029
139.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	2040
140.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	1926
141.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	1878, 1928, 1960, 1987, 1900
142.	विनोद कुमार, श्री बी.	1951
143.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	1943, 2039, 2040
144.	यादव, श्री बालेश्वर	1966
145.	यादव, श्री गिरिधारी	1848
146.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	1919
147.	यादव, श्री मित्रसेन	1909
148.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	1957, 1997

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	255, 259
संस्कृति	:	247, 257
रक्षा	:	250, 251, 253, 258, 260
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	
अल्पसंख्यक मामले	:	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	241, 246, 249, 254, 256
रेल	:	242, 244, 245, 252
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	248
पर्यटन	:	243.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	1833, 1836, 1842, 1843, 1845, 1847, 1849, 1855, 1859, 1864, 1865, 1875, 1876, 1877, 1885, 1905, 1908, 1912, 1915, 1922, 1924, 1931, 1940, 1969, 1982, 1984, 1985, 2000, 2002, 2004, 2005, 2009, 2013, 2019, 2020, 2024, 2026, 2028, 2029, 2039, 2040
संस्कृति	:	1899, 1902, 1934, 1968, 1988, 2021, 2035, 2049
रक्षा	:	1829, 1835, 1837, 1863, 1866, 1867, 1868, 1870, 1872, 1878, 1889, 1892, 1895, 1954, 1973, 1976, 1978, 1987, 1992, 2006, 2010, 2011, 2034, 2038, 2042, 2047
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	1898, 1972, 1990, 2012, 2017, 2048, 2050
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	1830, 1838, 1846, 1869, 1880, 1903, 1921, 1946, 2023

अल्पसंख्यक मामले	:	1831, 1891, 1894, 1907, 1966, 1986, 1996, 2015, 2031
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	1839, 1848, 1854, 1881, 1883, 1888, 1891, 1893, 1909, 1910, 1932, 1937, 1939, 1945, 1948, 1950, 1952, 1958, 1960, 1965, 1970, 1974, 1975, 1977, 1991, 1995, 2003, 2008, 2018, 2030, 2033, 2036, 2043
रेल	:	1834, 1838, 1840, 1841, 1844, 1850, 1851, 1852, 1856, 1857, 1858, 1860, 1861, 1862, 1871, 1873, 1874, 1879, 1882, 1884, 1893, 1896, 1897, 1900, 1904, 1906, 1913, 1917, 1918, 1919, 1920, 1923, 1926, 1927, 1930, 1935, 1936, 1938, 1941, 1943, 1947, 1949, 1951, 1955, 1961, 1963, 1964, 1967, 1971, 1979, 1980, 1981, 1983, 1989, 1994, 1997, 1998, 1999, 2001, 2016, 2027, 2032, 2037, 2041, 2044, 2045
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	1853, 1901, 1911, 1914, 1925, 1928, 1942, 1957, 1959, 1962, 2022
पर्यटन	:	1886, 1887, 1890, 1916, 1929, 1933, 1944, 1953, 1956, 1993, 2007, 2014, 2025, 2046.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी०एल०एस०-48/22/13/2006 (एन०)
232

© 2006 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशि
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।